Nav Jyoti, Vol. 10, No. 21, July-December 2022 **ISSN : 2249-7331**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

Print Making A Review

Rajneesh K. Gautam
Asst. Prof., Dept. of Drg. & Ptg.
D.A.V. (PG) College, Muzaffarnagar U.P.

Abstract :
Considering the point of view of modern and contemporary painters about print making, an important genre of graphic art, this article also discusses the business side of print making. After the advent of computers in the modern printing world, with the advancement of technology, simplification of the process of printing has been discussed in detail. The unprecedented changes that have been seen in the art of taking impressions through various software and modern machines. An attempt has been made to present its introduction through this article.

Key Words : Graphic Art, Print Making, Computer, Printing, Software

In fact, graphic art is an important form of painting. Take a look at all the main prevailing techniques used in graphic arts and during the technical study of the work of contemporary North Indian print painters, we find that, if modern techniques are used in the traditional techniques of graphic art at present, then surely we can get excellent results. In modern techniques, computer, various software and knowledge of various equipments associated with them, some effect can be marked in the print art. Also, by using the latest version of various mechanical devices for taking prints and after knowing about these modern techniques, we can get the best results in any artistic print.

An important mode of painting, print making is basically a technical medium, due to which it is important to have technical knowledge along with aesthetic and combination sense in this mode of painting. In this the artist needs a variety of tools and materials. The advent of printing, which matured and became popular in the West, has been an important achievement for the development of Indian modern painting. This art provided a new method to Indian painting, which is considered a pioneer in the development of art. In the social, historical and cultural perspective, the artist was attracted towards this art form and the trend of this art style gradually progressed towards development, today Graphic Art has made an excellent place in India Is.

Indian print making trade, with its prevalent methods and depth, has definitely grown in different ways in the last several years, but if it is compared with the developed countries, it still seems less.

Graphic artist *Anupam Sood* says in this subject
"Undoubtedly, the space of Indian printing has expanded continuously over the years and today there are at least a dozen or more artists who are fully engaged in print painting, but the point to be seen is that they are all young artists. Few are older. Artists are working in this medium to the fullest. Young Printers are busy in this work facing many difficulties."

Later it was seen that the workshops of printmaking continued to be organized in art schools and colleges only, some of the workshops which have been organized separately from

them, facilities are not adequate in them. That's why young artists are getting less attracted towards it, but the artists who are getting attracted towards it are joining it because of its new and effective method.

One of the pleasant aspects in the Indian print industry has been that in the last several years, many photography exhibitions and workshops have been organized by various indigenous and foreign printers. has been organized so that Indian artists have a solid ground and comparative has proved helpful in getting base.

Looking at the development of Indian handicrafts, it is known that the development of this mode took place in the last 25 to 30 years and many machine tools required for this method started to be made in their own country. *Jyoti Bhatt* established etching press in Baroda and *Jagmohan Chopra* in Delhi.

An epoch-making event in the history of Indian printing took place in June 1970, when the first workshop on printing was organized in Delhi this year. The workshop was organized under the auspices of Paul Ligren of the "Smithsonian Stewardship" and under the auspices of the American Information Center. Many printmakers from different parts of the country participated in this workshop and exchanged technical knowledge and experiences. Printers, especially young artists, were greatly benefited by this camp. Many such workshops were organized outside art schools and departments. This type of workshops helped in acquiring technical proficiency for the artists who wanted to work in printmaking.

The special thing about *Chhapakala* is that once working in this medium, the artist gets into the hypnosis of this art. In this subject, many art thinkers believe that printing medium is just making multiple copies of the same picture.

Sanatkar, the famous print writer on this subject says –

"This may be a reason, but this reason is so subtle that it is almost invisible. It is the technology of this medium that attracts towards it and it is also extremely challenging. It also gives immense satisfaction when these problems are solved after facing many innumerable problems."

Before 1964, both visual (commercial) and non-visual (extremely commercial fine arts) purpose photographs were given the title of graphic art, as it is known that the purpose and practice of both are completely different from each other. Huh. So in order to differentiate between the two it became necessary that a new name should be found for them. To solve this problem, 'The Print Council of America' fixed a definition of original prints in 1964 and gradually the name 'print making' was accepted in place of graphic and it In Hindi it was called "*Chhapakala*". Proficiency in printmaking means skill in lines and medium. In *Chhapakala*,

Jyoti Bhatt clearly says about mechanical yoga –

"I do not understand why artists should not use instruments. If any kind of instrument helps the artist to achieve his goal and makes his work more easy, then he should not hesitate to take the help of instruments. In fact, from time immemorial, all the artists have been using some means or the other."

But at the same time he accepts that the use of available materials and photographic figures reduces the ability to work by hand and leaves behind knowledge and practice of drawing, drawing, etc. It's just a kind of machine.

If seen, today's young artists have unlimited energy to work and experiment in the field of art, there is a need to scavenge them and provide them proper opportunities. Young artists are benefiting from the kind of marketing that is taking place in art, but they have to socialize the level of their art for this. The inclusion of photography in printmaking has also garnered a tremendous response and has had a huge impact in the printing world. Today's young artists are also using new techniques like computer, Xeroxcopy, mono typing, moving prints, videotape, engraving, photography, negative etc.

The immense possibilities that the computer has opened to the print art are unimaginable, the works being edited by the computer are in accordance with the nature of the artists in that it helps them to work very fast and reach their results as soon as possible. The speed with which print art has expanded with advanced technology and various materials is easily accessible to Indian artists, the result of new techniques and new experiments in printmaking has attracted young artists towards it, but in print art Due to the lack of material to be used and the adverse consequences of evaluation, artists are making less progress in this direction. Many times the artist gets astonished by the results obtained from print art, the results obtained from its various stages are beyond the imagination of an artist. Therefore, when the artist comes to the field of graphic art, he remains with this effect which is not possible by hand, they become possible by different techniques and tools of print art. For today's art students, it only makes sense that print art equipment is expensive as well as limited. The art student has to rely on art departments for graphic illustrations, so the equipment has to be made cheap for its promotion. It is also an essential aspect so that the printers can develop their own laboratory. Some conscious artists have also made small machines keeping this in mind.

In the end, looking at the importance of printmaking, I want to say that the artists of the modern art world should encourage this mode, because the energy of young artists to work by using technology should be used in a positive direction so that Indian print artists can The work done can prove to be helpful in getting them their own identity at the national and international level.

References :-

1. Printing of the Purvanchal Region: An Overview - Shyam Sharma Contemporary Art
2.Indian Graphic Art - Umesh Verma
3.Anupam Sood - Kailash Varma Contemporary Art 5
4.Indian Photographic Art (from Aadi to Modern Period) - Dr. Sunil Kumar
5.Development of Modern Indian Art - Vinod Bhardwaj
6. Modern Indian Painting
7. Illustration Legislative Material - Dr. Shiv Kumar Sharma

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

MOHAMMAD AKIF TAUFIQUE
Assistant Professor
Department of Political Science
Govt. Girls Degree College Aurai Bhadohi UP.

BINOD KUMAR
Assistant Professor
Department of Economics
Govt. Girls Degree College Aurai, Bhadohi UP.

ABSTRACT :

Sustainable Development refers to maintaining development over time.Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Sustainable development contains within it the concept of essential needs and the idea of limitations on the environment's ability to meet present and future needs. Necessary conditions for sustainable development are reviving growth. Changing the quality of growth. Meeting essential needs for jobs, food, energy, water and sanitation. Ensuring a sustainable level of population. Conserving and enhancing the resource base. Reorientating technology and managing risk. Merging environment and economics in decision making. According to advocates of sustainable development, three priorities should be incorporated into all development programmes, Maintenance of ecological processes, Sustainable use of resources and Maintenance of biodiversity. Sustainable Development has emerged through a business, citizen and governmental engagement. Sustainable Development is based on Five Ps that is Planet (Protect our Planets natural resources and climate for future generations) People (End poverty and hunger in all forms and ensure dignity and equality) Prosperity (Ensure prosperous and fulfilling lives in harmony with nature) Peace (Foster peaceful, just and inclusive societies) Partnership (Implemen the agenda through a solid global partnership). Seventeen Sustainable Development Goals, together with integrated 169 targets and 304 indicators, eventually emerged from the intergovernmental dialogic process that involved 194 member states of the United Nations and a significant number of global civil society organizations. These goals were published as an essential element of the UN's 2015 Development Agenda which was formally adapted in New York at the UN Sustainable Development Summit in September 2015 and published as " Transforming our World ". The 2030 Agenda for Sustainable Development. The goals came into effects on 1 January 2016 with the intention of guiding decision making across the world until 2030. Importantly, the UN's 2015 Development Agenda explicitly recognizes national differences, capacities and priorities in its advocacy of inclusive and sustainable economic growth in particular for developing states, conserving the world's oceans, addressing

climate change. The aim of this paper is to introduce the concepts of sustainable development. This paper identifies in some detail the origins of the concept of sustainable development. Sustainable Development Goals (SDGs) will be discussed.

KEYWORDS : Governance. Responsibility. Equitable, Inclusive, Resilient, Degradation. Revitalise, Sovereignty, Planet, Partnership, Agenda, Conservation, Green Technology, Clean Energy, Green Economy, Innovation, Climate Action, Education for Sustainabe Development.

Sustainable Development refers to a process of societal advance embodying a more equitable and environmentally aware pattern of development that requires a careful integration of economic, social, and environmental objectives. Since the 1990s, the concept has increasingly been endorsed by governments and official bodies, and it has gradually emerged as a new international norm qualifying the sort of change that is to be regarded as authentic development. In governance terms, sustainable development raises the challenge of how human societies are to address urgent environment and development problems and how existing systems of governance, at the international, national, regional, and local levels can be reformed to ensure a more desirable pattern of societal advance.

In 1987 the World Commission on Environment and Development (WCED) issued its report, Our Common Future, in which for the fi rst time, a United Nations body offi cially endorsed "sustainable development." The commission defi ned it as "development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs." A concept meant to balance the competing interests of development and environmental protection, sustainable development became the standard for all subsequent UN efforts in both areas. All future UN conferences, special session and diplomatic undertakings focused on how to give life and meaning to the formulation. The United Nations also created new agencies and reformed old ones to enshrine it as a central responsibility of national governments and international organizations.

During the 15 years leading up to the WCED's report, sustainable development emerged as a vague but important compromise between the developed countries that were interested in global environmental protection and less developed countries (LDCs) that worried about limitations environmental restrictions might place on their development policies. Beginning with the 1972 Stockholm Conference on the Human Environment (UNCHE), the United Nations opened a new arena of Thematic Diplomacy, staking out a critical role in environmental affairs. The focus of the Stockholm meeting on preserving " nature " and its encouragement of the world community to protect the global commons, however, raised serious concerns among LDCs that international environmental efforts would be undertaken at their expense. Despite the Stockholm Declaration and Plan of Action recognizing the fundamental principle of sovereignty and the right of states to control their own natural resources, both documents established concepts of state responsibility for environmental protection among other obligations the conference established the " Polluter Pays Principle " (PPP), and the " Precautionary Approach " for all states. PPP obligated states to pay for pollution prevention. As a corollary, the conference

asserted that states were responsible for pollution caused by their activities that extended beyond their borders. The second principle required states, even when science had not yet fully proven the damaging environmental effects of various development activities, to take precautionary measures to avoid degrading the Environment. To spearhead the UN's environmental efforts, the UNCHE called on the General Assembly to create a new institutional Structure. In response, the Assembly established the United Nations Environment Programme (UNEP).

The environmental effort by the United Nations became a contentious focus of North - South relations. Two issues emerged, the inherent conflict between global obligations and a Nation - State's sovereign authority over domestic resources, and the suggested restrictions on poor countries efforts to pursue traditional methods of industrialization and modernization. The disagreement between the developed and developing nations stymied the UN's efforts. On the 10th anniversary of the Stockholm conference a meeting of 70 governments in Nairobi called on the United Nations to revitalize its environmental efforts and to fi nd a solution to these issues. As a result, the General Assembly and the Secretory General convened the World Commission on Environment and Development, which took four years to complete its work.

As early as 1971, a group of experts meeting in Founex, Switzerland, had noted the interconnections between development and the environment. Many Non Governmental Organisations (NGOs) during the 1970s also promoted policies that would make the two mutually supportive. It was the WCED, however, after holding public hearings and interviewing thousands of individuals, that concluded further progress could only be made on the basis of recognizing the legitimate claims of both camps.In Our Common Future the commission encouraged the world community to develop legally binding rights and obligations for states in relation to the environment and sustainable development. It called for an international conference on the latter, recommended the creation of a powerful UN commission on the environment and sustainable development, and even encouraged the appointment of a high commissioner who would implement a system of monitoring and investigation.

General Assembly Resolution 228 (December 22, 1989) authorized the convocation of what became the largest United Nations conference in history. Meeting in Rio de Janeiro, Brazil, in June 1982, the United Nations Coference on Environment and Development (UNCED also known as the Earth Summit - attracted nearly 30,000 people to its sessions or to the accompanying global forum. It approved three cornerstones of the sustainable development principle: the Rio Declaration Agenda 21, and the Commission on Development (CSD). The declaration, while not legally binding, committed the participating governments to 27 principles that refl ected the existing consensus on sustainable development. The first principle proclaimed that " human beings are at the centre of concerns for sustainable development," shifting the emphasis away from " nature " and the " environment." It recognized both the obligation to environmental protection and the right to development. It called upon developed states to increase aid to poor nations to support the latter's efforts to meet the goals of the declaration. Agenda 21 laid out a lengthy plan of action for states and international organizations in the 21st century. It called for the protection of the world's oceans, atmosphere, forests, mountains,

climate, fish stocks and all marine life, and an effort to slow or end desertification, pollution, poverty, and overpopulation, and a massive increase in aid to Developing Countries. The agenda identified many United Nations agencies including UNEP, the United Nations Development Programme (UNDP), the World Bank and the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) as actors with central responsibility for making sustainable development a reality. The most lasting product of UNCED's work was the recommendation that the General Assembly create a permanent commission to oversee the implementation of Agenda 21. The Assembly acted on the proposal in 1993, establishing the Commission on Sustainable Development as a functional body of the Economic and Social Council (ECOSOC).

It was in the documents of UNCED and the subsequent work of CSD that much of the meaning of sustainable development emerged. Sustainable development recognized the right of all states to sustained growth as long as it did not diminish the living standards of future generations. Thus, while recognizing intergenerational equity as a fundamental principle, it encouraged continuing modernization in the less developed world. For the first time the United Nations accepted a "right to development," albeit within protective environmental parameters. Furthermore, all of the UN initiatives to promote sustainable development encouraged broad participation by NGOs, individuals, subnational jurisdiction, business, labor, and the intellectual community. While the UN reasserted sovereignty as an element of sustainable development, it sought to democratize diplomacy and remove the effort from the sole purview of national governments.

The effort to broaden participation in sustainable development reached a new plateau in January 1999 when Secretary-General Kofi Annan proposed a Global Compact between the United Nations and multinational corporations to protect Human Rights International Labor Standards, and the global environment. Speaking to the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Annan urged corporations to work directly with the world body, bypassing national governments, to fulfill the environmental principles established in the Rio Declaration. In particular, he called upon those companies joining the compact to support sustainable development's precautionary approach to environmental challenges, and to undertake greater diffusion of environmentally friendly technologies to the developing world. Within a year more than fifty transnational corporations had signed the compact.

Secretary-General Annan wrote in 1998 that the United Nations was focusing on the importance of sustainability " on sustainable development " all aspects of its work, even including peace and security. At the epicenter of the effort were six UN- related agencies : CSD, World Bank, UNCTAD, UNDP, the United Nations Centre for Human Settlement (Habitat), and the World Trade Organisation (WTO). The CSD did the preparatory work for the General Assembly's special session, Earth Summit +5, held in 1997, which in turn directed the commission to review all major areas of Agenda 21 for global progress, and to develope ISD, Indicators of Sustainable Development. The World Bank through its Global Environment Facility, GEF, the WTO, and UNCTAD took on primary responsibility for enhancing fi nancial and trade assistance to the

developing world in order to help states reach self-sustaining development. As part of that effort UNCTAD decided to make sustainable development the central theme of its third United Nations Conference on least Developed Countries (LDC-III) in 2001. At the national and subnational levels the UNDP and Habitat assisted with capacity building and infrastructure necessary for a social and economic order able to maintain sustainable development. The former launched a "Sustainable Development Network" (SDN) to foster dialogue among citizens and policy makers, and to provide the latest technical information related to the topic. Beyond these six entities, nearly all UN bodies contributed to the evolution of the sustainable development doctrine.

Even relatively independent agencies such as the World Health Organisation (WHO) undertook to promote the idea. After Gro Hurlem Brundtland the former chair of the World Commission on Environment and Development, which had first formulated the concept, took over as Director General of WHO in July 1998, the organization restructured to make "Sustainable Development and Healthy Environment" one of its primary "clusters" of activity. The WHO experience along with the Global Compact demonstrated that by the turn of the century sustainable development had metamorphosed from solely a development and environmental construct. It has been adapted to other areas of UN concern. UNEP executive director Klaus Toepfer told the world community in July 2000 that "the most toxic element in the environment is poverty." UN officials began talking about "Sustainable Human Development (SHD)," reinforcing Secretary-General Annan's assertion that the core mission of the United Nations by the end of the 1990s was "promoting human security." While his predecessor, Boutros Boutros Ghali had first suggested the idea of SHD in An Agenda for Development (1994), Annan's reinvigoration of the world body incorporated a merger of "sustainable development" with "human development," thus opening a new chapter in the evolution of the concept first declared in 1987.

A watershed in the history of sustainable development occurred in September 2000 when the UN convened the Millennium Summit. The largest gathering of world leaders to date unanimously endorsed the Millenium Development Goals (MDGs), a set of eight goals and 18 targets that merged current thinking on economic development strategy and global environmental policy. Among the goals were commitments to eradicate extreme poverty and hunger, promote gender equality, reduce child mortality, improve maternal health, and ensure environmental sustainability. The Secretary-General then commissioned the Millenium Project, chaired by Harvard professor Jeffrey Sachs, that identifi ed more than a thousand strategies to achieve the goals and targets. Annual reports issued by the UN department of Economic and Social affairs following lowing the summit showed progress to be uneven, with the greatest diffi culties in meeting the goals occurring in Africa. This was due to limited investment in the continent by rich nations, the adverse impact of Globalisation on the developing world, and serious political and military conflict. Most observers expressed doubt that the targets could be achieved by 2015, the date stipulated in the MDGs. However, sustainable development remained the primary rubric for understanding and implementing the development process.

At the historic UN General Assembly Summit in September 2015, the 2030 Agenda for Sustainable Development was adopted by the UN's 193 member states. The 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and their 169 targets are part of this agenda. The Sustainable Development Goals are a bold, universal agreement to end poverty and all its dimensions and craft an equal, just and secure world – for people, planet and prosperity. The SDGs have been developed through an unprecented consultative process that brought national governments and millions of citizens from the globe together to negotiate and adopt this ambitious agenda.

Countries of the World came together to face the future and what they saw was daunting. Famines, Drought, Wars, Plagues, Poverty, Not just in some faraway place, but in their own cities and towns and villages. They knew things didn't have to be this way. They knew we had enough food to feed the world, but that it was not getting shared. They knew there were medicines for HIV and other diseases, but they cost a lot. They knew that earthquakes and floods were inevitable, but that the high death tolls were not. They also knew that billions of people worldwide shared their hope for a better future. So leaders from these countries created a plan called the Sustainable Development Goals (SDGs). This set of 17 goals imagines a future just 15 years off that would be rid of poverty and hunger, and safe from the worst effects of climate change. It's an ambitious plan. But there's ample evidence that we can succeed. In the past 15 years, the international community cut extreme poverty in half. Now we can finish the job. The United Nations Development Programme (UNDP) is one of the leading organizations working to fulfil the SDGs by the year 2030. It is essential to learn about the Sustainable Development Goals.

(1) No Poverty : End Extreme Poverty in all forms BY 2030.

(2) Zero Hunger : End Hunger, Achieve Food Security and Improved Nutrition and Promote Sustainable Agriculture.

(3) Good Health and Well Being : Ensure Healthy Life And promote Well Being for all the Ages.

(4) Quality Education : Ensure Inclusive and Equitable Quality Education and Promote Life long learning opportunities for all.

(5) Gender Equality : Achieve Gender Equality and empower all Women and Girls.

(6) Clean Water and Sanitation : Ensure availability ans sustainable management of Water and Sanitation for all.

(7) Effordable and Clean Energy : Ensure Access to affordable , Reliable, Sustainable and Mdern anergy for all.

(8) Decent Work and Economic Growth : Promote Sustainable, Inclusive and Sustainable Economic Growth, Full and Productive Employment and decent work for all.

(9) Industry, Innovation, and Infraustructure : Build Resilient Infraustructure, Promote Inclusive and Sustainable Industrialisation and faster innovations.

(10) Reduced Inequalities : Reduce Inequality and among countries.

(11) Sustainable Cities and Communities : Make Cities and human settlement, Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable.

(12) Responsible Consumption and Production : Ensure Sustainable Consumption and Production Pattern.
(13) Climate Action : Take Urgent action to combat Global climate change and its impact.
(14) Life Below Water : Conserve and sustainabily use the ocean, Seas and Marine Resources for sustainable Development.
(15) Life On Land : Protect, Restore and Promote sustainable use of Ecosyste.Sustainably manage forests Combal desrtification, And halt Reverse land and degradation and halt Biodiversity loss.
(16) Peace, Justice and Strong Action : Promote Peaceful and Incusive growth for Sustainable, Provide access to justice for all.and build strpng institution at every shoes.
(17) Partnerships For the Goals : Strenghthen the means of implementation and revitalise the Global Partnership for sustainable Development.
One strength of the sustainable idea is that it draws together environmental, economic, and social concerns. In practice, most would agree on a number of common guiding principles for sustainable development, continued support of human life, continued maintenance of environmental quality and the longterm stock of biological resources, the right of future generations to resources that are of equal worth to those used today. Much research and thinking about sustainable development has focused on modifying economics to better integrate its operation with the workings and capacity of the environment, to use natural resources more efficiently, and to reduce flows of waste and pollution. To give new emphasis to the sustainability movement, the UN convened the World Summit on Sustainable Development Johannesburg in September 2002. More than 22,000 people participated in the meeting, including 100 heads of state or government. The conference approved the Johannesburg Declaration and a Plan of Implementation. The summit's documents established time-specifi c targets related to biological diversity, restoration of fish stocks, and the special needs of Africa. The participants called for more inclusion of Women in decision-making, renewed efforts to combat Desertification and to transfer basic sustainable agricultural techniques to the developing world. The global challenge of sustainability is now understood to lie in the complex interdependencies of environmental, social and economic development. New understanding has emerged of the linkages between environmental resources and the threats to environment of globalisation. In addition, a much more diverse range of interest groups was engaged in activities at Johannesburg than at Rio. In particular, there were many more non-governmental organisations (NGOs) from the developing world representing issues of human rights, social justice and business accountability, for example. These activities suggested new ways of addressing sustainable development at a global level and a more decentralized understanding of where change comes from.

REFERENCES :

(1) Drakulich, Angela. A Global Agenda: Issues before the 60th General Assembly of the United Nations. New York: United Nations Association of the United States of America, 2005.

(2) Grubbs, Michael, Matthias Koch, Jolly, Richard, Louis Emmerij, Dharam Ghai, and Frederick Lapeyre,

(3) UN Contributions to Development Thinking and Practice. Bloomington: Indiana University Press, 2004.

(4) Koy Thomson, Abby Manson, and Francis Sullivan. The 'Earth Summit' Agreements: A Guide and Assessment. London: Earthscan Publications, 1993.

(5) Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August–4 September 2002. A/CONF.199/20

(6) Sands, Philippe, ed. Greening International Law. New York: The New Press, 1994. United Nations.

(7) We the Peoples: The Millennium Summit Declaration, New York: United Nations, 2000. United Nations Department of Economic and Social Affairs.

(8) The Millennium Development Goals Report. New York: United Nations, annually since 2001. United Nations Development Programme.

(9) Human Development Report 2005: International Cooperation at a Crossroads: Aid, Trade and Security in an Unequal World. New York: UNDP, 2005.

(10) Werksman, Jacob. Greening International Institutions. London: Earthscan Publications, 1996.

(11) World Bank. World Development Report 2003: Sustainable Development in a Dynamic World: Transforming Institutions, Growth, and Quality of Life. New York: Oxford University Press, 2002.

(12) World Commission on Environment and Development. Our Common Future. New York: Oxford University Press, 1987.

Nav Jyoti, Vol. 10, No. 21, July-December 2022 **ISSN : 2249-7331**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

महात्मा जोतिराव फुले के राजनीतिक विचारों का मूल्यांकन

प्रियंका पासवान
शोध छात्रा–समाजशास्त्र
का०सु०साकेत स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अयोध्या।

महाराष्ट्र मे पेशवाई शासन के दौरान ब्राह्मणवादी विचारधारा के कारण ऊचं–नीच, जातिवाद, पाखंडवाद, पुरोहितवाद, गुलामी, धर्मांधता तथा रूढ़िवादिता व्याप्त थी। आम जनमानस मे धर्म के नाम पर इतना भय समाया हुआ था कि लोग अपने प्रति होने वाले अत्याचारो को भी पूर्व जन्म का फल समझ कर सह लेते थे। उनकी बौद्धिक क्षमता बिल्कुल शून्य हो चुकी थी। गरीब मजदूरो किसानो पिछड़े वर्गों शूद्र व अतिशूद्र महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय थी कि ये लगान का रकम देने के लिए साहुकार से कुछ रूपया उधार ले लेते और उसका ब्याज पुस्त दर पुस्त चुकाते रहते थे। लेकिन मूल धन ज्यो का त्यों ही बरकरार रहता था। यहां तक कि ये पिढी दर पिढी गुलामी की जंजीरो मे जकड़े रहते और साहुकारो की मनमानी इतनी ज्यादा रहती थी कि इनकी बहन बेटियां अपने ही घर मे सुरक्षित नहीं रह पातीं थी। पढ़ने लिखने की तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि पढ़ाई–लिखाई करने का अधिकार केवल ब्राह्मण पुरुषो को ही था। समाज मे बाल विवाह कन्या भ्रूण हत्या बहुपत्नी प्रथा विधवा प्रथा सती प्रथा देवदासी प्रथा आदि कुप्रथाए चरम सीमा पर थी। कोई भी व्यक्ति अपने प्रति होने वाले अत्याचारो को महससू ही नहीं करता था। क्योकि लोगो को यह विश्वास था कि जो भी उनके साथ घटित हो रहा है वह उनके पूर्व जन्म का परिणाम है। अछूत समझे जाने वाले पिछड़े वर्ग शूद्र अतिशुद्र की परछाई तक से इनको नफरत थी किन्तु इनकी स्त्रियो से बैर न था।

जोतिराव फुले का विचार था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके आधार पर समाज में सभी व्यक्ति ज्ञानवान हो सकते हैं तथा विद्यालय और शिक्षक के माध्यम से ही यह प्राप्त हो सकता है। प्रत्येक क्षत्रे मे प्राथमिक विद्यालय की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए उन्होने स्वयं विद्यालयों का निर्माण करवाया अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित कर भारत मे प्रथम महिला अध्यापिका के रूप मे स्थापित भी किये। उनके अनुसार शिक्षा का लक्ष्य केवल नौकरी पाना ही नहीं अपितु व्यवसाय कर अपने आजीविका का निर्वहन करना था। उन्होने तकनीकी तथा व्यवसायिक शिक्षा को आधार माना और पाठ्यक्रम मे इसको सम्मिलित करने का विचार भी दिया तथा स्वयं इसे अपने द्वारा खोले गए विद्यालय में लागू भी किया। जबरन व्यभिचार करने वाले सामान्य पुरोहितो को जरा सा भी छतू न होता था। मन्दिरो में देवदासी बनने वाली ज्यादा तर कम उम्र की और छोटी बिरादरी की ही लड़िकयां आती थी। जिनकी भगवान से शादी करवा कर मन्दिर की आड़ मे पुरोहित उनका आजीवन शोषण करते थे और ये देवदासियाँ इसको अपना भाग्य मानती और इससे बाहर निकलने का प्रयास भी न करती थी। जोतिराव फुले ने इन सारी बुराइयों का मुख्य कारण अशिक्षा को माना और वे इन गरीब मजदूरों किसानों पिछड़े वर्गों शूद्र महिलाओ को शाक्षर करने हेतु न केवल उपाय सुझाए बल्कि स्वयं विद्यालय की स्थापना भी की। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर शिक्षा रुपि ज्योति प्रज्ज्वलित करके समाज मे जागरूकता पैदा की।

शिक्षा ही ऐसा साधन था जिसके द्वारा व्यक्ति सभी कष्टो से छुटकारा प्राप्त कर सकता था। जोतिराव फुले ऐसी शिक्षा पद्धति को विकसित करना चाहते थे जिससे मानवता का कल्याण हो। उन्होने धर्म आधारित शिक्षा को नकारा शिक्षा मे जनमानस के दैनिक जीविकोपार्जन हेतु आवश्यक स्थानीय भाषा मे व्याकरण गणित तथा व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से समाज मे जागरूकता लाना चाहते थे जिससे परंपरागत रूप से चली आ रही पीढ़ी दर पीढ़ी की गुलामी प्रथा के बन्धनों से समाज मुक्त हो सकें। लोग शिक्षा प्राप्त करके अपनी आर्थिक एवं सामाजिक बेड़ीयों को तोड़कर अपने जीविकोपार्जन हेतु सक्षम हो सके। वह लहर थी दलित मुक्ति आन्दोलन की जिसने न सिर्फ भारत का बल्कि पुरे विश्व का ध्यान आकृष्ट किया था। इस लहर को पैदा करने वाले थे महात्मा जोतिराव फुले। महात्मा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और इसी वर्ष उनकी क्रांतिकारी पुस्तक गुलामगिरी प्रकाशित हुई थी। इस समय तक रानाडे का प्रार्थना समाज अस्तित्व में आ चुका था। इसके दो साल बाद 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। जिन महापुरूषों से शक्ति ग्रहण करता है उनमें जोतिराव फुले के अलावा केरल के नारायणगुरू (1854) तमिलनाडु के पेरियार रामास्वामी नायकर (1879–1973) उतर भारत के स्वामी अछूतानंद (1879–1933) बंगाल के चाँदगुरू (1850–1930) मध्य प्रदेश के गुरू घासीदास (1756) आदि प्रमुख है।

जोतिराव फुले के नवजागरण के उपरांत महाराष्ट्र में जो दलित चेतना उभरी उसका राजनैतिक प्रभाव हमें 1923 में देखने को मिलता है जब बंबई की विधान परिषद् ने यह प्रस्ताव पारित किया कि दलित वर्ग के लोगों को भी सभी सार्वजनिक सुविधाओं और संस्थाओं को उपयोग को समान अधिकार होगा। महाड़ में अछूतों का पानी के लिए सत्याग्रह इसी अधिकार को परास्त करने के लिए था। इसने तत्कालीन राष्ट्रीय परिद्श्य में राजनीति के तीसरे धुर्व दलित राजनीति का जन्म दिया और दलितों की सत्ता में भागीदारी दिलाई।

1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की संवैधानिक समस्या को सुलझाने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया। कांग्रेस मुस्लिम लीग हिंदू महासभा आदि सब ने इस कमीशन का विरोध किया और जहाँ भी कमीशन गया साइमन गो बैक के नारे लगाए गए किंतु जोतिराव फुले नेतृत्व में दलितों ने कमीशन का समर्थन किया और मांग की कि हिंदुओं से अलग उन्हें भी एक विशिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग माना जाए और उनके लिए मुसलमानों की तरह का प्रतिनिधित्व दिया जाए।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इसे स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस और हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया। गाधी जी उस समय पूना की जेल में थे। उन्होने जेल में ही दलितों के अधिकारों के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। अंततः तमाम दबावों के बाद समझौता 1932 में हुआ जिसे पुना–पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ही दलित राजनीति के गांधीवादी मॉडल का उदय हुआ। आज का दलित विमर्श इसे अस्वीकर करता है। आज का दलित चिंतक मानते है कि महात्मा गांधी की हरिजन राजनीति ने एक रेडिकल दलित आन्दोलन को रोका। उसने जोतिराव फुले विरोधी चेतना का विकास किया। इस तरह आज के दलित चिंतकों को गांधी जी के दृष्टिकोण से मौलिक भेद है।

आजादी के बाद दलित राजनीति के लिए 1960 का दशक अधिक महत्त्वपूर्ण हैं इस दशक में भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ने महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर भारत के दलितों पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदायों में अपना क्रांतिकारी जनाधार बनाया। एक वेकल्पिक दलित राजनीति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 1980 में कांशीराम बामसेफ (बैकवर्ड एवं माइनारिटीज शेड्यूल्डकास्ट इंप्लाइज फेडरेशन) के माध्यम से भारतीय समाज में एक नया दलित विमर्श लेकर आए। रिपब्लिकन पार्टी के पतन के बाद कांशीरम ने जो स्वयं भी उसी पार्टी में काम करते थे नए सिरे से दलित समाज को लामबंद कराना शुरू किया। बामसेफ के

तहत ही उन्होने हिंदी में बहुजन संगठक (साप्ताहिक) और अंग्रेजी में ओप्रेस्ड इन इंडिया (मासिक) पत्रों का प्रकाशन किया। यह एक क्रांतिकारी कदम था। जिसने बड़े पैमाने पर देश भर के दो लाख कर्मचारियों को बामसेफ का सदस्य बनाया। इसमें डाक्टर इजीनियर अधिकारी आदि सभी तबके लोग साथ थे। जोतिराव फुले ने दलितों की राजनीति के लिए बेहद विचारोत्तजक थे और शीघ्र ही ये दोनों नाम प्रसिद्ध हो गए।

साहित्य में दलित विमर्श की तीन धाराएं दिर्खाइ देती है। पहली धारा स्वयं दलित जातिया में जन्में लेखको की है जिनके पास स्वानुभूतियों का विशाल भंडार है। और इसी आधार पर वे मानते है कि वास्तविक अर्थो में उन्ही का सृजन ही दलितों साहित्य है। दूसरी धारा हिंदू लेखकों की है जिनके रचना संसार में दलितों का चित्रण सौन्दर्य सुख की विषय वस्तु के रूप में होता है तीसरी धारा प्रगतिशील लेखकों की है जो दलित को सर्वहारा की स्थिति में देखते है। दलित चिंतको के अनुसार अतीत का लोकायत वर्ण व्यवस्था से पीड़ित दलित जनता का धर्म था। इसलिए दलित विमर्श की परपरा का उससे गहरा सम्बन्ध है। उसने एक ऐसी विचार परंपरा को जन्म दिया जो वेद और वर्ण व्यवस्था विरोधी थी। यह परंपरा बाद में मध्यकाल के दलित संतो तक पहुची। कबीर ने इसे दलित धारा का रूप दिया और अपने समकालीन हिंदू–मुस्लिम समाजों को उद्वेलित कर दिया। दलित संत कवियों का युग 14वी 15वीं शताब्दी में साहित्य की दलित धारा भारत की लगभग सभी धाराओं में पुनः उभरती दिखाई देती है इसका कारण यह था कि इस समय तक भारत में अंग्रेजी राज कारयम हो चुका था और ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से अछूतों में शिक्षा का प्रकश पहुचने लगा था इस नवजागरण ने सभी भाषाओं में दलित रचनाकार पैदा किए जिन्होंने सिर्फ अपना साहित्य और अपना इतिहास लिखा बल्कि अपने समय साहित्य और समाज को प्रभावित भी किया। इनमें सबसे पहले नाम मराठी के महात्मा जोतिराव फुले का है। उनकी प्रख्यात रचना गुलामगिरि तथा उनके नाटको और काव्य में पहली बार दलित वर्ग का दर्द यथार्थ रूप में व्यक्त हुआ है सातवें दशक में जो दलित साहित्य मराठी में उभरा उस पर जोतिराव फुले साहित्य का गहरा प्रभाव था।

जोतिराव फुले ने सरकार से अनुरोध किया कि जिस प्रकार मुंबई विश्वविद्यालय ने प्राइवेट रूप से शिक्षा ग्रहण करने एवं परीक्षा मे सम्मिलित होने की अनुमति दे रखी है। उसी प्रकार सभी विद्यालयों मे यह सुविधा होनी चाहिए। जिससे निर्धन परिवार के किसान तथा मजदूर वर्ग के बच्चे भी आसानी से उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो सके। जोतिराव फुले ने शिक्षा आयोग को अपना सुझाव देते हुए कहा कि बी.ए. और एम.ए. की पढ़ाई को प्राइवेट करने चाहिए। जिससे गरीब मजदूरों एवं किसानो के बच्चे भी आसानी से उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके और यदि एसेा नहीं होता है तो बहुत बडी़ सख्या मे निर्धन गरीब मजदूरों एवं किसानो के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जायेंगे। उच्च शिक्षा का लक्ष्य केवल डिग्री देना ही नहीं अपितु भावी जीवन के लिए आजीविका हेतु तैयार करना भी होना चाहिए। उन्होने कमीशन को सुझाव दिया कि महाविद्यालय शिक्षा केवल सामान्य जीवन के लिए ही उपयोगी नहीं होनी चाहिए। इसमें केवल लिपिक तथा अध्यापक बनने लायक ही शिक्षा दी जाती है।

अतः महाविद्यालय शिक्षा मे व्यवसायिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाना चाहिए क्योंकि महाविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त सभी विद्यार्थी जो स्नातक होते हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। अतः व्यवसाय एवं तकनीकी शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए जिससे विद्यार्थी अपनी आजीविका हेतु व्यवसाय कर सके और उन्होने कहा कि हमारे देश के नेता शिक्षा से अधिक राजनीति पर ही बल देते हैं किन्तु शिक्षा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। जोतिराव फुले ने हंटर शिक्षा आयोग को सुझाव दिया था कि प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषा को वरीयता देते हुए बालबोध गणित नैतिक शिक्षा स्वच्छता कौशलयुक्त शिक्षा को अनिवार्य किया जाना

चाहिए इसके अतिरिक्त माध्यमिक स्कूल में अंग्रेजी इतिहास भूगोल विषय के साथ साथ जीविको पार्जन युक्त शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

व्यवसाय

उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम मे तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने व विद्यार्थियो को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आवश्यक रूप से शामिल किया जाना चाहिए जिससे सामान्य लोग भी व्यावसायिक शिक्षा का लाभ ले सके। व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी अपने विचार देते हुए जोतिराव फुले ने हंटर कमीशन को सुझाव दिया कि शिक्षा एसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति आत्म निर्भर बन सके सामर्थ्यवान बन सके और व्यावहारिक जीवन को उन्नत बना सके। रोजगार परक और उत्पादक प्रशिक्षण शिक्षा से ही व्यक्ति अपना तथा अपने समाज को अग्रसर कर सकता है। जोतिराव फुले ने हंटर कमीशन को सुझाव देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों मे रहने वाले अध्यापकों का वतेन अधिक होना चाहिए क्योकि गांव की अपेक्षा शहरो मे उनका खर्च अधिक होता है और मिशनरी स्कूलों के अध्यापको की अपेक्षा प्राथमिक पाठशालाओ के अध्यापको का वतेन बिल्कुल न के बराबर है। सरकार को इनके वेतन बढ़ाने चाहिए जिससे ये शिक्षक अपनी आजीविका का निर्वहन सुचारू रूप से कर सके तथा शिक्षण कार्य मे इनका मन लगा रहे। महात्मा जोतिराव फुले भारत के प्रथम शिक्षा शास्त्रीय दार्शनिक राजनीतिज्ञ समाजशास्त्रीय अर्थवेत्ता तथा मनोवैज्ञानिक थे जिन्होने सम्पूर्ण मानव समाज को शिक्षित करने व उनके मानवीय अधिकारो के प्रति जागरूक करने हेतु न केवल बालिका विद्यालय की स्थानपना किये अपितु भारत का प्रथम प्रौढ़ पाठशाला स्थापित किरने का श्रेय भी इन्ही को जाता है। जिसमे इन्होनें निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था भी प्रदान किये।

आरक्षण

जोतिराव फुले अपने समाज मे जाति वर्ण लिंग के नाम पर तथा धर्म के नाम पर भेदभाव को देखते हुए समाज के निचले तबके को जो शिक्षा से वंचित थे शूद्र अतिशूद्र किसान मजदूर सभी को आरक्षण के माध्यम से समाज मे समानता दिलाने के पक्ष मे हंटर कमीशन को सुझाव दिया। आरक्षण का लाभ निचले तबके को जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक समाज का यह वंचित वर्ग शिक्षा से वंचित रह जायेंगे तथा सरकारी नौकरियो में भी यह हिस्सेदारी नहीं ले पाएंगे। लिंग जाति तथा वर्ग के नाम पर जो भेदभाव है इसके आरक्षण के माध्यम से ही समाप्त कर समाज मे शिक्षा के द्वारा अपने व्यक्तिगत सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त कर मानवीय अधिकारो के प्रति जागरूकता पैदा किया जा सकता है। जब तक सबको समान रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं होगा तब तक समाज का और राष्ट्र का विकास संभव नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र मे ब्राह्मणवादी आधिपत्य से छुटकारा तभी मिल सकता है जब शिक्षा सर्व सुलभ होगा शूद्र अतिशूद्र कुनबी किसान गरीब मजदूर जो सैकड़ों वर्षों से मानसिक गुलामी वंचित शोषण के शिकार होते आ रहे हैं उनके उत्थान हेतु सरकारी नौकरियों मे आरक्षण का लाभ मिले तथा सदियों से एकाधिपत्य से छुटकारा प्राप्त हो सके। जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को सम्मान पर्वूक जीने का अवसर प्राप्त हो।

भाषा

जोतिराव फुले ने हण्टर कमीशन को सुझाव देते हुए कहा कि प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषा और माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। उनका मानना था कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा मे होने से शिक्षा के प्रति विद्यार्थियो की रुचि बनी रहेगी और माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी भाषा मे शिक्षा ग्रहण करने से ही विद्यार्थियो को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

छात्रावास

जोतिराव फुले जी ने छात्रावास के सम्बन्ध मे हण्टर कमीशन को सुझाव दिया था कि गरीब मजदरू वर्ग किसान तथा दलित परिवार के बच्चों को सरकारी छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाय। क्योकि

आर्थिक स्थिति खराब होने से ये घर से विद्यालय जाने के दौरान प्रतिदिन होने वाले खर्च को वहन न कर पाने की स्थिति में से वंचित रह जाते थे।

छात्रवृत्ति

जोतिराव फुले ने हण्टर कमीशन को सुझाव दिया था कि छात्रवृत्ति की सुविधा से गरीब परिवार के बच्चो को भी पढ़ने का अवसर मिलेगा। इस सुविधा का लाभ उठाकर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवार के बच्चों को भी शिक्षा के क्षेत्र मे आगे बढ़ाया जा सकता है। छात्रवृत्ति की सुविधा प्रत्येक स्तर पर अर्थात् प्राथमिक माध्यमिक उच्च स्तर एवं व्यवसायिक स्तर पर होना चाहिए। जिससे विद्यार्थियों का मन विद्यालय में लगा रहे। क्योकि इनका विचार था कि अधिकांश किसान और मजदूर परिवार के माता–पिता अपने बच्चों को भेड़ बकरियो को चराने फसलों की कटाई बुवाई हेतु घर पर ही बच्चो को रोक लिया करते थे जिससे उनके पढ़ाई बीच मे ही बाधित हो जाती थी। छात्रवृत्ति के लालच से बच्चों को विद्यालय मे बने रहेगे और शिक्षा व्यवस्था का लाभ उठाकर भी अपनी आर्थिक व सामाजिक स्थिति मे सुधार ला सकेंगे उन्होंने अनुरोध किया कि प्रत्येक प्रांत में प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक उच्च शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति की सुविधा का भार सरकार को उठाना चाहिए।

उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जोतिराव राव फुले जिनहे लोग आदर से महात्मा फुले या महात्मा जोतिराव फुले कहते थे का जन्म महाराष्ट में हुआ जिन्होंने अपने प्रयासों से समाज राजनीति अर्थनीति धर्मनीति शिक्षा स्त्री–पुरुष समानता और सामाजिक न्याय इत्यादि क्षेत्रों में नए आदर्श व मूल्य स्थापित किए। इन क्षेत्रों मे उनके द्वारा किए गए कार्य ऐतिहासिक और क्रान्किारी तो है ही साथ ही समाज की रचना को नया आयाम देने वाले भी थे जिसके कारण महात्मा जोतिराव फुले आधुनिक भारत में प्रथम भारतीय थे जिन्होंने समाज में सामाजिक व सांस्कृतिक आन्दोलन का सूत्रपात किया। वे वर्ण व्यवस्था जातिभेद ग्रामीण कुनबी किसानों खेतिहर मजदूरों शुद्र– अतिशुद्र एवं नारी के हितों के लिए सदा संघर्ष करते रहे और 19वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली आन्दोलन का नेतृत्व करते हुए दलितों और महिलाओं के लिए सदियों से बंद पड़े शिक्षा के दरवाजे खोले क्योंकि वे जानते थे कि समाज में बदलाव शिक्षा द्वारा ही लाया जा सकता है जिससे वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं इसलिए उन्होंने शिक्षा के प्रसार तथा समाज मे व्याप्त बुराईयों जैसे बाल–विवाह, बाल हत्या, सती प्रथा विधवा महिलाओं की दयनीय दशा छुआ–छूत इत्यादि सामाजिक बुराईयों पर कड़ा प्रहार किया। वास्तव में महात्मा जोतिराव फुले ने भारतीय राजनीतिक क्रान्तिकारी आंदोलन की उपेक्षा एक समाज सुधारक व विचारक के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जो आज के समाज में अतुलनीय है।

संदर्भ –

- महात्मा जोतिराव फुले रचनावली भाग–2,अनुवादक विमलकीर्ति, नई दिल्ली, 1974
- माली, एम. जी. – क्रान्ति ज्योति सावित्री बाई फुले, नई दिल्ली, 1986
- योगमाया – महात्मा जोतिराव फुले दर्शन एवं चिन्तन, जयपुर, 2004
- राजस्वी, एम. आई. – महात्मा जोतिराव फुले, दिल्ली, 1974
- वेदलंकार, वेदकुमार – शेतक माचा आसूद किसान का कोड़ा, महात्मा जोतिराव फुले चरित्र साधने, मुम्बई, 1996
- वेदलंकार, वेदकुमार – गुलामगिरी, बम्बई, 1994
- शर्मा, वी. पी. – आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, आगरा, 1975
- स्वामी, प्रभात कुमार – समाज सुधार में जोतिराव फुले का योगदान, जोधपुर, 2007

- सरस्वती, सी. एम. – आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तक मेरठ 1998
- महात्मा फुले साहित्य और विचार – महात्मा फुले चरित्र साधने, मुम्बई, 1993
- टॉड, कर्नल जेम्स – राजस्थान का इतिहास (अनुवाद कालूराम शर्मा) एनल्स एण्ड एण्टीक्यूटीज ऑफ राजपूताना का हिन्दी अनुवाद, जयपुर, 1984
- शर्मा, दशरथ – आधुनिक राजस्थान का इतिहास, जयपुर, 1920
- शर्मा, डॉ. रामप्रसाद – आधुनिक राजस्थान का इतिहास, जयपुर, 1858
- गुप्त, शिवकुमार – आधुनिक भारत का इतिहास, जयपुर, 1995
- बोहरा, बेनी गुप्ता – राजस्थान का इतिहास, जयपुर, 1998
- शर्मा, डॉ. गोपीनाथ – राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास, जयपुर, 1997
- गुप्त, शिवकुमार – भारतीय चिन्तन का इतिहास, जयपुर, 1999
- गुप्त, शिवकुमार – आधुनिक भारत का सामाजिक तथा आर्थिक इतिहास, जयपुर 1991
- चौपड़ा पुरी व दत्त– भारत का सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास नई दिल्ली, 1988
- शर्मा, घनश्याम दत्त – मध्यकालीन भारतीय समाज की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाएं, जयपुर, 1992
- श्रीवास्तव, कृष्ण चन्द्र – प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति, दिल्ली, 2001
- सिंह, लता – भारतीय संस्कृति में नारी स्मृति ग्रंथों के विशेष सन्दर्भ में दिल्ली 1991
- सरीन, पी. – भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की रूपरेखा, जयपुर, 1982
- मनोहर, राघवेन्द्र सिंह –राजस्थान के राजघरानों का सांस्कृतिक अध्ययन, जयपुर, 1991
- अरोड़ा, डॉ शशि – राजस्थान में नारी की स्थिति (1600–1800 ई.), बीकानेर, 1981
- अग्रवाल, वासुदेव शरण – कला और संस्कृति, इलाहाबाद, 1952
- चाइल्ड मैरिज रैस्ट एक्ट, 1929 (शारदा एक्ट)
- बादिवडेकर – महात्मा फुले और समकालीन समाज व्यवस्था, फुले साहित्य और विचार, मुम्बई, 1993
- नेहरू, जवाहर लाल – इतिहास के महापुरुष, दिल्ली 1963
- भाटी, नारायण सिंह – समाज रत्न हरविलास शारदा, जोधपुर, 1988
- गोयल, डॉ. प्रीर्ति प्रभा – भारतीय नारी विकास की ओर, जोधपुर, 2009
- शारदा, हरविलास – स्वामी दयानन्द, सरस्वती जीवन और विचार, जयपुर, 1977
- अम्बेडकर, डॉ. भीमराव –राईटिग्स एण्ड स्पीचेज खण्ड–7, बम्बई, 1990
- गेल ओमवेट– कल्चर रिवोल्ट इन ए कोलोनियम सोसायटी नोन ब्राहमिन मूवमेंट फ्राम 1833 से 1930 इन वेस्टर्न इण्डिया, सांइटिफिक सोशलिस्ट दिल्ली 1973
- मजूमदार, आर. सी. – ब्रिटिश पैरामाण्टेसी एण्ड इण्डियन रिनेशा भाग–2, 1972
- शिन्दे, जे. आर. – फलेज स्ट्रेटजी ऑफ सोशल रिवोल्यूशन, दिल्ली, 1985
- अल्टेकर, अनन्त सदाशिव – पोजीशन ऑफ वीमन इन हिन्दू सिविलाइजेशन बनारस 1938

- अली, अतहर – दी ममुगल नॉबिलिटी अण्डर औरंगजेब, एशिया, 1966
- इन्द्रा – स्टेट्स ऑफ वीमन इन एनशिएन्ट इंडिया, बनारस, 1955
- टॉड, कर्नल जेम्स – एनल्स एण्ड एन्टीक्वीटीज ऑफ राजस्थान आक्सफोर्ड, 1920

डॉ0 अम्बेडकर एवं महिला आन्दोलन

प्रो0 अभय प्रताप सिंह
प्राचार्य
ए0पी0एन0 पी0जी0 कालेज, बस्ती

सारांश

भारत के इतिहास के पन्नो पर हम जब नजर डालते हैं तो देखते हैं कि बहुत सी ऐसी घटनाएँ एवं आन्दोलन हुए है जिनसे समाज मे नया परिवर्तन हुआ था। समाज व सम्पूर्ण मानव जाति मे नया परिवतर्न होने के बावजदू भी समाज में सबसे अधिक चिन्ताजनक स्थिति दलित महिलाओं की थी। वे धर्म की कुरीतियो की बेड़ियों मे जकड़ी तथा सभी प्रकार के प्रतिबन्धो से प्रताड़ित थी। उनमे अशिक्षा पर्दा–प्रथा, अस्पृश्यता घरेलु हिंसा व अनेक धार्मिक एव सामाजिक रूग्ण प्रथाएं व्याप्त थी। ब्रिटिशकाल मे भी ब्रिटिश साम्राज्य के विरूद्ध मुहिम मे भारतीय पुरूषो के साथ–साथ महिलाएँ भी सक्रिय भागीदार बनी थी, किन्तु महिलाओं के प्रति समाज का रवैया हमेशा से ही तानाशाहपूर्ण था तथा उनको घर की चारदीवारी मे कैद ही रखना चाहते थे। इसी कारण वे देश की आजादी के बारे में विचार करने लगी। महिलाओ की स्थिति मे परिवर्तन लाने एवं समाज का परिष्कार एवं पुननिर्माण चाहने अथवा करने वालो की लम्बी कतार थी, जिसमे 20वी शताब्दी मे होने वाले भारतीय समाज को पुनर्जागरण के फलस्वरूप ब्रिटिश शिक्षा प्राप्त कर अनेक महापुरूषो एवं सुधारको का उद्भव हुआ।

मुख्य शब्द– डॉ0 अम्बेडकर, महिलाओं, इतिहास, संविधान, राजनीति।

प्रस्तावना

सत्य यह है कि स्त्रियों का संघर्ष उतना ही पुराना है जितना की उनका उत्पीड़न। अगर हम इतिहास देखे तो अवश्य ही उनकी उपस्थिति की झलक देख पायेगे क्योंकि इतिहास लेखन की प्रक्रिया मे हाशिए पर जीने वाले तबको को राजनीतिक कारणो से सत्ताधारी वर्ग से दूर रखा गया है। यह एक तरह के सत्ताधारी वर्ग की राजनीति है जो शोषित वर्ग को इतिहास मे जगह नहीं देना चाहता है। दलित और स्त्रियाँ इसके स्पष्ट उदाहरण है। लेकिन हमारे रिवाजो परम्परा और घरेलु स्त्रियो द्वारा बनाये गये गीतो, महिलाओं के आपसी एकांत क्षणो मे सुनाये गये अनुभवो मे वे संघर्ष झलकते है जिन्हे शिक्षा और स्त्रियो के प्रति जागृति के अभाव मे लिपिबद्ध नहीं किया गया। यहां तक कि इतिहास लेखन मे उन जन उभारो को नहीं दर्शाया गया जो विशेषतः अपनी अस्मिता और वजूद की लड़ाई हाशिए पर रहकर भी सड़को पर लड़ रहे थे। इतिहास के लेख मे हम स्त्रियो और दलित स्त्रियो की मुक्ति के संघर्ष के बारे मे चर्चा करेगे जो डॉ0 अम्बेडकर के प्रयासो से फलीभतू हुई। डॉ0 अम्बेडकर के समय मे भारत मे स्त्री–मुक्ति आन्दोलनो एवं सुधार कार्यक्रमो का आरम्भ हो चुका था। फिर भी जनसामान्य मे अंधविश्वास एवं धार्मिक प्रतिबन्धो का प्रभाव था, जिससे महिलाओ की स्थिति दयनीय थी इस कारण डॉ0 अम्बेडकर बेहद चिन्तित थे। उनका मानना था कि स्त्री व अन्य शोषित वर्ग दोनों की दयनीय स्थिति हेतु भारत के कुछेक धार्मिक ग्रन्थ

जिम्मेदार है जिसमे मनुस्मृति सर्वाधिक उल्लेखनीय है। वे मनु समर्थित ब्राह्मणवाद की घोर निन्दा करते थे उनका कहना था कि मेरा संघर्ष तत्वो के साथ है किसी वर्ग विशेष से नहीं है।

डॉ0 अम्बेडकर ने 1916 मे अपने एक लेख "भारत मे जातियाँ इनकी संरचना उत्पत्ति एवं विस्तार में उन्होने बताया कि भारत मे दलितों के समान ही स्त्रियो की वर्तमान दुरावस्था का कारण भी जाति व्यवस्था है। डॉ0 अम्बेडकर ने 1942 की महिला परिषद के भाषण मे कहा कि विवाह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। विवाह करने वाली प्रत्येक नारी को अपने जीवन साथी के पक्ष मे खड़ा रहना चाहिए यह आवश्यक है किन्तु महिलाओ को पति की दासी नही अपितु बराबरी के नाते अथवा मित्र के रूप में। महिलाओ को सम्बोधित करते हुए डॉ0 अम्बेडकर कहते है कि यदि महिलाएं ऐसा करती है तो अपने साथ समाज का भी अभ्युदय करेगी और सम्मान पायेगी। इस हेतु सभी स्त्रियो को पुरूष के बराबर हिस्सेदारी कर खुद को शासक की जमात बनाने हेतु प्रयास करना चाहिए। डॉ0 अम्बेडकर के ये विचार स्त्रियो की समाज मे दशा को उन्नत करने में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुए। इसी तरह के भाषण वह अनेक अवसरो पर देते रहे एवं परिणामस्वरूप महिलाओ मे जागरूकता बढती रही। भारत मे जो समस्या वर्तमान मे बढ़ती जनसंख्या के कारण है इसके दुष्परिणाम को डॉ0 अम्बेडकर वर्षो पूर्व ही भांप गये थे साथ ही भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन की जिस योजना को 80 के दशक मे लगाया गया था इस योजना के लाभ के बारे मे बाबा साहेब ने अपने समय मे ही बता दिया था। बाबा साहेब स्वयं भी एक बड़े परिवार के सदस्य थे उन्होने बाल्यावस्था से ही अपने परिवार मे स्त्रियो की स्थिति को देखा था। उनके अनुसार बड़े परिवार के बच्चो का लालन–पालन भी ठीक से नहीं हो पाता है। महिलाओ को केवल समाज अथवा देश ही नहीं अपितु परिवार मे उचित सम्मान पाने के लिए संघर्ष करने करने के लिए प्रेरित करते थे। यदि महिलाओ को अपनी आगे की पुश्ते सुधारनी हैं तो उन्हे शिक्षा ग्रहण करना होगा। बाबा साहेब का मानना था कि वह समाज आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से उन्नति नहीं कर सकता जो अपनी पत्नी और पुत्री को हीन समझते हो और यही मुख्य कारण है कि डॉ0 अम्बेडकर ने आर्थिक उत्थान मे महिलाओ के नेतृत्व का विकास किया। जिसके तहत संविधान मे महिलाओ एवं पुरूषों के लिए रोजगार एवं अवसर की समानता की बात की है और समान रोजगार एवं आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। वे महिला एवं पुरूष को समान कार्य हेतु समान वेतन एवं लाभ के पक्षधर थे। उन्होंने कामगार महिलाओं के सम्बन्ध मे प्रसूति लाभ विधेयक का समर्थन किया जिसके अन्तर्गत उन्होने कहा कि नवजात शिशु देश की जिम्मेदारी है इसलिए यह आवश्यक है कि माँ के लिए प्रसवपर्वू दशाएं एवं प्रसव पश्चात् शिशु की देखभाल हेतु सवैतनिक अवकाश मिलना चाहिए जिससे वे भारतीय समाज मे समान आत्म–विश्वास व स्वावलम्बन प्राप्त कर सके।

हिन्दू कोड बिल

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत मे उस समय साम्प्रदायिकता अपने चरम पर थी तथा सभी के लिए समान नागरिक संहिता होने पर यह आग मे घी डालने जैसा कृत्य होता क्योंकि कोई भी अपने धर्म नियमो पर दुसरे का कटाक्षेप बर्दास्त नहीं कर सकता था। इसलिए डॉ0 अम्बेडकर ने भारत के बहुसंख्यक निवासी हिन्दू जिसके अन्तगर्त जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, हिन्दू शामिल थे के लिए एक हिन्दू कोड बिल बनाया। इस बिल की अधिकांश धाराएँ व कानून महिलाओ से सम्बन्धित है। क्योंकि डॉ0 अम्बेडकर महिलाओ को राष्ट्रनिर्मात्री का दर्जा देते थे। उनका कहना था कि राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक किसी महिला की गोद मे पलता है। साथ ही यदि किसी राष्ट्र या समाज की महिलाओ की सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन करना है तो सर्वप्रथम राष्ट्र की महिलाओ की सामाजिक स्थिति देखना चाहिए। अतः नारी को जागृत किये बिना राष्ट्र का विकास असम्भव है।

डॉ0 अम्बेडकर ने 11 फरवरी 1950 को सिद्धार्थ कालजे बम्बई के छात्र अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए अपने भाषण मे कहा था कि भारत के गणतंत्रीय संविधान ने सरकार को यह निश्चित आदेश दिया है कि समस्त देश की प्रगति के लिए एक ही प्रकार की विधि संहिता तैयार करे। इसीलिए हिन्दू कोड

बिल तैयार किया गया। बिल का उद्देश्य हिन्दुओ के परम्परागत कानून की कुछेक शाखाओ को कानूनी रूप देना और उनका आधुनिकीकरण करना देश की एकता के दृष्टिकोण से यह लाभकारी होगा कि हिन्दुओ के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर एक ही प्रकार के कानून लागू हो। हिन्दू कानून मे संशोधन एकरूपता लाने के लिए ही किया जा रहा है। कानून ऐसे होने चाहिए जो सरलता से समझे जा सके और यह सारे समाज पर न कि किसी एक भाग या क्षत्रे पर लागू होने चाहिए। हिन्दू कोड बिल को हिन्दू शास्त्रो के अनुकलू बताते हुए डॉ0 अम्बेडकर ने कहा है कि हिन्दू कोड बिल की धाराएँ हिन्दू धर्म के धर्मशास्त्रो के अनुसार ही हैं। जैसे नारी के सम्पत्ति का अधिकार दायभाग एवं मिताक्षरा ग्रन्थ के अनुसार है साथ ही बृहस्पति स्मृति मे भी महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकार देने का समर्थन किया गया है।

हिन्दू कोड बिल का मुख्य उद्देश्य

डॉ0 अम्बेडकर भारतीय स्त्री खासकर हिन्दू स्त्री जिसमे सवर्ण तथा दलित दोनों की सामाजिक–आर्थिक और राजनैतिक स्थिति मे क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे। उनकी दशा सुधारने के लिए वो एक ऐसा कानून बनाना चाहते थे जो विशुद्ध रूप से उनकी सामाजिक कानूनी स्थिति सुधारने मे संजीवनी बूटी की तरह काम करे। इसलिए उन्होने सौ फीसदी औरतो के हक मे हिन्दू कोड बिल बनाया। इस हिन्दू कोड बिल और डॉ0 अम्बेडकर दोनों को ही कट्टर पथियों का भयंकर विरोध सहना पड़ा। हिन्दू कोड बिल के विरोध मे डॉ0 अम्बेडकर को कई बार व्यक्तिगत अपमान झेलना पड़ा। उनके घर पर पत्थर तक बरसाये गये और संसद मे भी उनका बहिष्कार किया गया। हिन्दू कोड बिल पास कराने के लिए डॉ0 अम्बेडकर के साथ–साथ अनेक दलित–गैर दलित महिलाओ ने भारतीय महिलाओ की सामाजिक व आर्थिक लड़ाई लड़ी है। हिन्दू कोड बिल पर दुर्गाराम देशमुख लाकेसभा की सदस्य श्रीमती पदमजी नायडू, राजश्री, चन्द्रकला, उर्मिला मेहता, मिसेस मिठान महिला कांग्रेस की मन्त्री कुमारी मुकुल और उनके महिला जत्थे ने अम्बेडकर के साथ गावं–गांव नगर–नगर घूमकर सभा और जनसभाओ मे भारतीय महिलाओ की सामाजिक आर्थिक दुर्दशा के चित्र खींचे। अक्सर अम्बेडकर और महिला साथियो द्वारा आयोजित हिन्दू कोड बिल चर्चा सभाओ मे कट्टर पंथियो द्वारा सीधा हमला कर दिया जाता था और चर्चा सभाओं को जबरदस्ती बंद करा दिया जाता था। उस समय के अखबार भी हिन्दू कोड बिल के खिलाफ अनेक भड़काऊ लेख छाप रहे थे। उस समय देश का माहौल डॉ0 अम्बेडकर और उनकी महिला साथियों के खिलाफ विषाक्त हो गया था परन्तु ये सब डटे रहे। आखिर मे जब हिन्दू कोड बिल संसद मे पास न हो सका तब डॉ0 अम्बेडकर ने विरोध स्वरूप संसद से त्यागपत्र दे दिया।

महिला सशक्तिकरण के लिए डॉ0 अम्बेडकर के विचार

डॉ0 अंबेडकर ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनके अधिकारों को क़ानूनी संरक्षण के प्रावधान के लिए सरकारी संस्थाओं में हमेशा आवाज उठाई। भारत के वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में डॉ0 अम्बेडकर के विचारों को देखा जाए तो संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। मुंबई जैसे नगर में ऐसे बहुत से संगठित असंगठित कार्य क्षेत्र थे जहां महिलाएं काम करती थी। जिसमें डिप्रेस्ड क्लास की महिलाओं की संख्या ज्यादा होती थी। इन जगहो पर कार्य करने वाली महिलाओं की स्थिति बहुत अमानवीय थी उनके अधिकार के लिए उन्होंने मुंबई लेजिसलेटिव काउंसिल में एक सदस्य के नाते मातृत्व लाभ विधेयक प्रस्तुत किया। महिला सशक्तिकरण के उत्थान के लिए अंबेडकर ने हिंदू सामाजिक व्यवस्था के पुर्नरचना पर ज्यादा जोर देते थे कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाह रहे थे जो समानता पर आधारित हो। डॉ0 अंबडेकर ने संविधान निर्माण कर मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद–14 एवं अनुच्छेद–16 का निर्माण किया। संविधान के माध्यम से बच्चों व स्त्रियों की बिक्री तथा उनसे बेगार लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। संविधान द्वारा महिलाओं को स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार प्रदान किए जाने से सिद्धांततः महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार तो अवश्य आया, किंतु स्वतंत्रता एवं समानता की संवैधानिक सुरक्षा देने से भी सदियों से उपेक्षित महिलाओं को परंपरात्मक दासता से मुक्ति नही मिल पाई।

डॉ अंबेडकर का सोचना था कि विवाह और संपत्ति पर अधिकार सबंधी प्रचलित कानून में क्रांतिकारी परिवर्तन ला कर ही महिला मुक्ति संभव है। डॉ0 अंबेडकर ने कहा था कि मैं भी रूढ़िवादी हूं लेकिन प्रगतिशील रूढ़िवादी हूं। अंबेडकर ने संसद के सामने एडमण्ड बर्क का तर्क रखा की रूढ़िवादी होते हुए फ्रेंच क्रांति के विरुद्ध एक ग्रंथ लिखा बुनियादी सुधारवाद और क्रांतिकारीवादी होने के कारण वे अपनी रुढीवादी देशवासियों को एक महत्वपूर्ण सच्चाई बताना नहीं भूले। डॉ अंबेडकर की दूरदर्शिता एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के विचार वर्तमान समय में भी प्रासंगिक एवं कानून निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। 2005 में आया काननू संयुक्त हिंदू परिवार में पुत्री को भी पुत्र के सामान कानूनी रूप से बराबर का भागीदार बनाया गया ये सारे स्त्री अधिकारों के लिए बने कानून हिंदू कोड बिल का ही विस्तार हैं।

संवैधानिक प्रावधान

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए डॉ0 अंबेडकर द्वारा किए संवैधानिक प्रावधान संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ अम्बेडकर ने संविधान में ऐसे अनुच्छेद का प्रावधान किया जिससे भारत के सामाजिक व्यवस्था में समानता स्वतंत्रता एवं सामाजिक न्याय स्थापित हो सके। संविधान की प्रस्तावना भाग 3 एवं 4 में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों के द्वारा डॉ0 अंबेडकर ने स्त्री पुरुष को समान नागरिक एवं समान अधिकार से युक्त किया। अनुच्छेद 14, 15, 16, 39, 42 द्वारा स्त्रियों को किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्त एवं समान अधिकार की गारंटी का प्रावधान किए। अनुच्छेद 14 जिसके द्वारा स्त्रियों को पुरुषों के समान राजनीतिक–आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में अवसर की समता का अधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा।

अनुच्छेद 15 । के लिए विशेष व्यवस्था की गई है महिलाओं की स्वभाविक प्रकृति के कारण उन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 23, 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत 1956 में महिलाओं एवं बालिकाओं की ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए यह एक्ट पारित किया गया। आर्टिकल 39 स्त्रियों को आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए उनकी जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार एवं अनुच्छेद 39व समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध है। आर्टिकल 42 के अनुसार महिला को विशेष प्रसूति अवकाश प्रदान करने का प्रावधान है अनुच्छेद 46 शिक्षा प्राप्त करने का अवसर स्त्रियों को दिया गया। संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा डॉ अम्बेडकर ने स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष लाकर उन्हें सशक्त करने का दूरदर्शिता वाला कार्य किया। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि हमारा दायित्व है कि हम हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। डॉ अम्बेडकर द्वारा आधी आबादी को हर तरह से सशक्त करने के उनके संवैधानिक उपायों का ही विस्तार 73 वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन जिससे अनुच्छेद 243 द्वारा ग्राम पंचायतों में स्त्रियों को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया। डॉ अंबेडकर ने संविधान में वयस्क मताधिकार का प्रावधान कर स्त्री पुरुष दोनों को समान रूप से वोट डालने का अधिकार दिए पश्चिमी देशों में स्त्रियों को मतदान करने के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा था लेकिन बाबा साहब ने समानता को लागू करते हुए संविधान के साथ ही यह अधिकार महिलाओं को दे दिया।

2014 के लोकसभा चुनाव में 67.1 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान 65.95 प्रतिशत था। देशव्यापी राजनीतिक तंत्र में अब भी काफी हद तक पुरुषों का दबदबा कायम है और वह पितृसत्ता का गढ़ बना हुआ है। संसद और विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व काफी कम है। महिला लोकसभा सदस्यों की संख्या 1952 में 4.7 प्रतिशत से बढ़कर 2014 में 11.4 प्रतिशत हो गई है। राज्यसभा में महिला सांसदों की संख्या 2014 में 15 प्रतिशत थी। 17वीं लोकसभा में 76 महिलाएं लोकसभा में अपने हक की आवाज को बुलंद करेंगी। राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमारे देश की पितृसत्तात्मक मानसिकता को दर्शाता है लेकिन महिला वोटरों एवं महिला उम्मीदवार की संख्या में बढ़ोतरी महिलाओं के अधिकार के प्रति एवं राजनीति के प्रति उनकी बढ़ती रुचि को आंकता है। महिलाओं के मतदान प्रतिशत में

बढ़ोतरी के बावजूद काफी कम प्रतिनिधित्व का यह विरोधाभास पंचायत चुनाव में नहीं दिखता क्योंकि पंचायतो में महिला शिक्षा, जागरूकता, संवेदनशीलता, सोच में परिवर्तन जैसे–जैसे समाज में महिलाओं के प्रति समाज के सोच में इन चीजों की वृद्धि होगी वैसे–वैसे स्त्री मुक्ति की बहस कम होती जाएगी। आजादी के समय एवं उसके बाद वर्तमान समय तक महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं।

मूल्यांकन

सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि नारी जाति के शोषण एव अत्याचार को देखकर डॉ0 अम्बेडकर ने हिन्दू कोड बिल विधेयक के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन जो किया है, उसमे ही नारी समाज को सोचने, समझने और अपनी स्थिति का मूल्याकंन करने की जो भावना उत्पन्न हुई, उसी के फलस्वरूप वर्तमान युग मे नारी समाज मे क्रान्तिकारी रूप मे राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना ने उन्हे संदियो पुरानी गलुामी की बेड़ियां काटकर स्वतंत्रता की राह दिखाई, जिसका श्रेय निश्चित रूप से डॉ0 अम्बेडकर को जाता है। वास्तव मे आज सामान्य नारी व दलित महिलाएं जिस स्वतंत्रता व समानता का उपभोग कर रही है तथा उन्हे सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर जो अधिकार मिले हुए है, उन्हे इस स्थिति तक पहुँचाने की एक महत्वूपर्ण कड़ी के रूप मे थे डॉ0 अम्बेडकर ने उस समय महिलाओ की प्रगति की आवाज को उठाया, जब नारी सामाजिक, राजनैतिक एव आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा उपक्षित का शिकार थी और उनके प्रयासो के परिणामस्वरूप ही दलित महिलाओ को दासता की बेड़ियो से मुक्ति मिली तथा उन्होने स्वच्छन्द वातावरण मे मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ समाज मे अपनी अस्मिता एवं वजदू को स्थापित किया। आज वर्तमान युग मे दलित महिलाएं हर क्षेत्र मे कार्यरत् है। उनका शैक्षिक उत्थान हुआ है वे शिक्षित होकर समाज के हर क्षेत्र मे अपनी भूमिका निभा रही है।

संदर्भ सूची ग्रन्थ–

- अम्बेडकर डॉ0 बी. आर. हिन्दू धर्म की पहेलियाँरू महाराष्ट्र सरकार अम्बेडकर डॉ0 बी.आर. लेख एवं भाषा ग्रंथ माला का चौथा खण्ड 1987.
- अम्बेडकर, साहब बाबा, लेख एवं भाषण सूचना जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, भीम पब्लिकेशन जलान्धर, पंजाब 1993.
- भारती केवल डॉ0 अम्बेडकर बौद्ध क्यों बने?बोधिसत्व प्रकाशन सिविल लाइन्स,रामपुंर 1977.
- भूषण चन्द्रडॉ0 बी.आर. अम्बेडकर के शैक्षिक विचारों पर बौद्ध शिक्षा दर्शन के प्रभावों का समीक्षात्मक अध्ययन 2001.
- भारती केवल, डॉ0 अम्बेडकंर एक पुनर्मूल्यांकन बोधिसत्व प्रकाशन रामपुर 1947.
- एस.पी. ग्रेट इण्डियन एजुकेशनल किलांसफर आगरा, विनोद पुस्तक 1987.
- रदान, डॉ0 बी. आर. अम्बेडकर जीवन और दर्शन पंचशील प्रकाशन जयपुर, 1995.
- एस.पी. ग्रेट इण्डियन एजुकेशनल किलांसफर आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर, 1987.
- बी. आर. अम्बेडकर विचार और सन्देशः पंचशील प्रकाशन, चौडा रास्ता जयपुर 1992
- ज्ञासू प्रसाद चन्द्रिका, अम्बेडकर का जीवन संघर्ष बहुजन कल्याण प्रकाशन सआदतगंज लखनऊ जनवरी और हुमायूं भारतीय शिक्षा दर्शन राजकमल प्रकाशन दिल्ली 1987.
- नी शिववन्त, भारतीय संस्कृतिः राजकमल प्रकाशन प्रकाशन दिल्ली 1995.
- पीपुल्स एजुकेशन सोसायटी, बुद्ध और उनका धम्मः बम्बई 1993
- राम नरायण सिद्धेश्वरी, पौराणिक धर्म एवं समाज इलाहाबाद 1968

- सागर सुन्दर लाल, गांधी और अम्बेडकर विवाद सागर प्रकाशन मैनपुरी 1977

प्रिंट मीडिया के सामाजिक राजनैतिक और आर्थिक आयाम

कमला यादव
असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र
राजकीय महिला महाविद्यालय सलेमपुर देवरिया

सारांश

प्रिंट मीडिया के अहम हिस्से के रूप में अपने आस्तित्व के इतिहास से लेकर आज तक समाचार पत्रों , पत्रिकाओं और किताबो ने सूचना ,ज्ञान ,और क्रांतिकारी परिवर्तनशील विचारो को लोगो तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त माध्यम का काम किया है। लोक विमर्श ,पब्लिक ओपिनियन के निर्माण , अभिव्यक्ति की आजादी , लोकतंत्र को मजबूत करने ,सामाजिक जागरूकता तथा व्यवस्था में परिवर्तन लाने में सामाचार पत्रों ,पत्रिकाओं और महान विचारकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।जहां एक एक तरफ रेडिकल प्रेस के रूप समाचार पत्रों ने आम लोगो की आवाज को उठाया और इनको फोर्थ स्टेट या लोकतंत्र का चौथा खंभा भी कहा गया वही दूसरी तरफ आर्थिक संसाधनों के लिए बाजार और विज्ञापन पर निर्भरता ने समाचार पत्रों को मैन्युफैक्चर्ड पब्लिक ओपिनियन के निर्माण तथा सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में राज्य के प्रोपोगंडा का एक हिस्सा बना दिया। जो लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। प्रस्तुत शोध पत्र में प्रिंट मीडिया की लोगो को जागरूक करने ,अभिव्यक्ति की आजादी तथा व्यवस्था में बदलाव में भूमिका का अध्ययन के अलावा प्रिंट मीडिया की मैन्युफैक्चर्ड जनमत और प्रोपोगंडा में भूमिका तथा राज्य से संबधो के अध्ययन का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्दावली

लोक विमर्श, पब्लिक ओपिनियन, प्रोपोगंडा, मैन्युफैक्चर्ड ऑपिनियन, लोकतंत्र, कार्पोरेट पूजीवाद, पेन्नी पेपर, रेडिकल समाचार पत्र, फोर्थ स्टेट, एडवाइज कालम, सामाजिक परिवर्तन, पार्लियामेंट , अभिव्यक्ति , प्रवादा, पत्रिकाएं, जनमत ।

प्रस्तावना

सामाजिक संबंध , लोक विमर्श और बाजार में खबरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है सूचना के साधन के रूप में समाचार पत्रों और पत्रिकाएं अपने अस्तित्व के आरंभिक दिनों में वैचारिक क्रांति का आधार रही है तथा समाज में लोगो को जोडने तथा परिवर्तनकारी विचारो को फैलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है । प्रिंट मीडिया ने सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक संबंधों के लिए लोगो के बीच तथा ,राज्य और आम जनता के बीच और बौद्धिक एवं तथा आम आदमी के बीच सेतु का कार्य किया है । समाचार पत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1670 में किया गया,(विलियम्स 2010)। समाचार पत्रों के महत्व को इंगित करते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोलते हुए एडमंड बर्क ने कहा था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका थ्री स्टेट

अर्थात् तीन स्तंभ है इसके अलावा जो गैलरी में बैठे हुए पत्रकार हैं वे फोर्थ स्टेट हैं अर्थात चौथे स्तंभ है जो सबसे महत्त्वपूर्ण है (कार्लाइल 1908)।

सूचना के माध्यमों की अहमियत को देखते हुए समाजशास्त्री मार्शल मैक्लुहान ने कहां है कि "माध्यम ही संदेश है"। मीडिया के रूप में समाचार पत्रों की सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका रही है। आरंभिक दिनों में समाचार पत्र और पत्रिकाएं सूचना के एकमात्र माध्यम होने के कारण समाज में इनकी अहमियत इस बात से थी कि इनमें छपने वाली खबरें सच होती है ऐसा लोगो में भरोसा था ।समाचार पत्र उन खबरों को खोज कर आम लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे , जिसकी जानकारी आम लोगों को नहीं होती थी । समाज और राजनीति में क्या हो रहा है अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है इससे जुडी सूचनाएं लोगों के लिए काफी अहमियत रखती थी । अमेरिका, यूरोप खासकर ब्रिटेन से छपने वाले अखबार आम लोगों के लिए आंख नाक और कान थे ।

पब्लिक ओपिनियन के निर्माण में समाचार पत्रों की भूमिका अहम रही है निर्णय लेने के लिए सूचनाओं की जरूरत होती है । लेकिन इसके लिए समाचार पत्र और आम लोगों के बीच पैदा हुआ भरोसा काफी अहमियत रखता है। लोग सूचनाओं को तभी सच मानते हैं जब उनको समाचार पत्र या उसके संपादक पर भरोसा होता है । ऐसे में समाचार पत्र के लिए हमेशा से चुनौती रही है कि वह किस प्रकार अपने पाठकों में भरोसा पैदा करें कि वह जो खबरें देता है वह सच है । समाचार पत्रों की खबरों पर भरोसा के बिना जनमत का निर्माण नहीं हो सकता ऐसे में भरोसेमंद समाचार पत्र पब्लिक ओपिनियन और लोकतंत्र के आधार स्तंभ है ।

ब्रिटेन के जेरेमी बेंथम ने पब्लिक ओपिनियन के महत्व को समझते हुए कहा था लोक जनमत सामाजिक नियंत्रण का एक इंस्ट्रूमेंट या हथियार है। विचारों या मत की अभिव्यक्ति एक प्रकार का नैतिक प्रतिबंध का काम करती है विचारों की अभिव्यक्ति सरकार के गैरकानूनी काम के खिलाफ नैतिक प्रतिबंध का काम करता है अर्थात पब्लिक ओपिनियन मिसरूल अर्थात गैरकानूनी शासन के खिलाफ एक सेफगार्ड है सुरक्षा कवच है(बायस, इत्यादि ,1978) , जेरेमी बेंथम ने आगे कहां है कि पब्लिक ओपिनियन विधायिका द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एक नैतिक प्रतिबंध की तरह काम करता है। पब्लिक ओपिनियन एक ऐसी व्यवस्था है जहां कानून लोगों के बीच से निकलता है।

दार्शनिक राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्रियों साहित्यकारों के अलावा अक्सर राज्य भी अपनी नीतियों और विचारधाराओं को आम लोगो तक पहुंचाने तथा लोगों को प्रभावित करने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग करते रहे है ।यूरोप खासकर ब्रिटेन में दार्शनिकों अर्थशास्त्रियों और राजनीतिक विचारको ने अपने विचारों और सिद्धांतों को जमीन पर उतारने तथा आम लोगों तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों को ही अपना माध्यम बनाते थे, उसमें कॉलम और आर्टिकल लिखते थे। जिसे लोग पढते थे और एक जनमत का निर्माण हुआ करता था । जैसे जैम्स मिल मॉर्निंग क्रॉनिकल समाचार पत्र के लिए लिखते थे तो वही जेम्स मिल और स्टूअर्ट मिल दोनों लोग वेस्टमिंनिसस्टर रिव्यू समाचार पत्र के लिए लिखते थे (बायस, इत्यादि 1978).। सोवियत संघ से छपने वाले अखबार प्रवादा और इजवेस्टिया ने बोलसेविको की नीतियों खासकर न्यू इकोनामिक पॉलिसी और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में बदलाव की नीति को आम लोगो तक पहुंचाने तथा उनको उचित ठहराने में अहम भूमिका निभाई (मैथ्यू लिनोई 2004)।

पब्लिक ओपिनियन, अभिव्यक्ति और लोकतंत्र में समाचार पत्रों की भूमिका

समाचार पत्रों के अस्तित्व के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है अपने आरंभिक दिनों में समाचार पत्र व्यापार और युद्ध में सूचनाओं की भूमिका के आर्थिक पहलू से जुडे थे समाचार पत्रों के अस्तित्व से पहले व्यापारियों के अपने सूचना तंत्र थे, निजी डाक सेवाएं थी जिसकी सूचना के आधार पर यह व्यापारिक

फैसले लेते थे। इसका दायरा बेहद निजी था। आम लोगों के लिए सूचना के साधन के रूप में यात्री और घुमंतू व्यापारी जो मौखिक खबरें देते थे । अपने आरंभिक दिनों में समाचार पत्र बाजार और व्यापार में एक घटक के रूप में थे लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव आया एक तरफ राज्य ने इनका इस्तेमाल किया तो दूसरी तरफ आम लोगों को अभिव्यक्ति देने के लिए कुछ लोगों ने समाचार पत्र की स्थापना की। लेकिन इनके सामने संकट था समाचार पत्रों की प्रतियों की कीमत से समाचार पत्र का खर्च चलता था ऐसे में यदि उसकी कीमत अधिक होती थी तो पाठकों की संख्या घट जाती थी इसका दूसरा पहलू भी था पहली बार आम लोगों को लगा कि कुछ समाचार पत्र ऐसे हैं जो उनके काम की उनके मतलब की खबरें लेकर आते हैं उनको खरीदते थे और उनकी कीमत कम हुआ करती थी उनको पेन्नी पेपर भी कहा जाता था जॉर्ज एच डगलस अपनी किताब द गोल्डन एज ऑफद न्यूजपेपर में कहते है की पेन्नी पेपर शब्द का इस्तेमाल ऐसे पेपर की लिए किया गया जो आम लोगो को उपलब्ध थे क्योंकि उनकी कीमत कम थी जिसे लोग खरीद सकते थे(डगलस जी., एस. 1999). आमतौर पर अपने आरम्भिक दिनों में समाचार पत्र महंगे हुआ करते थे आम पब्लिक नहीं खरीद सकती थी । 1830 तक समाचार पत्रों की वार्षिक कीमत आठ से 10डालर हुआ करती थी उस समय यह काफी बडी कीमत थी इसीलिए समाचार पत्रों को समृद्ध लोग ही खरीद सकते थे और पढते थे जिसमे राजनीति और व्यापार की खबरे होती थी(डगलस जी., एस. 1999). लेकिन बाद में जब कम कीमत के समाचार पत्र जिसे पिन्नी पेपर कहा गया या पॉपुलर प्रेस कहां गया उसकी वजह से समाचार पत्रों की पहुंच आम लोगों तक पहुंची तो यहीं से समाचार पत्र फोर्थ स्टेट की भूमिका में आ गए। अनेक क्रांतिकारी समाचार पत्र सामने आए जिसमें हावर्ड ग्रेजुएट लीडेन वॉल्टर का डेली इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट (10×15इंच फॉर्मेट में 1830), बेन डे का "सन "(1830), जैम्स गोर्डेन बेनेट का "न्यूयॉर्क हेराल्ड "(1835), और होरेस ग्रीली का ट्रिब्यून (1840) शामिल था जिसमे बेनेट और ग्रीली दोनो को अमेरिका के समाचार पत्र जगत में काफी ख्याति मिली, लेकिन वास्तविक रूप में फिलाडेल्फिया में 1831 में क्रिस्टोफर कोलंबस कानवेल द्वारा खोला गया पेपर "द सेंट" पहला पेन्नी पेपर था जिसकी कीमत एक पेन्नी थी(ईबीड).।

समाचार पत्रों में छपने वाली खबरें लोगों की जरूरत थी तथा यह लोगों को प्रभावित कर रही थी लेकिन 19वीं सदी के अंतिम दशक आते–आते एक नया ट्रेंड उभर कर सामने आया समाचार पत्रों में सलाह कालम अर्थात एडवाइज कॉलम सामने आया इसमें बड़ी संख्या में पाठक समाचार पत्र के संपादक और उसने कॉलम लिखने वाले पत्रकारों को खत लिखते थे जिसने अपनी भावनाएं, शहरीकरण से उपजी निराशा ,अकेलापन ,विवाह ,प्रेम, परिवार , मित्रता संबंधों, सार्वजनिक स्थल पर व्यवहार ,कमजोर होते प्राथमिक बारे में लिखते थे जिसे समाचार पत्र अपने सलाह कालम में छाप देते थे। इस प्रकार पहली बार समाचार पत्र लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान कर रहे थे तथा लोग भावनात्मक रूप से समाचार पत्रों से जुड़ने लगे थे। समाचार पत्र समाज के उस चेहरे को सामने ला रहे थे जो अब तक छुपा हुआ था वही दूसरी तरफ संपादक या कॉलमनिस्ट की सलाह का भी लोगो पर प्रभाव पड़ने लगा था। 1924 में डेट्रॉयट न्यूज की कॉलमनिस्ट नैंसी ब्राउन ने इनफेडल नामक व्यक्ति का लिखा पत्र एडवाइज कॉलम में छापा जिसमे वह नैंसी को संबोधित करते हुए वह अपने नगरीय जीवन के अकेलेपन ,लोगो के स्वार्थ आधारित संबंध और निराशा के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त करता है (गोलिया, जे.,2021). इससे दो तथ्य स्पष्ट होते हैं जहां एक तरफ लोग समाचार पत्रों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर रहे वहीं दूसरी तरफ लोगों को समाचार पत्रों पर भरोसा है लोग उससे जुड़ते हैं उसको पत्र भेजते हैं इस प्रकार समाचार पत्र समाज में हो रही उथल–पुथल के बारे में आगाह करने के एक मध्यम थे । 18 वीं सदी के आखिरी तक आते–आते समाचार पत्रों में राजनीति और व्यापार में सूचना की भूमिका के बारे में आम लोगों जागरूकता फैलाने

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई समाचार पत्र इस बात का भरोसा दिलाने में सफल रहे कि सूचना ही ताकत रेडिकल समाचार पत्र पुअर मैनस गार्जियन का सोलोगन ही था " नॉलेज इस पावर "विलियम्स,2010)।

जहां एक तरफ फ्रांस की क्रांति से निकले विचारों ने राजनीति के दरवाजे सबके लिए खोल दिए वहीं दूसरी तरफ रेडिकल समाचार पत्रों ने कामगार वर्ग का राजनीतिकरण करने में अहम भूमिका निभाई। समाचार पत्रों को लोग पढते थे वाद विवाद और विमर्श में हिस्सा लेते थे और एक जनमत का निर्माण होता था जो यह तय करता था कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए । ब्रिटेन के लॉर्ड ग्रेनविले कहते थे कि समाचार पत्र एक ऐसी ताकतवर एजेंसी है जिसने फ्रांस की क्रांति को पैदा किया है(क्रैनफील्ड ,2013).

प्रिंट मीडिया की एक अहम हिस्से के रूप में 18 वीं सदी के अंत में पुस्तकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी कुछ पुस्तकों में उसके लेखक के लेखकों द्वारा छपे विचार आम जनमानस को इतना प्रभावित कर रहे थे। उदाहरण के तौर पर टॉम पेन की पुस्तक राइट ऑफ मैन जो 1791 में छपी थी पुस्तक में लेखक द्वारा लोकतंत्र और व्यक्ति के अधिकारों संबंधी विचार आम लोगों को, कामगारों को इतना प्रभावित कर रहा था कि 2 साल के भीतर इसकी 200000 प्रतियां बिक गई तथा 1793 में देशद्रोह का आरोप लगाकर पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया गया(विलियम्स,2010)।

राज्य लोकतंत्र और प्रिंट मीडिया

18 वीं सदी के अंतिम दशक में रेडिकल प्रेस की उत्पत्ति ने 19वीं सदी के मध्य तक आते आते कामगार लोगों में काफी लोकप्रियता हासिल कर ली थी । तथा कामगार वर्ग सामूहिक प्रयास से सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में आ गया था, ऐसी परिस्थिति तत्कालीन शासक वर्ग को डरा रही थी। जेम्स करेन तथा जीन सेटन ने मीडिया के उद्विकास का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि किस प्रकार 19वीं सदी के मध्य तक आते–आते रेडिकल प्रेस की आम लोगों तक पहुंच और जागरूकता से समृद्ध शासक वर्ग खतरा महसूस करने लगा था (चोमस्की –हरमन 1994).

उपर्युक्त परिस्थितियों में राज्य और शासक वर्ग ने प्रेस को नियंत्रित करने का प्रयास किया जिसमें वे काफी हद तक सफल भी रहे राज्य ने शक्ति और संपत्ति की असमानता को प्रोपेगेंडा के माध्यम से न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया। आर्थिक संसाधनों के लिए विज्ञापन पर निर्भरता ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को बाजार की ताकतवर शक्तियों के अधीन कर दिया पूंजीवादी ताकत और कारपोरेशन ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का अधिग्रहण कर लिया । ऐसी स्थिति में बडे–बडे राष्ट्रीय समाचार पत्र बडी सफाई और सावधानी से पूंजीवाद, और संपत्ति की असमानता को जायज ठहराने लगे हैं अब यह एक स्थापित तथ्य बन चुका था।

वाल्टर लिपमैन ने अपनी अपनी किताब "पब्लिक ऑपिनियन" (1921) में कहा था कि प्रोपेगेंडा पापुलर सरकारों का एक स्थाई अंग बन चुका है((चोमस्की –हरमन 1994).,। नोम चोमस्की अपनी किताब "मैन्यूफैक्चरिंग कंसेंट" में कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि मास मीडिया सिर्फ प्रोपेगेंडा करता है लेकिन "प्रोपोगंडा" मास मीडिया की खबरों का एक महत्वपूर्ण पहलू है (चोमस्की –हरमन 1994)। धन और शक्ति का इस्तेमाल करके छपने वाली खबरों को प्रभावित किया जाता है वही खबरें छपती हैं , और लोगों तक पहुंचते हैं जो सरकार और ताकतवर लोगों के हित में होती हैं तथा आम लोगों के हितों और मुद्दों को समाचार पत्रों की खबरों से गायब कर दिया जाता है, 21वीं सदी की मास मीडिया की यह प्रमुख विशेषता है ।

प्रोपेगेंडा मॉडल के तहत खबरों में तरह–तरह के फिल्टर लगाए जाते हैं, फिल्टर का अर्थ है आम लोगों से जुडे और मुद्दे से संबंधित खबरों को गायब कर देना। न्यूजफिल्टर कई तरह के होते हैं जैसे पहला समाचार पत्रों का कारपोरेट में बदल जाना तथा उनका स्वामित्व कुछ ताकतवर लोगों के हाथों में

चला जाना दूसरा आर्थिक संसाधनों के लिए विज्ञापन पर निर्भरता तीसरा समाचार पत्रों का खबरों के लिए सरकारी महकमे पर निर्भरता चौथा मीडिया को अनुशासित करने के तरह–तरह के तरीके अपनाना और पांचवा एंटी कम्युनिज्म , ऐसे में कोई भी छपने वाली खबर इन फिल्टर से होकर ही गुजरेगी अर्थात समाचार पत्र अपनी खबर छापते समयपूंजीवाद कारपोरेट और राज्य के हितों की अनदेखी नहीं कर सकते (चोमस्की –हरमन 1994)।

राज्य और समाचार पत्रों द्वारा प्रोपेगेंडा को इतनी सावधानी और सफाई से इस्तेमाल किया जाता आम लोगों के लिए यह समझना कठिन होता है क्या खबर है या प्रोपेगेंडा है जनमानस को नियंत्रित करने के लिए उसका मानसिक नियंत्रण आवश्यक है और राज्य में लोगों के प्रतिरोध की आवाज को खत्म करने के लिए बल प्रयोग के बजाय नए हथियार के तौर पर प्रिंट मीडिया के रूप में समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से ऐसी खबरों को लोगों ऐसी खबरों को लोगों के बीच पहुंचाने का काम किया है जो प्रथम दृष्टया देखने में सच प्रतीत होती हैं लेकिन वास्तव में उसके आर्थिक और राजनैतिक हित होते हैं , राज्य और समृद्ध तबके के हितों को न्यायोचित ठहराने के लिए उसको आम लोगों के हित से जोडदिया जाता है और सामान्यतः उसे आम लोगों का हित या देश हित करार दे दिया जाता है । किसी विशेष हित समृद्ध तबके के हित को ध्यान में रखकर एक धारणा या विचार को निर्मित किया जाता है और फिर साबित करने का प्रयास किया जाता है यह धारणा या विचार आम लोगों का विचार है या लोगों की तथा देश की इच्छा है।

उदाहरण के तौर पर उदाहरण के तौर पर पूंजीवादी हितों के मद्देनजर और कम्युनिज्म के विरोध में अमेरिका की प्रिंट मीडिया ने इस धारणा को कि अमेरिका को वियतनाम में लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए, या सदाम हुसैन के पास रासायनिकी हथियार ,गद्दाफी आम लोगो का नरसंहार कर रहे है अतः लोगो कि रक्षा के लिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए अमरीका को हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसा अमेरिका के लोग चाहते हैं। यह एक प्रकार का निर्मित या मैन्युफैक्चर्ड जनमत था, झूठा जनमत था जिसे मीडिया ने खडा किया था । वियतनाम, इराक या लीबिया मैं हस्तक्षेप के पीछे आम अमेरिकन की राय नहीं थी बल्कि यह मीडिया द्वारा खडा किया गया मैन्युफैक्चर्ड ओपिनियन था।

भारत में भी राज्य अनेक मौकों पर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया उसने तो कुछ ने स्वयं ही सरकार के सामने समर्पण किया तो कुछ ने विरोध किया तो उसका उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा कुलदीप नैयर अपनी किताब "इमरजेंसी की इनसाइड" स्टोरी मे कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की तो अधिकांश पत्र और पत्रिका खासकर छोटे प्रकाशकों की पत्रिका ने सरकारी विज्ञापन पर निर्भरता के कारण घुटने टेक दिए , सभी अखबार लगभग सरकारी गजट बन गए थे या इंदिरा गांधी की चमचागिरी कर रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस जो रामनाथ गोयनका का था उसने विरोध किया सरकार ने उनके परिवार के लोगों को मिशा एक्ट के तहत जेल में डालने की धमकी दी और रामनाथ गोयनका झुक गए तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पुनर्गठन किया और केके बिडला को उसमें शामिल कर लिया जो संजय के करीब थे(नैयर 2019), पेंटर एम एफ हुसैन ने श्रीमती गांधी देवी रूप की प्रतिमा बना डाला , विदेशों पत्रिकाएं खासकर कनाडा की एक पत्रिका ने लिखा " प्रधान मंत्री इंदिरा की बुद्धिमानी भारत की बुद्धिमानी है (नैयर 2019)। इससे इस तथ्य को मजबूती मिलती है की विपरीत परिस्थितियों में कुछ अपवादों को छोडदे तो अधिकांश समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने आम लोगों की आवाज उठाने के बजाय राज्य और ताकतवर लोगों के साथ खडे नजर आए है यह दुनिया भर का इतिहास है ।

निष्कर्ष

सूचना के साधन के रूप में प्रिंट मीडिया के उद्विकास की जडमें व्यापार और राजनीति से जुडी की खबरों की अहमियत थी जिसने प्रिंट मीडिया का विकाश किया अपने आरंभिक दौर में प्रिंट मीडिया का दायरा सीमित। था व्यापार और राजनीति में रूचि रखने वाले लोगो के पास सूचना के अपने साधन थे ।आरंभिक दिनों में अखबार की कीमत अधिक थी समृद्ध लोग ही अखबार पढते थे ,अखबार पढना बुद्धिमत्ता और जागरूकता की निशानी मानी जाती थी जो अखबार नहीं पडता था उसी मूर्ख और अज्ञानी समझा जाता था। आरंभ में अखबार समृद्ध तबके के विचारो को ही प्रस्तुत करते थे लेकिन समय के साथ बदलाव आया । 19वीं सदी के आरंभ होते होते रेडिकल अखबारों का उदय हुआ जिसमें आम लोगों पर ध्यान केंद्रित किया तथा ही अखबार आम जनता की आवाज उठाने लगे और आम लोग भी जिनके ग्राहक थे इनमें से कुछ को पेन्नी पेपर भी कहा जाता था । क्योंकि यह बहुत सस्ते थे और आम लोग इसको खरीद सकते थे और गलियों में अखबार बिकने लगे थे । ये आमतौर पर कामगारों के अखबार थे। फांस की क्रान्ति हो रूस की क्रान्ति अखबारों की महत्वपूर्ण भूमिका थीं।

लेकिन आर्थिक संसाधनों के लिए बाजार और विज्ञापन पर निर्भरता समाचार पत्रों के स्वरूप और खबरों की गुणवत्ता को प्रभावित किया । सामाचार पत्रों ने कारपोरेट पूजीवाद , राज्य और बाजार के प्रभाव में मैन्युफैक्चर्ड जनमत का निर्माण करना आरंभ कर दिया और राज्य के प्रभाव में प्रोपेगेंडा को खबर बनाकर प्रस्तुत करने लगे । वर्तमान में प्रिंट मीडिया का वही हिस्सा निष्पक्ष है जिसको आम लोग चंदा देते है जिनकी संख्या बहुत कम है, जो लोगों को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। जो आम समस्याओं को उठाते हैं जबकि बडी संख्या में अखबार कारपोरेशन का स्वरूप ले चुके हैं उनके मालिक पूंजीवादी कारपोरेट के लोग हैं ऐसे में मुख्यधारा के बडे अखबार खबर छापते समय पूंजीवाद राज्य और समृद्ध तबके के हितों को ही जनहित साबित करतें है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. मैथ्यू लिनोई.(2004)क्लोजर टू द मासेस, हावर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ 13,14.
2. विलियम्स,के.(2010). ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश न्यूज पेपर रॉउटलेज, पृ.105, 155.146 (ई पी यू बी)
3. कार्लाइल, था.(1908). आन हीरोज, हीरो वरशिप एंड द हीरोइक इन द हिस्ट्री, जे एम डेंट एंड संस लंदन पृ 189.
4. बायस,जी., करेन,जी., विंगेट,पी.(1975). न्यूजपेपर हिस्ट्रीरू फ्रॉम 17जी सेंचुरी टू द प्रेजेंट डे, सेज पब्लिकेशन (एडी.) पृष्ठ 21–22
5. डगलस जी., एस. (1999) द गोल्डन एज ऑफद न्यूज पेपर पृ. 3 से 6.
6. क्रैनफील्ड,जी.,ए.(2013) "द प्रेस एंड सोसाइटी फ्रॉम कैक्स्टन टू नॉर्थक्लिफ , राउटलेज , अध्याय 4 पृ. 166. (ई पी यू बी)
7. नैयर कुलदीप (2019). इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी, प्रभात पेपर बैक्स, पृष्ठ 99
8. चौमस्की,नो.,–हरमन,इ.,इस.(1994)"मैन्यूफैक्चरिंग कॉन्सेंट" विंटेजध्रैंडम हाउस पृ •,2.

Nav Jyoti, Vol. 10, No. 21, July-December 2022 **ISSN : 2249-7331**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता : दशा और दिशा

अमृता सिंह
शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
amrita298.singh@gmail.com

सारांश

शिक्षा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है और डिजिटल शिक्षा स्वस्थ ग्रामीण भारत के निर्माण की दिशा में प्रगतिशील शिक्षा है। कोविड–19 महामारी के कारण विशेषकर ग्रामीण भारत में डिजिटल पहल तेज करने के प्रभाव दिखाई दिए हैं। ऐसे में ग्रामीण समाज में डिजिटल शिक्षा एवं वर्चुअल लर्निंग का असर मजबूत होता जा रहा है। आमतौर पर डिजिटल शिक्षा को ऐसी शिक्षा अथवा पढ़ाई माना जाता है जिसमें तकनीकी या तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल और अन्य डिजिटल उपकरणों ने गाँवों में डिजीटल शिक्षा, डिजिटल लर्निंग की रफ्तार बढ़ा दी है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत लेख में गाँवों में डिजिटल साक्षरता की प्रासंगिकता और इस दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रशंसनीय कार्यों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

शब्द बिन्दु : ग्रामीण समाज, डिजिटल साक्षरता।

शिक्षा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है और डिजिटल शिक्षा स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में एक प्रगतिशील शिक्षा है। भारत विश्व विज्ञान महाशक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा है जिसमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल कार्यक्रम और आभासी (वर्चुअल) कक्षाएँ भारत के लोगों के विकास के लिए मुख्य तौर पर अहम भूमिका में होगी। आज हम डिजिटलीकरण के दौर में हैं जहाँ इण्टरनेट संचार और सूचना प्राप्ति का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण जरिया बन गया है। दशकों पूर्व इण्टरनेट तक पहुँच को विलासिता का सूचक माना जाता था परन्तु वर्तमान में इण्टरनेट सभी की जरूरत बन गया है। इसकी उपयोगिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोविड–19 जैसी महामारी के दौरान प्रभावित लोगों तक प्रशासनिक मदद व खाद्य सामग्री पहुँचाने का कार्य प्रभावी रूप से डिजिटल माध्यम के द्वारा ही किया जा रहा था। वैश्विक महामारी जैसी विकट परिस्थितियों में जब अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए तथा वाणिज्य के परम्परागत तरीके भी बाधित होने लगे तब डिजिटल सेवाओं का क्षेत्र उभर कर सामने आया जिसने सकारात्मक प्रदर्शन भी किया है जिससे स्पष्ट है कि डिजिटल सेवाएँ आज 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो गयी है।

केवल साक्षरता शब्द आमतौर पर पढ़ने और लिखने के कौशल को सन्दर्भित करता है परन्तु जब आप इससे पहले डिजिटल शब्द पर काम करते हैं, तो यह शब्द बहुत कुछ शामिल करता है। 'डिजिटल साक्षरता' शब्द का प्रयोग कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला के सन्दर्भ में किया जाता है, जो सफल होने और

डिजिटल दुनिया के अनुकूल होने के लिए आवश्यक है। जानकारी प्राप्त करने और संचार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले नए और हमेशा बदलते तरीकों को देखते हुए डिजिटल साक्षरता में कौशल की विस्तृत श्रृंखला भी शामिल है जिसमें किण्डल पर पढ़ने से लेकर वेबसाइट की वैधता का पता लगाने या यूट्यूब बनाने और साझा करने तब सक कुछ। 'अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन' की डिजिटल साक्षरता टास्क फोर्स इस परिभाषा की पेशकश करती है, ''डिजिटल साक्षरता सूचना और संचार तकनीकों का उपयोग करने, जानकारी खोजने, मूल्यांकन करने, बनाने और संवाद करने की क्षमता है, जिसके लिए संज्ञानात्मक और तकनीकी कौशल दोनों की आवश्यकता होती है।''

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश की बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण इलाकों में बसती है और ऐसे में सिर्फ शहरी लोगों को डिजिटली साक्षर बनाकर इस मिशन में सफलता हासिल कर पाना अत्यन्त कठिन लक्ष्य है। सूचना संचार तकनीकी (आईसीटी) प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं का एक खास एकीकरण है जो इण्टरनेट के माध्यम से आसानी से कम खर्च में एवं समयानुकूल हर किसान तक पहुँचने में सक्षम है। ग्रामीण विकास सक्षमता के लिए इस माध्यम को इस्तेमाल करने की गुंजाइश बढ़ती जा रही है इस दिशा में बहुत से रचनात्मक प्रयोग भी किए जा रहे हैं। नई प्रौद्योगिकियाँ छोटे किसानों को ज्ञान–गहन कृषि की ओर ले जाने में सक्षमहै। सटीक और परिणामोन्मुख कृषि, रोपण की समयबद्धता से सुधार, बाजार की जानकारी, ई–बाजार के जरिए ग्रामीणों के लिए सर्वश्रेष्ठ बाजार सुनिश्चित करना, डिजिटल और वित्तीय समावेशन एवं ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण क्षमताओं में वृद्धि के लिए भी तकनीक की मदद ली जा रही है। ऐसे में डिजिटल साक्षरता पहल को बढ़ावा देना बहुत उपयोगी हो सकता है। खासतौर पर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ स्तरीय शिक्षण माध्यम उपलब्ध नहीं है। इसमें इण्टरनेट के साथ–साथ कम्प्यूटर और मोबाइल फोन जैसे उपकरणों की भूमिका बढ़ती जा रही है।

यदि हम आँकड़ों में बात करें तो 'इण्टरनेट एण्ड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया' की रिपोर्ट के मुताबिक दिसम्बर 2015 में देश में 30.6 करोड़ मोबाइल इण्टरनेट उपयोगकर्ता थे जिसमें 21.9 करोड़ उपयोगकर्ता शहरी है जबकि ग्रामीण इण्टरनेट उपयोगकर्ता की संख्या 8.7 करोड़ दर्ज की गयी है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 80 फीसदी शहरी उपयोगकर्ता इण्टरनेट का इस्तेमाल ऑनलाइन कम्यूनिकेशन के लिए करते हैं जबकि 78 फीसदी सोशल नेटवर्किंग के लिए। हालाँकि ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर उपयोगकर्ता इसका मनोरंजन के लिए करते हैं। 'नेशनल सेम्पल सर्वे (एनएसएसओ)' के अनुसार गाँवों की 66 प्रतिशत आबादी में से केवल 16 प्रतिशत तक ही इण्टरनेट की पहुँच है वहीं गाँव के गरीब परिवार जिनकी संख्या लगभग 20% है में से 3% घरों परिवारों की पहुँच कम्प्यूटर तक है और 9% परिवारों के पास इण्टरनेट कनेक्शन है और जहाँ इण्टरनेट है भी वहाँ के 3% घरों में इण्टरनेट बार–बार बाधित होता है। इसी के साथ 32% के घरों में ब्रॉडबैण्ड का सिग्नल नहीं आता। वित्तीय वर्ष 2022 में भारत में इण्टरनेट कनेक्शन की कुल संख्या 834.29 मिलियन तक पहुँच गयी जिससे 302.33 मिलियन कनेक्शन की तुलना में 2015 के बाद से कनेक्टिविटी लगभग 3 गुना बढ़ गयी है जहाँ भारत की लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में कनेक्शन की संख्या अधिक है। 2022 में शहरी क्षेत्रों में 497.69 मिलियन कनेक्शन और ग्रामीण क्षेत्रों में 336.6 मिलियन कनेक्शन है।

आइए एक नजर डालते हैं उन परियोजनाओं और कार्यक्रमों की तरफ जो तकनीकों के सार्थक प्रयोग से गाँवों में डिजिटल साक्षरता के विकास में मदद कर रहे हैं–

प्रधानमन्त्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजी दिशा)

राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमजी दिशा की लक्ष्य ग्रामीण जनता को डिजिटली साक्षर बनाना तथा 31 मार्च 2019 तक प्रत्येक पात्र परिवार के एक सदस्य को साक्षर बनाकर 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहुँचाना था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों, महिलाओं, दिव्यांगोंएवं अल्पसंख्यकों जैसे समाज के साथ हाशिए पर खड़े ग्रामीण जनता पर विशेष ध्यान देते हुए डिजिटल खाई को पाटना है। अब तक कुल 6.62 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों का नामांकन किया गया है और 5.68 करोड़ को प्रशिक्षित किया गया है जिनमें से 4.22 करोड़ उम्मीदवारों को देशभर में पीएमजी दिशा योजना के तहत विधिवत प्रमाणित किया गया है।

डिजिटल साक्षरता अभियान (दिशा)

डिजिटल साक्षरता अभियान या नेशनलडिजिटल लिटरेसी मिशन (एनडीएलएम)योजना 52.5 लाख लोगों को आईटी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तैयार की गयी है जिसमें देश के सभी राज्यों केन्द्रशासित प्रदेशों में आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं आशा कर्मियों समेत लोगों को शामिल किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य तकनीकी ज्ञान से वंचित लोगों को तकनीकी ज्ञान देना है ताकि विकास की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिल सके और उनकी आजीविका में वृद्धि की जा सके।

दीक्षा–डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग

भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भर्ती अध्ययन की चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्य से 2017 में स्कूली शिक्षा का राष्ट्रीय मंच 'डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग' (दीक्षा) शुरू किया था। इण्डिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन 2020 के अनुसार दीक्षा में क्यूआर एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक (ईटीबी), शिक्षकों के लिए पाट्यक्रमों के लिए कुल 60 लाख शिक्षकों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 43 लाख ने 7 राज्यों एवं सीबीएसई से पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं।

'इण्टरनेट साथी' कार्यक्रम

'इण्टरनेट साथी' एक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है 'गूगल इण्डिया' ने टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर इसकी शुरूआत 2015 में की थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को मोबाइल और इण्टरनेट का इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण देकर उन्हें डिजिटली साक्षर बनाना है ताकि उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके। गूगल इण्डिया के अनुसार अप्रैल 2019 तक इण्टरनेट साथी कार्यक्रम के अन्तर्गत 81500 से भी अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है जिन्होंने बदले में करीब 289000 गाँव में रहने वाली 2.8 करोड़ से भी अधिक दूसरी ग्रामीण महिलाओं को इण्टरनेट इस्तेमाल करना सिखाया जहाँ इस कार्यक्रम का लक्ष्य गाँवों की कम से कम तीन करोड़ महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना था।

'डिजिटल सखी' कार्यक्रम

'डिजिटल सखी' ग्रामीण महिलाओं के फायदे के लिए डिजिटल वित्तीय समावेशन से सम्बद्ध कार्यक्रम है, जिसे गैर बैंकिंग कम्पनी 'लार्सन एण्ड टर्बो' (एलएंडटी) फाइनेंसिंग सर्विसेज द्वारा 2017 में सर्वप्रथम महाराष्ट्र के 32 गाँवों में शुरू किया गया था। इसके अन्तर्गत 100 ग्रामीण महिलाओं का चयन कर उन्हें डिजिटल रूप से प्रशिक्षित किया गया ताकि व अन्य दूसरी महिलाओं को प्रशिक्षित कर सके और आर्थिक लेनदेन के कार्यों को डिजिटली अंजाम दे सके। इन महिलाओं को डिजिटल सखी का नाम दिया गया। अब तक इस कार्यक्रम ने 960 डिजिटल सखियोंका एक कैडर बनाया है जिन्होंने 5500 से अधिक महिला उद्यमियों को कौशल विकास में मदद की है केवल वित्तीय वर्ष 2022 में डिजिटल सखियों ने पाँच राज्यों में 8.60 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित और साक्षर बनाया है।

संक्षेप में भारत को डिजिटली सशक्त करने में डिजिटल साक्षरता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ऐसे में डिजिटल साक्षरता के महत्व को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भी इण्टरनेट के उपयोग

को अनुच्छेद–21A के तहत नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि डिजिटल साक्षरता भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार है।

ग्रामीण डिजिटल साक्षरता के समक्ष चुनौतियाँ

- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office NSSO) द्वारा शिक्षा पर किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार भारत में केवल 27% परिवार ही ऐसे हैं जहाँ किसी एक सदस्य के पास इण्टरनेट की सुविधा उपलब्ध है। इण्टरनेट की सीमित उपलब्धता डिजिटल साक्षरता के मार्ग में एक बड़ी समस्या है।
- गाँव के लोगों में निरक्षरता तथा जागरूकता का अभाव एक सबसे बड़ी समस्या है और ऐसे में कई ऐसे निजी और सरकारी सेवाएँ हैं जो केवल डिजिटल रूप में प्रदान किये जाते हैं और कुछ तो सिर्फ ऑनलाइन ही उपलब्ध है जिसके कारण वे इन सेवाओं का लाभ उठाने से कहीं न कहीं वंचित रह जाते हैं।
- किसी व्यक्ति के पास मोबाइल फोन का होना उसके डिजिटल होने का प्रमाण नहीं है यदि कोई व्यक्ति स्मार्टफोन का उपयोगकर्ता है तो भी उसे डिजिटल सेवी नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसके पास इण्टरनेट कनेक्टिविटी ना हो और वह इण्टरनेट पर प्रासंगिक और समय पर जानकारी प्राप्त करना न जानता हो।
- इण्टरनेट का बेहतर इस्तेमाल करने में सक्षम स्मार्टफोन की कीमत का ज्यादा होना कहीं न कहीं गाँव के लोगों को डिजिटली साक्षर बनाने में बाधा उत्पन्न करता है।
- उच्च कौशल प्राप्त व्यक्तियों की कमी, विशाल जनसंख्या, विभिन्न भाषाओं की मौजूदगी और विषय पर राज्य तथा केन्द्र का अलग–अलग नियन्त्रण डिजिटल साक्षरता के कार्यान्वयन में मुख्य चुनौतियों के रूप में जाने जाते हैं।

निष्कर्ष

शिक्षा का अर्थ अब केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहा बल्कि तकनीक का ज्ञान सर्वोपरि हो गया है। आज कोई व्यक्ति, चाहे वह गाँव का हो या शहर का अगर लैपटॉप या मोबाइल के जरिए आधुनिक जीवनशैली को अपना रहे हैं तो वह एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। इसलिए डिजिटल शिक्षा एवं वर्चुअल लर्निंग को ग्रामीण विकास की अधिकतर कार्यक्रमों में पहली जरूरत बनाना होगा। केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों के साथ–साथ उनकी सफलता को सुनिश्चित करने में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों, निजी क्षेत्रों आदि का भी साथ लिया जा रहा है। इस सन्दर्भ में नैसकॉम फाण्उडेशन, इण्टेल, दैनिक भास्कर समूह, गूगल समूह तथा एचपी के साथ वित्तीय संसाधन जुटाने, स्वेच्छा से काम करने, प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए साझेदारी की गयी है। इन प्रयासों के बावजूद अभी भी बहुत सी बाधाएँ उपस्थित हैं जो ग्रामीण डिजिटल साक्षरता की सफलता को चुनौती देती है ऐसे में उन चुनौतियों को दूर करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी के साथ डिजिटल साक्षरता को सभी लोगों और क्षेत्र तक पहुँचाने के लिए सरकार को बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। गाँव में कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने तथा ग्रामीण लोगों के बीच डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न परम्परागत तथा आधुनिक संचार माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए।

नि सन्देह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता के स्तर में अभी भिन्नताएँ हैं और हमें आदर्श साक्षरता दर सुनिश्चित करने के मामले में अभी भी लम्बा रास्ता तय करना पड़ सकता है किन्तु जन–जन की भागीदारी से डिजिटल साक्षरता को कम से कम समय में सफल बनाया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची–

1. लोवुस, लियाना, 2016 डिजिटल साक्षरता क्या है ?
   http://www.edweek.org/teachig-learning/what-is-digital-literary/2016/11
2. ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता
   http://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1843061
3. लेंका, रवीन्द्रनाथ और त्रिपाठी अवनीश, 2020, ग्रामीण भारत में डिजिटल शिक्षा और वर्चुअल लर्निंग, कुरुक्षेत्र प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, पृ. 34
4. मुखर्जी प्रदीप कुमार, 2020, डिजिटल साक्षरता से सशक्त होती ग्रामीण महिलाएँ, कुरुक्षेत्र प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, पृ. 47
5. एलएण्डटी फाइनेन्शियल सर्विसेज (एलटीएफएस) ने कर्नाटक में डिजिटल सखी परियोजना का उद्घाटन, 2020,
   http://therint.in/anipress-release/it-financial-services-inaugurates-digital-sakhi-project-in-karatak/1076109/
6. http://www.google.com/amp/s/www.amarujala.com/amp/technology/tech-diary/internet-users-in-for-the-first-time-india-has-more-rural-net-users-than-urban
7. http://www.statista.com/

Nav Jyoti, Vol. 10, No. 21, July-December 2022 **ISSN : 2249-7331**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

Socio-Economic Status and Marital Violence: An Analysis of Amritsar District (Punjab).

Dr. Harpreet Kaur
Assistant Professor in Sociology Department,
Guru Nanak Dev University College,
Verka, Amritsar (Punjab)
Email: Professorsocilogy80@gmail.com

Abstract

The present paper examined the association between socio-economic status of in-laws' family and women's exposure to domestic (marital)violence in Amritsar district of Punjab. The data was collected from 292 married women through interview method. In the statistical analysis of the primary data, socio economic features like in-laws' family's education, occupation and income are taken as independent variables and family violence is the dependent variable. The findings of the present study showed significant relationship between in-laws'socio-economic status and infliction of domestic violence. More the familial education and income, lesser would be the domestic violence against daughter-in-laws. As far as the main source of family's income is concerned, the highest number of families showing marital violence towards women isengaged in casual work having employment instability ultimately. It has also been found that domestic violence cuts across all the strata, though there are variations in terms of education and income. It is found to be lowest among the families having highest education and income levels.

Keywords: In-laws' education, income, occupation, domestic violence

Introduction

An overview of Domestic Violence

Domestic violence is considered as one of the commonest forms of gender related violence (M. Flury & Nyberg, 2010).The rising prevalence of domestic violence over the years has made it count as one of the serious forms of human rights abuse. It is presently recognized as the root cause of an array of public health concerns due to the subsequent physical, mental, sexual, and reproductive health issues that the victimized women face as a result of this (Semahegn & Mengistie, 2015). The most dreadful aspect of domestic violence is that women experience

physical, psychological, and emotional violence by people who belong to their domestic environment. The assaulters who harm them with the intention of inflicting harm, dominate them or sexually subjugate them are usually their husbands, fathers, friends, family members, acquaintances or former partners. In most cases, these assaulters maintain friendly relationship with the victimized women and encounter them in a domestic setting. The fundamental feature of domestic violence that separates it from other types of violence is the closeness of the victims of abuse with the perpetrator. In 2010, an estimated 10% to 35% women around the world experience domestic violence at some point of time in their life (M. Flury & Nyberg, 2010). By 2015, an estimate percentage of 20% to 78 % of women were abused by husbands or their intimate partners within their lifetime. 31% to 76.5 % of women who were victims of domestic abuse were physically assaulted by their family members too. Cases of 19.2% to 59 % women who were victims of domestic abuse reported they were sexually abused by their family members on a regular basis. Similarly, 51.7 % were reported to be victims of domestic emotional violence (Semahegn & Mengistie, 2015). As far as developing countries like India are concerned, the report of National Family Health Survey 2015 to 2016 (NFHS-4) states that 66,013 married women within the age group of 15 to 49 year experience some kind of domestic violence within a year of their marriage. The odds of experiencing domestic violence is more among young women who are married at a young age and have age gap of three to four years as compared to older women. Similarly, women who are members of marginalized sections of India or belong to poor socio-economic status are more prone to domestic violence than women belonging to middle or higher strata of the society (Ahmad et al., 2019). Some of the common factors that encourage this heinous form of violence against women are unfavorablesocial norms, patriarchal tradition of gender subjugation, lack of education, paucity of women empowerment, financial dependency, strictly defined societal roles, family poverty, and lack of programs that would reintegrate these victimized women and decrease their susceptibility to domestic violence (Ahmad et al., Verma, 2016).

Defining Domestic Violence Socially and Legally

Domestic violence is a frequently used term in the households across the country. However, the term was first used by Jack Ashley in 1973 in his address to the Parliament of the United Kingdom. In this occasion, Ashley introduced the term domestic violence as a form of violence that the spouses commit against their wives by assaulting them physically. From that time onwards, many theories, details and meanings have been attributed to the term of domestic violence(Popa-Nedelcu et al., 2019). The Protection of Women from Domestic Violence Act (PWDVA), 2005 defines domestic violence as "*any act, omission or commission or conduct of the respondent, which includes threat or actual abuse*"(Duvvury, 2000).Among the most socially impactful and realistic of domestic violence that has been forwarded after Ashley is that of the World Health Organization. In the Geneva Conference, WHO defined domestic violence as a form of controlling behavior in which an abusive partner tries to gain control over the other partner and exhibit power. For this, the abusive partner intimidates the subjugated partner by indulging into psychological, physical, sexual, or financial abuse. WHO

identified domestic violence as a scourge that affects an entire community and threatens life, health and happiness(WHO, 2013). In the later stages, domestic violence has been defined in scholarly studies like that of M. Flury & Nyberg, (2010) as threat or some kind of physical, emotional or psychological violence by a person on another vulnerable person within the domestic circle with the intention of inflicting harm and dominating the abused person. The study further elaborates that as domestic circle is a distinctive element of domestic violence, so the perpetrators include known people like intimate partner, husband, son, father, former partner, friend or other acquaintances who usually maintain cordial relationship with the abused person(M. Flury & Nyberg, 2010). In order to describe domestic violence from the legal standpoint, the report of children welfare bureau takes reference from Chapters of Offence of the Criminal Code as any type of act that leads to the immense sufferings of the abused and hampers life and health. This form of violence of act hampers the bodily integrity of the abused. The reports of Children's Bureau further state that in civil laws, domestic violence is defined as the attempt to cause or causing physical assault to a family or a household member or exhibit threat of force in fear of impending physical harm. The report further states that in criminal laws, domestic abuse is defined as any form of physical abuse or threat of violence or physical harm that is recorded under criminal and penal codes and leads to arrest and trial of the abuser for misdemeanor or felony offenses(Child Welfare Report, 2017). Socio-economic dimensions for women initially function at a familial level where hierarchical domain control ultimately places decision-making authority in men hands, which results in male domination and proprietary women's rights. Women would like to leave their homes and go away from this violence but they cannot, either because of the children or fear of social stigma or because they are economically dependent on their in-laws' families (Rahman, 2005).

Objectives and Methodology

The objective of this paper is to analyze the influence of socio- economic aspects of respondents' in-laws on domestic violence against their daughters-in-law in Amritsar district of Punjab (India). In order to fulfill the objective of the present study, primary data was collected. 292 ever married women were interviewed through interview schedule from the rural areas of Amritsar district of Punjab. The ever married women between the age group of 15-49 years were taken to be the sample who were taking medical treatment for health problems from primary health centres. Total 22 villages were covered having (primary health centres in their vicinity) from the four blocks of Amritsar district namely: 1.Ajnala, 2. Attari, 3. Verka, 4. Jandiala following Lottery method. The respondents who were registered in the lists and diaries of ASHA workers associated with different primary health centres (PHCs) were approached through Simple Random Sampling technique. Through the help of ASHAs who are local intermediaries between the rural women and health centres, the respondents were approached. To see the association of in-laws' socio-economic status and domestic violence, the chi-square test was applied and percentages were drawn for statistical analysis of data.

Family's Education

Education level of family members shows the outlook of the family towards woman. A highly educated family is an indicator of high status accorded to woman and vice-versa. Education of family is also significant as it is a variable to make an estimate of its future. Since the socio economic status depends in large measures in societies like ours on education because acquiring education is also a class phenomenon.

Table 1

Reported Educational Level of Family Members

S. No.	Educational Level	Number of Respondents	Percentages
1.	Illiterate	96	32.87
2.	Primary	122	41.78
3.	Secondary	62	21.23
4.	Graduation/post-graduation	12	4.12
	Total	292	100

Table:1shows the educational status of the respondents' family of in-laws. Majority of the respondents, i.e. 41.78 percent, reported that their family members are educated up to primary level. The second dominant category (32.87%) is comprised of the respondents whose in-laws are totally illiterate. 21.23 percent of respondents' family members have attained secondary level education. The least number (4.12 percent) of the respondents' family members is educated with higher graduation/post-graduation degrees. Thus most of the respondents belong to primary educated families.

Financial Status of the Family of In-law

The economic position is generally depicted by the existence in place of income of basic services and possession of commodities. Low financial requirements mean difficulty in meeting the cost of food, housing, clothes, training, public health, facilities, transportation and leisure, among other items while struggling to match rival demands. At the individual level, it has a negative effect on mental and physical health. Long-term poverty leads to social distress (e.g. depression) and family discord. Family distress creates difficulties in adult interactions, which puts family unity in doubt. The rural populations through ages are living in abject poverty. Therefore, it has

been tried to capture relative differences in financial status among rural households of respondents' in-laws. Information is obtained on the family's occupation and family's income.

Table 2

Distribution of Respondents according to their Family's Occupation

S. No.	Occupation	Number of Respondents	Percentages
1.	Casual	154	52.73
2.	Regular	43	14.75
3.	Self	95	32.54
	Total	292	100.0

Table: 2 present the pattern of occupations, the main source of families' income of respondents' in-laws. It can be seen that there is great variability in the occupational pattern. A close look at the table reveals that the majority of the families' (52.73 percent) occupation is labour (casual). This category is comprised of the skilled workers like mason, blacksmith, industrial worker and agricultural labourers. Some poor daily wagers, other low paid workers who have a poor source of income to make both ends meet.The next highlighted categories in data analysis are the 43 respondents' families, followed by 95 more respondents whose families are pursuing the private and government jobs as regular occupations and petty business (self) as the main source of their income. This also shows the educational level of Punjabi rural families because better employment is related to the attainment of higher educational level and/or the acquisition of specific skills. So, they have, though very less in number, attained sufficient education to get "white collar jobs" of a doctor, professor, teacher, engineer, also priest in gurudwara (based on knowledge of scriptures) etc. On the other hand petty business holders are running small scale iron-based workshops, grocery shops, furniture making, painting, selling and repairing electrical appliance, bicycles and motors etc.

Family's Monthly Income

Family income is a calculation of all individuals who share a certain household or residence in their joint salary. It encompasses all types of income, such as pay &salary, pension income, etc. Income is a crucial variable to understand the social status of a family as it represents the standard of living, educational level and occupational attainments of its members. Thus it is definitely an index of the family standard. Higher the family's income, better the domestic equipment and better the standard. It is possible that families with higher standards of living are exposed to more modern ideas about gender, and thus women would have greater decision-making power. On the other hand, it is possible that poorer families simply cannot afford to relegate a productive member of the household to a position of low decision-making power. The second influence would outweigh the first and wealthier women would have less decision-making power than poor women (Kahlon, 2004).

Like the unwillingness of women to notify their own wages, they were reluctant to disclose the household's total income. As the respondents themselves have noted, the household income distribution for the family of respondents is listed in Table 3.

Household income data show that maximum (23.64%) of them have an income ranging from 5000 to 10 000 rupees per month. In the other income categories, rupees 11000-15000 and rupees 16000-25000, there are 22.26 percent & 17.80 per cent respondents. Rest of the families' monthly income ranges from 25000 to above 36000 accounted for 36.29 percent in the combined ratio of the four income groups.

Table: 3

Distribution of Respondents as per their In-laws' Family's Income

S. No.	Income (Per month)	Number of Respondents	Percentages
1.	6000-10000 (in Rupay)	69	23.64
2.	11000-15000	65	22.26
3.	16000-20000	52	17.8
4.	21000-25000	37	12.67
5.	26000-30000	28	9.58
6.	31000-35000	13	4.46
7.	More than 36000	28	9.58
	Total	292	100

Table: 4

Distribution of Socio-economic attributes of in-laws as per the Extent of Marital violence

Variables	Marital violence	Chi-square
Educational status of respondents' in-laws		
Illiterate	31.2	Chi-square ($\chi 2$)=13.646 (P=.003)-significant
Primary	40.1	
Secondary	21.6	
Graduation/Post-graduation	7.2	
Total	100.0	
Nature of Employment of in-laws		

Casual	**53.4**	**Chi-square (χ2)= (11.508) (P=.003)-significant**
Regular	**10.6**	
Self	**36.0**	
Total	**100.0**	
Income of in-laws(per month)		
6000-10000(in rupay)	**24.3**	**Chi-square (χ2)=(11.627) (P=.071)-insignificant**
11000-15000	**22.6**	
16000-20000	**17.8**	
21000-25000	**12.7**	
26000-30000	**9.2**	
31000-35000	**8.9**	
More than 36000	**4.5**	
Total	**100.0**	

Table: 3describe the occurrence of marital violence as per the educational level of in-laws. The highest and the lowest percentage of in-laws who inflict marital violence are primary level (40.1) and highest level (7.2) of education. Even the percentages of in-laws with secondary (21.6) is quite high as daughter-in-laws' abusers. The category of graduates and post graduates are in the bottom-two. In other words, with the increase in the educational level of in-laws, the physical torture against daughter-in-laws seems to decrease. Again in this table, an effort has been made to observe the association between marital violence and educational level of in-laws by using chi square test. And the test showed the positive result. It showed that there is significant association between the two variables as the P-value is less than .05 and is .003 with a chi square value of 13.646.

The other considered socio economic feature of the in-laws of the women respondents is their occupation. Here the nature of the employment of in-laws is analyzed in relation to marital violence. The findings of data reveal that the in-laws having regular employment less batter their daughter-in-law. That means only percent of the respondents suffer less physical violence at the hands of their in-laws. The dominant proportion is 53.4 percent of in-laws. They are shown to be the most aggressive in-laws who earn their livelihood on casual basis not permanently. Meaning, hereby that they face both employment instability and economic hardships. Thus daughter-in-laws being subordinate to them tolerate beating with all pain. Another category is of self-

employment (10.6 percent) who ranked last in the analysis of assaulting daughters-in-law. Thus there is more likelihood of battering daughters-in-law by the in-laws being informally occupied in casual works. The test of chi square shows the significant association between the in-laws' nature of occupation and marital violence of daughter-in-laws with the chi square value of 11.508. P-value is less than .05 and is .003.

Thirdly, table discloses the marital violence against daughters-in-law according to the income of their in-laws. A large proportion of women (24.3 percent) are martially abused whose in-laws earning is up to 5000 rupees only. In the other adjoining income category of (22.6 percent and 17.8 percent) women are physically tortured. The in-laws of the respondents in the highest income category of(31000-35000)and above inflict less battering on women. Thus the chances of battering against daughters-in-law decrease with the increase in the in-laws' income. But the two variables have not come out to be significantly associated as the P-value is not less than .05 and is .071. The chi-square value is 11.627.

In nutshell it can be concluded from the above analysis of women abuse in relation to socio economic attributes of the in-laws whose nature of employment is casual with insufficient income to support the family economically. They think that they are losing their command over family resources. Out of frustration they beat their daughters-in-law. Due to low level of education they can't get stable and good employment. Conclusively the daughters-in-law face less marital violence in families who are highly qualified and are on good jobs with sufficient income. The scenario of marital violence is common in all strata. Still, it is noteworthy that as the level of education and status of job enhances, there is discernable decrease in incidents of family violence. Jain (2015) remarked in the same context that in deciding the degree of abuse of women, even the marital family's socio-economic level has a crucial role. The first thing that comes to light when violence against women is considered is the socio-economic climate to which a female is exposed. A woman faces two types of environments aftermarriage- the internal environment and external environment. The internal environment is related to her in-laws' family, family structure and status in terms of education, occupation, income and wealth. The external environment is the place of living. In other words, the external environment comprises the economic environment of the village/society in terms of societal attitude towards women.

References

1. Flury, M., Nyberg, E., and Riecher-Rossler, A. (2010). Domestic Violence against Women: Definitions, Epidemiology, Risk Factors and Consequences, *Swiss Medical Weekly* 140, 23-27.
2. Semahegn, A. and Mengistie, B. (2015). Domestic Violence against Women and Associated Factors in Ethiopia; Systematic Review, *Reproductive Health*, 12(1), 78.
3. Ahmad, J., Khan, N. and Mozumdar, A. (2019). Spousal Violence against Women in India: A Social-Ecological Analysis Using Data from the National Family Health Survey 2015 to 2016, *Journal of Interpersonal Violence.*
4. Ahmad, J., Khan, M.E., Mozumdar, A., &Verma, D.S. (2016). Gender-Based Violence in

Rural Uttar Pradesh, India: Prevalence and Association with Reproductive Health Behaviours. *Journal of Interpersonal Violence,* 31(19), 311-3128.

5. Popa-Nedelcu, R., Siserman, C. and Domnariu, C. D. (2019). Transteoretical Approaches on Domestic Violence, *ActaMedicaTransilvanica*. Walter de GruyterGmbh, 24(4), 1-3.

6. Duvvury, Nata (2000). Violence against Women in Marital Home. *Health Care for Women International*, 40(2), 213-237.

7. World Health Organization (2013). *WHO Recommendations on Postnatal Care of the Newborn.*Retrieved from https://www.who.int on 13 November, 2018.

8. Rahman, Z. (2005). *Women and Society.*Delhi: Kalpaz Publications.

9. Child Welfare Information Gateway (2017). *Definitions of Domestic Violence.* Available at: https://www.childrenwelfare.gov/pub.

10. Kahlon, N. Rosey (2004). *Sociology of Health: A Case Study of TBAs (dais) and ANMs.* New Delhi: Rajat Publications.

11. Jain, Anu (2015). *Domestic Violence against Bhil Women: A Case Study of Southern Rajasthan.* New Delhi: Classical Publishing Company.

Nav Jyoti, Vol. 10, No. 21, July-December 2022 **ISSN : 2249-7331**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

सोरोकिन का सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत

डॉ.जयप्रकाश यादव
एसोसिएट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी

सारांश

सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धान्तकारों का मत है कि समाज में परिवर्तन का एक चक्र चलता है हम जहाँ से प्रारम्भ होते हैं घूम फिरकर पुनः वहीँ पहुँच जाते हैं। इस प्रकार के विचारों की प्रेरणा विद्वानों का सम्भवतः प्रकृति से मिली होगी प्रकृति में हम देखते हैं कि ऋतु का एक चक्र चलता है और सर्दी गर्मी एवं वर्षा की ऋतुएं एक के बाद एक पुनः आती रहती हैं इसी प्रकार से रात के बाद दिन एवं दिन के बाद रात का चक्र भी चलता रहता है। परिवर्तन के इस चक्र को कई विद्वानों ने समाज पर भी लागू किया और कहा कि परिवार, समाज और सभ्यताएँ उत्थान पतन के चक्र से गुजरते हैं। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने विश्व की अनेक सभ्यताओं का उल्लेख किया और कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो सभ्यताएँ आज फल फूल रही हैं और प्रगति के उच्च शिखर पर है वे कभी आदिम और पिछड़े अवस्था में थीं। आज जो सभ्यताएँ नष्ट प्राय दिखाई दे रही है भूतकाल में वे विश्व की श्रेष्ठ सभ्यताएँ रह चुकी है। इस प्रकार चक्रीय सिद्धांतकार सामाजिक परिवर्तन को जीवन चक्र के रूप में देखते हैं। चक्रीय सिद्धांतकारों में स्पेंगलर टायनवी, पैरेटो एवं सोरोकिन प्रमुख है। यहाँ हम सोरोकिन के चक्रीय सिद्धांत का वर्णन करेंगे।

मुख्य शब्द– सोरोकिन, सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता, चेतनात्मक संस्कृति।

सोरोकिन ने अपनी पुस्तक- 'Social And Cultural Dynamics' में सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धान्त प्रस्तुत किया। इनका मत है कि सामाजिक परिवर्तन उतार–चढ़ाव के रूप में घड़ी के पेण्डुलम की भाँति एक स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच होता रहता है। सोरोकिन ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को तीन संस्कृतियों के माध्यम से समझाया है ये संस्कृतियाँ निम्नलिखित हैंः–1. भावनात्मक या विचारात्मक संस्कृति 2.चेतनात्मक या ऐन्द्रिक संस्कृति 3. आदर्शात्मक संस्कृति।
उन्होंने प्रमुख रूप से दो संस्कृतियों भावात्मक एवं चेतनात्मक का उल्लेख किया। प्रत्येक समाज, संस्कृति की इन दो धुरियों के बीच घूमता रहता है अर्थात् चेतनात्मक से भावात्मक की ओर तथा भावात्मक से चेतनात्मक की ओर आता–जाता रहता है। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने के दौरान मध्य में एक स्थिति ऐसी भी होती है जिसमें चेतनात्मक एवं भावात्मक संस्कृति का मिश्रण होता है। इसे सोरोकिन

आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों को इस दौर से गुजरने पर समाज में भी परिवर्तन आता है।

सोरोकिन कहते है कि चेतनात्मक संस्कृति तथा भावनात्मक संस्कृति, साँस्कृतिक व्यवस्था के दो छोर है प्रत्येक सांस्कृतिक व्यवस्था के अन्तर्गत अनेक उपव्यवस्थाएँ होती हैं। ये उपव्यवस्थाएँ कुछ विशिष्ट तत्वों तथा लक्षणों का एक संकलन होता है। इन तत्वों एवं लक्षणों के संतुलित ढंग से तथा एक प्रकार के तार्किक अर्थपूर्ण तरीके से समन्वित हो जाने पर उन में बहुत कुछ एकता उत्पन्न हो जाती है अर्थात् वे परस्पर संयुक्त होकर संगठित हो जाते हैं इसी को सांस्कृतिक व्यवस्था कहते हैं परन्तु इसका यह अर्थ है कि सांस्कृतिक तत्वों के किसी भी संकलन मात्र में इस प्रकार का संगठन या एकता पायी जाती है। हाँ इतना अवश्य है कि सांस्कृतिक तत्वों या लक्षणों के अधिकांश संकलनों में यह संगठन या एकता होती है। सांस्कृतिक तत्वों में पायी जाने वाली यह एकता या संगठन या व्यवस्था ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार का संगठन या एकता एक इंजन या एक कथोपकथन अथवा एक संगीत के विभिन्न भागों में पायी जाती है इस प्रकार की अनेक व्यवस्थाओं के एक साथ समन्वित हो जाने पर उच्चतर व्यवस्था का जन्म होता है। यह व्यवस्था चेतनात्मक अथवा भावात्मक हो सकती है। यह सांस्कृतिक व्यवस्था के सिद्धान्त का तीसरा आधार है। चूंकि उतार–चढ़ाव की धारणा प्रथम आधार तथा दूसरा आधार चेतनात्मक संस्कृति और भावात्मक संस्कृति के बीच भेद है। सोरोकिन के अनुसार जब एक सांस्कृतिक व्यवस्था उदाहरणार्थ–चेतनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है तो उसे अपनी गति के विपरीत दिशा अर्थात् भावनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था की ओर मुड़ना ही पड़ता है अर्थात् पहले की व्यवस्था के स्थान पर दूसरी व्यवस्था का जन्म होता है क्योंकि प्रत्येक व्यवस्था की चाहे वह कितनी ही अच्छी हो या बुरी, पनपने, आगे बढ़ने अथवा विकसित होने की एक सीमा होती है यहीं सोरोकिन का सामाजिक परिवर्तन के सिद्धान्त का चौथा आधार **सीमाओं का सिद्धान्त** है। इस प्रकार सोरोकिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जो दो साँस्कृतिक व्यवस्थाओं चेतनात्मक और भावनात्मक के बीच उतार–चढ़ाव में व्यक्त होती है। कोई भी सांस्कृतिक व्यवस्था में उतार– चढ़ाव की यह प्रक्रिया सदैव ही चलती रहती है। जैसे ही एक व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है वैसे ही उसके विपरीत प्रभाव क्रियाशील हो जाते हैं और प्रथम अवस्था के स्थान पर दूसरी अवस्था का उदय हो जाता है इस उतार–चढ़ाव में अर्थात् भावनात्मक व्यवस्था का चेतनात्मक व्यवस्था में या चेतनात्मक व्यवस्था का भावनात्मक व्यवस्था में परिवर्तन होने के बीच में एक व्यवस्था और होती है जो कि इन दोनों साँस्कृतिक व्यवस्थाओं का एक मिश्रित रूप होता है। इसे सोरोकिन ने **आदर्शात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था** कहा है।

सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन का पाँचवा आधार यह है कि एक सांस्कृतिक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता तो अवश्य है परन्तु होता है अनियमित रूप में, दूसरे शब्दों में सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के उतार–चढ़ाव को किन्हीं निश्चित बंधन में बाँधा नहीं जा सकता। यद्यपि यह सच है कि संस्कृ ति एक गतिशील व्यवस्था है फिर भी हम यह आशा नहीं कर सकते कि एक सांस्कृतिक व्यवस्था किसी एक निश्चित दिशा की ओर स्थायी रूप से गतिशील रहेगी। सोरोकिन द्वारा प्रस्तुत संस्कृति की इस अनिश्चित गतिशीलता की या सामाजिक परिवर्तन की सम्पूर्ण प्रक्रिया को सदरलैंड तथा वुडवर्ड ने रेतीली जमीन पर इधर–उधर घूमते हुए मुर्गी के बच्चे के साथ तुलना करके समझाया है। अब प्रश्न यह उठता है कि चेतनात्मक अवस्था से भावनात्मक अवस्था या भावनात्मक अवस्था से चेतनात्मक अवस्था में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को लाने वाली कौन सी शक्ति है? सोरोकिन ने इस प्रश्न का उत्तर स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धान्त के आधार पर दिया है और यही उनके सामाजिक परिवर्तन के सिद्धान्त का छठां या अन्तिम आधार है।

स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धान्त यह है कि परिवर्तन होने का कारण या परिवर्तन लाने वाली शक्ति स्वयं संस्कृति की अपनी प्रकृति में ही अन्तर्निहित है, संक्षेप में सोरोकिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो कि संस्कृति के अन्दर ही क्रियाशील कुछ शक्तियों का परिणाम होता है। सामाजिक परिवर्तन एक कृत्रिम प्रक्रिया है या किसी वाह्य शक्ति द्वारा प्रेरित होती है ऐसा सोचना गलत है चेतनात्मक अवस्था से भावनात्मक अवस्था को या भावनात्मक अवस्था से चेतनात्मक अवस्था को, परिवर्तन एक स्वाभाविक तथा आन्तरिक प्रक्रिया है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा होना ही स्वाभाविक है उदाहरणार्थ–गुलाब का एक बीज केवल गुलाब के ही पौधे में न किसी अन्य प्रकार के पौधे में इसलिए विकसित होता है क्योंकि यही स्वाभाविक है या यह उस बीज के स्वभाव में अन्तर्निहित हैं। एक मानव के शरीर को जन्म, विकास, ह्रास और मृत्यु इन सभी स्तरों में से गुजरना इस कारण पड़ता है क्योंकि यही स्वाभाविक है अर्थात् शरीर के अन्दर ही क्रियाशील कुछ शक्तियाँ शरीर को एक स्तर से दूसरे स्तर में परिवर्तित होने के लिए बाध्य करती है इन आन्तरिक शक्तियों के क्रियाशील होने के कारण ही शरीर में परिवर्तन होता रहता है विल्कुल यहीं तथ्य संस्कृति और समाज के सम्बन्ध में लाग ूहोता है और इनमें भी कुछ आन्तरिक शक्तियों के कारण स्वाभाविक रूप में परिवर्तन होता रहता है। बाहरी शक्तियाँ समाज का विनाश कर सकती हैं परन्तु यदि समाज में इस प्रकार की कोई बाहरी शक्ति क्रियाशील नहीं है तो आन्तरिक या स्वाभाविक अथवा अन्तर्निहित शक्तियाँ समाज को चेतनात्मक साँस्कृतिक व्यवस्था से भावनात्मक व्यवस्था में या भावनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था से चेतनात्मक व्यवस्था में अवश्य ही परिवर्तित कर देंगी।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के सम्पूर्ण सिद्धान्त तथा उसके प्रमुख आधारों को अति संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन न तो किसी एक निश्चित दिशा की ओर होते हैं और न ही इनकी कोई चक्रीय गति होती है यह तो केवल साँस्कृतिक व्यवस्थाओं के बीच एक उतार–चढ़ाव की प्रक्रिया मात्र है। संस्कृति स्वयं एक व्यवस्था है जिसमें कि विभिन्न तत्व तथा लक्षण एक मशीन के विभिन्न पुर्जों की भॉति परस्पर संयुक्त, समन्वित तथा संगठित होते हैं। यह साँस्कृतिक व्यवस्था मुख्यतः दो प्रकार की होती है चेतनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था और भावनात्मक संस्कृति व्यवस्था उतार–चढ़ाव की प्रक्रिया इन्हीं दो सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बीच चलती रहती है। सोरोकिन ने अपने सीमाओं के सिद्धांत के आधार पर यह समझाया है कि जब कोई समाज किसी प्रकार की व्यवस्था में चरम सीमा पर पहुँच जाता है तो उस चरम अवस्था का एक विरोधी प्रभाव उल्टा असर क्रियाशील होता है जिसके फलस्वरूप एक अवस्था से दूसरी अवस्था आ जाती है अर्थात् पहले की सांस्कृतिक अवस्था दूसरी सांस्कृतिक अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और एक नवीन अवस्था का जन्म होता है इसी प्रकार भावनात्मक अवस्था और चेतनात्मक अवस्था के बीच उतार–चढ़ाव होता रहता है इन दो छोरों के बीच अर्थात् जब चेतनात्मक अवस्था भावनात्मक व्यवस्था में बदल रही है या जब भावनात्मक व्यवस्था चेतनात्मक व्यवस्था में बदल रही है तब इन दोनों अवस्थाओं के बीच कुछ समय के लिए समाज एक संक्रमण कालीन अवस्था में होता है इसे सोरोकिन ने आदर्शात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था कहा है इस आदर्शात्मक व्यवस्था से गुजरती हुई एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती रहती है परन्तु यह परिवर्तन या उतार–चढ़ाव होता है अनियमित अचक्रीय ढंग से, एक सांस्कृतिक व्यवस्था किसी एक निश्चित दिशा की और स्थायी रूप से गतिशील रहेगी ऐसी आशा करना व्यर्थ है। यह जो कुछ भी परिवर्तन या उतार–चढ़ाव होता है उसका आधार सोरोकिन के अनुसार स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत है समाज या संस्कृति में परिवर्तन इस कारण होता है क्योंकि ऐसा होना ही स्वाभाविक है दूसरे शब्दों में स्वयं संस्कृति की प्रकृति में ही कुछ ऐसी आन्तरिक या स्वाभाविक शक्तियाँ है जिनके फलस्वरूप समाज या संस्कृति में परिवर्तन होता है चूँकि

सामाजिक परिवर्तन आन्तरिक या स्वाभाविक शक्तियों का परिणाम है इस कारण ऐसे परिवर्तन अवश्यम्भावी भी है यहाँ सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धान्त का सार है।

अनेक संस्कृतियों के इतिहास का अध्ययन तथा विश्लेषण करने के पश्चात् सोरोकिन का यह निष्कर्ष है कि इतिहास के किसी भी युग या काल में भावनात्मक या चेतनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था में कोई भी व्यवस्था अपने विशुद्ध रूप में नहीं मिलती है एक व्यवस्था के चरम सीमा पर पहुँचते ही वह फिर अपनी विपरीत अवस्था में बदलने लगती है सोरोकिन के अनुसार पश्चिमी या पाश्चात् देशों की बीसवीं शताब्दी की सभ्यता आजकल अतिपरिपक्व या चरम चेतनात्मक अवस्था से होकर गुजर रही है। प्रत्येक व्यक्ति इन्द्रिय सुख प्राप्त करने की धुन में पागल है विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, अर्थव्यवस्था, राजनीति और सामाजिक सम्बन्ध सभी का उद्देश्य शारीरिक आयाम की वृद्धि करना हो गया है उपर्युक्त सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांन्त के अनुसार पाश्चात् देशों में पायी जाने वाली चेतनात्मक व्यवस्था का चरम रूप इस बात का प्रमाण है कि पाश्चात् जगत् चेतनात्मक जगत से एक नये प्रकार की भावनात्मक व्यवस्था में शीघ्र ही कदम रखेगा।

सोरोकिन के उपर्युक्त सामाजिक परिवर्तन के सिद्धान्त की जिस प्रकार एक ओर पर्याप्त प्रशंसा हुई है, उसी प्रकार दूसरी ओर कटु आलोचनाएँ भी। यद्यपि सोरोकिन का यह सिद्धान्त उनकी व्यापक ऐतिहासिक अभिरूचियों तथा तथ्यगत विश्लेषण और निरूपण करने की असीम बौद्धिक शक्ति की अभिव्यक्ति है फिर भी कुछ विद्वानों ने उनके सिद्धान्त की जिन प्रमुख दुर्बलताओं का उल्लेख किया है वे निम्नलिखित हैंः–

सोरोकिन ने संस्कृति के माध्यम से ही अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है इसलिए उन पर सांस्कृतिक निर्धारणवादी होने का आरोप भी लगाया जाता है। अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धान्त को प्रस्तुत करने में सोरोकिन ने अनेक ऐतिहासिक तथ्यों को उनके ऐतिहासिक प्रसंग से इस प्रकार से पृथक रखा है कि उनमें पर्याप्त कृत्रिमता आ गयी है। इस कारण सोरोकिन की 'Social And Cultural Dynamics' पाश्चात सभ्यता की समालोचना की अपेक्षा पाश्चात् सभ्यता की एक अभिव्यक्ति या परेटो की भाषा में भ्रान्त तर्क है।

सोरोकिन के दृष्टिकोण की सर्वप्रमुख दुर्बलता यह है कि वे उन समस्त चीजों के प्रति नापसन्दगी यहाँ तक कि घृणा की भावना का पोषण करते हैं जो कि आधुनिक मनुष्य या विज्ञान ने बनाये हैं क्योंकि ये सब मुख्यतः चेतनात्मक संस्कृति के अन्तर्गत आती हैं दुर्भाग्य से अच्छे की उपेक्षा क्या बुरा है इसे सोरोकिन अधिक निश्चितता से जानते है और उतनी ही निश्चितता से उसे व्यक्त भी करते हैं उनके लिए प्रत्येक चेतनात्मक वस्तु निश्चित रूप से बुरी है क्योंकि समकालीन समाज में चेतनात्मक संस्कृति की पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है इसी कारण लोग आज आवश्यकता से अधिक सुखवादी उपयोगितावादी तथा स्वार्थी है इस प्रकार यह उग्र निष्कर्ष शायद उचित नहीं है। सोरोकिन पाश्चात् सभ्यता के समकालीन संकट के अंकुर को बार–बार दोहराना पसन्द करते हैं। उनका कथन एक विक्षिप्त अध्यापक जैसा है। सोरोकिन का स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धान्त भी वैज्ञानिक नहीं है। सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का चेतनात्मक से भावनात्मक और भावनात्मक से चेतनात्मक अवस्था में परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक है केवल इतना कह देना ही किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रमाणिक करने के लिए पर्याप्त नहीं है साथ ही यह कह देना की परिवर्तन सिर्फ आतंरिक कारणों से होता है तर्क संगत नहीं है क्योंकि सांस्कृतिक संपर्क एवं अन्य वाह्य कारक भी सांस्कृतिक परिवर्तन को संभव बनाते हैं।

अन्त में पाश्चात् संस्कृति की आने वाली अवस्था के सम्बन्ध में सोरोकिन की भविष्यवाणी में भी बहुत उतावलापन झलकता है। किसी भी गम्भीर विद्यार्थी के मन में यह प्रश्न उठता है कि साँस्कृतिक विकास की

अगली अवस्था के सम्बन्ध में भविष्यवाणी करना तो दूर रहा क्या सोरोकिन या अन्य कोई विद्वान पूर्ण निश्चितता से इतना भी कह सकते हैं कि संस्कृति का झुकाव भविष्य में क्या होगा सामाजिक या साँस्कृतिक व्यवस्था और उसमें होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है कि उसके सम्बन्ध में इतनी निश्चितता से कुछ भी भविष्यवाणी की जा सके इस प्रकार की भविष्यवाणी में शायद का अंश अधिक होने के कारण उसे वैज्ञानिक स्थिति प्राप्त नहीं हो पाती।

सोरोकीन ने सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत को अवैज्ञानिक करार देते हुए संस्कृति में उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को समझानें का प्रयास किया है परन्तु यह सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन को समग्रता से समझानें में असफल रहा है फिर भी सोरोकिन का यह सिद्धांत सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में सामाजिक परिवर्तन को समझने में महत्वपूर्ण है और यदि इसके साथ अन्य सिद्धांतों को मिलाकर एक एकीकृत मॉडल बनाया जाए तो निश्चित ही समकालीन सामाजिक परिवर्तन को समझनें में काफी मददगार साबित हो सकता है।

सन्दर्भ सूची :

1.पाण्डेय, एस. (2009). समाजशास्त्र, टाटा मैक्ग्रावहिल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
2. मुकर्जी, आर. (2000). सामाजिक विचारधारा, विवेक प्रकाशन, दिल्ली
3. पाण्डेय, पी.(2007). समाजशास्त्रीय विचारधारा के मुख्य सचेतक, जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली
4. बघेल,डी. (2015). सामाजिक विचारों का इतिहास. आगराः एसबीपीडी पब्लिशिंग हाउस.
5. झा, एस. (2009). सामाजिक चिंतन.दिल्लीः जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स.
6. दोषी, एस. एंड जैन, पी. (2013). प्रमुख समाजशास्त्रीय विचारक. जयपुरः रावत पब्लिकेशन्स.

Nav Jyoti, Vol. 10, No. 21, July-December 2022 **ISSN : 2249-7331**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

भोजपुरी भाषा का विकास, क्षेत्र विस्तार एवं साहित्य

डॉ0 सुनीता गुप्ता
प्राचार्य,
डॉ0 एस0 राधाकृष्णन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,
सुकरीगढ़ा, लारी,रामगढ़, झारखण्ड

भोजपूरी भाषा का इतिहास 7वीं सदी से शुरू होता है। यह भाषा 1,300 साल से अधिक पुरानी है। मध्यकाल मे भोजपुर नामक स्थान को मध्यप्रदेश के उज्जैन से आए भोजवंशी परमार राजाओं ने बसाया था और अपनी राजधानी को अपने पूर्वज राजा भोज के नाम पर भोजपुर रखा था, जो वर्तमान में आरा जिला (बिहार) में स्थित है। इसी नाम के कारण यहाँ बोले जाने वाली भाषा का नाम भोजपुरी पड़ गया। इस प्रकार भोजपुरी शब्द का विकास बिहार के प्राचीन जिला भोजपुर के आधार पर पड़ा। गुरू गोरखनाथ 1100 ई0 में गोरखवाणी भोजपुरी भाषा में लिखे थे। भारतीय पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ पुर्णिमा को संत कबीर दास का जन्म (1297 ई0) हुआ था। संत कबीरदास के जन्म दिवस ज्येष्ठ पूर्णिमा को भोजपुरी दिवस के रूप में भारत में स्वीकार किया गया और विश्व भोजपुरी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारत मे भोजपुरी अधिकारिक रूप से हिन्दी की एक बोली है, पर व्यवहारिक रूप से भोजपुरी एक स्वतंत्र भाषा है, और इसकी उत्पत्ति मागधी प्राकृत से हुई है। इससे पहले ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न 'कैथी' नामक एक ऐतिहासिक लिपि मे लिखा जाता था। इसे 'कयथी' या 'कायस्थी' के नाम से भी जाना जाता है। यह देवनागरी लिपि से मिलती–जुलती लिपि है । सोलहवीं सदी में इसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता था। मुगलों के शासन काल के दौरान इसका काफी उपयोग किया जाता था। अंग्रेजों ने इस लिपि का अधिकारिक रूप से बिहार के न्यायालयों में उपयोग किया। फिर इसका उपयोग धीरे–धीरे कम होने लगा, बाद मे इस लिपि के स्थान पर देवनागरी लिपि का उपयोग होने लगा।

आचार्य हवलदार त्रिपाठी भोजपुरी भाषा पर अन्वेषण कार्य करके इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भोजपुरी भाषा संस्कृत भाषा से ही निकली है। उनके कोष ग्रंथ (उत्पत्ति मूलक भोजपुरी की धातु और क्रियाएँ) में मात्र 761 धातुओं की खोज उन्होने की है। इस प्रबंध के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 761 पदों की मूल धातु की वैज्ञानिक निर्माण प्रक्रिया मे पाणिनी सूत्र का अक्षरशः अनुपालन हुआ है। इस कोषग्रंथ में वर्णित

विषय पर एक नजर डालने से भोजपुरी तथा संस्कृत भाषा के मध्य समानता स्पष्ट परिलक्षित होता है। भोजपुरी भाषा के धातुओं और क्रियाओं का वाक्य प्रयोग विषय को और अधिक स्पष्ट कर देता है।

कैथी लिपि को वर्ष 2009 में मानक 5.2 मे शामिल किया गया है। कैथी का यूनिकोड में स्थान U+11080 से U+110CF है । वर्तमान में कई लोग इस लिपि को पढ़ नहीं पाते है। बंगाली, ओड़िया, असमिया, मैथिली, मगही आदि भोजपुरी कि बहन भाषाऐं है। नेपाल, फिजी और मॉरिशस में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। झारखण्ड राज्य में भोजपुरी दूसरी राजकीय भाषा है। भोजपुरी जानने–समझने वालो का विस्तार विश्व के सभी महाद्वीपों पर है। जिसका कारण ब्रिटिश राज के दौरान उत्तर भारत से अंग्रेजो द्वारा ले जाए गए गिरमिटिया मजदूर हैं, जिनके वंशज सुरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद, टोबैगो, फिजी, मॉरिशस आदि देशों मे अपनी भाषा का प्रयोग आज भी कर रहे है। 14 जून 2011 को मॉरिशस की संसद में भोजपुरी को राष्ट्रीय भाषा का स्थान दिया गया था।

भारत की जनगणना 2011 के ऑकड़ो के अनुसार भारत में लगभग 6 करोड़ से अधिक लोग भोजपुरी बोलते है। पूरे विश्व मे भोजपुरी बोलने वालों की संख्या लगभग 20 करोड़ से अधिक है। क्षेत्र विस्तार ओर भाषा भाषियों की संख्या के आधार पर भोजपुरी अपनी बहनो मैथिली और मगही में सबसे बड़ी है। भाषायी परिवार के स्तर पर भोजपुरी एक हिंन्द आर्य भाषा है, और मुख्य रूप से पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी झारखण्ड, मध्यप्रदेश और छत्तिसगढ़ के उत्तर पूवी भाग और नेपाल के तराई क्षेत्र मे बोली जाती है। 'थारू' जनजाति नेपाल की तराई क्षेत्र में रहते है, और ये भारत में बहराइच (उत्तरप्रदेश) से चम्पारण (बिहार) जिले तक पाये जाते है और भोजपुरी बोलते है। गोण्डा और बहराइच जिले के थारू लोग भोजपुरी बोलते है जबकि वहाँ की भाषा अवधि है।

भारत में भोजपुरी भाषा का प्रयोग करने वाले राज्य और जिले

बिहार राज्य के जिले – बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज, छपरा, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, वैशाली, भोजपुर (आरा), रोहतास, भभुआ।

उत्तर प्रदेश राज्य के जिले – बलिया, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, गोरखपुर, मऊ, महाराजगंज, मिर्जापुर, जौनपुर , बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़।

झारखण्ड राज्य के जिले– पलामू और गढ़वा।

<u>भोजपुरी भाषा की प्रधान बोलियाँ</u>

1. आदर्श भोजपुरी
2. पश्चिमी भोजपुरी
3. मधेसी

1. आदर्श भोजपुरी – डा0 गियर्सन ने आदर्श भोजपुरी को स्टैंडर्ड भोजपुरी कहा है। वह प्रधानतया बिहार के आरा (भोजपुर), बक्सर, उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर जिले मे बोली जाती है, जहाँ शाहाबाद, बलिया और गाजीपुर आदि दक्षिणी जिलों में 'ड़' का प्रयोग वहाँ उत्तरी जिले में 'ट' का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार उत्तरी आदर्श भोजपुरी 'बाँटे' का प्रयोग किया जाता है। वहाँ दक्षिणी आदर्श भोजपुरी में 'बाड़े' शब्द का प्रयोग किया जाता है। गोरखपुर की भोजपुरी में 'मोहन धर में बाटे' कहते है परन्तु बलिया में 'मोहन घर में बाड़े' बोला जाता है।

पूर्वी गोरखपुर की भाषा को गोरखपुरी कहा जाता है, परन्तु पश्चिमी गोरखपुर और बस्ती जिले की भाषा को 'सरवरिया' नाम दिया गया

है। सरवरिया नाम 'सरूआर' शब्द से निकला है जो 'सरयूपार' का अपभ्रंश रूप है। बलिया (उ0प्र0) और सारण (बिहार) इन दोनो जिलों मे 'आदर्श भोजपुरी' बोली जाती है, परन्तु शब्दों के उच्चाारण में थोड़ा अन्तर होता है। सारण के लोग 'ड़' का उच्चारण 'र' करते है। जहाँ बलिया के लोग 'घोड़ागाड़ी कहते है, वहीं छपरा या सारण के लोग 'घोरागारी' कहते है। आदर्श भोजपुरी का नितांत निखरा रूप बलिया, रोहतास, बक्सर तथा भोजपुर (आरा) जिलों में बोला जाता है।

2. पश्चिमी भोजपुरी – जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, मिर्जापुर, में बोली जाती है। आदर्श भोजपुरी और पश्चिमी भोजपुरी में बहुत अधिक अन्तर है। पश्चिमी भोजपुरी में आदर सूचक के लिए 'तुँह' का प्रयोग होता है परन्तु आदर्श भोजपुरी में 'रउरा' शब्द प्रयुक्त होता है। संप्रदान कारक परसर्ग (प्रत्यय) इन दोनो बोलियों में भिन्न–भिन्न पाया जाता है। आदर्श भोजपुरी में संप्रदान कारक का प्रत्यय 'लागि' है परन्तु वाराणासी की पश्चिमी भोजपुरी में इसके लिए 'बदे' या 'वास्ते' का प्रयोग होता है।

3. मधेसी – मधेसी बोली भी भोजपुरी भाषा का एक रूप है। मधेसी संस्कृत शब्द के 'मध्य' प्रदेश से निकला है जिसका अर्थ 'बीच का देश' होता है। यह बोली तिरहुत की की मैथिली बोली और गोरखपुर की भोजपुरी के बीच वाले स्थानो में बोली जाती है। अतः इसका नाम मधेसी पड़ गया। यह चम्पारण जिले में बोली जाती है। और 'कैथी' लिपि मे लिखी जाती है।

भोजपुरी साहित्य का इतिहास

भोजपुरी साहित्य को तीन युगों में वर्गीकृत किया गया है।

1. आदि युग (700 ई0 से 1100ई0 तक)
   - क. प्राचीन साहित्य (7वीं सदी)
   - ख. सिद्ध साहित्य (8वीं से 11वीं ई0)
2. मध्य युग (1100ई0 से 1850 ई0 तक)
   - क लोकगाथा काल (1100 ई0 से 1400 ई0 तक)
   - ख. आराधना काल (1500 ई0 से 1850 ई0 तक)
   - ग कबीर काल
3. आधुनिक युग (1850 ई0 से अब तक)
   - क. नवजागरण काल

1. आदि युग (700 ई0 से 1100ई0 तक) – भोजपुरी भाषा 1300 साल के क्रम मे विकसित हुई, भाषा का विकास 7वीं सदी में शुरू हुआ। वाणभट्ट ने अपने ग्रंथ हर्षचरित' में इसानचन्द्र और वेनिभारत नामक दो कवियों का वर्णन किए है। जो प्राकृत और संस्कृत भाषा के बजाय स्थानीय भाषा में अपनी रचनाऐं लिखते है। उस समय के भाषा का जो रूप था उसको पुराना भोजपुरी कहा गया है क्योंकि उस समय मगधी प्राकृत से भोजपुरी भाषा का आगमन हुआ था।

ख. सिद्ध साहित्य (8वीं से 11वीं ई0)– आदि युग में नाथ संप्रदाय के गुरू भोजपुरी भाषा में जिन साहित्यों की रचना किए उसे नाथ साहित्य कहा जाता है। इस युग के संत चौरंगी नाथ

(पुरन भगत) का रचना संग्रह 'प्राण संकली' के रूप में किया गया है। नाथ संप्रदाय के गुरू गोरखनाथ ने भोजपुरी भाषा में काब्य मे देवताओं की स्तुतियों की रचना की।

2. मध्य युग (1100ई0 से 1850ई तक)–मध्य युग में भोजपुरी नाथ संप्रदाय से आगे बढ़ते हुए सामान्य जनमानस तक पहुँचा। भोजपुरी साहित्य में अलग–अलग साहित्यिक शैलियों का विकास मध्य युग में हुआ। 1100 ई0 से 1400 ई0 तक के साहित्य को लोकगाथा काल के नाम से जाना जाता है। इस काल के कवियों में धरणीदास, दरिया साहब, सुरदास, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी आदि का नाम लियाा जाता है। चार्ल्स गियर्सन ने बताया कि विद्यापति ने बहुत सी रचनाऐं भोजपुरी में की है। सूरदास मुख्य रूप से ब्रज भाषा के कवि थे, परन्तु उनकी एक रचना भोजपुरी भाषा में मिलता है। कबीर के प्रसिद्ध निर्गुन 'कवन ठगवा नगरिया लूटल हो' भोजपुरी में लिखित रचना है। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी भोजपुरी में साहित्य रचना किए है। प्रसिद्ध बाबा कीनाराम और भीखमराम के रचना में भी भोजपुरी की झलक देखी जा सकती है। इस काल से ही गीतकथा के रूप में सोरठी, बृजभार, शोभा बनजारा, सती बिहुला, आल्हा, लारिकी आदि गीतो का प्रचलन चला आ रहा है।

3. आधुनिक युग (1850 ई0 से अब तक)–आधुनिक युग के साहित्य के प्रारंभिक काल को नव जागरण काल कहा जाता है। इस युग के कवियों मे लक्ष्मीसखी, तेग अली, महेन्द्र मिसिर, भिखारी ठाकुर, हीरा डोम, बुलाकी दास, दूधनाथ उपाध्याय और रधुवीर नारायण का नाम उल्लेखनीय है। तेग अली की रचना 'बदमाश दर्पण' खास बनारसी भोजपुरी का महत्वपूर्ण उदाहरण है। महेन्दर मिसिर जो छपरा के निवासी थे, उनके द्वारा लिखित 'पुरबी' काव्य आज भी गीत के रूप में सुनने को मिलता है। भिखारी ठाकुर की प्रसिद्ध रचना 'विदेशिया' है। इसके बाद के कवियों मे कवि मोती, मनोंरजन दास, भोलानाथ गहमरी, विवेकी राय जैसे लोग प्रसिद्ध है। आधुनिक युग के प्रसिद्ध साहित्यकार पाण्डेय कपिल, रामजी राय, भोलानाथ गहमरी आदि है। भोजपुरी साहित्य का इतिहास लिखे गया है चार्ल्य गियरर्सन, राहुल सांकृत्यासन, उदय नारायाण तिवारी, कृष्ण देव उपाध्याय आदि के द्वारा। अर्जुन तिवारी द्वारा लिखित 'भोजपुरी साहित्य का इतिहास' भोजपुरी भाषा में उपलब्ध है।

भोजपुरी बहुत ही सुन्दर, सरस तथा मधुर भाषा है, भोजपुरी भाषा साहित्य में भिखारी ठाकुर का योगदान महत्वपूर्ण है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। अपने लेखों द्वारा उन्होने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ है – विदेशिया, बेटी बेचवा, भाई विरोध, कलजुग, प्रेम,, विधवा, विलाप, आदि रचनाऐ है। महेन्दर मिसिर भी भोजपुरी के मुर्धन्य साहित्यकार है इन्हे 'पूरबी सम्राट' के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार गुरू गोरखनाथ, कबीर दास आदि संतो के सुमधुर वाणी से प्रारंभ होकर महेन्दर मिसिर, भिखारी ठाकुर और राहुल सांकृत्यायन की रचना से होते हुए आज भोजपुरी साहित्य का विकास काव्य, कहानी आदि में हो रहा है।

संदर्भ सूची–

उपाध्याय, डॉ0 कृष्ण देव, भोजपुरी और उसका साहित्य।

सिन्हा, सत्यव्रत, भोजपुरी लोकगाथा
सिंह, श्री दुर्गा प्रसाद, भोजपुरी के कवि और काव्य
तिवारी, अर्जुन, भोजपुरी साहित्य के इतिहास, बनारस विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणासी

शैक्षिक कार्यो में इंटरनेट की भूमिका : एक अध्ययन

बाबुचन्द प्रसाद
शोधार्थी
साईनाथ विश्वविद्यालय, राँची।

प्राचीनकाल में भारत के नालंदा और तक्षशिला आदि विश्वविद्यालय संपूर्ण संसार में शिक्षा के उच्च केन्द्र थे। प्राचीनकाल में पहले मौखिक एवं कंठस्थ रूप में शिक्षा प्रचलित थी। समय के साथ शिक्षा स्वरूप और इसके तौर तरीकों में बदलाव आया। इसके बाद धीरे–धीरे शिक्षा उपकरणों के रूप में लिखित शब्दों का उपयोग होने लगा। यह दूसरी क्रान्ति थी। जिसके फलस्वरूप स्कूलों में मौखिक शिक्षा के साथ लिखित शिक्षा ने भी स्थान ले लिया। इसके फलस्वरूप शिक्षा को अध्ययन हेतु घरों की दीवारों, पेड़ों के पत्तों, गुफाओं की दीवारों पर संकेतो के द्वारा लिखित रूप में दर्शाया जाने लगा था। तीसरी क्रांति मुद्रण के आविष्कार के साथ आयी तथा पुस्तके उपलब्ध होने लगी। इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीकी क्षेत्र में आये विकासशील परिवर्तन चौथी क्रान्ति के सूचक थे। इसके बाद रेडियो, टेलीविजन आदि का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में होने लगा। कम्प्यूयटर, लैपटॉप, टेबलेट, मोबाईल, स्मार्टफोन एवं सीडी–डीवीडी आदि के आने से संचार के क्षेत्र में विकास हुआ जिससे कि ईमेल, डिजिटल वीडियो, ई–बुक्स, ई–शिक्षा और इंटरनेट के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इन यंत्रों ने नई क्रान्ति का उदय किया। इस साधनों ने शिक्षा के क्षेत्र में उच्च अवधारणाओं में आधुनिक सन्दर्भ के साथ अभूतपर्व क्रान्तिकारी परिवर्तन करके उन्हे एक नया स्वरूप प्रदान किया है। जब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एरिक एशबी ने 1967 में चार क्रांन्तियों का उल्लेख किया तो इन्हे इस बात का आभास नहीं होगा कि चौथी क्रान्ति शैक्षिक क्षेत्र में पाँचवीं क्रान्ति को जन्म देगी जिसके परिणामस्वरूप संसार की लगभग सारी शिक्षा व्यवस्था का ब्यौरा अर्थात शिक्षा दर्शन, शिक्षा की विषयवस्तु, पाठ्यक्र शोध–पत्र, पत्र–पत्रिकाएँ, ई–बुक्स, ई–लाईब्रेरी आदि एक डिब्बे में बंद हो सकेगा। और संसार का कोई भी व्यक्ति अथवा विद्यार्थी कहीं भी किसी भी एक कौने में बैठकर ऑनलाईन अध्ययन के द्वारा बड़ी से बड़ी उच्च शिक्षा की डिग्री प्राप्त कर सकेगा। उस समय ऐसी बातों को लोग मजाक समझते थे, और यकिन नही करते थे। लेकिन, आज सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने यह साबित कर दिया है। हाल में हुए एक अध्ययन के अनुसार आज के विद्यार्थी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों से केवल एक तिहाई शिक्षा

अपने सहपाठी समूह से और बाकि स्व–अध्ययन के द्वारा सीखते है। सिर्फ विश्वविद्यालय ही सीखने के स्त्रोत नहीं रहे है, न वे सभी को आजीवन शिक्षा के आधार पर उच्च शिक्षा, तकनीकी दक्षता और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी उठा सकते है। आज मल्टीमीडिया और इंटरनेट के प्रयोग ने एक नए युग की शुरूआत कर दी है, जिसने विद्यार्थियो और शिक्षकों में उम्मीदें जगा दी है।

नई तकनीक मशीने एवं इंटरनेट सिखने वालों को लचीलापन प्रदान करती है। चुँकि ये सिखनेवालों की सभी इंद्रियों को एक साथ परस्पर संबंधित करती है, इसलिए सिखना दिलचस्प हो जाता है। इन मशीनी इकाइयों द्वारा शिक्षा को मनोरंजन के साथ मिश्रित करना भी आसान हो जाता है। इस प्रकार यह शिक्षा आधारित मनोरंजन बन जाता है। यह काफी प्रोत्साहन देने वाले होते है और सीखने वाले को 'शक्ति और सत्ता' प्रदान करते है। इस प्रकार सूचना के इस युग में शिक्षा और सीख के लिए नई तकनीकों का अधिक दिलचस्प और कारगर ढंग से प्रयोग करना संभव हो गया है।

इंटरनेट दैनिक जीवन में परिवर्तन का माध्यम बन गया है। रिचर हुकर ने चेतावनी दी थी कि परिवर्तन असुविद्याजनक ही होता है। इंटरनेट एक सूचना का बड़ा भंडार है जिसमें संसार की जानकारीयों को एक जगह उपलब्ध करा कर एक अद्भूत कार्य किया है। यह सभी विषयों पर सूचना उपलब्ध कराता है। संसार भर में कहीं भी इसे एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट ने आज विद्यार्थियों को अपनी मर्जी, अपने समय और अपने स्थान के अनुसार अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने का विकल्प दिया है। विद्यार्थी पाठ्य– सामग्री तक पलक झपकते पहुँच जाते है। इसमें विद्यार्थीयों की सीधी पहुँच होती है और वे अध्ययन तथा सीखने के बजाय खोज करने से सीखते है। इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत अधिक विद्यार्थी केन्द्रित बन जाती है। ज्यादातर कार्यक्रम विद्याार्थीयों को सूचना के नए क्षेत्रों की खोज के लिए इंटरनेट पर कुशल बनाते है। खोज की यह प्रक्रिया विद्यार्थीयों को खोज और नई सूचनाओं को जानने के लिए प्रेरित करती है।

आज इंटरनेट का उपयोग जीवन के सभी क्षेत्रों में बढ़ता ही जा रहा है, जिससे इंटरनेट का विस्तार पूरी दुनीया में तेजी से होता जा रहा है। सरकारी, गैर–सरकारी, स्वास्थ्य, बैंकिंग, खेल, समाचार के साथ प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में इंटरनेट अपनी भूमिका का निभा रहा है। इंटरनेट के उपयोग ने विद्यार्थीयों के सामने आज उच्च शिक्षा हेतु राह आसान की है। आज न केवल उच्च शिक्षा संस्थानों बल्कि माध्यमिक व प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थीयों की भी इंटरनेट से पढ़ाई करने में विशेष रूची है। इंटरनेट के प्रसार के बाद भारत सूचना और संचार के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए है। भारत में इंटरनेट सेवाओं के उपभोक्ता अपना ज्ञान बढाने के लिए सभी प्रकार के सूचना स्त्रोतों तक पहुँच सकते है। विकासशील देशों में भारत की गणना उन देशों में होती है जहाँ इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक है। भारत में इंटरनेट के प्रसार की सहायता एवं समर्थन मिलने क दो प्रमुख कारण है, इनमें प्रथम है जो अंग्रेजी जानते और समझते है तथा जो किसी अन्य भाषा की अपेक्षा अंग्रेजी में संचार को प्राथमिकता देते है। आँकड़ों से पता चलता है कि जनवरी 1997 में भारत के करीब 3,138 इंटरनेट होस्ट थे, जो उससे पिछले वर्ष के मुकाबले 298 प्रतिशत अधिक थे। इसे शैक्षिक अनुसंधान नेटवर्क (एर्नेट) द्वारा केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा था। यह सेवा देश में इंटरनेट ढाँचा कायम करने और भारतीय इंटरनेट सेवा को अंतरराष्ट्रीय पहुँच में लाने की दिशा में भारत और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का पहला संयुक्त प्रयास था।

नवें दशक के मध्य भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क क्षेत्र में अग्रणी पंक्ति में पहुँचा दिया है। देश में सूचना प्रौद्योगिकी की पहचान एक ऐसे एजेंट के रूप में हुई है जो मानव जीवन के सभी क्षेत्रों के सभी

पहलुओं में परिवर्तन लाने वाला है और जिसने 21वीं शताब्दी में ज्ञान पर आधारित समाज का निर्माण किया।

आज पुरी दुनिया में इंटरनेट ाक उपयोग हो रहा है, भले कुछ देशों में यह प्रयोग कम है और में ज्यादा। भारत की 52 प्रतिशत से कम आबादी इंटनेट का उपयोग करती है। अगर भाषा के आधार में देखा जाये तो इंटरनेट का उपयोग अंग्रेजी भाषा अपना प्रथम स्थान रखती है।

उच्च शिक्षा में आधुनिक शिक्षण मशिनों का उपयोग

आज शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक शिक्षण मशीनों मोबाइल, स्मार्ट फोन, लैपटॉप, टेबलेट, रेडियो,टेपरिकॉर्डर, ग्रामोफोन, टेलीवीजन, प्रोजेक्टर, भाषा प्रयोगशाला आदि द्वारा शिक्षण आदि के प्रयोंगों ने उच्च शिक्षा प्रक्रिया का मशीनीकरण कर दिया है। आज मशीनों के प्रयोग से शिक्षक अपने विद्यार्थीयों को आसानी से अपने ज्ञान कौशल से लाभान्वित करा सकता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र शिक्षण मशीनों का उपयोग आज तेजी से बढ़ता जा रहा है।

ऑनलाइन पढ़ाई

यदि आप किसी व्यवसाय में रहते हुए शिक्षा जारी रखना चाहते है या आपके पास कक्षा में जाने का समय नहीं है, तो इसके लिए विद्याार्थी दूरस्थ शिक्षा के लिए सम्बन्धित संस्थान में विद्यार्थी ऑनलाइन घर या ऑफिस में बैठे–बैठे अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा भी दे सकते है। इससे उच्च शिक्षा की ओर विद्यार्थियों का रूझान तेजी से बढा रहा है।

दूरवर्ती शिक्षा

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आज दूरवर्ती प्रणाली का योगदान बढ़ता ही जा रहा है। दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली में मल्टीमीडिया एवं इंटरनेट का योगदान अधिक है। बहुत से व्यक्ति पारिवारकि, सामाजिक, आर्थिक, और समय न होने के कारण, उच्च शिक्षा ग्रहण नही कर पाते है, लेकिन उनके मन में पढ़ने की आकांक्षा बनी रहती है। इस प्रणाली के जरिए इक्षुक विद्यार्थी को उनके घरों पर ही शिक्षा मुहैया कराई जाती है। इस कार्य में मल्टीमीडिया, ऑडिया–विडियों कैसेट, सीडी–डीवीडी, टेपरिकार्डर, वीडियों रिकॉर्डर, रेडिया, सामुदायिक रेडियो, टेलीवीजन, ई–मेल, इंटरनेट, एस0एम0एस, एम0एम0एस0, वीडिया पत्रिकाएं, टेलिविजन पत्रिकाएं, ज्ञानदर्शन चैनल आदि की मदद ली जाती है। इसमें शैक्षिक गतिविधियों जैसे– प्रवेष, पाठ्य सामग्री घर बैठे विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

उच्च शिक्षा में टेलीकांफ्रेंसिंग

इसका चलन अमेरिका में टेलिविजन तथा टेलिफोन पिक्चर फोन के जरिए 1960 में आरंभ हुआ। कांफ्रेसिंग हेतु कम्प्यूटर व इंटरनेट द्वारा प्रदत्त बहु–माध्यमी सेवाओं का उपयोग किया जाता है। यहाँ हम इंटरनेट सेवाओं द्वारा लिखित सामग्री, रेखाचित्रों आदि को कांफ्रेसिंग में भाग लेने वाले व्यक्तियों को प्रेषित कर सकते है। ऑडियो–विडियो कांफ्रेसिंग, जब कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से अच्छी तरहा जुड़ जाती है, तो ऐसी टेलीकांफ्रेसिंग शिक्षक और विद्यार्थी दोनो का ही अपनी–अपनी स्वाभाविक रूचियों, समय और साधनों की उपलब्धता तथा सीखने–सीखाने की गति के आधार पर स्व–अनुदेशक एवं स्व–प्रशिक्षण प्रदान करती है। इससे विद्यार्थी उच्च शिक्षा के विषय में आपस में संवाद कर सकते है। इसके साथ ही आपस में पाठ्य–सामग्री के विषय में संवाद कर सकते हैं।

शिक्षा के क्षेत्र मे इंटरनेट

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का बहुतायत से उपयोग किया जा रहा है। इसकी सहायता से शैक्षिक स्तर पर उन्नति हुई है। आज दुनिया के किसी भी कोने में बैठा विद्यार्थी इसकी सहायता से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ई–शिक्षा (ई–लर्निंग) को सभी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक समर्थित शिक्षा और अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो विद्यार्थीयो के व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास और ज्ञान के संदर्भ में ज्ञान के निर्माण को प्रभावित करता है। ई–शिक्षा में वेब–आधरित शिक्षा, कम्प्यूटर आधारित शिक्षा, आभासी कक्षाएँ और डिजिटल सहयोग शामिल है। पाठ्य–सामग्रियों का वितरण इटरनेट, इंटरानेट, एक्सट्रानेट, ऑडियों–विडियों टेप, उपग्रह टीवी और सीडी रोम के माध्यम से किया जाता है। आज कल इंटरनेट का प्रयोग न केवल ई–शिक्षा में ही किया जा रहा है बल्कि ऑनलाईन फार्म भरने, नौकरी के लिए आवेदन करने और पुस्तके पढ़ने में भी किया जा रहा है। आज विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्रों में इंटरनेट का उपयोग कर रहे है।

ऑनलाइन प्रलेख वितरण सेवाएँ

वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रलेख वितरण संवाएं विश्व व्यापी रूप से उपलब्ध हैं। इन सेवाओं की सहायता से शोध आलेखों एवं अन्य प्रलेखों की छायाप्रति प्राप्त की जा सकती है।

प्रकाशन में इंटरनेट या ऑनलाइन प्रकाशन

आज सभी प्रकार के प्रमुख प्रकाशकों के होम पेज है एवं इंटरनेट पर इनके द्वारा प्रकाशित पाठ्य–सामग्री से संम्बन्धित पूरी जानकारी उपलब्ध है । इसके साथ प्रकाशकों की किताबों को विद्यार्थी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। शोध विद्यार्थियों के लिए यह बहुत उपयोगी है।

ऑनलाइन पुस्तके पढ़ना

विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु पुस्तकों की आवश्यकता होती है, जिन्हे खरीद पाना सबके लिए सम्भव नहीं है। उसके अलावा पुस्तकें मंहगी और आसानी से उपलब्ध न होने के कारण विद्यार्थी ऑनलाइन पढना पसंद करते है। अतः ऑनलाइन पुस्तकों की उपलब्धता इन सभी विद्यार्थियो को ऑनलाइन पढना पसंद करते है। अतः ऑनलाइन पुस्तकों की उपलब्धता इस सभी विद्यार्थियों लाभन्वित करती है। आजकल सभी प्रकार की पुस्तकों का विस्तारपूर्वक विवरण इंटरनेट पर उपलब्ध रहता है, जिससे ऑनलाइन बुक्स रीडिंग का अधिक प्रचलन हो गया है। विद्यार्थी अपनी पूरी पढ़ाई इन पुस्तकों का उपयोग करके कर लेता है।

ई–बुकशॉप

आज इंटरनेट पर ऑनलाइन बुकशॉप उपलब्ध है। जिन पर विद्याार्थी अपनी रूची के प्रलेखों की खोज सकते है। उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है और उन्हे खरीद सकते है। इससे विद्यार्थियों को पाठ्य–सामग्री के चयन में समय की बचत और आसानी से होती है।

एम–लर्निंग

आजकल मोबाइल लर्निंग (एम–लर्निंग) का भी चलन है। आज मोबाइल विद्यार्थियों के साथ 24घंटे उपलब्ध रहता है, जिससे वह इंटरनेट से हमेशा कनेक्ट रहते है। परिणामस्वरूप आज विद्यार्थी मोबाइल सर्विसेज की अति आधुनिक तकनीक का का उपयोग ई–बैंकिंग, ई–कामर्स तथा ई–लर्निंग में उसी तरह कर सकते है जैसे कि कम्प्यूटरों द्वारा सुलभ इंटरनेट तथा वेब टेक्नोलॉजी द्वारा करते है। इस प्रकार से ई–लर्निंग का विगत या भूत है, तो दूसरा मोबाईल लर्निंग भविष्य है। नौलेज को शेंट एजूकेशन के डाइरेक्टर भूमा कृष्णन (2007) ने ई–लर्निंग की ऐतिहासिक विवेचना करते हुए जो निष्कर्ष सामने रखे है, उनके अनुसार ई–लर्निंग कर विकास जिन चार प्रमुख अपस्थाओं में से गुजरा है, वे है (1) मल्टीमिडिया (1984–1993), (2) वेब–प्रांरंभिक काल (1994–1999), (3) वेब तकनीक का नया दौर (2000–2005) तथा वर्तमान समय में उपलब्ध मोबाइल लर्निंग।

ई– प्रकाशन

आज जीवन के सभी क्षेत्रों में इंटरनेट ने अपनी पहुँच को आसान किया है। जिससे कि आज इंटरनेट पर किताबों की उपलब्धता में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। जिससे इंटरनेट पर किताबों तथा पत्र–पत्रिकाएँ प्रकाशित करना या उपलब्ध कराना ई–प्रकाशन कहलाता है। और इस तरहा की पुस्तकें ई–बुक्स कहलाती है। जिसको विद्यार्थी मुफ्त में या शूल्क अदा कर पढ़ सकता है। जिसकों आवशयकतानुसार डाउनलोड भी किया जा सकता है। दिनों–दिन ई–बुक्स की अधिकता से यह सिद्ध होता है कि विद्यार्थियों की रूची इस ओर बढ़ती जा रही है।

डिजिटल पुस्तकालय

आधुनिक समय में उच्च शिक्षा का स्तर तेजी से बदल रहा है। आज इंटरनेट ने विद्याार्थि को कभी भी कहीं भी सूचना एवं शिक्षा को आसान बना दिया है। विद्यार्थी एक क्लिक पर अपने विषय से सम्बन्धित हजारों जानकारी तक पहुँच सकता है। इंटरनेट ने दुनिया की किसी भी जानकारी तक पहुँच आसान की है। इसमें दुनियाँ की किताबों, शोध–ग्रंथो का अध्ययन विद्यार्थी अपनी रूची के अनुसार कर सकते है। एक अच्छी लाइब्रेरी में एक कैटलॉग होता है। जिससे पता चल जाता है कि लाइब्रेरी में कौन से डाक्यूमेंट उपलब्ध है और वह किस रैक में है।

शोध–प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र में आंकड़ों के संकलन के लिए सर्वे पद्धति का उपयोग किया गया है। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली के आधार पर 100 विद्यार्थियों (उत्तरदाताओं) से जानकारी प्राप्त की गयी है। ये विद्यार्थी हजारीबाग शहर के विभिन्न कॉलेज और विशवविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे है।

आकड़ों का सारणीयन तथा आरेखीय प्रस्तुतिकरण एवं विवेचनाः

प्रश्न संख्या 1: आप शैक्षिक कार्यो के लिए निम्न में से किसका उपयोग ज्यादा करते है?

1. इंटरनेट	13
2. पाठ्य–पुस्तकें	8
3. दोनो	79

प्रश्न संख्या 1: से स्पष्ट है कि जब उत्तरदाताओं से यह प्रश्न किया गया कि क्या आप शैक्षिक कार्यो के लिए निम्न में से किस माध्यम का उपयोग करते है तो 13% उत्तरदाताओं ने कहा कि इंटरनेट का उपयोग करते है 8% उत्तरदाताओं ने कहा कि हम पाठ पुस्तक का उपयोग करते है 79% ने इंटरनेट और पाठ्य–पुस्तकों दोनो माध्यमके का उपयोग करते है।

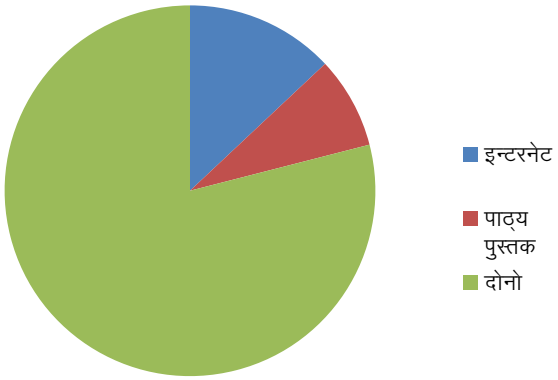

प्रश्न संख्या 2: आप पाठ्य–पुस्तकों तथा इंटरनेट में से शैक्षिक कार्यो के लिए किसका उपयोग ज्यादा करते है ?

1. पाठ्य–पुस्तकों 58
2. इंटरनेट 42

प्रश्न संख्या 2 में उत्तरदाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि आप पाठ्य–पुस्तकों तथा इंटरनेट में से शैक्षिक कार्यो के लिए किसका उपयोग ज्यादा करते है, तो 58 उत्तरदाताओं ने कहा कि पाठ्य–पुस्तकों का उपयोग करते है व 42 उत्तरदाताओं ने कहा कि इंटरनेटका उपयोग करते है।

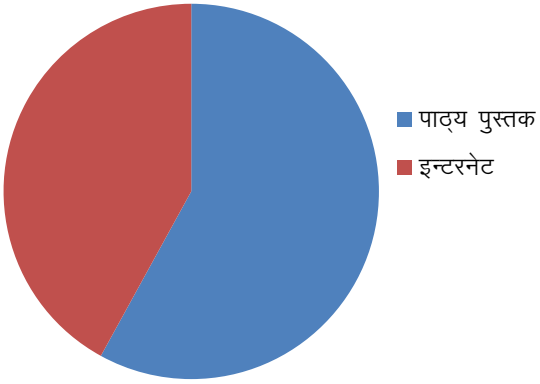

प्रष्न संख्या 3: शैक्षिक कार्यो के लिए आप इंटरनेट का उपयोग क्यों करते है?

1. सस्ता–माधयम 14
2. पाठ्य–सामग्री की अधिक उपलब्धता 32
3. मुफ्त में किताबों की उपलब्धता 13
4. आसानी से किताबे उपलब्ध न होना 14
5. किताबों का मंहगी होना 20
6. अन्य 7

प्रश्न संख्या 3 पूछा गया कि शैक्षिक कार्यो के लिए आप इंटरनेट का उपयोग क्यों करते है, तो 14 ने कहा कि सस्ता–माधयम, 32 ने कहा किपाठ्य–सामग्री की अधिक उपलब्धता, 13 कहा कि मुफ्त में किताबों की उपलब्धता, 14 कहा कि आसानी से किताबे उपलब्ध न होना, 20 कहा कि किताबों का मंहगी होना व 7 ने अन्य कारण बतायें।

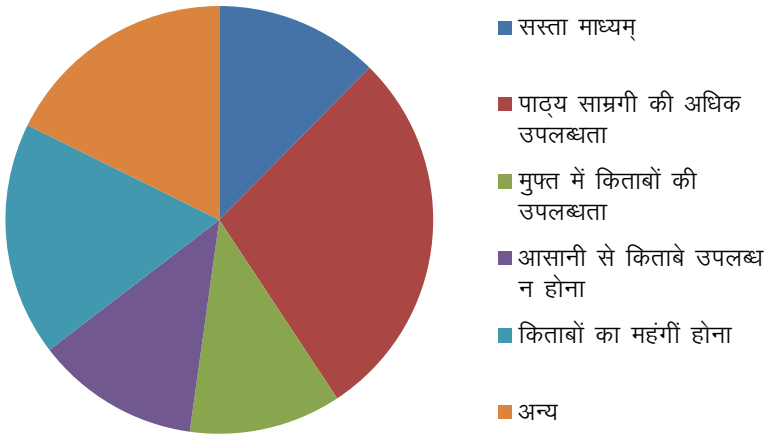

प्रष्न संख्या 4: आप इंटरनेट के उपयोग में किस भाषा को सरल मानते है?

1. हिन्दी	18
2. अंग्रेजी	73
3. दोनो	9

प्रश्न संख्या 4 उत्तरदाताओं से पूछा गया कि आप इंटरनेट के उपयोग में किस भाषा को सरल मानते है, तो 18 ने कहा कि हिन्दी, 73 ने कहा कि अंग्रेजी व 9 ने कहा कि दोनो भाषाओं को इंटरनेट के उपयोग में सरल मानते है।

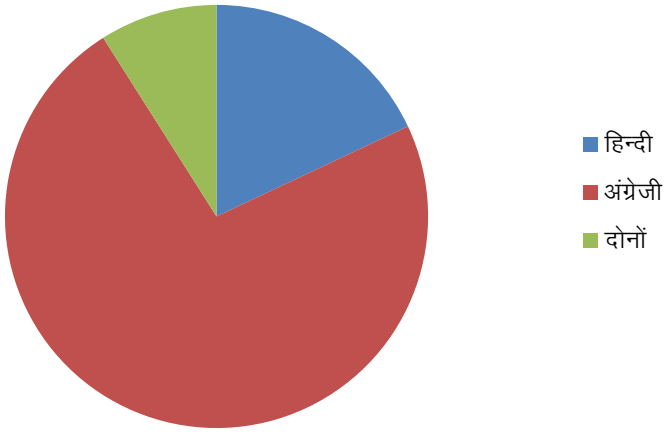

प्रश्न संख्या 5: क्या आपको इंटरनेट के उपयोग में भाषाई समस्या आती है?

1. हाँ	47
2. नहीं	53

प्रश्न संख्या 5 में उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या आपको इंटरनेट के उपयोग में भाषाई समस्या आती है, तो 47 ने हाँ में व 53 ने नहीं में उत्तर दिया।

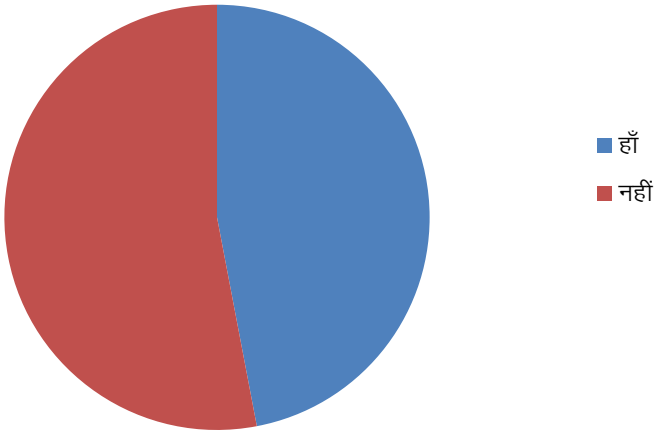

निष्कर्ष :–

प्रस्तुत शोध–पत्र के लिए किए गए सर्वे के परिणाम बहुत ही रोचक है। शोध–सर्वे के अनुसार 95 उत्तरदाता शैक्षिक कार्यो के लिए इंटरनेट का उपयोग करते है। पाठ्य–पुस्तकों का उपयोग इंटरनेट का उपयोग के सामने आये है। इनमें प्रमुख है इंटरनेट पर पाठ्य–सामग्री की अधिक उपलब्धता बाजार तथा पुस्तकालयों में किताबें आसानी से उपलब्ध ना होना, किताबों के मंहगी होनी की वजय से विद्यार्थी इंटरनेट का उपयोग कर रहे है क्योंकि किताबों की तुलना में इंटरनेट एक सस्ता माध्यम है। सभी उत्तरदाता मानते है कि इंटरनेट के उपयोग ने उच्च शिक्षा को आसान बनाया है इसलिए वर्तमान में इंटरनेट उच्च शिक्षा के लिए उपयोगी माध्यम है। सिर्फ 5 उत्तददाता इंटरनेट के उपयोग से संतुष्ट नहीं है तथा 88 उत्तरदाता इंटरनेट को उच्च शिक्षा मे उपयोग के लिए विश्वसनीय माध्यम मानत है। 82 उत्तरदाता इंटरनेट में अंग्रेजी भाषा के सरल मानते है, क्योंकि इंटरनेट पर अधिकतक पाठ्य–सामग्री अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध है, लेकिन 47 लोगो को अंग्रेजी भाषा की वजह से इंटरनेट में समस्या का सामना करना पड़ता है।

संदर्भ :

1. रवीन्द्रनाथ प्रताप सिंह, दूरसंचार : दृश्य–परिदृश्य, आचार्य प्रकाशन, राजरूपपुर, इलाहाबाद, पृष्ठ–1147।
2. ग्लोबल डिजिटल मीडिया, ई शिक्षा, ई लर्निंग और ई सरकार रूझान और सांख्यिकी BuddeComm-BuddeComm.htm
3. दूरस्थ शिक्षा सामाजिक सरोकार एवं मीडिया।
4. अरविन्द कुमार शर्मा, शोध प्रविधियाँ एव सूचना प्रौद्यौगिकी, ई,एस,एस, पब्लिकेशन, देलही, 2008।
5. एस0 के0 मंगल एवं उमा मंगल शिक्ष तकजीकी, पी,एच0एल0 लर्निंग, देलही, 2009।
6. आशा गुप्ता उच्च शिक्षा के बदलते आयाम हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय 2011।

Nav Jyoti, Vol. 10, No. 21, July-December 2022 **ISSN : 2249-7331**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

नई शिक्षा नीति 2020 के तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा

रंजु वंदना होरो
सहायक प्राध्यापक
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शि. प्र. महा.
लारी, रामगढ।

शिक्षा किसी भी देश के विकास की आधार शिला होती है जिस पर समाज की खुशहाली एवं राष्ट्र की उन्नति एवं एकता तथा अखण्डता निर्भर करती है। यह बालकों के संवेगात्मक संज्ञानात्मक अभिवृत्तियों, वैज्ञानिक संतुलित स्वभाव, समतावादी दृष्टिकोण का विकास करके एक उत्पीडन रहित समाज के निर्माण में योगदान देती है। यह तभी संभव हो सकता है जब हम शिक्षा की मुख्यधारा में उनको भी शामिल करें जिनकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा संवेगाात्मक आवश्यकताएं उन बालकों से भिन्न है जो सामान्य विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा इस दिशा में सतर्कता से किया जा रहा आशाओं से परिपूर्ण एक प्रयास है।

शिक्षा सामाजिक न्याय प्राप्त करने का एकमात्र एवं प्रभावी साधन है समतामूलक और समावेशी शिक्षा न सिर्फ स्वंय में एक आवश्यक लक्ष्य है बल्कि समतामूलक और समावेशी समाज के निर्माण में आवश्यक कदम है जिसमें प्रत्येक नागरिक अपने लक्ष्यों, विकास करने और राष्ट्र हित में योगदान करने का अवसर उपलब्ध हो सकें।

समावेशी शिक्षा वह है जिसमें विद्यालय में बाधित व सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी से तात्पर्य है– 'सभी को साथ लेकर चलना' समावेशन एक आन्दोलन है जो सभी नागिरकों को समान अवसर प्रदान करता है। समावेशी शिक्षा सबको साथ लेकर शामिल करते हुए उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को दृवितगत रखते हुए बालको के वौहिक संवेगात्मक एवं सृजनात्मक विकास के अतिरिक्त परस्पर सीखने– सिखाने तथा अभियोजन का अनूठा प्रयास है जो कठिन तो है लेकिन असम्भव नहीं। यह एक अनूठा प्रयास है।

समावेशी शिक्षा केवल अशवत व्यक्तियों के लिए नहीं है। वास्तविकता यह है कि अषवत बालक वर्जन का मुख्य शिकार रहे है। ये बालक शैक्षिक अलगाव को दर्शाते है। यूनेस्को की (2008) रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि वर्जन से ग्रसित बालकों का 37% आर्थिक दृष्टि से हीन बालको का होता है। ये बालक ऐसे 35 राष्ट्रों के उन राज्यों। क्षेत्रों से संबंध रखते है। जिन्हे organization for Economic Corporation and Development ने हीन/निम्न श्रेणी में चिन्हित किया है।

समावेशन मुख्यता तीन बातों पर आधारित है।

1. शिक्षा का अधिकार

2. शिक्षा की प्रक्रिया
3. शिक्षा में प्रगति

समावेशी शिक्षा की परिभाषाएं :

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार :

1. समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी सीखने वाले बालक हो अथवा युवा चाहे अशक्त हो अथवा नही, सामान्य विद्यालय–पूर्वव्यवस्था विद्यालयों एवं सामुदायिक शिक्षा केन्द्रों में उपयुक्त सहयोगी सेवाओं के आपस में मिलजुल कर सीखने में समर्थ हो।
2. यूनेस्को ने अपने अन्तराष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन में ''समावेशी शिक्षा पर दस प्रश्न अतिसंवेदनशील एवं सीमान्त समूह'' में स्पष्ट् किया कि –

''समावेशी शिक्षा अद्यिगमकर्ताओं के गुणात्मक शिक्षा के मौलिक अधिकार पर आधारित है जो आधरभूत शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके जीवन को समूह बनाती है।

उपर्युक्त परिभाषाएँ से स्पष्ट् है कि समावेशी शिक्षा सबके लिए शिक्षा का प्रयास है।

3. उमातुली के शब्दों में –
   स्मावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों की दैहिक संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का विस्तार करता है।''

समावेशी शिक्षा की निम्न विशेषताएं :–

1. यह एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से वांछित बालक एवं सामान्य बालक एक साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर सकें।
2. इस शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया गया है जिससे अपंग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो तथा वे समाज में अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवनयापन कर सकें।
3. यह शिक्षा समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों में मध्य स्वस्थ्य सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक है समाज में एक दूसरे के मध्य दूरी कम तथा आपसी सहयोग की भावना को प्रदान करती है।
4. समावेशी शिक्षा अध्यापकों शिक्षाविदों तथा माता – पिताओं के सामूहिक प्रयास पर आधारित है। यह शिक्षा शिक्षण की समानता तथा अवसर जो अपंगों को अब तक नहीं दिये गये उनको मूल रूप से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक आयाम है।
5. समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों विशेषज्ञों शिक्षाविदों मनोवैज्ञानिकों चिकित्सकों को आमंत्रित कर उसके बहुमूल्य विचारों से इस दिशा में अपेक्षित परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।

समावेशी शिक्षा की सामान्य आवश्यकता

1. समेकित शिक्षा प्रत्येक बालक के मुख्य धारा में लाने हेतु प्रतिबद्ध है और इस दृष्टि से अभी बालकों को आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराये जायेंगें।
2. सभी मानव प्राणियों को एक – दूसरे की आवश्यकता पडती है और इस दृष्टिकोण को साकार करने में समेकित शिक्षा मॉडल प्रभावी भूमिका निभा सकता है।
3. बच्चों, युवा एवं प्रौढ़ों को मुख्य धारा से विलग कर उन्हें अलग स्कूल में रखना हमारी ऋणात्मक सोच का परिचायक है। इस प्रवृति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है तथा यह स्वंय में मानवाधिकार से जुड़ा प्रश्न है।
4. यह तथ्य सर्वविदित है कि विविधता सभी प्रकार की जीवन प्रणालियों में शक्ति का संचार करती है जो समेकित शिक्षा का एक अंग है।

5. समेकित शिक्षा के माध्यम से सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली को नया कलेवर प्रदान करना ताकि हम शिक्षा की दृष्टि से स्वंय को विश्व पटल पर स्थापित कर सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत : समतामूलक और समावेशी शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अध्याय 6 में समतामूलक और समावेशी शिक्षा संबंधी निम्न बातें कही गई है –

1. यह नीति विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (CW USN) या दिव्यांग बच्चों को किसी भी बच्चे के समान गुणवतापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान गुणवतापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने के लिए सक्षम तंत्र बनाने को भी पहचानती है।
2. यू. डी. आई. एस. ई. 2016–17 के आंकडो के अनुसार प्राथमिक स्तर पर लगभग 19.6% छात्र अनुसूचित जाति के है किन्तु उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह प्रतिशत कम होकर 17.3% हो गया है। नामांकनों में ये गिरावट अनुसूचित जनजाति के छात्रों (10.6% से 16.8%) और दिव्यांग बच्चों 1. 1 से 0.25% लिए अधिक गंभीर है। इनमें से प्रत्येक श्रेणी में महिला छात्रों के लिए इन नांमाकनों में और भी अधिक गिरावट आई है।
3. इसके अलावा भारत सरकार सभी लडकियों और साथ ही ट्रांसजेडर छात्रों को गुणवतापूर्ण और न्याय संगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने हेतु एक जेंडर समावेशी निधि का गठन करेगी।
4. आर. पी. डबल्यू. डी. अधिनियम 2016 के अनुसार मूल दिव्यांगता वाले बच्चों के पास नियमित या विशेष स्कूली शिक्षा का विकास होगा। इस ऑडिट के आधार पर गृह आधारित स्कूली शिक्षा के लिए दिशा निर्देश और मानक विकसित किए जायेंगें।
5. अधिकांश कक्षाओं में ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें सीखने की दृष्टि से कुछ विशिष्ट अक्षमता होती है जिन्हें निरंतर मदद की आवश्यकता होती है शोध स्पष्ट् करते है कि ऐसे मामलों में जितनी जल्दी मदद शुरू वर्ग जाती है आगे प्रगति की सम्भावना उतनी ही बेहतर नजर आती है।
6. विशिष्ट् दिव्यांगता वाले बच्चों वर्ग को कैसे पढाया जाये संबंधित जागरूकता और ज्ञान को सभी शिक्षक प्रशिक्षणों का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए।
7. रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में राज्य सरकारों को जनजाति बहुल प्रदेशों सहित अपने माध्यमिक और उच्चतर, माध्यमिक विद्यालयों में NCC विंग खोलने के प्रोत्साहित किया जाए।
8. छात्रों को शिक्षकों और अन्य विद्यालय कर्मियों द्वारा लायी गयी इस नई स्कूली संस्कृति व पाठ्यक्रम में आये परिवर्तनों के माध्यय से संवेदनशील बनाया जाए। सकूली पाठ्यक्रम में प्रारंभिक शिक्षा मानवीय मूल्यों पर सामग्री जैसे सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान सहानुभूति सहिष्णुता मानव अधिकार लैंगिक समानता अहिंसा वैश्विक नागरिकता समावेशन और समता शामिल होगें।
9. उपरोक्त सभी नीतियाँ और उपाय सभी एसईडीजी के लिए पूर्ण समावेश और समता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तो किन्तु पर्याप्त नहीं है। इसके लिए विद्यालय की संस्कृति में बदलाव भी जरूरी है। इस तह की शैक्षिक संस्कृति छात्रों को सशवत व्यक्ति बनने में मदद करने के लिए सबसे अच्छा साधन है जो वर्तमान समाज को बनाने से सक्षम है। साथ ही सभी छात्रों के लिए उत्कृष्ट रोल मॉडल लाने की दिशा में यह प्रयास किया जाएगा।
10. इसके अलावा, भारत सरकार सभी बालिकाओं और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने हेतु एक ''जेंडर

समावेशी निधि'' का गठन करेगी। केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए राज्यों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक कोष उपलब्ध होगा।

11. इसके अतिरिक्त लक्षित छात्रवृति माता – पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण, परिवहन के लिए साइकिल प्रदान करना आदि जैसी विभिन्न सफल नीतियाँ और योजनाएं चलाई गई है। जिससे कुछ क्षेत्रों में एसईडीजी की भागीदारी स्कूली शिक्षा प्रणाली में काफी बढ़ी है।
12. स्कूल और उच्चतर शिक्षा में अत्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी अपेक्षाकृत कम है यह नीति सभी अल्पसंख्यकों समुदायों और विशेष रूप से उन समुदायों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेपों के महत्व को स्वीकार करती है जिनका शैक्षिक रूप से प्रतिनिधित्व कम है।

निष्कर्ष :–

प्रत्येक राष्ट्र अपने यहां के सभी व्यक्तियों को साक्षर बनाने का प्रयास करती है ताकि राष्ट्रीय की उन्नति हो सकें। अतः समतामूलक और समावेशी शिक्षा होने से सभी प्रकार के बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा तथा सामान्य बच्चों में विकलांग बच्चों के प्रतिरूढ़ीवादी विचारधारा दूर होगी वहीं विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों के अच्छे व्यवहारों को सीख सकते हैं। NEP 2020 इस दिशा में बेहतर मार्गदर्शन का कार्य कर रहा है।

समावेशी शिक्षा आधुनिक युग का नवीन प्रत्यय है जो असमर्थ बालकों का पक्ष लेते हुए उन्हें सामान्य विद्यालयों में प्रवेश लेने एवं शिक्षा ग्रहण करने की बात करती है। यह शैक्षिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि सामाजिक एवं मौलिक दृष्टिकोण से भी असमर्थ बालकों हेतु सर्वोतम साधन है। समावेशी शिक्षा की सफलता अध्यापकों एवं कक्षा में किये गये प्रयोग पर निर्भर करती है और यह तभी संभव है जब हम एक जुट होकर आगे बढें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। समतामूलक और समावेशी शिक्षा असमर्थी बालकों को दिया गया एक सुअवसर है जो उन्हें हीन भावना से बाहर निकाल सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

नई शिक्षा नीति 2020 : मानव संधाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार पृ0 38 – 44

सिंह; मदन; समावेशी शिक्षा : आर० लाल बुक डिपों

सक्सेना; डॉ० सविता : समावेशी विद्यालय का निर्माण : श्री विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा – 2

www.google.com

Nav Jyoti, Vol. 10, No. 21, July-December 2022 **ISSN : 2249-7331**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

पंचायती राज अधिनियम और अनुसूचित जाति की महिलाएँ

शोध छात्रा
माधुरी यादव
जे0आर0एफ0
समाजशास्त्र

शोध निर्देशक
प्रो0 रवीन्द्र नाथ मिश्र
स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग
मर्यादा पुरूषोत्तम पी0जी0 कालेज,
भुड़सुरी, रतनपुरा, मऊ, उ0प्र0

सारांश

भारत में पंचायतों की परम्परा तो बहुत ही पुरानी है किन्तु महिलाओं को उसमें कोई स्थान प्राप्त नहीं था, महिलाओं को स्वतंत्रता के बाद पंचायतों में भागीदारी हुई है इससे पहले महिलाओं को सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रीति–रिवाजों ने इस प्रकार जकड़ लिया था कि वे सामाजिक जीवन में भाग न ले सके। इसमें अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी पंचायती राज अधिनियम ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देकर पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं को विशेष आरक्षण दिया है ताकि वे भी समाज में समान अधिकारों को प्राप्त कर सके।

शब्द कुंजी– पंचायती राज अधिनियम, अनुसूचित जाति की महिलाएं, आरक्षण।

स्त्री हमारे समाज का आधा भाग होती है। इसीलिए समाज के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत पुरूष प्रधान देश है लेकिन देश के गौरव को ऊँचा उठाने एवं पुरूषों को सम्मान जनक स्थान दिलाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वैदिक युग से आज तक के बदलते हुये परिवेश में महिलाओं ने समाज एवं परिवार के प्रबंधन और विकास में अपनी सकारात्मक भागीदारी सिद्ध करती नजर आ रही है। वैसे भी किसी भी राष्ट्र एवं समुदाय के सर्वतोमुखी विकास में प्रत्येक वर्ग, आयु, धर्म, जाति, लिंग तथा स्तर के लोगों के सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। अतः महिला राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है।

आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी कामयाबी की बुंलदियों को नहीं छुआ है।

लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसी कई महिलाएं है जिनके अन्दर ये जागरूकता नहीं आई है। अपने अन्दर ये जागरूकता लाने, अपने को राजनीतिक सत्ता का हिस्सा बनाने के लिए परस्पर आत्मनिर्भर एवं विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। वह यह जान गई है कि इसे पाये बिना वह अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों का वास्तविक उपयोग नहीं कर पायेगी। ग्रामीण विकास तथा राजनैतिक परिवर्तन में नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एस0एच0 थैक्का मलाई ने लिखा है कि– ग्रामीण नेतृत्व तथा विकास का एक सामाजिक अध्ययन है।[1]

पंचायतों की परम्परा भारत में बहुत पुरानी है लेकिन इनमें महिलाओं की भागीदारी स्वतंत्रता के बाद हुई। स्वतंत्रता के पहले महिलाओं को सामाजिक व धार्मिक रीति–रिवाजों के बंधनों में ऐसा जकड़ दिया गया था कि वे सामाजिक जीवन में भाग न ले सके। परंतु अब स्थिति बदल चुकी है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट दिखाई देती है। ग्रामीण स्थानीय राजनीतिक में महिलाओं की भागीदारी के प्रति नारी व पुरूष के दृष्टिकोण के स्पष्ट अन्तर उजागर होते है। महिलाएं अपने सम्मान एवं मांग से बढ़कर स्थानीय राजनीति में अपने वैध अधिकारों के प्रति मुखर दिखाई देती है जबकि अधिकांश ग्रामीण पुरूष महिलाओं को सार्वजनिक भूमिका भी होनी चाहिए। इसे बिल्कुल अस्वीकार करते है साथ ही उन्हें अपनी परम्परागत जीवन शैली के खो जाने का भी डर लगा रहता है इस प्रकार के अवलोकन केवल उ0प्र0 तक ही सीमित न होकर अन्य प्रदेशों, जैसे– उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा आदि में भी दिखाई देते है। समाज के अधिकांश पुरूषों में यह भय व्याप्त होता है कि महिलाओं की राजनीति भागीदारी इस परम्परागत भग्न विभाजन बिगड़ जायेगा। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग विभाजन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।[2] पहले भारतीय ग्रामीण राजनीति में परम्परागत रूप से पुरूषों का वर्चस्व था, सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति कठिन थी। अब यह स्थिति बदल रही है।

स्थानीय ग्रामीण राजनीतिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी का श्रेय भारतीय संविधान के तिहत्तरवें (73वें) संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 को है। जिसने त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को आधार प्रदान किया और एक नई दिशा दी जो लोकतंत्र की जड़ों को सींचने में सार्थक सिद्ध हुई। तिहत्तरवें (73वें) संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत यह प्रावधान था कि पंचायत की तीन स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा इनमें एक तिहाई आरक्षण इन वर्गो की महिलाओं को भी होगा। साथ ही पंचायतों के तीन स्तरों पर कुल सदस्यों व अध्यक्षों में से एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगें।[3] अतः तिहत्तरवें (73वें) संवैधानिक संशोधन अधिनियम को निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए क्रांतिकारी दस्तावेज कहा जा सकता है। इसने न केवल स्थानीय सरकार की संस्थाओं को मजबूती प्रदान की बल्कि उन सामाजिक वर्गो को भी मजबूती प्रदान की जो अभी तक राजनैतिक निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित थे। साथ ही एक संवैधानिक अवसर प्रदान किया ताकि वे अपनी आवाज बुलंद कर सके फिर भी पुरूषों की ओर से पहले से ही यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रवेश उनके मार्ग में अनेक प्रकार की रूकावटें पैदा करता है। ग्रामीण स्थानीय राजनीति में महिलाओं को पुरूषों के वर्चस्व का सामना करना पड़ता है।

जिससे पुरूषों में यह धारणा उत्पन्न होती है कि महिलाओं का राजनीति में प्रवेश से या राजनीति में उनकी भागीदारी से किसी प्रकार के लाभ की आशा की जा सकती है एक ओर महिला सदस्यों में आत्मसम्मान की भावना उजागर करते है कि 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम से आशा की किरण जागृत होती है कि 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए नये रास्ते खोल देगा जिनकी ग्रामीण राजनीति में कोई भूमिका नहीं थी।[4]

यदि तुलनात्मक परिपेक्ष में देखा जाये, तो यह प्रतीत होता है भारत जो महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में एक विकासशील या पिछड़ा देश कहा जाता था वह संवैधानिक राजनीति प्रक्रिया में महिलाओं के प्रवेश के बारे में अग्रणी दिखाई देता है। स्थानीय राजनीति संस्थाओं में महिलाओं की उपस्थिति का यह प्रयास मुख्यतः लिंग समानता एवं न्याय को आधार बनाकर किया गया है। कोटा या आरक्षण के अधिकांश समर्थक यह स्वीकार करते है कि यह प्रयास भारत की महिलाओं को शक्तिशाली बनाने में मदद करेगा फिर

भी एक संदेहात्मक स्थिति बनी हुई है कि एक पुरूष प्रधान समाज में यह कैसे सम्भव होगा। भारत के अधिकार राज्यों में महिलाओं को संरचनात्मक भेदभाव के अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ता है जिसके चलते वे राजनीतिक प्रक्रिया में अपनी भूमिका अच्छी तरह से नहीं निभा सकती है जैसे– पर्दा प्रथा या महिलाओं का अलगाव आदि। यह सांस्कृतिक अवरोध जो पुरूष एवं महिला को अलग करता है महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने में रूकावट पैदा करता है। प्रस्तुत अध्ययन में तथ्यों का संकलन करते समय महिलाओं ने स्पष्ट कहा कि राजनीति में महिलाओं का कोई भविष्य नहीं है अतः इसमें रूचि लेने से हमें क्या प्राप्त होगा?

महिलाओं का इस तरह का वक्तव्य आरक्षण विरोधियों को यह दावा करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि निर्वाचित महिलायें मात्र प्रभावशाली पुरूषों के लिए एक प्रतिनिधि सिद्ध होगी।

अधिकांश महिला प्रतिनिधि 73वां संविधान संशोधन जो जनसंख्या के आधार पर होगा और इस वर्ग की महिलाओं को भी इसका एक तिहाई आरक्षण होगा इस व्यवस्था से अनुसूचित जाति की महिलाओं का आत्म सम्मान, आत्म निर्भरता और आत्म विश्वास बढ़ा है और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार कम से कम एक तिहाई महिलाएं सभी स्थानीय शासकीय निकायों तथा पंचायतों के स्तर पर निर्धारित होगी जिनमें पंच, सरपंच, प्रधान प्रमुख जिला परिषद सभी स्तर शामिल है। इस आरक्षण में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। इस प्रकार यह अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था कर सत्ता में इस वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करता है।

इस प्रकार 73वें संविधान संशोधन, संविधान के भाग–9 में अनुच्छेद 243 के अन्तर्गत 243 ए, 243 ओ तक अनुच्छेद जोड़े गये तथा 11 वे अनुसूची जोड़ी गयी जिसमें कुल 29 विषय है।[5] जिन पर पंचायतें कानून बना सकती है।

अनुच्छेद 243 डी में स्थानों से सम्बन्धित आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जो निम्नलिखित है।
243 सीटों का आरक्षण।
1– सीटे आरक्षित
क– अनुसूचित जाति
ख– अनुसूचित जनजाति

प्रत्येक पंचायत में और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या, यथासम्भव उस पंचायत में सीधे निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की संख्या का उतना ही अनुपात होगा जितना की उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या या उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियां उस क्षेत्र को कुल जनसंख्या से सम्बन्धित है और ऐसी सीटे चक्रानुक्रम से किसी पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रो को आवंटित की जा सकती है।

खण्ड–1 के तहत आरक्षित सीटों की कुल संख्या के एक तिहाई से कम नहीं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, जैसा भी मामला हो।

प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से कम से कम एक तिहाई (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और ऐसी एक पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रोटेशन द्वारा सीटें आवंटित की जा सकती है।

ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए उस तरीके से आरक्षित होगें जैसा कि राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान कर सकता है।

खण्ड–1 व 2 के तहत सीटों का आरक्षण खण्ड 4 के तहत अध्यक्षों के पदों का आरक्षण (महिलाओं के लिए आरक्षण के अलावा) अनुच्छेद में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा।

इस भाग में कुछ भी किसी राज्य के विधानमंडल को नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में किसी भी पंचायत या पंचायतों में अध्यक्षों के कार्यालयों में किसी भी स्तर पर सीटों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा।

इस प्रकार 73वां संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति की महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की घोषणा एक मील के पत्थर के समान है इसमें पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य हो गई है।

जब हम पंचायती राज व महिलाओं के भागीदारी की बात करते है तो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार करना पड़ता है कि इससे महिलाएं राजनैतिक रूप से सशक्त हुई है। पंचायती राज ग्रामीण समाज की प्रथम पाठशाला है जहां 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हुआ है। वे स्थानीय स्तर पर गांव को नीतियों कार्य, प्रणाली, सभाओं में सीधे भागीदार बनती है इनके अनुभवों से राजनीति भी परिपक्व होती है। इनकी एक राजनैतिक छवि बनती है जब ये गम्भीर स्थानीय समस्याओं पर निर्णय लेकर उसका समाधान करती है।[6]

पंचायती राज में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण हो जाने से ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं में जहां राजनैतिक चेतना उत्पन्न हुई है वहीं उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी आई है। वे अपने हितों को रक्षा के लिए सजग हुई है। उनमें उन सामाजिक आर्थिक मुद्दों के विरूद्ध आवाज बुलंद करने की हिम्मत आई है, जो शताब्दियें से उनका दोहन, शोषण, उत्पीड़न अत्याचार करते है उनमें अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने की भावना उत्पन्न हुई है, महिलाओं को यदि उचित व समान अवसर व सुविधाएं दी जाय तो ये कही भी पुरूषों से कम साबित नहीं होगी इसका उदाहरण यह है कि अनेक महिला प्रधानों ने महिला पंचायत सदस्यों की सहायता से दहेज, शराब एवं जुए के अड्डों के विरूद्ध अपनी आवाज बुलंद की है ये निरंतर अंधविश्वास, रूढ़ियों, रीति रिवाजों, परंपराओं आदि का विरोध कर रही है। यह महिलाओं को अपनी छिपी शक्ति प्रदान करने का अवसर प्रदान करती है इसलिए गांधी जी ने कहा था कि अगर घर के किसी कोने में गड़ा खजाना अचानक मिल जाय तो कितनी खुशी होगी। महिला शक्ति सुस्त पड़ी है, अगर विश्व कि महिलाएं जाग जाए तो वे इसी प्रकार विश्व को चकाचौध कर देगी।[7]

पंचायती राज में ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं की भूमिका के व्यवहारिक पहलू को देखा जाय तो जहां महिलाओं को पहली बार प्रशासनिक अधिकार मिले। महिलाओं की राजनैतिक क्षेत्र में सक्रियता बढ़ी उनमें कुछ करने का आत्मविश्वास जागा। अपने स्थानीय क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना उन्होंने शुरू किया। उन्हें यह अनुभव हो गया की बगैर शासन सभा और शक्ति को पाये ये अपनी स्थिति को सुधार नहीं सकती है। इसलिए राजनीति में भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि महिलाओं का सशक्तीकरण ग्रामीण समाज के पिछड़े क्षेत्रों से पंचायती राज के द्वारा आरम्भ किया गया है। ग्रामीण अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए निश्चय ही यह एक राजनैतिक–सामाजिक क्रांति है जो उन्हीं की जमीन से फूटती है, अंकुरित होती है, पल्लवित होती है और ग्रामीण महिलाओं को उनकी शक्ति का एहसास कराती है। पंचायती राज का ग्रामीण महिलाओं के

सशक्तिकरण में इससे बड़ा और क्या योगदान हो सकता है, क्योंकि यह वह माध्यम है जिससे महिला जगत के सामाजिक व राजनैतिक क्षेत्र में परिवर्तन आता है वर्तमान लोकतंत्र प्रणाली में राजनैतिक शक्ति ही समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाती है।[8]

73वां संविधान संशोधन पंचायतों में अनुसूचित जाति की महिलाओं की सहभागिता को अनिवार्य कर दिया है किन्तु यह तर्क भी ध्यान देने योग्य है कि विधान बनने मात्र से बदलाव नहीं लाया जा सकता। भारतीय समाज की संरचना इस प्रकार का है कि महिलाओं को हमेशा से दबाकर रखा गया था। अतः निरक्षरता गरीबी तथा परम्परा के बंधनों को तोड़ना मुश्किल था।

निष्कर्ष

ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का श्रेय संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को है। इस अधिनियम के तहत पंचायत की तीन स्तरों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा इनमें एक तिहाई आरक्षण इस वर्ग की महिलाओं को भी होगा। इस प्रकार पंचायती राज अधिनियम ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं को ग्रामीण राजनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है और ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलायें इस अधिनियम के प्रभाव से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त हो रही है।

सन्दर्भ सूची–

1. जोशी, डॉ0 आर0पी0 एवं मंगलानी, डॉ0 रूपा : भारत में पंचायती राज, राजस्थान, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर, 2010
2. And who will make the chapattis? A study all Woman Panchayats in Maharas htra, (B.Data), 1998, Kolkata street.
3. They call me member Saab (Marg) (Multipule Action Group) 1998
4. Mathew, 1995 (A) status of Panchauatiraj in the status of India, 1994 Concept Publishcation House, New Delhi.
5. कटारिया, डॉ0 सुरेन्द्र : पंचायत राज संस्थाएं : अतीत, वर्तमान और भविष्य, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर 2010
6. श्रीवास्तव, छवि : सूचना का अधिकार एवं महिला सशक्तिकरण योजना, अंक–7, अक्टूबर 2007, पृ0–33
7. सक्सेना, श्रीमती वंदना : ''महिलाओं का संसार और अधिकार'', मनीषा प्रकाशन, अध्याय–7, 2004
8. Allen, Robert, "The New Penguin English Dictionary", Peguin Book, New Delhi, 2002, page- 456

Nav Jyoti, Vol. 10, No. 21, July-December 2022 **ISSN : 2249-7331**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

उच्च शिक्षारत अनुसूचित जाति की छात्राओं में परम्परा

(एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

कविता चौबे
शोध छात्रा (समाजशास्त्र)
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय
जौनपुर

सारांश

भारतीय समाज में अतीत से चले आ रहे व्यवहार प्रतिमान परम्पराओं का रूप धारण करके भारतीय समाज को विशिष्टता प्रदान करते रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप विभिन्न व्यवहारों, धार्मिक रीति–रिवाजों एवं कर्मकाण्डों की क्रिया विधियों में अन्तर आया है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र की अनुसूचित जाति की उच्च शिक्षारत छात्राओं में परम्परा के प्रति उनके विचारों को जानने का प्रयास प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया है। अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में स्थित विभिन्न महाविद्यालयों का चयन किया गया है। चयनित महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति की 300 छात्राओं का चयन निदर्श के रूप में चयन किया गया है।

प्रमुख शब्द– अनुसूचित जाति, परम्परा, जागरुकता, परम्परागत व्यवहार, जाति परम्परा की स्थिति, जातिगत संघर्ष।

परम्परा से तात्पर्य उन सभी विचारों आदतों तथा रिवाजों के योग से है जो एक समाज में पायी जाती है तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जाती है। परम्परा हमारे व्यवहार के तरीके है। समाज में प्रचलित विचार रूढ़ियाँ, मूल्य विश्वास धर्म रीति–रिवाज तथा आदतों के संयुक्त रूप को परम्परा कहा जाता है। परम्परा शब्द के द्वारा संबंधित समाज के उन व्यवहारों व संस्थाओं की ओर संकेत किया जाता है जो अतीत काल से निरन्तर चले आ रहे हैं।

परम्परा सामाजिक विरासत का वह अभौतिक पक्ष (प्रथायें, रूढ़ियाँ, आदतें, विचार, विश्वास, रीति–रिवाज, धर्म, कानून इत्यादि) है जो हमारे व्यवहार के स्वीकृत तरीकों का द्योतक है और जिसकी निरंतरता पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरण की प्रक्रिया द्वारा बनी रहती है। राबर्ट रेडफील्ड ने तो यहाँ तक कहा है कि प्रत्येक सभ्यता परम्पराओं से निर्मित होती है।

परम्परा में सामाजिक रूप से मान्य मत बोलचाल के रूप में तथा नियम के अनुसार आचरण में सम्मिलित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होते हैं। परम्पराओं में दार्शनिक विश्वास और व्यवहार भी सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार परम्परा में विचार, विश्वास, किंवदन्तियाँ पौराणिक कथायें, कानून, रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ, टोटम तथा टैबू सभी आ जाते हैं।

प्रो. योगेन्द्र सिंह का मानना है कि ''परम्परा किसी समाज की वह संचित विरासत है जो सामाजिक संगठन के समस्त स्तरों पर छायी रहती है, जैसे–मूल्य व्यवस्था सामाजिक संरचना तथा वैयक्तिक संरचना। मानव समाज पर दृष्टिपात करने से यह तथ्य प्रकट होता है कि समाज सतत गतिशील विकासशील तथा परिवर्तनोन्मुखी है। परम्पराओं में भी स्पष्टतः परिवर्तन हुए हैं। सामाजिक मूल्यों में आये

परिवर्तन ने समाज के स्वरूप को प्रकट करने में अहम् भूमिका का निर्वहन किया है। समय और परिस्थिति के साथ–साथ कतिपय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धान्तों में भी परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार स्पष्टतः देखा जा सकता है कि प्राचीन परम्पराओं, विश्वासों और रीति–रिवाजों का स्थान नवीन परम्पराओं, विश्वासों और रीति–रिवाजों ने ग्रहण कर लिया है।

समस्त विचारधाराओं पर विचार व्यक्त करते हुए परम्परा के सम्बन्ध में हम कह सकते हैं कि परम्परा एक अभौतिक सामाजिक विरासत है, जैसे रीति–रिवाज, प्रथा, मूल्य, धर्म, विचार करने का तरीका स्वीकृतियाँ निषेध, नैतिक मान्यतायें रूढ़ियाँ इत्यादि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होती रहती है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षारत अनुसूचित जाति की छात्राओं में परम्परा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
2. उच्च शिक्षारत अनुसूचित जाति की छात्राओं की धार्मिक क्रियाओं एवं उनके विश्वासों का अध्ययन करना।
3. उच्च शिक्षारत अनुसूचित जाति की छात्राओं की सांस्कृतिक क्रियाओं का पता लगाना।
4. यह ज्ञात करना कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षारत अनुसूचित जाति की छात्राएँ किस सीमा तक परम्पराओं का अनुपालन करती हैं।

प्राक्कल्पनाएँ

1. घर में होने वाली धार्मिक क्रियाओं में सहभागिता के बिन्दु पर ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्र में उच्च शिक्षारत अनुसूचित जाति की छात्राओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. ईश्वर में विश्वास को परम्परावादी दृष्टिकोण से देखने के प्रश्न पर उच्च, मध्यम एवं निम्न आय वर्ग की अनुसूचित जाति की छात्राओं की सोच में कोई सार्थक नहीं है।
3. संस्कार को परम्परावादिता का पोषक मानने के बिन्दु पर ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की अनुसूचित जाति की छात्राओं की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन के लिए पूर्वी उ. प्र. के वाराणसी जनपद के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में उच्च शिक्षा केन्द्रों के रूप में स्थापित महाविद्यालयों एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति की छात्राओं पर आधारित है। वाराणसी जनपद के तीन महाविद्यालय क्रमशः डॉ. घनश्याम सिंह पी. जी. कॉलेज, सोयेपुर, वाराणसी, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रभुनारायण सिंह, पी. जी. कॉलेज चोलापुर, वाराणसी तथा पं. रामप्रवेश चौबे महाविद्यालय कुरौली, नियार, वाराणसी का चयन इस आशय से किया गया है कि एक महाविद्यालय नगर की सीमा के समीप एवं दो नगर से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित है।

निदर्श

प्रस्तुत अध्ययन के लिए ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में स्थित तीन महाविद्यालयों में उच्च शिक्षारत अनुसूचित जाति की छात्राओं का चयन दैव निदर्शन विधि से किया गया है। कुल 300 उत्तरदात्रियों का चयन जिसमें प्रत्येक महाविद्यालय से 100–100 छात्राओं का चयन किया गया है।

तथ्य संकलन की प्रविधि

प्राथमिक तथ्यों का संकलन प्रमुख रूप से साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा किया गया है।

सारणी संख्या 1

संस्कारों के प्रति जागरूकता

क्र. सं.	प्रतिक्रिया	आवृत्ति	प्रतिशतता
1.	हाँ	150	50
2.	नहीं	135	45
3.	अनिश्चित	15	5
	योग	**300**	**100**

सारणी संख्या 01 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि संपूर्ण निदर्श के 50 प्रतिशत उत्तरदात्रियों को संस्कारों के सम्बन्ध में जानकारी है, अर्थात् वे संस्कारों को जानती हैं। 45 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ इनसे अनभिज्ञ हैं तथा 5 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ अनिश्चितता प्रकट करती हैं। अतः स्पष्ट है कि इस बिंदु पर संपूर्ण निदर्श की अधिसंख्यक उत्तरदात्रियाँ सकारात्मक हैं। उन्हें यह ज्ञात है कि संस्कार हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। प्राचीन काल से ही संस्कार भारतीय समाज के दिशा–निर्देशन का कार्य करते रहे हैं तथा हमारे आचरणों को परिष्कृत एवं समाजोपयोगी बनाते रहे हैं। संस्कारहीन मनुष्य का भारतीय समाज में कोई स्थान नहीं रहा है। ऐसे व्यक्तियों को हेय दृष्टि से देखा जाता रहा है। आज के इस भौतिकवादी युग में भी संस्कारवान व्यक्ति का सम्मान है। वे अपने संस्कारों से सभी को मुग्ध कर लेते हैं तथा लोगों के अनुकरणीय बनते हैं।

विभिन्न संस्कारों का आयोजन संस्कारों के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास तथा संस्कारों के प्रति शुभ फलदायक होने की मान्यता प्राचीन काल से चली आ रही है। विश्वास है जिसे आज भी लोग स्वीकृति प्रदान करके अपनी परम्पराओं की रक्षा करना चाहते हैं। संस्कारों के प्रति जागरुकता की अभिव्यक्ति की सकारात्मक स्वीकृति उच्च शिक्षारत छात्राओं की परम्पराओं के प्रति विश्वास का द्योतक है। निदर्श के आधे भाग की संस्कारों की जानकारी के प्रति नकारात्मक एवं अनिश्चित अभिमत यह स्पष्ट करता है कि अनुसूचित जाति की छात्राओं के सम्मुख भारतीय परम्पराओं द्वारा रक्षित संस्कारों का कोई स्थान नहीं है। ऐसी उत्तरदात्रियों का मानना है कि जब परिवार रिश्तेदार या पड़ोस में संस्कारों से सम्बन्धित अनुष्ठानादि क्रियायें होती ही नहीं तो हम जानेंगे कैसे?

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षारत अनुसूचित जाति की छात्राओं में परम्परानुसार संस्कारों के आयोजन के प्रति स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों प्रकार के भाव विद्यमान है। सामाजिक साहचर्य एवं सम्पर्क के प्रभावस्वरूप युवा छात्रायें संस्कारों के प्रति जागरुक भी है और अनभिज्ञ है।

सारणी संख्या 2

प्रचलित परम्पराओं के अनुसार व्यवहार

क्र. सं.	निवास परिवेश	हाँ	नहीं	अनिश्चित	योग
1.	ग्रामीण	60 31.57%	120 63.15%	10 5.2%	190

2.	नगरीय	30 27.27%	75 68.18%	5 4.5%	110
	योग	**90** **30%**	**195** **65%**	**15** **5%**	**300** **100%**

सारणी संख्या 2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उच्च शिक्षारत अनुसूचित जाति की छात्राएँ समाज में प्रचलित परम्पराओं के अनुसार व्यवहार के प्रश्न पर सम्पूर्ण निदर्श की 30 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं तथा 65 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ नकारात्मक जबकि 5 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ अनिश्चितता की स्थिति व्यक्त करती हैं।

इस बिन्दु पर निवास परिवेश के आधार पर आँकड़ों के वर्ग प्रतिशतता से यह ज्ञात होता है कि ग्रामीण परिवेश की छात्राएँ अपने वर्ग में 31.57 प्रतिशत सकारात्मक, जबकि 63.15 प्रतिशत नकारात्मक तथा 5. 2 अनिश्चित प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं। इसी प्रकार नगरीय परिवेश में निवास करने वाली छात्राएँ अपने वर्ग में 27.27 प्रतिशत सकारात्मक तथा 68.18 प्रतिशत छात्राएँ नकारात्मक हैं, जबकि 4.5 प्रतिशत छात्राएँ अनिश्चितता की स्थिति में हैं।

ग्रामीण परिवेश में निवास करने वाली उच्च शिक्षारत छात्रायें यह मानती हैं कि आज के इस आधुनिक परिवेश में समाज में जो प्रचलित परम्पराएँ थीं अब उनका बहुत महत्व नहीं रह गया है। इस समय जिसके भी पास भौतिक संसाधन है तथा वह आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से सम्पन्न है, उनमें वैचारिक रूप से भेदभाव की भावना अपेक्षाकृत परिवर्तित हो रही है। फिर भी पूर्ण रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रचलित परम्पराओं के अनुसार उच्च शिक्षारत छात्राएँ व्यवहार नहीं करती हैं। ग्रामीण और नगरीय दोनों परिवेशों की उच्च शिक्षारत अनुसूचित जाति की छात्राएँ क्रमशः 31.7 प्रतिशत एवं 27.27 प्रतिशत इस बात की पुष्टि करती हैं कि अभी भी समाज में प्रचलित परम्पराओं का समूल विनाश नहीं हुआ है। इनके अनुसार आज भी न्यून अंशों में ही सही प्राचीन परम्परायें जीवित हैं।

ग्रामीण परिवेश से सम्बन्धित छात्राओं तथा नगरीय परिवेश से सम्बन्धित अनुसूचित जाति की छात्राओं में प्रचलित परम्पराओं से सम्बन्धित व्यवहारों के अनुकरण में न्यून मात्रा में अन्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि नगरों की तुलना में आज भी ग्रामीण जन परम्पराओं के अनुसार व्यवहार के पक्षधर हैं।

सारणी संख्या 3

जाति आधारित परम्पराओं की स्थिति

क्र. सं.	**उत्तर**	**प्रतिक्रिया**	**प्रतिशत**	**योग**
1.	हाँ	270	90	270
2.	नहीं	30	10	30
		300	**100**	**300**

सारणी संख्या 3 के आंकड़ों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि संपूर्ण निदर्श की 90 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ यह मानती हैं कि आज भी समाज में जातिगत परम्पराएँ प्रचलित है, उनका यह मानना है कि आधुनिकता हमारे समाज में चाहे जिस स्तर तक व्याप्त हो जाए लेकिन जो हमारे पूर्वजों द्वारा रीति–रिवाज बनाये गये हैं उनका पालन भी करना होगा। 10 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का मानना है कि अब जातिगत परम्पराओं का अनुपालन आवश्यक नहीं है वह इसके प्रति अपने नकारात्मक दृष्टिकोण को व्यक्त करती हैं।सामाजिक परिवर्तन एवं गतिशीलता के फलस्वरूप वर्तमान सामाजिक संरचना में जातिगत परम्परायें विलुप्त नहीं हो रही हैं। ग्रामीण परम्पराओं का जातिगत आधार आज भी युवाओं द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। अनेक कारणों से आज भी युवाओं की जातिगत प्रथाओं एवं परम्पराओं के प्रति प्रतिबद्धता एवं स्वीकृति दृष्टिगोचर होती है।

सारणी संख्या 4

परम्पराओं के आधार पर विभिन्न जाति के लोगों में संघर्ष की स्थिति

क्र. सं.	प्रतिक्रिया	आवृत्ति	प्रतिशत	योग
1.	हाँ	240	80	240
2.	नहीं	60	20	60
		300	**100**	**300**

सारणी संख्या 4 के आंकड़ों के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि संपूर्ण निदर्श की 80 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ परम्पराओं के आधार पर विभिन्न जाति के लोगों में संघर्ष की स्थिति पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं, जबकि उनका तर्क है कि आज भी हमारे समाज में जो प्रचलित परम्परायें हैं उनको लेकर अलग–अलग जाति के लोगों में संघर्ष की स्थिति दिखलाई पड़ती है तथा 20 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं। उनका मानना है कि अब जातिगत परम्पराएँ बहुत कम हो चुकी है। समाज में उनका प्रभाव बहुत नहीं रह गया है।

निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि जातिगत संघर्ष और जातीय परम्पराओं के बीच एक धनात्मक सह–सम्बन्ध है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षारत अनुसूचित जाति की छात्राओं में परम्परानुसार स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों भाव विद्यमान हैं। सामाजिक संपर्क के प्रभावस्वरूप युवा छात्रायें जागरुक भी हैं और अनभिज्ञ भी हैं। ग्रामीण नगरीय परिवेश छात्राओं में परम्पराओं से सम्बन्धित व्यवहार के अनुकरण में बहुत आंशिक अन्तर है आज भी ग्रामीण जन–परम्पराओं के अनुसार ही व्यवहार के पक्षधर हैं। ग्रामीण परम्पराओं का जातिगत आधार आज भी युवाओं द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। युवाओं की जातिगत प्रथाओं एवं परम्पराओं की प्रतिबद्धता एवं स्वीकृति दृष्टिगोचर हो रही है तथा जातिगत संघर्ष और जातीय परम्पराओं के बीच एक धनात्मक सह–सम्बन्ध है।

संदर्भ सूची–

1. श्रीनिवास, एम. एन. (1972). सोशल चेन्ज इन मार्डन इण्डिया, मुम्बई,
2. गांधी, एम. के. (1933). हरिजन, फरवरी 11
3. धुरिये, जी. एस., कास्ट क्लास एण्ड आक्यूपेशन
4. दुर्खीम, इमाईल (1959).एजुकेशन एण्ड सोसियोलॉजी', द फ्री प्रेस ग्लामकास इलिन्वायस
5. लीच. ओ. एम.(1974).द पोलिटिक्स ऑफ अनट्चविलिटी', नेशनल पब्लिशिंग हाउस, न्यू दिल्ली,
6. हट्टन, जे. एच.(1961). कास्ट इन इण्डिया थर्ड एडीशन
7. पणिक्कर, के. एम.(1956).हिन्दू सोसाइटी ऐट क्रॉस रोड्स, एशिया पब्लिकेशन हाउस, बम्बई,
8. मिश्रा, आर. बी. एण्ड सिंह सी. पी.(1992).इण्डियन वीमेन चैलेंज एण्ड चेन्ज, कामनवेल्थ पब्लिशर्स, न्यू दिल्ली
9. सिंह, के. एस.(1997). पीपुल ऑफ इण्डिया : दी शिड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल सीरीज आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
10. सिंह, योगेन्द(1978).एसेज ऑन माडर्नाइजेशन, नई दिल्ली
11. सिंह, योगेन्द्र 'माडर्नाइजेशन ऑफ इण्डियन ट्रेडिशन', रावत पब्लिकेशन

श्री गणेश

Nav Jyoti, Vol. 10, No. 21, July-December 2022 **ISSN : 2249-7331**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

मादक द्रव्य व्यसन : एक समाजशास्त्रीय अवलोकन

आशुतोष पाण्डेय
शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

डॉ. राहुल गुप्ता
सह0 आचार्य,समाजशास्त्र विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

सारांशिका

हाल के वर्षों में भारत नशीली दवाओं तथा मादक पदार्थों की तस्करी, उपभोग आदि के अवैध उपयोग की एक बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। यह एक जटिल घटना है। जिसमें विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और आर्थिक पहलू हैं। औद्योगीकरण, शहरीकरण, और प्रवसन की प्रक्रियाओं ने सामाजिक नियन्त्रण की पारंपरिक पद्धति को सुस्त एवं कमजोर कर दिया है। नशीली दवाओं एवं मादक पदार्थों के दुरूपयोग के प्रसार और इसके रोकथाम की आवश्यकता है। मादक पदार्थों के व्यसन के कारण समाज की संरचना में भी विघटन हो रहा है जिससे समाज की संस्थाओं एवं मूल्य मानदण्डों का भी ह्रास हो रहा है। सामाजिक संस्थाओं का नियंत्रण भी कमजोर हो रहा है। जिससे समाज विचलन की ओर भी तीव्रता से अग्रसर हो रहा है। इसलिए मादक द्रव्य व्यसन को समाप्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

बीज शब्द :– मादक द्रव्य, विचलन, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक विघटन।

प्रस्तावना

मादक द्रव्य एक रासायनिक पदार्थ है, चाहे वह प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हो या अन्य किसी प्रकार से बनाया गया हो। इसका प्रयोग व्यक्ति सुखद प्रभावों के लिए करता है। 'ड्रग' का शब्द का संबंध किसी एक विशेष प्रकार की दवा से नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के नशीली पदार्थों से है, जो मात्रात्मक तथा गुणात्मक रूप से अपने प्रभाव में एक–दूसरे से अलग हो सकते हैं। नशीली दवाओं और मादक पदार्थों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (जिसका भारत एक हस्ताक्षर करता है) ने दवाओं को दो श्रेणी में बांटा है– 1. नारकोटिक ड्रग्स 2. साइकोट्रॉपिक ड्रग्स/पदार्थनशीली दवाओं या मादक तत्व के दुरूपयोग का अर्थ चिकित्सीय और मात्रा, ताकत, आवृत्ति या तरीके के अलावा अन्य कारणों से इनका प्रयोग करना है जो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को हांनि पहुंचाकर असका विनाश भी कर देता है। जिससे मादक व्यसनी का पारिवारिक एवं सामाजिक मूल्य तथा अस्तित्व भी नष्ट हो जाता है।

भारत में अधिकतर दुरूपयोग होने वाले मादक पदार्थों में भांग, हेरोइन, अफीम है। सरलता से उपलब्ध होने एवं स्थानीय होने के कारण ज्यादातर इसका उपयोग सांस्कृतिक और पारम्परिक कारणों से किया जाता है। हालाँकि मार्फिन, एफेड्रिन मार्फिन, प्रॉक्सीवॉन, डायजेपॉम और कोडिन युक्त कफ सिरप जैसी डॉक्टरी दवाओं के दुरूपयोग में वृद्धि की सूचना है। जिसे बहुमत में नशेड़ी/नशाखोर उपयोग कर रहे है।

इन मादक द्रव्य व्यसनियों की उम्र 15 से 35 वर्ष के बीच है और यह देश का सबसे अधिक उत्पादक आयु वर्ग है। विद्यालय ना जाने वाले बालकों एवं सड़कों पर रहने वाले बच्चों के बीच नशीली दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों का दुरूपयोग भी बढ़ रहा है। वर्तमान मे यह समस्या नगरीय समाज के साथ–साथ ग्रामीण समाज में भी फैल रही है। इंजेक्शन युक्त हेरोइन का प्रयोग विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मिजोरम और नागालैण्ड में व्यापक है। राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व गुजरात में अफीम का पारम्परिक दुरूपयोग आज भी जारी है। नशे की लत से पूरे परिवार का जीवन प्रभावित होता है। मादक पदार्थों एवं नशीली दवाओं की लत मनो–सक्रिय दवाओं का अनिवार्य उपयोगउस बिन्दु तक है, जहां उपयोग कर्ता/व्यसनी के पास इसको जारी रखने के अलावा अन्य कोई प्रभावी विकल्प नहीं होता है। नशे की लत के 2 घटक है।

1. शारीरिक निर्भरता 2. मनोवैज्ञानिक निर्भरता।

1. शारीरिक निर्भरता तब होती है, जब किसी दवा का आदतन उपयोग किया जाता है तथा शरीर उसके प्रभावों का आदि हो जाता है इसलिए व्यक्ति को सामान्य महसूस करने के लिए दवा एवं मादक पदार्थों का सेवन जारी रखना चाहिए अन्यथा यह व्यक्ति के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है।

2. मनोवैज्ञानिक निर्भरता तब होती है, जब मन भावनात्मक रूप से मादक पदार्थों के प्रभावों पर निर्भर हो जाता है। खुशी पाने के लिए या दर्द पर विश्वास करने के लिए और इसके बिना कार्य करने में सक्षम महसूस नहीं करता है। नशीली दवाओं या मादक द्रव्यों की लत या किसी भी रासायनिक पदार्थ के आदतन उपयोग ने चिकित्सकीय उद्देश्यों के अलावा शरीर या मस्तिष्क की स्थिति को बदल दिया है।

उन्नीसवीं सदी तेजी से बढ़ती समृद्धि का दौर था जब देश में नशीली दवाओं की लत एक बड़ी सामाजिक समस्या बनने लगी थी। 20वीं सदी में बढ़ती समृद्धि के साथ–साथ व्यापक कृत्रिम दवाओं का निर्माण और नयी श्रेणियों के उपयोगकर्ताओं के बीच इसका वितरण आरम्भ हुआ। ऐसे पदार्थों की उपलब्धता एवं क्षमता की कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। यह प्रत्येक आयु वर्ग तथा लिंग के आधार पर व्यापक रूप से प्रचलित है फिर भी नशीली दवाओं का सेवन करने वालों की संख्या का अनुमान लगाना या इस मुद्दे से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण तैयार करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक "अदृश्य आबादी" शामिल है जो उपचार की तलाश नहीं करती है। इसलिए इनकी रिर्पोट नहीं की जाती है। इस कारण से ऐसी समस्या का आंकलन करना, लागत का अनुमान लगाना, सामाजिक और आर्थिक दोनों हस्तक्षेप की रणनीतियों को बनाना मुश्किल हो जाता है।

भारत में मादक द्रव्य व्यसन और नशीली दवाओं की समस्या अत्यधिक है। सवाल यह है कि क्या ड्रग समस्या है? या यह केवल कानून से संबंधित समस्या है। समस्या यह है कि सभी दवायें एक तरह की नहीं होती हैं इसलिए समस्यायें भी एक जैसी नहीं हैं। अल्कोहल के दुरूपयोग को हेरोइन के लत के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसमें प्रत्येक मादक पदार्थ के उपयोग और दुरूपयोग के इतिहास, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र का वर्णन करने का प्रयास किया गया है। जिसे हम नशीली दवाओं की समस्या के रूप में पहचानते हैं। इस तरह के प्रश्नों का सटीक उत्तर अभी भी प्राप्त नहीं है। इसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के अनुसंधान क्रियाशील हैं।

भारत में मादक द्रव्य व्यसन की दर में निरंतर वृद्धि देखी जा सकती है जिसका कारण बढ़ती हुई आधुनिकता, फैशन, बेरोजगारी एवं अशिक्षा है। मादक द्रव्य व्यसन एक ऐसी समस्या के रूप में समाज में अपनी जड़े जमा चुका है जो किसी भी समाज के सदस्यों को प्रभावित करती है। इसके दुष्प्रभाव से मनुष्य का परिवार भी विघटित हो रहा है। घरेलु हिंसा, मारपीट, हत्या, चोरी एवं बलात्कार जैसी घटनायें भी नशाखोरी का ही परिणाम है। मादक द्रव्य व्यसन का समाज पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि समाज

का समग्र विकास तब ही हो सकता है जब कि वहां सभी व्यक्ति नशा मुक्त तथा अपराध मुक्त जीवन व्यतीत करें।

सरकार द्वारा भी नशा रोकने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं, परंतु इन योजनाओं के क्रियान्वयन में भी अनेकों समस्यायें हैं। इसलिएसमाज के प्रत्येक व्यक्ति तथा सरकार को मिलकर इन नशारोधी योजनाओं एवं कानूनों को धरातल पर लागू करवाना एवं प्रभावी बनाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। नशा रोधक नियमों एवं कानूनों का कड़ाई से पालन भी किया जाना अति आवश्यक हो गया है। जिससे हमारे समाज एवं राष्ट्र के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

पूर्वगामी अध्ययन / शोध साहित्य सर्वेक्षण :–

समाजशास्त्र एवं समाज विज्ञान में मादक द्रव्य व्यसन से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं जिसको शोधार्थी द्वारा संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है–

1. आहुजा राम (1996) ने अपनी पुस्तक "सामाजिक समस्यायें" में मादक द्रव्य व्यसन से क्या–क्या दुष्प्रभाव होते हैं इसका विस्तृत वर्णन किया है। इस पुस्तक में भारत के विभिन्न भागों में किशोरों एवं युवाओं द्वारा मादक द्रव्य व्यसन से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तृत अध्ययन किया गया है।

2. मुखर्जी रवीन्द्रनाथ, अग्रवाल भारत, ने अपनी पुस्तक "सामाजिक समस्यायें" में युवाओं तथा किशोरों पर मादक द्रव्य व्यसन के दुष्प्रभाव के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए बताया कि ऐसे अनेक कारण हैं जहां उपयोगी दवाओं का सेवन नशीली दवाओं के दुरूपयोग में बदल जाती है।

3. गुप्ता एम. एल., शर्मा डी. डी. ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्र में मादक द्रव्य व्यसन के बारे में विस्तृत वर्णन करते हुए बताया कि नशे के लिए केवल शराब के सेवन ही नहीं किया जाता है बल्कि अन्य वस्तुओं जैसे– अफीम, गांजा, तम्बाकू, भांग, ताड़ी, ब्राउन शुगर इत्यादि का भी उपयोग किया जाता है।

4. **विश्व स्वास्थ्य संगठन** की एक विशेष समिति ने मादक व्यसन की परिभाषा इस प्रकार दी है– 'मादक द्रव्य व्यसन अत्यधिक नशे की वह अवस्था है, जो किसी प्राकृतिक एवं कृत्रिम नशीली वस्तुओं के सेवन से उत्पन्न होता है तथा जो व्यक्ति एवं समाज के लिए हानिकारक होता है। अतः इस कथन से स्पष्ट है कि मादक द्रव्य व्यसन नशे की अवस्था है। ये नशीली वस्तुएँ प्राकृतिक या कृत्रिम कुछ भी हो सकती है। इसके सेवन से व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का पतन होता है तथा इससे समाज का सन्तुलन बिगड़ता है।

5. **टेकचन्द अध्ययन दल** ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शराब पीने या किसी भी मादक पदार्थ का सेवन करने से उत्पन्न होने वाली बुरी आदत अथवा बीमारी ही मद्यपान है। यह वह अवस्था है जो मनुष्य की आत्मा, मन, शरीर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करके उसे पतन की ओर ले जाता है।

6. एक अन्य शोध अध्ययन, जो 2012 में दिल्ली के कनॉट प्लेस में पहली बार यू–ट्यूब पर 'कमलेशसोलूचन' के नाम से अपलोड किया गया था। उसमें 13 साल के कमलेश ने स्वीकार किया कि वह निकोटिन, शराब, खरपतवार, हैश, अफीम, हेरोइन और इनहेलेंट्स से शुरू होने वाली कई दवाओं का आदी था। उसने अपने अधिकांश कमाई ड्रग्स पर और सिर्फ 20रूपये अपने आहार एवं भोजन पर खर्च किये। उसने माना की नशीली पदार्थों को छोड़ने की कोशिश करने में कोई फायदा नहीं था क्योंकि उससे वह अच्छी नींद लेता था तथा ज्यादातर समय आनन्दमय स्थिति में रहता था। उसके जीवन में कोई महात्वकांक्षा नहीं थीं। जब साक्षात्कारकर्त्ता के द्वारा उससे पूछा गया कि – क्या वह अपने गृह नगर वापस जाना चाहता है? तो उसने बस मना कर दिया क्योंकि उसकी मां ने उसे मादक पदार्थों के सेवन की अनुमति नहीं दी थी। उसे अपनी मृत्यु जल्द हो जाने की भी कोई परवाह नहीं थी।

मादक द्रव्य एवं उसके प्रकार –

मादक द्रव्य एक ठोस या द्रव के रूप में नशीला पदार्थ होता है, जिसका सेवन व्यक्ति अपनी निराशा एवं असफलता को भुलाने तथा कुछ शौकिया उपयोग करने लगते हैं।

मादक पदार्थों के प्रकारों में शराब, अफीम, उत्तेजक पेय पदार्थ, नशीली दवायें, निकोटिन, गांजा, भांग, चरस, हेरोइन, स्मैक आदि शामिल हैं। जिसका सेवन मादक द्रव्य व्यसनी तीन तरीकों – मुख द्वारा, सूंघकर तथा इंजेक्शन से शिराओं में ग्रहण करके करता है।

शोध प्रपत्र का उद्देश्य :–

1. भारत में नशीली दवाओं के दुरूपयोग की समस्या का अध्ययन करना।
2. नशीली दवाओं/मादक पदार्थों के दुरूपयोग के संबंध में सरकारी नीतियों का अध्ययन करना।
3. मादक पदार्थों के दुरूपयोग की समस्या को हल करने हेतु रोकथाम के कारकों का अध्ययन करना।
4. मादकद्रव्य व्यसनी की वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक पृष्ठभूमि का पता लगाना।

नशा रोधक कार्यक्रम एवं योजनायें :–

नशीली दवाओं एवं मादक पदार्थों के निवारण हेतु प्रत्येक वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने एक प्रस्ताव में 7 दिसंबर 1987 से इसे मनाने का फैसला लिया। जो 26 जून 1989 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका एक मात्र उद्देश्य लोगों को नशे की बुरी आदत से छुटकारा दिलाना तथा उन्हें नशे से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाना है।

मादक द्रव्यों के दुरूपयोग एवं अवैध तस्करी तथा नशीली दवाओं के व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है।

26 जून की तारीख लिन जेक्सू के हुमेन, ग्वांगडोंग में अफीम के व्यापार को समाप्त करने की याद में है। जो चीन में अफीम युद्ध के ठीक पहले 25 जून 1839 को समाप्त हुआ था। 7 दिसंबर 1987 के महासभा संकल्प 42/112 द्वारा पालन की स्थापना की गई थी। 26 जून 1987 को वियना में आयोजित नशीली दवाओं के दुरूपयोगऔर अवैध तस्करी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दो महत्वपूर्ण ग्रंथों (ड्रग अबाउट कंट्रोल में भविष्य के गतिविधियों की व्यापक बहु–विषयक रूपरेखा और मादक पदार्थों के दुरूपयोग एवं अवैध तस्करी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की घोषणा) को अपनाया गया था।

17 से 26 जून 1987 के दौरान सम्मेलन ने सिफारिश किया कि मादक एवं नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ाई के महत्व को चिन्हित करने के लिए एक वार्षिक दिवस मनाया जाना चाहिए। इसमें 17 जून तथा 26 जून दोनों तिथियों का प्रस्ताव रखा गया था और बाद की बैठकों में 26 जून को चुना गया तथा मसौदा अंतिम प्रस्ताव में लिखा गया। इसे अक्सर एंटी–ड्रग प्रचारकों द्वारा 6/26 के रूप में संदर्भित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की 2007 विश्व ड्रग रिपोर्ट ने अवैध नशीली दवाओं के व्यापार का मूल्य 322 अरब अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष रखा है। इसमें अभियान रैलियां, पोस्टर डिजाइनिंग और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । इस दिन को विभिन्न देशों के लोग एक साथ मनाते हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 का थीम–"पीपल फर्स्ट :स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रेंथन प्रीवेंशन" था। नशीली दवाओं और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) का उद्देश्य नशीली दवाओं का सेवन करने वालों के साथ सम्मान व सहानुभूति के साथ व्यवहार करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वे साक्ष्य –आधारित स्वैच्छिक सेवाओं ,सजा के विकल्प प्रदान करने, रोकथाम को प्राथमिकता देने और करुणा के साथ नेतृत्व करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत भारत सरकार ने नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) लागू कर रही है। जिसके तहत –

1– राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासनो को निवारक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जागरूकता सृजन ,क्षमता निर्माण, कौशल विकास, व्यवसायिक प्रशिक्षण और पूर्व नशीली दवाओं के आदी लोगों की आजीविका सहायता, राज्य एवं संघ प्रदेशों द्वारा मादक पदार्थों की मांग में कमी के लिए कार्यक्रम और नशेड़ीयों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) चलाने और रखरखाव के लिए एनजीओ द्वारा केंद्रों का संचालन किया गया है।

2– किशोर आउटरीच ड्रॉप–इन सेंटर (ओडीआईसी) ,जिला नशा मुक्ति केंद्र (डीडीएसी) और सरकारी अस्पतालों में लत उपचार सुविधाओं (एटिएफ) के बीच प्रारंभिक नशीली दवाओं के उपयोग की रोकथाम के लिए समुदाय आधारित सहकर्मी नेतृत्व (सीपीएलआई) का हस्तक्षेप आवश्यक है।

निष्कर्ष :–

नशीली दवाओं तथा मादक पदार्थों के क्रय–विक्रय में हर साल वृद्धि होती जा रही है। जिसका दुष्प्रभाव प्रत्येक समाज तथा परिवार के साथ–साथ व्यक्ति के जीवन पर भी असर डाल रहा है। जिसके रोकथाम के लिए सरकार तथा समाज के प्रत्येक सदस्य को पहल करना होगा। सरकार द्वारा अनेक नशा रोधक कार्यक्रम एवं योजनाएं चलायी तो जाती है परन्तु उसका पालन कड़ाई से ना होने के कारण यह एक जटिल समस्या बनती जा रही है। सरकार के आय में भी मादक पदार्थों के द्वारा ही वृद्धि होती है, जिस कारण भारत जैसे देश में इन नशीली दवाओं एवं मादक पदार्थों को पूर्णतया प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को भी नशे के खिलाफ दृढ़निश्चय करने की आवश्यकता है क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वयं नशे का विरोध नहीं करेगा तब तक हमारे देश से यह समस्या पूर्णतया समाप्त नहीं हो सकती है। नशीली दवाओं एवं मादक पदार्थों के रोकथाम हेतु सरकारनें "नशा मुक्त भारत अभियान" चलाया जो कि अगस्त 2020 तक 272 जिलों में सुचारू रूप से अपना योगदान दे रहे हैं।

साथ ही एनएपीडीडीआर के द्वारा भी केन्द्रों का संचालन करके नशीली पदार्थों पर नियंत्रणएवं कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में एनएपीडीडीआर केन्द्रों की 2021–22 तक कुल संख्या 285559 हो गयी। जो उत्तर प्रदेश मे वर्ष 2021–22 तक 16503 है। इन संस्थानों का उद्देश्य नशे के खिलाफ लोगो को जागरूक करना तथा मादक पदार्थों की मांग एवं आपूर्ति में कमी लाकर उसे जड़ से समाप्त करना भी है। जो सरकार के कठोर कानून तथा व्यक्ति के दृढ़ निश्चय द्वारा सरलता से रोका जा सकता है।

सुझाव :–

- परिवार के सदस्यों को नशे से सम्बंधित दुष्प्रभावों के बारे में आपस में चर्चा करनी चाहिए।
- सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा भी नशे के खिलाफ सभी व्यक्तियों को जागरुक किया जाना चाहिए।
- सरकार के द्वारा मादक पदार्थों एवं नशीली दवाओं पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।
- सार्वजनिक स्थलों तथा चौराहो पर बैनर, चल–चित्र अखबार तथा अन्य साधनों से प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।
- स्वास्थ सेवाओं मे बेहतर उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति बीमारी के कुंठा से नशा ना करने लगे।
- नशे के खिलाफ एक अलग से कोर्ट का निर्माण किया जाना चाहिए, जहां जल्द से जल्द मामले का निपटारा किया जा सके।

- मद्य सेवियों के प्रति लोगों को अपने मन से तिरस्कार एवं घृणा को दूर करके प्रेम एंव सहयोग की भावना की जागृत करना चाहिए।
- नशे को प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों पर भी रोक लगाया जाना चाहिए।
- नशा रोधक कानून के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।
- **सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

- आहूजा राम, (2010). *सामाजिक समस्याएँ,* रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ. 369–381
- अग्रवाल जी.के. ,(2014). *सामाजिक समस्याएँ,* साहित्य भवन पब्लिकेशन, पृ. 233–244
- जैन नितिन, ,(2014). *मादक द्रव्य और भारतीय युवा,* www.google.co.in
- गुप्ता एम.एल., शर्मा डी.डी.,(2000). *यू.जी.सी. नेट समाजशास्त्र* साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृ. 145–150
- मुखर्जी रविन्द्रनाथ, अग्रवाल भारत, *सामाजिक समस्याएँ,* विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली, 72003, पृ. 275–297
- अग्रवाल जी.के. ,(2010). *समाजशास्त्र* साहित्य भवन प्रकाशन, पृ. 233–244
- आहूजा राम, (2000). *अपराधशास्त्र,* रावत पब्लिकेशन, जयपुर
- नशीली दवाओं के दुरूपयोग और अवैध तस्करी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनः महासचिव की रिपोर्ट। अधिगमन तिथि 8 जून 2022
- नशीली दवाओं के दुरूपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवसः तिथि, विषय और महत्व। अधिगमन तिथि 26 जून 2019
- संयुक्त राष्ट्र – ड्रग्स और अपराध पर कार्यालय। अधिगमन तिथि 8 जून 2022
- Gadakh Dr. Sandhya T. " Drug abuse in india - an analysis
- www.wikipedia.NPPS Act
- https://haryanapolice.gov.in/policejournal/pdf/drug_addiction.pdf
- https://m.jagran.com/lite/bihar/katihar-9842457.html
- http://iasir.net/AIJRHASSpapers/AIJRHASS16-244.pdf
- https://hi.wikipedia.org/wiki

Nav Jyoti, Vol. 10, No. 21, July-December 2022 **ISSN : 2249-7331**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

आंगनवाड़ी योजना का ग्रामीण गर्भवती महिलाओं एवं उनके शिशुओं पर स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी प्रभाव का अध्ययन

जयन्त गुप्ता
शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग
महाराज बलवंत सिंह पी0 जी0 कालेज
ंगापुर, वाराणसी

सारांश–
भारत में ग्रामीण महिलाओं की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है अध्ययनों से विदित हुआ है कि प्रत्येक चार में से एक लड़की की शादी 15 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है। 50 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ छोटी उम्र में ही माँ बन जाती हैं। 85 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में खून की कमी पाई जाती है। गाँवों में पैदा होने वाले बच्चों का जन्म बिना किसी चिकित्सा सुविधा के होता है। खून की कमी या रक्त बहाव से 40 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। अधिकांश महिलाएँ गर्भावस्था के दौरान व प्रसूति के समय रोग ग्रस्त हो जाती हैं। जबकि बच्चों को उचित पोषण व स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कई प्रकार के रोगों का शिकार होना पड़ता है। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा आंगनवाड़ी के अन्तर्गत 15 से 45 वर्ष की आयु कि महिलाओं को उनके दैनिक जीवन के स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से उन्हें क्रियात्मक रूप से साक्षर बनाने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा के साथ महिलाओं और शिशुओं की देखभाल, पोषण आहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्थानीय रूप से शिक्षा क्षेत्र में ग्रामीण महिला बहुत पीछे है। छोटी उम्र में घर के कामों में हाथ बटाना एवं उच्च शिक्षा संस्थानों का दूर होना जैसे कारण महिला शिक्षा में सबसे प्रमुख बाधक कारक है।भारत देश एक विकासशील राष्ट्र है जो कि अभी सम्पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। आज भी भारत देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जिसके कारण उन तक आधार भूत, सुविधाएं (सड़क, बिजली, पानी) पहुँच नहीं पाती हैं तो ऐसी परिस्थितियों में स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध होना या समय पर उपलब्ध होना एक गंभीर चिंता का विषय है। इस विषय से निजात पाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र शासन ने सन् 1985 में एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के नाम से आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना की थी, जिसका मुख्यतः उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं उचित चिकित्सा सुविधा समय पर उपलब्ध कराना था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा के अभाव के साथ–साथ माता एवं शिशु, मृत्यु दर काफी अधिक थी जो कि चिंता का विषय था, जिससे निजात पाने हेतु आंगनवाड़ी केन्द्र की स्थापना की गई।

शब्द कुन्जी – आंगनवाड़ी केन्द्र, पोषण , स्वास्थ्य , महिला, पोषण सम्बन्धी शिक्षा ।

प्रस्तावना

आंगन का अर्थ आश्रय से होता है और यह भारतीय सार्वजनिक देखभाल प्रणाली का एक हिस्सा है। आंगनवाड़ी केन्द बच्चों का पोषण, स्वास्थ्य और स्कूल से पहले की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए आंगनवाड़ी योजना एक सामुदायिक कार्यक्रम है। आज के समय में इसके अंतर्गत वो गांव एवं बस्तियां आती है जो सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर पिछड़ी हुई हैं। इसके अन्तर्गत 6 साल से कम के बच्चों को शामिल किया जाता है। स्वास्थ्य लाभ, आहार की पूर्ति, स्वास्थ्य की शिक्षा, माँ के लिए पोषण सम्बन्धी शिक्षा, टीकाकरण और विटामिन–ए की आपूर्ति एवं स्कूल से पहले की शिक्षा जिन्हें हम दो उप वर्गो में वर्गीकृत कर सकते हैं।

1. एक माह से 36 माह का तक समय 36 माह से कम उम्र के बच्चों को उनकी माताओं के साथ आंगनवाड़ी केन्द्र द्वारा पालन–पोषण टीकाकरण इत्यादि की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
2. दूसरे वर्ग में 36 में 72 माह के बच्चों को शामिल किया जाता है एवं उन्हें स्कूल के पूर्व की शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है।

आंगनवाडी भारत में ग्रामीण माँ और बच्चों के देखभाल का केंद्र है। बच्चों की भूख और कुपोषण से निपटने के लिये एकीकृत बालविकास सेवा के कार्यक्रम के भाग के रूप में 2 अक्टूबर 1979 में बाँसवाड़ा जिले के गढ़ी में उन्हें भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी की शुरुआत की गई।इस प्रकार का आंगनवाड़ी केंद्र भारतीय गाँवों में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। यह भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक हिस्सा है।मूल स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों में गर्भ निरोधक परामर्श और पर्याप्त पोषण साथ ही पूर्व–विद्यालय की गतिविधियाँ शामिल की जाती है। 31 जून 2019 तक प्रदेश में संचालित 453 बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 84465 आंगनवाडी और 12670 मिनी आंगनवाडी केंद्र से परिचालित है। उक्त स्वीकृत आंगनवाड़ियों में लगभग 80 लाख हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार से लाभान्वित किया जा रहा है।1 ये केंद्र पूरक पोषण प्रदान करते है, गैर पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, प्रतिरक्षा स्वास्थ्य जाँच और रेफरल सेवाओं की बाद में तीन सेवाएँ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ मिलकर प्रदान की जाती हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका –

1. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी गर्भवती महिलाएँ आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हैं और प्रसव पूर्व देखरेख करने में उनकी मदद की जानी चाहिए।
2. सुनिश्चित करें कि सभी प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात् सेवाऐं प्राप्त करने के लिए उचित समय पर उन्हें आवश्यक जानकारी प्रदान की जावे।
3. गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार प्रदान किया जावे तथा अंधविश्वासों एवं खान पान की गलत धारणाओं से बचने के लिए परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए।
4. गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी स्थिति पर नजर रखने के लिए साप्ताहिक आधार पर उनके घर जाना चाहिए।
5. महिलाओं के गर्भधारण की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए नवविवाहित तथा अन्य जोड़ों को ''निश्चय गर्भधारण किट'' के प्रयोग के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।
6. गर्भवती महिलाओं कों नियमित रूप से पूरक आहार तथा आयरन फोलिक एसिड टेबलेट प्रदान की जानी चाहिए।

आंगनवाड़ी वास्तव में गाँव या बस्ती में स्थित अपने ही आंगनवाड़ी में बच्चों कि देखभाल तथा खेलकुद का एक केन्द्र है। यह सामुदायिक स्तर पर छः वर्ष से कम आयु के बच्चों व गर्भवती व स्तनपान वाली महिलाएँ व किशोरियों को सेवाएं प्रदान करने का एक केन्द्र हैं। इसके अलावा आंगनवाड़ी मिलने – जुलने का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गर्भवती महिलाओं का ग्रामीण स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ विचारों का आदान – प्रदान किया जाता है। गर्भावस्था में महिलाओं को अपने आहार के संबंध में विशेष ध्यान देना चाहिए। गर्भवती माँ को अपने लिए और अपने गर्भ में पनपते बच्चे के लिए र्प्याप्त पौष्टिक आहार लेना चाहिए। इस काल में विकाशील शिशु अपनी वृद्धि के लिए पूर्णतः अपनी माता पर निर्भर करता है। इस नौ माह की अवधि में माता के गर्भ में शिशु एक सुक्ष्म कोशिका से पूर्ण निर्मित लगभग 3 किलो वजन वाले शिशु का रूप धारण करता है। यह तभी संभव होता है जबकि गर्भवती महिला गर्भस्थ शिशु के निर्माण में सारी सामग्री प्रदान करती है यह सारी सामग्री उसे अपने आहार से प्राप्त होती है।

गर्भधारण –

गर्भधान एक जैविक क्रिया है जो महिला के अण्डाणु तथा पुरुष के शुक्राणु के संयोग से सम्पन्न होती है। गर्भधान से लेकर शिशु जन्म पूर्व तक की अवस्था गर्भावस्था कहलाती है। यह अवस्था कम से कम 9 माह की होती है। इस समयावधि में मां के गर्भ में भ्रूण का विकास हो रहा होता है। गर्भावस्था में सामान्य जीवन से भिन्न प्रकार के पोषण की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में गर्भवती महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। एक स्वस्थ्य महिला ही स्वस्थ्य शिशु को जन्म दे

सकती है तथा उचित पालन पोषण कर सकती है।गर्भावस्था में कुपोषण गर्भ से सम्बन्धित समस्यओं को भी बढ़ाता है क्योंकि गर्भ में शिशु का पोषण गर्भवती के भोज्य तत्वों से ही प्राप्त होता है। महिलाओं की पोषण सम्बन्धी विशेष आवश्यकताएं गर्भ धारण के पूर्व से ही शुरू हो जाती है तथा यह आवश्यकताएं धात्री स्थिति तक निरन्तर तक चलती रहती है। अल्प पोषण एवं कुपोषण गर्भधारण की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं।यदि महिला के आहार में सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा रहती है तो उसका गर्भकाल, प्रसव वेदना एवं प्रसव सम्बन्धी अन्य कठिनाइयों सरलता से दूर हो जाती है। जिन महिलाओं को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता उनमें समय पूर्व शिशु जन्म, टॉक्सीमिया, अपरिपक्व जन्म, गर्भपात, मृत शिशु जन्म की सम्भावना अधिक होती है।

प्रसव पूर्व देखरेख से सम्बन्धित तथ्य –

1. जैसे ही महिला को यह पता चलता है कि वह गर्भवती है तो उसे तुरन्त पहली विजिट की सलाह दी जाती है। इसे गर्भावस्था का पंजीकरण कहा जाता है।
2. गांवों और शहारों में जहाँ लिंग के आधार पर चयनित गर्भपात हो रहा है वहां यह और भी जरूरी हो जाता है कि गर्भावस्था का पंजीकरण हो।
3. दूसरी विजिट चौथे एवं छठे महीने के बीच होनी चाहिए।
4. तीसरी विजिट की योजना आठवें महीने में बनानी चाहिए।
5. नौवें महीने में एक अतिरिक्त विजिट से विशेष रूप से प्रिमिग्रेविडा (जो महिलाएँ पहली बार गर्भधारण करती हैं) में बेहतर देखरेख प्रदान करने में मदद मिलेगी।
6. यदि स्वास्थ कर्मी इन विजिट्स के दौरान स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करते हैं तो डॉक्टर से मिलना आवश्यक होगा।

गर्भावस्था के दौरान घर पर देखरेख –

1. गर्भवती महिलाओं को भारी शारीरिक श्रम, जैसे कि निर्माण साइटों, अकाल राहत, ईट भटटा पर काम नहीं करना चाहिए।
2. उसे दिन के दौरान 2 से 3 घण्टे और रात के समय आठ घण्टे तक पर्याप्त आराम के साथ शारीरिक कसरत की जरूरत होती है।
3. धूम्रपान, तंबाकू चबाने एवं मंदिरा (शराब) के सेवन से बचना चाहिए।
4. गर्भवती महिलाओं को उपवास नहीं रखना चाहिए। इससे माता तथा उसके गर्भ के अन्दर पल रहा बच्चा आवश्यक भोजन से वंचित हो जाता है।
5. चिकित्सक की सलाह के विना कोई दवा नहीं लें।
6. आयरन फोलेट और कैल्शियम के सम्पूर्ण नियमित रूप से लें और स्तनपान कराने के दौरान इसे जारी रखें।

गर्भावस्था के दौरान पोषण –

1.गर्भावस्था के दौरान अधिक खाना खाएं। 2. बाजरा, ज्वार, जैसे साबुत अनाज, गेंहू का आटा, अंकुरित चना तथा खमीर वाले भोजन जैसे इडली, ढोकला, दही आदि खाऐं।3. आयरन की अधिकता उदाहरण के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, सरसों, दाल, गुड़ तरबूज कैल्शियम दूध, एवं दुग्ध उत्पाद और प्रोटीन दाल, अंडा, मछली, मांस वाला पोषक आहार अपेक्षित है।

गर्भावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता –

(1) कैलोरी –

गर्भावस्था में वजन तथा शरीर के आकार के परिवर्तन के कारण आधारीय चयापचय बढ़ जाता है, अतः अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में गर्भवती महिला का 24–28 पौण्ड बजन बढ़ जाता है। वजन में यह वृद्धि गर्भावस्था के तीसरे माह के बाद स प्रारम्भ होती है अतः अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता भी तभी से होती है। गर्भावस्था में आन्तरिक परिवर्तनों के कारण शरीर में आन्तरिक ऊर्जा व्यय बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त बाह्य क्रियाशीलता के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः गर्भावस्था में सामान्य आवश्यकता की अपेक्षा प्रतिदन 300 कैलोरी अतिरिक्त लेनी पड़ती है।

(2) प्रोटीन –
गर्भस्थ शिशु की कोशिकाओं के निर्माण, मां के शरीर की टूट–फूट की मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गर्भकालीन अवस्था में शिशु का पोषण मां के रक्त के द्वारा होता है। अतः इस अवस्था में रक्त संगठन में भी परिवर्तन हो जाता है। रक्त में प्लाज्मा और रक्त कणों की मात्रा बढ़ जाती है तथा रक्त सीरम में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है जिसका सीधा प्रभाव मां व गर्भवस्थ शिशु दोनों पर पड़ता है। अतः रक्त के सामान्य संगठन के लिए गर्भवती महिला को अतिरिक्त प्रोटीन एवं खनिज लवणों की अवाश्यकता होती है। गर्भावस्था के दौरान गर्भवस्थ शिशु का विकास एवं आन्तरिक आंगों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है।
(3) विटामिन –
गर्भावस्था में सभी प्रकार के विटामिन भी पर्याप्त मात्रा में आवश्यक है क्योंकि ये मां तथा शिशु को सुरक्षित रखने में सहायक होते हैं। जैसे– विटामिन ए,' विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। ये सभी गर्भवती तथा भ्रूण की रोगों से रक्षा के लिये अत्यंत आवश्यक है। गर्भावस्था में कब्ज की शिकायत से छुटकारा पाने के लिये भोजन में सेल्युलोज युक्त भोज्य पदार्थ आवश्यक है। रक्त निर्माण तथा निरूपयोगी पदार्थों के उत्सर्जन के लिये जल आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि भोजन किस विधि से पकाया जा रहा है। हरी सब्जियों को अधिक पकाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। सलाद का प्रयोग भी करना चाहिए। बासी, दूषित, ज्यादा तली व मसाले वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। इस प्रकार गर्भावस्था में उपर्युक्त सभी प्रकार के पोषक तत्व जैसे– ऊर्जा, उत्पादक, शरीर निर्माणक तथा शरीर रक्षात्मक की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है।
पोषक तत्वों की कमी के लक्षण –

कुपोषण –

गर्भावस्था में भ्रुण के विकास के कारण मां के शरीर में अनेक परिवर्तन होने लगते हैं। जिंसके पोषक तत्वों की मांग बढ़ जाती है। इसके बावजूद पर्याप्त खान–पान न मिल पाने के कारण वह कुपोषण का शिकार हो जाती है और साथ ही गर्भावस्था के दौरान गंभीर शारीरिक और मानसिक तनाव से भी गुजरती है। कुपोषण के कारण या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या अनेक प्रकार की गंभीर बिमारियों से ग्रस्त हो जाती है जैसे– कमजोरी, भूख न लगना, एनिमिया और पोषक तत्वों की कमी देश में कुपोषण की गंभीर समस्या के कारण महिलाएँ अधिकांशतः कमजोर बच्चों को जन्म देती हैं। कुपोषण का प्रभाव केवल गर्भवती महिला के स्वास्थ्य पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि नवजात शिशु का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। एक स्वस्थ महिला का वजन सामान्य से 40–12 कि.ग्रा. तक बढ़ जाता है, किंतु कुपोषित गर्भवती का भार 5–7 कि.ग्रा. तक ही बढ़ता है। गर्भवती महिला में कुपोषण के कारण ही मृत्युदर ज्यादा पाई जाती है, महिलाओं के भोजन में कैल्शियम, प्रोटीन, लौह तत्व, फोलिक एसिड और कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा नहीं होती, परिणामस्वरूप भावी शिशु जन्म से पहले मर जाते हैं या कम वजन के पैदा होते हैं या अन्य दूसरे प्रकार की शारीरिक या मानसिक विकृतियां पाई जाती हैं।5 गर्भकाल के अन्तिम 3 महीनों में शिशु का विकास तीव्र गति से होता है, इन्हीं 3 महीनों में शिशु अपने भार का 3, 4 भाग ग्रहण करता है। जिससे नये ऊतकों के निर्माण के लिये निर्माणक तत्वों की मांग बढ़ जाती है।

अल्पपोषण –

भारत व अन्य विकासशील देशों में मातृ मृत्यु दर अधिक है अर्थात महिलाएँ बच्चों को जन्म देते समय या गर्भावस्था के समय मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं जिसका मुख्य कारण अल्पपोषण है। अतः गर्भावस्था में माँ को पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। गर्भावस्था में पौष्टिक तत्वों के अतिरिक्त मांग की पूर्ति होनी चाहिए ताकि शिशु तथा माता दोनों को उचित पौष्टिक तत्व मिल सके , दोनों स्वस्थ रहें। गर्भवती महिला को सामान्य आहार भी नहीं प्राप्त होता है और महिला अल्पपोषण का शिकार हो जाती है।
भारत के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उनके भोजन को विशेष महत्व नहीं दिया जाता, पारिवारिक मान्यतायें ऐसी हैं कि पुरूष पहले भोजन कर लेते हैं, बचा हुआ भोजन महिलायें ग्रहण करती हैं जिसमें पोषक तत्वों की अधिक कमी होती है। गर्भकालीन अवस्था में एक साथ दो मानव शरीर का पोषण होता है। मां जो भोजन लेती है उसी से गर्भस्थ जीव भी पोषण प्राप्त करता है। अतः

गर्भवती महिला का आहार ऐसा होना चाहिए जो गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिये उपयुक्त हो। गर्भवती का आहार संतुलित और पौष्टिक दोनों होना चाहिए। जिससे गर्भकालीन कठिनाईयां कम हो जायें। प्रसव सामान्य हो।अतः गर्भवती महिला के आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और सभी विटामिन सम्मिलित होने चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि गर्भवती कितना भोजन लेती है बल्कि यह आवश्यक है कि भोजन के जरिये कौन–कौन से पौष्टिक तत्व कितनी मात्रा में लेती है।

गर्भवती महिलाओं में कुपोषण एवं अल्प पोषण के कारण

अल्प उत्पादनकर्ता ,आर्थिक कारण, अज्ञानता और अशिक्षा ,पाक विधि , संक्रमण, बीमारी एवं अस्वास्थ्यकर वातावरण, तनाव की स्थिति , मिलावट, भोजन सम्बंधी आदत, भोजन में अनियमितता, भोजन के प्रति जागरूकता का अभाव, अत्यधिक कार्य का दबाव, पारिवारिक परिस्थितियां, नींद का अभाव। भारत कृषि प्रधान देश होने के बावजूद यहां खाद्य पदार्थों का सदैव अभाव बना रहता है। सरकार को अन्य देशों से अनाज मंगाना पड़ता है। जो भोजन मिल भी रहा है वह पौष्टिक तत्वों से रहित है। भारत में गरीबी के कारण लोगों की निम्न क्रय क्षमता है जो कुपोषण का मुख्य कारण है। भारतीय परिवारों की सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था भी इसका एक प्रमुख कारण है। बढ़ती महंगाई–कम आमदनी, निर्धन को उच्च पौष्टिक मूल्यों वाले भोज्य पदार्थ खरीदने योग्य नहीं छोडती। पोषक तत्वों के महत्व से अनभिज्ञता और अज्ञानता भी सर्वव्यापी है। पोषक तत्वों के संरक्षण की विधि से लोग वाकिफ नहीं हैं। भोजन को तल कर खाने में उन्हें इस बात का अन्दाजा भी नहीं लगता है कि अपने ही हाथों से जो उन्हें मिल सकता था उसे नष्ट कर दिया।

उचित पाक विधियों की जानकारी के अभाव में भी पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं जैसे– सब्जियों को पकाना, काटना, छिलना, खुले बर्तन में पकाना इत्य गर्भावस्था में स्वच्छता एवं बीमारी के कारण संक्रमण की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। जो कि कुपोषण की स्थिति को उत्पन्न करने में एक खास कारण बनते हैं। अस्वच्छ वातावरण में पौष्टिक भोजन भी विषाक्त हो जाता है जो विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर गर्भवती महिला को अस्वस्थ बना देता है। गर्भावस्था में आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों की मांग कम होने की वजह से बिमारियां बढ़ जाती हैं, जिसके कारण गर्भवती महिला में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। निर्धनता के कारण गर्भवती महिला को सामान्य आहार भी प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिये कुपोषित मां स्वस्थ शिशु को जन्म देने में असमर्थ होती है। गर्भावस्था में कुपोषण का एक प्रमुख कारण अंधविश्वास भी है जिसके कारण पौष्टिक तत्व उपलब्ध होते हुए भी लोग उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। जो कुछ पौष्टिक तत्व उपलब्ध. होता है उसमें मिलावट की मात्रा ज्यादा होती है। गर्भवती महिला में इसके कारण अधिक मात्रा में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। ज्यादातर लोग अधिक तला–भुना भोजन पसंद करते हैं। पौष्टिक तत्वों से युक्त कम मसालेदार भोजन पसंद नहीं आते, जिसमें पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। प्रायः भोजन में अनियमितता जीवनशैली बन गई है। दिन का खाना शाम को, शाम का रात को कभी नहीं खाया, कभी ज्यादा खा लिया, जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। भारत जैसे देश में आम व्यक्ति अपनी परेशानियों में ही उलझा रहता है। उसे इस बात की चिन्ता नहीं है कि वह क्या खा रहा है, बस उसका पेट भरना चाहिए। वह अपने अनुरूप संतुलित भोजन के प्रति जागरूक नहीं होता है।

गर्भवती महिला को उसके कार्य के दबाव के अनुरूप उचित मात्रा में पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाता है। निरन्तर ऐसी व्यवस्था से उसकी कार्य क्षमता गिरती जाती है। वह कमजोर हो जाती है। बड़े–बड़े परिवार होने के कारण घर का सुखद वातावरण बहुत कम ही महिलाओं को देखने को मिलता है, फलतः उनके शरीर मेंपौष्टिक तत्व, जिन्हें वह बडत्री मुश्किल से प्राप्त करती है, असरकारक नहीं होते हैं। गरीबी और बड़े परिवारों के कारण महिलाओं को सुख–चौन से सोने के आरामदायक स्थान का अभाव होता है। वे सो नहीं पातीं, फलतः वे कमजोर हो जाती हैं और अनेक बीमारियों की चपेट में आ जाती हैं। मध्यप्रदेश में जहाँ प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न पैदा होता है इसके बाद भी यहां पर गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को संतुलित आहार नहीं मिल पाता। इसका एक मुख्य कारण अन्धविश्वास और अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण वस्तुएं उपलब्ध होते हुए भी गर्भवती महिलाएँ उनका उपयोग नहीं करती, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि किन भोज्य पदार्थों में कौन से पौष्टिक तत्व मिलते हैं और वो गर्भावस्था में क्यों आवश्यक हैं। कुछ खाने योग्य वस्तुओं को "गर्म या ठण्डा" कह कर प्रतिबन्धित कर दिया जाता है, और कुछ सीमित वस्तुयें ही गर्भवती को

खाने की अनुमति दी जाती है। निर्धनता के कारण भी महंगे पौष्टिक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाती है। परिवार के सदस्यों को भी गर्भवती महिला को अच्छा मनोवैज्ञानिक वातावरण प्रदान करना चाहिए जिससे गर्भवती महिला स्वस्थ व प्रसन्न रहें। इसके लिये परिवार में ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिए जिससे गर्भवती में क्रोध, ईर्षया, भय आदि संवेग न उत्पन्न हो। गर्भवती को अपनी रूचि का कार्य करने के लिये स्वतंत्रता देनी चाहिए, जिससे वह प्रसन्न रह सके। परिवार में आपसी सम्बंध सौहार्दपूर्ण रखने से उसे मानसिक तनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा और गर्भवती को भावी शिशु को स्वीकारने के लिये मनोबल प्राप्त होगा।इसीलिए शिशु के मानसिक तथा संवेगात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए गर्भवती मां को मानसिक रूप से परिपक्व तथा संवेगात्मक रूप से स्थिर होना अति आवश्यक है। गर्भावस्था में मनोवैज्ञानिक मांग यह है कि माता–पिता स्वस्थ मन से संतान को पाने व स्वीकारने की आकांक्षा रखते हों। इसके अभाव में उचित पालन–पोषण नहीं हो सकता है। मातृत्व की स्वाभाविक और आनन्दायक स्थिति तभी हो सकती है जब माता शिशु के लिये मानसिक रूप से तैयार हो क्योंकि गर्भवती की मानसिक स्थिति ही शिशु को मनोवैज्ञानिक वातावरण प्रदान कर सकती है।

गर्भवती महिलाओं की दिनचर्या –

दिनचर्या का सम्बन्ध गर्भवती महिला को गर्भावस्था में अपने भोजन, विश्राम व निद्रा, व्यायाम, वस्त्र, जूते, चप्पल, स्नान, स्तन की स्वच्छता, दाँत, स्वास्थ्य रक्षा, मानसिक स्वास्थ्य इत्यादि से होता है। गर्भावस्था के समय गर्भवती महिला के उत्तम स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना अति आवश्यक है –
डॉक्टरी परीक्षण, आहार , वस्त्र , व्यायाम , व्यक्तिगत स्वच्छता , यौन सम्बन्ध , मनसिक स्वास्थ्य , परिश्रम, विश्राम व निंद्रा , सूर्य को प्रकाश व स्वच्छ वायु , स्वास्थ्य सुरक्षा। 1.9 **गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं का पोषण स्तर –**

गर्भावस्था में भ्रूण के विकास के लिये पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। पोषण स्तर व्यक्ति के स्वास्थ्य की ऐसी अवस्था है जो भोज्य तत्वों की उपयोगिता से प्रभावित होती है। "पोषण स्तर शरीर के ऊतकों तथा शरीर के कार्यों की अवस्था का कुल योग है जो भोज्य पदार्थों के उपयोग करने तथा उनका चयापचय होने से उत्पन्न तथा प्रभावित हुई है।"

पोषण क्या है –

पोषण आहार तत्व सम्बन्धी विज्ञान है। यह एक नई विचार धारा है, जिसका जन्म मूलतः शरीर विज्ञान तथा रसायन विज्ञान से हुआ है। आहार तत्वों द्वारा मनुष्य के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन एवं विशलेषण इसका मुख्य विषय है। दुसरे शब्दों में शरीर आहार सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओ का नाम ही पोषण है। मूलरूप से पोषण की परीभाषा इस तरह से दे सकते है आहार पोषण तत्व व अन्य तत्व उनका प्रभाव और प्रतिक्रिया तथा स्वास्थ्य व बीमारी से उसका संबंध व संतुलन का विज्ञान ही पोषण है। यह उस क्रिया को बताता है जिसके द्वारा कोई भी जीव भोजन ग्रहण कर पचाकर, अवशोषित कर शरीर में उसका वितरण कर उसे शरीर से समावेशित करता है। तथा अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। इतना ही नहीं पोषण का संबंध भोजन के सामाजिक, आर्थिक व मनोवैज्ञानिक प्रभावों से भी है।9

पोषक तत्व –

भोजन के सभी तत्व जो शरीर में आवश्यक कार्य करते है। यदि ये पोषक तत्व हमारे भोजन में उचित मात्रा में विद्दमान ना हो तो, शरीर अस्वस्थ हो जायेगा। कार्बोज, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण व पानी प्रमुख पोषक तत्व है। हमारे भोजन में कुछ ऐसे तत्व भी है, जो पोषण तत्व नहीं होते, जैसे रंग व खुशबु देने वाले रासायनिक पदार्थ आवश्यक तत्व जब सही अनुपात में हमारे शरीर में आवश्यकता अनुसार उपस्थित होते है, तब उस अवस्था को सर्वोत्तम पोषण या समुचित पोषण की संज्ञा दी जाती है। यह सर्वोत्तम पोषण स्वस्थ शरीर के लिये नितांत आवश्यक है। कुपोषण उस स्थिति का नाम है जिसमे पोषक तत्व शरीर में सही अनुपात में विद्धमान नही होते है। अथवा उनके बीच में असंतुलन होता है। अतः हम कह सकते है की कुपोषण अधिक पोषण व कम पोषण दोनों को कहते है। कम पोषण का अर्थ है किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का आहार में कमी होना।उदाहरण– विटामिन ए की कमी या प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण अधिक पोषण से अर्थ है एक या अधिक पोषक तत्वों की भोजन में अधिकता होना। उदाहरण– जब व्यक्ति एक दिन में उर्जा खपत से अधिक उर्जा गृहण करता है, तो वह वसा के रूप में शरीर में एकत्र रहती है।

और उससे व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है। आहार और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अन्य वैज्ञानिको ने सदियों लम्बे अध्ययन और अनुसन्धान के बाद यह तथ्य स्थापित किये है। शरीर के पोषण पर अनेक बातो का प्रभाव पड़ता है। जिसमे भोजन की आदते, मान्यताये, मनःस्थिति, जातीय, भौगोलिक, धार्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आहार और उसका उत्पादन राष्ट्रीय व अन्तः आहार सम्बन्धी नीतिया जैसे मछ्लीकरण, वितरण, शिक्षा इत्यादि। अधिकांश सभ्यताओं में स्वास्थ्य का महत्व समान है। वास्तव में हर समाज में स्वास्थ्य के विषय में उनकी अपनी विशेष धारणा है।

बच्चे के आहार पूरक क्या है और किस उम्र पर बच्चों को आहार पूरक दें –

बच्चों के आहार पूरक पोषको के सांद्रित स्त्रोत है और भोजन के अतिरिक्त दिये जाते है। वे ज्यादातर खाद्य पदार्थो मे पाए जाने वाले पोषक तत्वों की उच्च मात्रा को शामिल करते है। वे खनिजों को जैसे लोहा एनीमिया से बचने के लिये और विटामिनों की सम्पूर्ण सूची ए (।) से लेकर के (ज्ञ) तक को शामिल करते है।

किसे पूरक आहार की जरुरत है? –

मां का दूध अधिकांश बच्चों के जन्म से 6 महीने तक पोषण के लिये पर्याप्त है। कभी–कभी डॉक्टर उन बच्चों को विटामिन डी की पूरक सलाह देते है। जो स्तन दूध पर आश्रित है या उनको जो प्रतिदिन दूध के कम से कम चार बोतले या प्रतिदिन 32 औस से कम सूत्रित आहार को गृहण करते है सामान्य रूप से उन्हें किसी आहार पूरक की आवश्यकता नही होती है। डॉक्टर, बच्चे और मां के लिये इन पोषक तत्वों की कमी की देखभाल करने के लिये कुछ शिशु का आहार, आहार पूरको में लिख सकते है।

पोषण स्तर ज्ञात करने की विधियां –

पोषण स्तर ज्ञात करने के उद्देश्य के आधार पर एक अथवा एक से अधिक विधियों एवं पद्धतियों और प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। जो निम्नलिखित हैं–

1. आहार सर्वेक्षण 2. मानवमिती परीक्षण 3. लाक्षणिक परीक्षण 4. जीवन रासायनिक एवं प्रयोगशाला परीक्षण

आहार पूरक शिशुओं और बढ़ते बच्चों में विटामिन और खनिज –

संतुलित आहार करने वाले बच्चों को अतिरिक्त विटामिन और खनिज की आवश्यकता नहीं होती है। शिशुओं को सामान्यतः विटामिन डी की खुराक की जरुरत रहती है। लेकिन छः महीने के बच्चों को चिकित्सक लौह प्रचुर आहार या लौह पूरक को शुरू करने की सलाह देते है।

(1) आयरन –

6 महीने से 5 वर्ष तक के बढ़ते बच्चों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा विटामिन बुँदे दी जाती है। ये बुँदे विटामिन ए, सी और डी के लिये पूरक है, अतिरिक्त विटामिन की खुराक हानिकारक हो सकती है।

(2) विटामिन ए –

बच्चे के आहार विटामिन ए शिशुओ और छोटे बच्चों के लिये महत्वपूर्ण है। यह मंद प्रकाश में इनकी द्रष्टि में सहायता प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत, और स्वस्थ त्वचा को बनाये रखने में मदद करता है। विटामिन ए का स्त्रोत डेयरी उत्पादों वसा, गाजर, आलू, पालक और ब्रोकली है।

(3) विटामिन सी –

विटामिन सी बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य और शिशुओ के लिये आहार शरीर में लोहे को अवशोषित करने में मदद करता है। विटामिन सी का अच्छा स्त्रोत किवी फल, संतरा, टमाटर, मिर्च और स्ट्राबेरी है।

(4) विटामिन डी –

विटामिन डी केवल कुछ खाद्य पदार्थो में स्वाभाविक रूप से होता है। वे मछली के तेल और अंड्डे में पाए जाते है। विटामिन के, डी का सबसे ज्यादा स्त्रोत गर्मियों में आपकी त्वचा पर सूरज की रोशनी है।13 सभी शिशुओ और 6 महीने से लेकर 5 साल उम्र तक के युवा बच्चों के दैनिक आधार में विटामिन डी मुक्त पूरक विटामिन बूंदों के रूप में लेना चाहिए। बच्चों का खाना, संतुलित आहार लेने वाले बच्चों को किसी विटामिन की आवश्यकता नही है, केवल उनके लिये जो प्रतिदिन 500 मिली से कम आहार ले रहे है मगर मां बच्चे को स्तनपान कराती है और उसने गर्भावस्था के दौरान विटामिन डी को नहीं लिया है, तो डॉक्टर बच्चे के जन्म के समय प्रथम माह में विटामिन डी की बुँदे प्रस्तावित कर सकती है।

शिशु का शुरूआती आहार –

1. प्रोटीन की खुराक –
यह बढ़ते बच्चों को दिया जा सकता है। यह प्रोटीन अंडे, सोया और पत्तियों में शामिल होता है।
2. अन्य पूरक –
यह हर्बल्स, प्रोबायोटिक्स और एंजाइमो को शामिल करता है जो कुछ आम बीमारियों और लक्षणों के उपचार और रोकने के लिये किया जाता है। बच्चों के लिये इन्हें अनदेखा करना चाहिए। शिशु का डाईट का प्लान, चिकित्सक की सिफारिश के बिना कोई नही आहार पुरक नही देना चाहिए।

बढ़ते शिशुओं के लिये आहार –

1. सबसे पहला आहार लोह परिपूरित होना चाहिए। जिसे चार महीने के समय से शुरू किया जा सकता है। यह आसानी से पच जाता है और एलर्जी की प्रतिक्रिया की कम सम्भावना है।
2. 6 वें महीने से केला, नाशपाती, सेब, गाजर, कद्दू, आलू और मीठा आलू शुरू किया जा सकता है।
3. तरल पदार्थ जैसे नारियल पानी, फलों का रस, सब्जियों के रस एक समयावधि में पेश किये जा सकता है।
4. घर में बने खाद्य पदार्थ सबसे सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद है।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक गर्भवती महिला की देखभाल एवं परिचर्या करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रत्येक माह गर्भवती को अच्छे चिकत्सक को दिखाना चाहिए और चिकित्सक के परामर्श के अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा के समुचित उपाय करने चाहिए क्योंकि गर्भवती के स्वास्थ्य से गर्भ में पल रहे बच्चे का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचने के लिए पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए तथा रक्तहीनता से बचने के लिए आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियां ग्रहण करनी चाहिए तथा गर्भ तथा प्रसव के समय अनेक बीमारियों से बचने के लिए टिटनेस टॉक्साइड के दोनों टीके अवश्य लगवाने चाहिए। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ ही राज्यों के महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अथक प्रयासों के बावजूद इस प्रकार की समस्याओं और बीमारियों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। महिलाओं की निरक्षरता एवं उनमें स्वास्थ्य के प्रति जारुकता के अभाव के कारण पोषण सम्बन्धी अभाव पाया जाता है जिसके कारण मातृ एवं बाल मृत्यू दर में कमी नहीं आयी है।

स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी योजनायें –

पूरक पोषण आहार –

6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं तथा किशोरीयो की पहचान हेतु समुदाय के सभी परिवारों का तीन सौ दिन पूरक पोषण आहार दिया जाता है। वर्तमान में 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को 4 रू. प्रति बच्चा प्रतिदिन के मान से 12–15 ग्राम प्रोटीन 500 कैलोरी युक्त पोषण आहार दिये जाने का प्रावधान है। गंभीर कुपोषित बच्चों को 6 रू. प्रति बच्चा प्रतिदिन के मान से 20–25 ग्राम प्रोटीन एवं 800 कैलोरी युक्त पोषण आहार तथा गर्भधात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को 5 रू. प्रति हितग्राही प्रतिदिन के मान से 18–20 ग्राम प्रोटीन एवं 600 कैलोरी युक्त पोषण आहार दिए जाने का प्रावधान है।

स्वास्थ्य जाँच –

प्रत्येक आंगनवाडी केंद्र में प्रत्येक माह में किसी एक मंगलवार या शुक्रवार के दिन ए.एन.एम. तथा स्वास्थ्य कार्यकता द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की स्वास्थ्य जाँच की जाती है। स्वास्थ्य जाँच के आधार पर स्वास्थ्य में सुधार हेतु आवश्यक सलाह हितग्राहियों को दी जाती है।17

संदर्भ सेवाएँ –

स्वास्थ्य जाँच के आधार पर आवश्यक होने पर महिलाओं एवं बच्चों को खण्ड चिकित्सा अधिकारी अथवा विकासखण्ड जिलास्तरीय चिकिकत्सालयों में रेफर किया जाता है।

टीकाकरण –

प्रति आंगनवाडी प्रतिमाह किसी एक सप्ताह का मंगलवार या शुक्रवार टीकाकरण के लिये निर्धारित रहता है। उक्त दिवस में ए.एन.एम. द्वारा आंगनवाडी केंद्र पर बच्चों, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है।

पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा –

आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं ए.एन.एम. द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में गृह भेंट करने का प्रावधान है। गृह भेंट करने के दौरान महिलाओं को स्वास्थ्य एवं संतुलित भोजन से सम्बन्धित जानकारी व सलाह दी जाती है।

स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा –

आंगनवाडी केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों का मानसिक विकास करना भी है। जिससे वह प्राथमिक स्कूल में और बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके लिए आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल–खेल में शिक्षा दी जाती है। बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों जैसे– जल, जंगल, जानवर इत्यादि के बारे में प्रारंभिक ज्ञान कराया जतका है।

पोषण आहार योजना –

महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित आंगनवाडी केन्द्रों में पोषण आहार की व्यवस्था मध्यप्रदेश में संचालित 453 बाल विकास परियोजना के अंतर्गत कुल 84,465 आंगनवाडी केन्द्र एवं 12,670 मिनी आंगनवाडी केन्द्रों में स्वीकृत है। उक्त स्वीकृत आंगनवाड़ी कन्द्रों में लगभग 80 लाख हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार से लाभान्वित किया जा रहा है। आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था हेतु व्यय की जाने वाली राशि से 50 प्रतिशत की राशि सरकार महिला बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

- पंडित, एन. (2001) ''गर्भवस्था के दौरान आहार'', मंजुल पब्लिशिंग हाऊस, भोपाल। पृ. क्र.53–66।
- सिंह अनीता (2002), ''उपचारात्मक पोषण, गर्भावास्था में आहार नियोजन'', स्टार पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ.क्र. 88–97।
- सक्सेना व बी वाट्रिका (2002), ''न्यूट्रीशन स्टेट्स ऑफ रूरल प्रेगनेन्ट विमन'', इण्डियन जनरल ऑफ कम्यूनिटी मेडिसन।
- Anil Kumar et al (2015), "Pregnancy Related Problem faced in Rural Area of Delhi – A Study", Asian Academic Research Journal of Social Sciences and Humanity", Vol. 1, No. 32.
- Manoj Kumar, Kusum Bharti and Pramila Prashad (2016), "Health and Nutritional status of Pregnant Women: An Assessment of Rural Anganwadi Centers and Primary Health Centers", Food Sciences Research journal, Vol. 7, No. 1
- हांडा, परवेश (2005), ''गर्भवती की देखभाल'', प्रतिभा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली।
- पंडित, एन. (2001) ''गर्भवस्था के दौरान आहार'', मंजुल पब्लिशिंग हाऊस, भोपाल। पृ. क्र. 53–66।

Nav Jyoti, Vol. 10, No. 21, July-December 2022 **ISSN : 2249-7331**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

जाति व्यवस्था के बदलते संरचनात्मक प्रतिमान

जिलाजीत जैसवारा
शोध छात्र
समाजशास्त्र विभाग
श्री अग्रसेन कन्या पी0जी0 कॉलेज, वाराणसी
(सम्बद्ध : म0गाँ0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

सारांश–
जाति व्यवस्था मुख्यतः जन्म पर आधारित है, जिसमें सामाजिक संस्तरण, खण्ड विभाजन तथा अनतर्विवाही समूह की एक गतिशील व्यवस्था है, जो खाने–पीने, व्यवसाय, विवाह, सामाजिक सहवास के सम्बन्ध के अनेक प्रतिबंधों को अपने सदस्यों पर लागू करती है। लेकिन वर्तमान में ग्रमीण समाज में जाति व्यवस्था के संरचना के प्रतिबंध कमजोर हुए हैं। जातीय ऊँच–नीच का संस्तरण समाप्त हो रहा है। अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिल रहा है। आज लोग गैर–परम्परागत व्यवसाय कर रहे हैं। छुआछूत की भावना समाप्त हो रही है। सामाजिक, धार्मिक निर्योग्यताएँ तथा विशेषाधिकार समाप्त हो रहे हैं। आज जाति का स्थान वर्ग ले रहा है।

प्रमुख शब्दावली : वर्ण, जाति, उपजाति, जाति व्यवस्था, जातीय संरचना, जातीय संस्तरण, प्रतिबंध, व्यवसाय, ब्राह्मण, शूद्र, अन्तर्जातीय, पवित्रता–अपवित्रता।

भारतीय जाति व्यवस्था एक अत्यन्त जटिल सामाजिक संरचना का आधार रहा है। भारतीय समाज आज केवल चार वर्णों में विभाजित नहीं बल्कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से हमारे जातीय संरचना का निर्माण उन हजारों जातियों और उपजातियों से हुआ है जो 'जन्म' पर आधारित व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती हैं। अन्तर्विवाही समूहों के रूप में जाति प्रथा इतना व्यापक रहा है कि भारतीय समाज के अन्य संस्कृति समूह भी, जिनमें मुसलमान, सिख और ईसाई भी अछूते नहीं रहे हैं। भारत में 1911 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों में जातीय समूह पाये गये। जबकि आज इनकी संख्या इससे भी अधिक पाई जाती है। ईसाई भी अनेक उच्च एवं निम्न स्थिति में बँटे हुए हैं। एक दूसरे से सामाजिक प्रतिबंध रखते हैं। सन् 1931 की जनगणना के आधार पर भारत में 2993 जातियाँ और उपजातियाँ पायी गयीं। आज वर्तमान में लगभग 6000 से अधिक जातियाँ एवं उपजातियाँ पायी जाती हैं। डॉ0 जी0एस0 घुर्ये ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि भारत के प्रत्येक भाषायी क्षेत्र में आज लगभग 2000 जातियाँ विद्यमान हैं। हट्टन का मत है कि ''जाति व्यवस्था के समुचित अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक सेना की आवश्यकता होगी।'' इनके कथन से स्पष्ट होता है कि भारतीय जाति व्यवस्था की जटिलता और व्यापकता का अनुमान विशेषज्ञों की समूहों से सरलता से लगाया जा सकता है।

भारत के जाति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए अनेक अलौकिक विश्वासों कर्मकाण्डों और पवित्रता सम्बन्धी विचारों को प्रयोग किया गया लेकिन इसके बावजूद भी जाति व्यवस्था में समय–समय पर महत्वपूर्ण परिवर्तन होता रहा है। चूँकि वर्तमान की उत्पत्ति अतीत से होती है, इसलिए वर्तमान को समझने के लिए अतीत को डॉ0 घुर्ये जाति व्यवस्था को चार कालों में विभक्त करके स्पष्ट किया है।

वैदिक काल में ज्ञान, वेदों, उपनिषदों और कुछ मौलिक ब्राह्मण ग्रंथों से प्राप्त होता है। इस काल में भारतीय समाज विभिन्न वर्णों में अवश्य विभाजित हो गया था किन्तु विभिन्न वर्णों के बीच विवाह, व्यवसाय और खान–पान एवं सामाजिक सम्पर्क के नियम अधिक कठोर नहीं थे।

उत्तर–वैदिक काल में जाति व्यवस्था में संघर्ष एवं विरोध होना शुरू हुआ। इस युग में ब्राह्मणों ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न वर्णों के कर्त्तव्यों को एक दूसरे से बिल्कुल पृथक कर दिया और ब्राह्मणों को विश्वास दिलाने के लिए अलौकिक शक्ति में शक्ति में विश्वास दिलाया गया। सम्भवतः उत्तर वैदिक काल के आरम्भिक वर्षों में ही महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें क्षत्रियों की शक्ति लगभग समाप्त हो गयी। तब ब्राह्मण पुरोहितों के लिए शक्ति विस्तार करने के लिए उचित समय मिल गया।

धर्मशास्त्र युग को स्मृति काल भी कहा जाता है। इसी युग में रूढ़िवादी हिन्दू धर्म का स्वरूप निर्धारित हुआ। इसी युग में जन्म–पुनर्जन्म व कर्मकाण्ड, पवित्र, अपवित्र आदि धारणाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया। सन् 606 ई0 में हर्षवर्द्धन वैश्य राजा के साम्राज्य की स्थापना हुई। हर्षवर्द्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इस समय ब्राह्मणवाद एवं बौद्धों के बीच संघर्ष शुरु हो गया यह संघर्ष जातिगत कट्टरता और उदारता के बीच का संघर्ष था जिसमें ब्राह्मण राजा शशांक की मृत्यु के बाद हर्षवर्द्धन की विजय हुई जिसके फलस्वरूप भारतीय समाज को मनु की कट्टर व्यवस्था से मुक्त ही कर दिया गया।

वाण का कहना है कि हर्षवर्द्धन के पिता ने एक ब्राह्मण स्त्री और एक शूद्र से विवाह किया। इससे स्पष्ट होता है कि इस समय अनुलोम विवाह के नियम की खुलेआम अवहेलना की जाने लगी थी। इसके पश्चात् भी यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रही।

मध्म काल में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए प्रथम निम्न वर्णों का शासन समाप्त हुआ और उनके स्थान पर राजपूत राजाओं का शासन शुरू हुआ किन्तु कुछ ही दिन बाद मुसलमान के आक्रमण से एक के बाद एक राजपूत राजाओं का पतन आरम्भ हो गया। फिर उत्तर मध्यकाल में जाति हिन्दुओं के सामाजिक जीवन का एकमात्र आधार बन गयी। अन्तर्विवाह, कुलीनता और कर्मकाण्ड, पवित्रता की भावना में वृद्धि हुई। सती प्रथा का प्रारम्भ हुआ, बाद में इसे धार्मिक व नैतिक रूप दे दिया गया। भक्ति काल में कबीर, गुरुनानक, बल्लभाचार्य और चैतन्य जैसे महापुरुषों ने जातिगत ऊँच–नीच, कर्मकाण्ड और पाखण्डवाद की कठोर आलोचना करके इस व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया।

ब्रिटिश काल के अन्तिम वर्षों में भारतीय समाज में सुधार की एक नई जागृति फैलने लगी। इसी समय ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन जैसे सुधारवादी सम्प्रदायों का उदय हुआ जिससे ब्रिटिश शासन की मदद से सती प्रथा समाप्त करने के लिए अधिनियत 1829 बना। 1872 में विशेष विवाह अधिनियम के द्वारा अन्तर्जातीय विवाह के लिए मान्यता दिया गया। यद्यपि इसी प्रयासों से आज की जाति व्यवस्था का रूप इतनी तेजी से बदलने लगा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जाति व्यवस्था के संरचनात्मक नियमों और विश्वासों में व्यापक परिवर्तन हुआ।

जाति व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन :

1. ब्राह्मण की श्रेष्ठता में ह्रास :

भारतीय जाति व्यवस्था पर ब्राह्मणों की प्रभुत्व पर आधारित थी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत ब्राह्मणों को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों में जो विशेषाधिकार दिये गये थे, उनमें अब तेजी से परिवर्तन हो रहा है। आज सामाजिक व्यवस्था की रूपरेखा राज्य निर्धारित करता है। राजनीतिक व्यवस्था पर किसी जाति या वर्ग का एकाधिकार नहीं रह गया है। आर्थिक क्षेत्र में सभी जातियों के लोगों को समान अवसर के अधकार दिये गये हैं। आज व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण जातिगत नियमों के आधार पर न होकर उसकी योग्यता और कुशलता के द्वारा होता है। यद्यपि धार्मिक क्रियाओं एवं संस्कारों को पूरा करने

के लिए आज भी ब्राह्मणों का महत्व सर्वमान्य है, परन्तु तार्किक विचारों के कारण धार्मिक क्रियाओं का महत्व कम हो जाने के कारण ब्राह्मण पुरोहितों की स्थिति में काफी ह्रास हुआ है, जिसके कारण अधिकतर ब्राह्मण पुरोहित अपने परम्परागत व्यवसाय को छोडकर व्यापार, सरकारी नौकरियों, सेना और कृषि आदि में कार्य करने लगे हैं।

2. जाति संस्तरण में परिवर्तन :

वर्तमान समय में जाति संस्तरण में व्यापक स्तर पर परिवर्तन हुआ है। यद्यपि विभिन्न जातियाँ आज भी विद्यमान हैं, लेकिन प्रत्येक उपजाति अपनी सामाजिक स्थिति को उच्च उठाने के लिए प्रयत्नशील है। आज एक जाति दूसरी जाति को अपने से उच्च मानकर उसका आधिपत्य मानने को तैयार नहीं है। आज व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण उसकी योग्यता, कार्य क्षमता, नेतृत्व, अथवा आर्थिक सफलता से निश्चित होती है। सामाजिक संस्तरण में आज एक निर्धन व अकुशल ब्राह्मण से एक कुशल एवं समृद्ध शूद्र की स्थिति काफी ऊँची होती जा रही है। औद्योगिकीकरण के कारण व्यक्ति अपने को किसी भी जाति का घोषित कर देता है और आज के परिवेश में जाति की प्रमाणिकता जानना आवश्यक नहीं समझता है।

3. दलित वर्ग और अस्पृश्य जातियों का उत्थान :

भारतीय जाति व्यवस्था की संरचना में दलित, अस्पृश्य अथवा अन्त्यज जातियों को समस्त अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, लेकिन आज उनकी स्थिति में व्यापक परिवर्तन हुआ है। बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों से दलित एवं अस्पृश्य जातियों को अन्य जातियों के समान अधिकार प्राप्त हुआ और सरकारी नौकरियों में उनके लिए सीटें आरक्षित कर दिये गये, जिसके फलस्वरूप उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। संविधान के अनुच्छेद 330 व 332 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में इनके लिए लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में स्थान सुरक्षित किया गया। पंचायती राज व्यवस्था में भी इनके लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया। अस्पृश्यता का जड़ से उन्मूलन करने के लिए डॉ0 छत्रपति शाहूजी महाराज द्वारा चलाया गया ''अस्पृश्यता उन्मूलन आन्दोलन'' विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वर्तमान समय में अस्पृश्यता नाममात्र ही रह गयी है। नगरों में सभी जाति के लोग एक साथ खान–पान के साथ रहते हैं।

आज धार्मिक कट्टरता के कम होने से अस्पृश्यता के विचारों में कमी आई है। अब उन्हें मन्दिर में प्रवेश व पूजा–पाठ के अधिकार दे दिये गये हैं। अब दलित भी सामान्य नागरिक की भाँति पूजा–पाठ में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया है। सभी के साथ आना–जाना, शिक्षा ग्रहण करना, नौकरी करना तथा राजनैतिक नेतृत्व करना इनका अंग बन गया है। परम्परागत सन्दर्भ में दलित को धार्मिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार एवं राजनैतिक अधिकार प्राप्त होना एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन है। अस्पृश्यता का अन्त करने में स्वामी दयानन्द सरस्वती, राजाराममोहन राय, स्वामी विवेकानन्द, छत्रपति शाहू जी महाराज, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर आदि महान व्यक्तियों ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जाति के परम्परागत मूल्यों में ह्रास :

भारत की परम्परागत जाति संरचना के परिवर्तन में लौकिकीकरण का प्रभाव सबसे अधिक रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय समाज को जब एक लोकतांत्रिक और धर्म निरपेक्ष रूप दिया गया तब से समतामूलक मूल्यों को बढ़ावा मिला इसके फलस्वरूप जाति के परम्परागत मूल्यों में तेजी से गिरावट आयी। आज निम्न जातियों की निर्योग्यताएँ लगभग समाप्त हो गयी हैं। उच्च जातियाँ निम्न जातियों से सम्पर्क स्थापित करना आज धर्म विरूद्ध नहीं समझा जाता है और न ही उन्हें अपने व्यवसाय में आने से रोकती हैं। इसके विपरीत जो लोग जाति–भेद, छुआछूत तथा जाति की उच्चोच परम्परा को मानते हैं उन्हें पिछड़ा हुआ मानसिकता मान लिया जाता है। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो जातीय संरचना को किसी

अलौकिक शक्ति द्वारा मानता हो। ग्राम पंचायतों, विधानसभाओं और संसद के लिए दलित जातियों के स्थान सुरक्षित होने से भी उनकी राजनैतिक शक्ति बढ़ी है तथा उच्च जातियों के लोग निम्न जाति के नेताओं और अधिकारियों के नीचे काम करने को बुरा नहीं मानते हैं।

अन्तर्जातीय विवाह के नियम टूटना :

आज विवाह के परम्परागत जातीय नियमों की जगह योग्य जीवनसाथी का चुनाव करना अधिक अच्छा समझा जाने लगा है। इसके फलस्वरूप बहुत से शिक्षित एवं जागरुक व्यक्तियों ने अन्तर्जातीय विवाह करना भी आरम्भ कर दिया। आज निम्न जाति का लड़का अगर सरकारी नौकरी कर रहा है तब उच्च जाति की लड़की उसके साथ अन्तर्जातीय विवाह करने को तैयार हो जा रही है। अतः प्रतिलोम विवाह होना प्रारम्भ हो गया है। वहीं अन्तर्विवाह तथा बहिर्विवाह से सम्बन्धित नियम कमजोर पड़ने लगे हैं। पश्चिमीकरण के प्रभाव से वैयक्तिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहन मिलने के कारण अब प्रेम विवाहों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। ऐसे विवाह में अक्सर जाति और धर्म सम्बन्धी प्रतिबंधों का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है।

अन्तर्जातीय सम्बन्धों में परिवर्तन :

आज आधुनिकीकरण के कारण विभिन्न जातियों के बीच बढ़ते हुए सम्बन्धों के रूप में देखने को मिलता है। इसके प्रभाव जैसे–जैसे विभिन्न जातियों के बीच जातीय विभेद कर होते गये, उनके बीच की सामाजिक दूरी भी कम होने लगी है।

जाति शक्ति संरचना में परिवर्तन :

डॉ0 श्रीनिवास के शब्दों में, संस्कृतिकरण के फलस्वरूप निम्न जातियों की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई लेकिन यह प्रतिष्ठा ब्राह्मण और ठाकुर जैसी उच्च जातियों की प्रतिष्ठा को गिराकर बढ़ी हैं। प्रभु जाति के अधिकारों में कमी आई है। धीरे–धीरे निम्न जाति में भी संख्या शक्ति अधिक होने से इनके सामाजिक, राजनैतिक अधिकार बढ़ा है।

असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया में वृद्धि :

असंस्कृतिकरण वह दशा है, उच्च जाति के लोग व्यवहार के उन तरीकों को ग्रहण करने लगे हैं जो परम्परागत संस्कृति के अन्तर्गत निम्न जातियों की जीवनशैली से सम्बन्धित ये परम्परागत ब्राह्मणों का कार्य यज्ञों की पूर्ति, धार्मिक क्रियाओं का सम्पादन तथा अध्ययन और अध्यापन करना था लेकिन आज बहुत से ब्राह्मण चमड़े, शराब, बीड़ी बनाने जैसे व्यवसायों के अतिरिक्त खेती का काम भी करने लगे हैं। उच्च जातियों में मांस और मदिरा का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है।

जातिगत नियमों की कठोरता में कमी :

भारतीय समाज में जाति के नियम बहुत तेजी से कमजोर पड़ते जा रहे हैं। आज निम्न जातियाँ भी प्रशासन, उद्योग, शिक्षा, व्यापार तथा व्यवसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। सामाजिक सम्पर्क और खान–पान से सम्बन्धित प्रतिबंध पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। जातियों का विभाजन आज भी विद्यमान है लेकिन कोई जाति अपने आपको दूसरी जाति से निम्न मानने को तैयार नहीं है। पवित्रता–अपवित्रता से सम्बन्धित जाति के नियम पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। निम्न जातियों में तीर्थ यात्राओं, धार्मिक आयोजनों, संस्कारों की पूर्ति तथा व्रतों आदि का प्रचलन उसी रूप में देखने को मिलता है जैसा कि उच्च जातियों में। अतः आधुनिकीकरण से जाति व्यवस्था का परम्परागत ढाँचा पूरी तरह टूट चुका है।

जातिगत भेदभावों में कमी होने के बाद भी अनुपयोगी कर्मकाण्डों और रूढ़िगत व्यवहारों को प्रोत्साहन मिला। निम्न जातियों ने जब उच्च जातियों का अनुकरण करके अपने आपको अधिक पवित्र दिखाने का प्रयत्न किया तो उन्होंने खान–पान, बाल विवाह, दहेज प्रथा परम्पराओं के पालन में और अंधविश्वासों से सम्बन्धित ऐसे आचरण भी करना प्रारम्भ कर दिया जो उच्च जाति के लोग करते हैं।

जाति व्यवस्था के सदस्यता में परिवर्तन :

जाति व्यवस्था जन्म आधारित होती है। आज सरकार उन लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान कर रही है जिनका जन्म निम्न जाति में हुआ है। जन्म पर आधारित जाति स्वीकार करते हैं किन्तु उसके अनुसार जीवन नहीं चलाते हैं, क्योंकि जन्म पर आधारित सदस्यता सोचना उचित नहीं होगा। आज धन, नगरीकरण, सत्ता आदि से जाति जीवन को बदला है।

सामाजिक धार्मिक निर्योग्यता में परिवर्तन :

वर्तमान समय में जाति व्यवस्था के सामाजिक तथा धार्मिक निर्योग्यताओं की समाप्ति है। हरिजन आन्दोलन ने स्वस्थ जनमत का निर्माण किया अपितु सरकार को उत्थान सम्बन्ध में प्रयत्नशील बनाया। आज वे सार्वजनिक पूजा के स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। किसी दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, तालाब आदि का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी नदी, कुएँ, नल, श्मशान या कब्रिस्तान के स्थानों को उपयोग में ला सकते हैं तथा किसी भी शिक्षा संस्थान में भाग ले सकते हैं। व्यवहारिक रूप से परम्परागत निर्योग्यताएँ शिथिल अवश्य हो गयी हैं परन्तु समाप्त नहीं हुई हैं।

जजमानी प्रथा का टूटना :

जाति व्यवस्था में भारतीय ग्रामीण समुदाय में जजमानी व्यवस्था का एक लम्बी अवधि तक प्रभावपूर्ण बनी रहने के पश्चात् अब जीर्ण–शीर्ण तथा विघटित के रूप में विद्यमान रह गयी है। आज भी गाँव में इसकी उपयोगिता को स्वीकार करते हैं, परन्तु जजमानी व्यवस्था को पूर्ण स्वरूप में संगठित करना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। इस व्यवस्था में अधिक परिवर्तन आ गया है। प्रथा से प्राप्त पद, पारिश्रमिक मूल्य, सेवा से लोग कतराते हैं। ऐसा कार्य करना अपने में निम्न भावना से समझते हैं। आज निम्न जाति को नगरों तथा उद्योगों में आसानी से रोजगार प्राप्त हो जाते हैं तथा इसके आधार पर स्वतंत्रता मिलना भी महसूस करते हैं। युवा जजमानी व्यवस्था के आधार पर व्यवसाय नहीं करना चाहता है।

खान–पान के प्रतिबंधों में कमी :

भारतीय जाति व्यवस्था में अपने से निम्न जाति सदस्यों द्वारा स्पर्श किये गये भोजन पर प्रतिबंध लगाती है, लेकिन वर्तमान समय में जाति का भोजन सम्बन्ध प्रतिबंध समाप्त हो गया है। औद्योगीकरण युग में सैकड़ों व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, लंच में एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। होटल, जलपानगृहों, चाय पार्टियों तथा उत्सवों में सभी जाति के लोग अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बनाये गये पदार्थों को खाते हैं। भले ही बनाने वाला व्यक्ति वर्णित जाति से हो। रेलवे प्लेटफार्म पर अस्पृश्य जातियों द्वारा बनाई वस्तुओं को खाने और सभी के द्वारा स्पर्श किये गये नल का पानी पीने से कोई संकोच नहीं करता है।

जातीय संगठन में परिवर्तन :

औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के कारण जातीय संरचना में परिवर्तन हुआ है। एक व्यवसाय में लगे विभिन्न जातियों के लोग अपनी माँगें मनवाने के लिए एक झण्डे, मंच और राजनीतिक दल के अन्तर्गत संगठित होते हैं। औद्योगीकरण के कारण ग्रामीण व्यवसाय औद्योगीकरण के कारण ग्रामीण व्यवसाय नष्ट हो जाने से परम्परागत व्यवसाय छोड़कर कृषि कार्य करने लगे हैं।

निष्कर्ष :

भारतीय समाज में जाति व्यवस्था महत्वपूर्ण इकाई है। भारत में अनेक प्रजातियों के अस्तित्व में होने के परिणामस्वरूप जाति सुदृढ़ होती गयी। जाति एवं वर्ग समाज में संस्तरित होकर सामाजिक स्थिति को आधारशिला बनते गये। जाति संरचना में होने वाले विभिन्न परिवर्तन को देखकर प्रतीत होता है कि भारत में औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के कारण जातीय संरचना में परिवर्तन हुए हैं। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किये गये। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हालांकि

आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक परिवर्तन हुआ है परनतु इतनी शक्ति नहीं है कि वे जाति को पूरी तरह नष्ट कर सकें परन्तु इसकी जड़ों पर चोट व कुठाराघात करके यदि नैतिक एवं मानवीय मूल्यों पर जोर दिया जाय तो हम समानता के सामाजिक मूल्य एवं मानवीयता के व्यवहार के व्यवहार को आचरण में ला सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची–

1. मुकर्जी, रविन्द्र नाथ : भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर दिल्ली–7, 2007, पृष्ठ संख्या 93.
2. श्रीनिवास, एम0एन0 : आधुनिक भारत में सामाजिक परितर्वन, राजकमल प्रकाशन प्रा0 लि0, 2019, पृष्ठ संख्या 86.
3. शर्मा, के0एल0 : संरचना एवं परिवर्तन, रावत पब्लिकेशंस, 2006, पृष्ठ संख्या 147.
4. दूबे, श्यामाचरण : भारतीय समाज, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली–7, 2020, पृष्ठ संख्या 43.
5. मजूमदार और मदान : एन इन्ट्रोडक्शन टू सोशल एन्थ्रोपोलॉजी, 2020, पृष्ठ संख्या 222.
6. सिंह, योगेन्द्र : ऑर्गनाइजेशन ऑफ इण्डियन ट्रेडिशन, रावत पब्लिकेशंस, 1986, पृष्ठ संख्या 42.
7. श्रीवास्तव, कमल एस0 : भारतीय संस्कृति, संगीता प्रकाशन, वाराणसी, 2004, पृष्ठ संख्या 67.

Nav Jyoti, Vol. 10, No. 21, July-December 2022 **ISSN : 2249-7331**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

महिलाओं के विकास में शिक्षा की भूमिका

(विशेषकर अनुसूचित जाति के संदर्भ में)

वन्दना मौर्या
शोध छात्रा, समाजशात्र
महाराज बलवन्त सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गंगापुर, वाराणसी

सारांश : –

एक महिला अथवा गृहिणी के संस्कार शिक्षा दीक्षा अति उत्तम नहीं होगी तो वह समाज और राष्ट्र को श्रेष्ठ सदस्य नहीं दे पाएगी. समाज के लिए महिला का स्वस्थ, खुशहाल, शिक्षित, समझदार, व्यवहार कुशल, बुद्धिमान होना जरूरी है और वह शिक्षा से ही संभव है। जब महिला की स्वयं की स्थिति, विशेषकर अनुसूचित जाति के महिलाओं की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शैक्षिक आदि दृष्टिकोण से निम्न होगी तो वह परिवार समाज एवं राष्ट्र के विकास में अपना योगदान नहीं दे पाएगी। किसी भी देश को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए वहां की सभी महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, चाहे वह किसी भी जाति से हो। शिक्षक महिला औजार के समान है जो समाज और अपने परिवार पर अपने हुनर तथा ज्ञान से सकारात्मक प्रभाव डालती है। भारतीय समाज में महिलाएं शोषित हो तो है किंतु इनमें महिलाओं का ऐसा वर्ग भी सम्मिलित है। जिनमें महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय और सोचनीय है जो सदियों से जाति से जुड़ी वैचारिक मान्यताओं के कारण वर्ष उपेक्षित व शोषित है जिसे अनुसूचित जाति कहा जाता है। अनुसूचित जाति की महिलाएं अधिकांशतः अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र में है शिक्षा स्वास्थ्य और उत्पादक संसाधनों तकपहुंच अपर्याप्त है अतः वे ज्यादातर सीमांत गरीब और सामाजिक रूप से वंचित रह जाती है सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर तमाम प्रयासों के बावजूद अनुसूचित जाति की महिलाएं पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं हो पाई है और अनुसूचित जाति के महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार सामने आती रहती है। सामाजिक विकास के लिए महिला शिक्षा बेहद जरूरी है क्योंकि महिला और पुरुष एक सिक्के के दो पहलू हैं बच्चों की पहली शिक्षक मा होती है जो उन्हें जीवन की बुराइयों और अच्छाइयों से अवगत कराती है। अगर महिला शिक्षा को नजरअंदाज किया गया तो देश के भविष्य के लिए यह किसी खतरे की घंटी से कम नहीं होगा अतः महिला के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है प्रस्तुत शोध लेख में शिक्षा से महिलाओं का कितना विकास हुआ है महिलाएं स्वयं के प्रति कितने जागरूक हुई है महिलाओं के विकास में शिक्षा ने क्या भूमिका निभाई है अतीत से लेकर अब तक महिलाओं में शिक्षा की स्थिती, महिला शिक्षा, महिला शिक्षा की आवश्यकता, महिला शिक्षा का वर्तमान में परिदृश्य, महिलाओं के शिक्षा तथा विकास के लिए चलाई गई योजनाओं का अध्ययन किया गया है।

मुख्य बिंदु : महिला शिक्षा, अनुसूचित जाति, विकास, औद्योगिकरण की आवश्यकता, महत्त्व, महिला शिक्षा विकास के लिए चलाई गई योजना।

प्रस्तावना : –

भारत एक लोकतांत्रिक देश है भारत की विशेषता "विविधता में एकता" है क्योंकि यहां विभिन्न जाति धर्म संस्कृति और संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है किसी भी व्यक्ति की पहचान जाति विशेष अथवा परिवार विशेष के सदस्य के रूप में जानी जाती है अस्पृश्यता जैसी कुप्रथा

हमारे समाज में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विद्यमान है जो जाति व्यवस्था का सबसे अधिक क्रूर तत्व है वर्तमान समय में भी अनुसूचित जाति संबंधी धारणा पहले जैसी ही बनी हुई है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति की कुल आबादी 25 : है इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी अनुसूचित जाति की महिलाएं राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी पिछड़ी हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति दयनीय और चिंताजनक है यहां महिलाएं अनेक कष्टों के साथ बुरी मान्यताओं का बोझ ढो रही हैं तथा मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं इन सब का कारण शिक्षा का अभाव है अशिक्षा के कारण ही यह महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है भारत में महिलाओं की स्थिति पिछले कुछ सालों में सबसे बड़े बदलाव का सामना किया है वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक अनेक उतार–चढ़ाव आते रहे हैं तथा उनके अधिकारों में भी बदलाव होते रहे हैं प्राचीन काल में पुरुषों की बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही साथ कई समाज सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने तक महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तक महिलाओं कि निम्न दशा का प्रमुख कारण अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, धार्मिक विशेष जाति बंधन, महिला नेतृत्व का अभाव तथा पुरुषों का उनके प्रति अनुचित दृष्टिकोण आदि थे। महिलाओं के पुनरुत्थान का काल ब्रिटिश काल से शुरू होता है। ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों की अवधि में त्रियों के जीवन में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनेक सुधार आए औद्योगिकरण शिक्षा का विस्तार सामाजिक आंदोलन में महिला संगठनों का उदाहरण सामाजिक विधान में स्त्रियों की दशा में बड़ी सीमा तक सुधार की ठोस शुरुवात की वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा महिला शिक्षा तथा महिलाओं के विकास तथा उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम तथा योजनाएं चलाई जा रही हैं यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि महिलाओं के हालात पूरी तरह बदल गए हैं पर पहले की तुलना में बहुत तरक्की हुई है आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति पहले से अधिक सचेत हैं महिलाओं को ज्ञात हो रहा है कि बिना शिक्षा के सामाजिक मूल्यों को नहीं समझ सकते अतः महिलाएं शिक्षित होने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही हैं आज महिलाएं अपने पुराने परंपरागत व्यवसाय को छोड़ रही हैं क्योंकि उसमें वे अपनी परिस्थिति में 'सुधार नहीं ला सकती है आज उन्हें अपने महत्व समझ में आने लगी है महिला शिक्षा के द्वारा अपने मन में व्याप्त संकीर्ण मानसिकता को दूर कर रही हैं महिलाएं अपने परिवार तथा रोजमर्रा की दिनचर्या से संबंधित खर्चों का निर्वाह करने के लिए तथा आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए नौकरी उद्योगों में काम कर रही है।

अध्ययन के उद्देश्य : –

1. महिलाओं विशेषकर अनुसूचित जाति के महिलाओं के विकास तथा उन को सशक्त बनाने में शिक्षा की भूमिका का अध्ययन करना।
2. समाज में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करना।
3. वर्तमान समय में महिला पुरुष साक्षरता का अध्ययन करना।

अध्ययन की विधि : –

प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक स्रोत पर आधारित है जिसने पुस्तके, समाचार पत्र, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं, इंटरनेट आदि का सहारा लिया गया है। अध्ययन का महत्वरू–

महिलाओं को सशक्त बनाने तथा उनके विकास में शिक्षा वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण संघटक है। प्रस्तुत अध्ययन का महत्व महिलाओं की स्थिति के मूल्यांकन हेतु उनके सामाजिक रूपरेखा का अध्ययन करना देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण शर्त यह है कि प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की समान सहभागिता हो इसके लिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है महिलाओं के शिक्षित होने से ना केवल महिलाओं का विकास होगा वरन समाज भी प्रगति की ओर अग्रसर होगा चूँकि अनुसूचित जाति की महिलाएं सामाजिक पिछड़ेपन

के कारण ही समाज की मुख्यधारा से पीछे रह गई है। अतः यह आवश्यक है कि इस विषय पर अध्ययन हो ।

महिला शिक्षा : –

शिक्षा महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रथम एवं महत्वपूर्ण साधन है शिक्षा ही वह साधन है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त, समाज उपयोगी भूमिका की अनुभूति करा सकती हैं शिक्षा के द्वारा महिलाओं में दक्षता कौशल व ज्ञान का विकास होता है महिला शिक्षा से महिलाओं की स्वयं का शोषण होने से रोकने तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है महिलाओं के विकास में शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है जिसमें महिलाओं की स्थिति को समाज में ऊंचा उठाने में सहायक है शिक्षा किसी भी व्यक्ति के सुखद जीवन की महत्वपूर्ण आधारशिला है शिक्षा के द्वारा ही महिलाएं असहाय अबला से सशक्त सबला बनती है शिक्षा से ही महिलाओं का सशक्तिकरण होता है।

महिला शिक्षा का वर्तमान में परिदृश्य : –

शिक्षा से वंचित वर्गों में पूरे विश्व में बड़ा हिस्सा महिलाओं का है पूरे विश्व में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का स्तर आधे से भी कम है भारत में स्वतंत्रता के समय यह स्थिति थी कि जहां पुरुष साक्षरता 20ः थी वहीं महिला साक्षरता केवल 8.9ः थी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 82ः व महिला साक्षरता दर 64.46ः है।

उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड आदि राज्यों में महिला साक्षरता दर 55ः से भी कम है। बिहार में महिला साक्षरता सबसे कम 51.50 प्रतिशत है। महिला साक्षरता दर 64.46 प्रतिशत देश की कुल साक्षरता दर 74.04ः से भी कम है।बहुत कम लड़कियों का स्कूलों में दाखिला कराया जाता है तथा उनमें से कई बीच में ही स्कूल छोड़ देती है इसके अलावा कई लड़कियां रूढ़िवादी सोच के कारण स्कूल नहीं जा पाती है भारत में महिला साक्षरता दर विश्व औसत 17.7 प्रतिशत से भी कम है।

वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि 15 से 18 वर्ष की आयु की लगभग 39.4ः लड़कियां स्कूली शिक्षा हेतु किसी भी संस्थान में पंजीकृत नहीं है और इनमें से अधिकतर घरेलू कार्यों में संलग्न हो जाती है।

कई अध्ययन के अनुसार भारत में 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के युवा महिलाओं में बेरोजगारी दर 11.5ः है जबकि समान आयु वर्ग के युवा पुरुषों के मामले में यह 98ः है।

आंकड़े यह भी बताते हैं कि भारत में अभी लगभग 145 मिलियन महिलाएं हैं जो पढ़ने या लिखने में असमर्थ हैं।

महिला शिक्षा की आवश्यकता : –

1 भारतीय समाज में सही आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नारी शिक्षा बेहद जरूरी है

2 अगर नारी शिक्षा को नजर अंदाज किया गया तो देश की भविष्य के लिए यह किसी खतरे से कम नहीं होगा

3 महिला शिक्षा की कमी देश को कमजोर बनाती हैं।

4 महिला शिक्षा की बेहतरी के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है

5 परिवार समाज और देश की उन्नति के लिए महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।

6 शिक्षित महिलाएं ही देश समाज और परिवार में खुशहाली ला सकती हैं।

7 महिलाओं को शिक्षित करने में कई सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा कन्या भ्रूण हत्या और कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि को दूर करने की कुंजी साबित हो सकती है

8 स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि बच्चों की पोषण स्थिति और उनकी माताओं की शिक्षा के बीच सीधा संबंध है।

9 भारतीय समाज में सही आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नारी शिक्षा बेहद जरूरी है।

महिला शिक्षा एवं विकास हेतु चलाई गई योजना : –

1. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना : –

यह योजना 2004 में शुरू की गई थी इस योजना के द्वारा सभी पिछड़े वर्ग और गांव में रहने वाले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है।

2. महिला समाख्या कार्यक्रम 1989 : –

सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओ की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1989 के लक्ष्यों के अनुसार 1989 में महिला सामाख्या कार्यक्रम शुरू किया गया।

3. बालिका समृद्धि योजना 1997 : –

बालिका समृद्धि योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवार के लड़कियों को लाभान्वित किया जाएगा बालिकाओं के जन्म और शिक्षा के समर्थन हेतु यह एक विशेष पहल भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है इसके तहत परिवार की ऐसी महिला जिसकी दो पुत्रियां हैं को बालिका के जन्म पर रु. 500 की राशि दी जाती है इस राशि को बैंक या डाकघर में जमा किया जाता है जिसे बालिका को 18 वर्ष पूरे होने पर का जा सकता है।

4 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ–

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में की थी यह योजना देशभर में घटते लिंग अनुपात के मुद्दे को संबोधित करने हेतु की गई थी और बाल विकास मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम करने शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और यह योजना घरेलू हिंसा के शिकार या किसी भी नेता के शिकार हुई महिलाओं के लिए पुलिस कानूनी चिकित्सा जैसी सेवाएं दी जाती है यूनिसेफ भी देश में लड़कियों की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार के साथ काम कर रहा है।

5 सुकन्या समृद्धि योजना : –

यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 की शुरुआत 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत की थी यह योजना 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के उच्च शिक्षा और शादी के लिए यानी लड़कियों के सुरक्षित भविष्य के लिए बचत योजना है किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी का अकाउंट खुलवा सकते हैं स्कीम पूरी हो जाने के बाद सारा पैसा उसे मिलेगा जिसके नाम पर आपने इस अकाउंट को खुलवाया है।

6. फ्री सिलाई मशीन योजना : –

इस योजना का लाभ देश के ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं उठा सकती हैं हर राज्य में 30,000 से अधिक महिलाओं को निशुल्क सिलाई मशीन दी जाएगी इसमें केवल 20 से 40 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।

7. महिला शक्ति केंद्र योजना : –

यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से साल 2017 को लांच की गई थी। यह योजना महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए तैयार की गई, इस योजना के तहत गांव गांव की महिलाओं को सामाजिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने और उनकी क्षमता का अनुभव कराने का काम किया जाता है यह योजना राष्ट्रीय राज्य और जिला स्तर पर काम करती है।

8. महिला कार्मिक योजना : –

यह योजना 22 फरवरी 2021 को आरंभ किया गया इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है यह योजना महिला सशक्तिकरण तथा कल्याण के लिए एक महत्वकांक्षी योजना साबित होगी।

निष्कर्ष : –

महिलाओं के विकास में शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज महिलाएं आत्म सचेत, आत्मनिर्भर एवं आत्म विश्वासी है। पारिवारिक सामाजिक व्यवसायिक एवं आर्थिक रूप से अपनी भूमिका को निभाती है। पहले जो पुरुष निर्णय लेते थे महिला उसे मानती थी जिसके कारण वे शारीरिक व मानसिक रूप से शोषित होती थी। लेकिन जैसे–जैसे महिलाएं शिक्षित होने लगी, उसे सही गलत की पहचान होने लगी, महिलाओं के बदलते स्वरूप के लिए शिक्षा की क्रांति एक महत्वपूर्ण कदम है। यही कारण है कि, आज महिलाएं पुरुषों से कदम से कदम मिलाकर चल रही है। आज महिला जीवन का पूरा परिदृश्य ही बदला–बदला सा नजर आता है। आज भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों की, विशेषकर अनुसूचित जाति की महिलाएं, जिन्हें आज भी कई प्रकार के धार्मिक रीति–रिवाजों कुरीतियों रूढ़ियों का पालन करते हुए लैंगिक भेदभाव, निम्न स्तरीय जीवन शैली, सामाजिक असुरक्षा तथा उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। वर्तमान समय में भी महिलाएं पुरुष प्रधान मानसिकता से पीड़ित हैं। अनुसूचित जाति के अधिकांश महिलाएं सफलता के लिए भाग्य को सर्वोपरि स्थान देती है। इन सब का मुख्य कारण अशिक्षा है। आज भी पुरुष समाज महिलाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को नहीं बदल पाया है। इन सबके बावजूद भी महिलाओं के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है जिसे नकारा नहीं जा सकता। आज महिलाएं टीचर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, पायलट से लेकर मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति तक बन रही है। यह सब शिक्षा के कारण ही संभव हुआ।

सुझाव : –

महिलाओं के शिक्षा के प्रति उपेक्षा और भेदभाव को एक ही दिन में नहीं बदला जा सकता, इसके लिए शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करना होगा। महिलाओं को शैक्षिक रूप से मजबूत करना होगा तभी महिलाओं का विकास होगा। शिक्षा में लैंगिक भेदभाव को दूर करना होगा। जनता में महिलाओं के शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्थानीय समाज सुधार को एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की प्रभावशाली भूमिका हो सकती है, इसलिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकार को महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देते 'हुए राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक विकास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची : –

1. कुमार, राकेश (2020), महिला सशक्तिकरण और भारतरू डायमंड बुक पब्लिकेशन, नई दिल्ली। वेबसाइट : www-diamondbook-in.
2. आहूजा, राम (2006), सामाजिक समस्याएं : रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
3. कौशिक, आशा (2004), नारी सशक्तिकरणः विमर्श एवं यथार्थ, प्वाइंटर पब्लिशर्स जयपुर।
4. नारी का बदलता स्वरूप, अंर्तराष्ट्रीय हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका– 2017
5. ग्रामीण महिलाओं के बदलते सामाजिक मूल्य एवं आकांक्षाएं, अंर्तराष्ट्रीय हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका– 2018
6. हिंदुस्तान समाचार पत्र 23 दिसंबर 2017
7. विकीपीडिया
8. क्रोम वेब ब्राउजर

Nav Jyoti, Vol. 10, No. 21, July-December 2022 **ISSN : 2249-7331**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर छात्र एवं छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ0 रमेन्द्र कुमार सिंह
सहायक प्रोफेसर
मनोविज्ञान विभाग,
महाराजा कॉलेज,
(वीर कुँवर सिंह विश्वविधालय) आरा, बिहार

निशा पटेल
शोधार्थी
मनोविज्ञान विभाग,
वीर कुँवर सिंह विश्वविधालय,
आरा, बिहार

सार

किशोरावस्था विकास की अत्यन्त महत्वपूर्ण सीढ़ी है। मानव विकास का समस्त भविष्य यहीं से निर्धारित होते है। किशोरावस्था जीवन का सबसे नाजुक तथा कठिन काल है। अतः इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी ने किशोर छात्र एवं छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य का एक तुलनात्मक अध्ययन किया जिसमें सरकारी और गैर–सरकारी विद्यालयों के 8वीं, 9वी एवं 10वीं कक्षा के 200 विद्यार्थियों को शामिल किया गया और निष्कर्ष में पाया कि किशोर छात्र एवं छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य के बीच सार्थक अन्तर है।

प्रस्तावना

किसी भी देश या समाज का विकास उनकी आनी वाली नई पीढ़ी होती है। यह पीढ़ी हमारे देश या समाज के किशोर बालक एवं बालिका होते है। किशोरावस्था को एक निर्णायक काल माना जाता है। इस अवस्था में छात्र एवं छात्राएँ बाल्यवस्था से परिपक्वता की और कदम बढ़ाते है। यह वह समय है जहॉ किशोर अपने को व्यस्क व्यक्ति तो वही व्यस्क व्यक्ति उसे एक बालक मानता है। इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों में नाना प्रकार के परिवर्तन होते है । इस अवस्था में किशोरों को अनेक जटिल शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह वह दौर है जहॉ वे स्वतंत्र जीवन जीने की कल्पना करते है बिना किसी रोक–टोक के । किशोरावस्था वह समय है जहॉ यदि उन्हें सही दिशा में मोड़ दिया जाएँ तो उनका सर्वागीण विकास संभव हो पाता है, लेकिन यदि इन पर ध्यान न दिया जाएँ तो ये अनेक बुराईयों में पड़ जाते है। अतः एक सम्य एवं विकसित समाज के लिए किशोर एवं किशोरियों का सही मार्गदर्शन करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि वे अपने जीवन में सही लक्ष्य निर्धारित करे और लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनो रूप से स्वस्थ होना आवष्यक है । जब बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ होते है तो उनके मास्तिष्क का पूर्ण विकास होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उच्च कोटि के होते है क्योंकि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपनी भावनाओं और क्षमताओं का प्रयोग करना भँली प्रकार से जानते है, लेकिन मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति अपनी भावनाओं और क्षमताओं का उचित प्रयोग करने में असमर्थ रहता है।

मेहता, सुरेश सिंह ने ''माध्यमिक स्तर के बालक एवं बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन किया और निष्कर्ष में पाया कि माध्यमिक स्तर पर बालक एवं बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि में एक सार्थक अन्तर है।'' आरती ने ''माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों कें मानसिक स्वास्थ्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया और पाया कि माध्यमिक विद्यालयों में ग्रामीण विद्यार्थियों एवं शहरी विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अन्तर होता है।''

माथुर दुर्गेश्वरी ने ''विभिन्न वर्ग के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन किया और निष्कर्ष में पाया कि विभिन्न वर्ग के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अन्तर है।''

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अच्छे मानसिक एवं बौद्विक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों एवं क्षमताओं को समझते हुए अपने जीवन के सामान्य तनावों का सामना करने में समर्थ होते है एवं अपनी सामाजिक भूमिका का निर्वहन भी सामान्य रूप से कर सकता है।

स्किनर के अनुसार, ''मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है– स्वस्थ मानव संबंधों का विकास।''

हैडफील्ड के अनुसार '' सामान्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य सम्पूर्ण व्यक्तित्व का सामंजस्य पूर्णता के साथ कार्य करना है।''

अतः इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध कार्य को किया गया।

शोध उद्देश्य (Research Objective) -

- सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना।
- सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर छात्र एवं छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों के छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनाएँ (Research Hypothesis) -

1. सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के बीच कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा ।
2. सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों के छात्राओं के मानसिक स्पास्थ्य के बीच कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा ।
3. सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर छात्र एवं छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य के बीच कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।
4. गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर छात्र एवं छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य के बीच कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

शोध प्रणाली (Research Methodology) -

- **शोध विधि (Research Method)**

  प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

- न्यादर्श (Sample) :–

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने आरा शहर के माध्यमिक कक्षा के अध्ययनतर किशोर विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक प्रतिदर्शन के आधार पर किया गया, जिसमें कुल 200 विद्यार्थियों को शामिल किया गया। चयनित विद्यार्थी आरा के सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालय के 8वीं, 9वी एवं 10वीं के विद्यार्थी है जिसमें 100 छात्र एवं 100 छात्राएँ है ।

- **शोध उपकरण (Research Tools) –**

प्रस्तुत शोध में डॉ0 जगदीश एवं ए0 के0 श्रीवास्तव द्वारा निर्मित ''मेंटल हेल्थ इन्वेंटरी'' (MHI) का प्रयोग किया गया है। इस MHI सूची को इस तरह से डिजाईन किया गया है जिससे सामान्य व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के सकारात्मक पहलू को मापा जा सकें। अधिकांश मापन के पैमाने मानसिक स्वास्थ्य के बजाय मानसिक अस्वस्थता को मापते है अर्थात मानसिक अस्वस्थता के माप पर कम अंक उच्च मानसिक स्वास्थ्य को दर्शाता है तो उच्च अंक खराब मानसिक स्वास्थ्य को दर्शाता है, लेकिन इस सूची में सकारात्मक लक्षणों को शामिल किया गया है। इस सूची द्वारा प्राप्त प्राप्तांक का माध्य, मानक विचलन और टी–परीक्षण का प्रयोग कर निष्कर्ष निकाला गया।

<u>व्याख्या एवं विश्लेषण (Analysis)</u> –

1. सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के बीच कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा ।

तालिका–1

समूह	संख्या	माध्य	मानक विचलण	टी.परीक्षण मान	सार्थकता स्तर	परिणाम
					0.01	
सरकारी वि0 के छात्र	50	148.4	9.92	6.01	2.365	अस्वीकृत
गैर सरकारी वि0 के छात्र	50	162.96	5.7			

$$df = N1+N2-2 = 50+50-2 = 98$$

उपरोक्त तालिका संख्या–1 सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को दर्शाता है तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि गणना की गई टी–परीक्षण मान ''टी–सारणी'' मान से अधिक है। अतः H_{o1} को अस्वीकृत किया जात है अर्थात सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के बीच सार्थक अन्तर है ।

2. सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य के बीच कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा ।

तालिका – 2

समूह	संख्या	माध्य	मानक विचलण	टी.परीक्षण मान	सार्थकता स्तर	परिणाम
					0.01	
सरकारी वि0 के छात्रा	50	137	10.77	3.01	2.365	अस्वीकृत
गैर सरकारी वि0 के छात्रा	50	143	9.59			

$$df = N1+N2-2 = 50+50-2 = 98$$

उपरोक्त तालिका–2 सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के मानसिक स्पास्थ्य को दर्शाती है, तालिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य के बीच सार्थक अन्तर है ।

3. सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर छात्र एवं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य बीच कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा ।

तालिका – 3

समूह	संख्या	माध्य	मानक विचलण	टी.परीक्षण मान	सार्थकता स्तर	परिणाम
					0.01	अस्वीकृत
छात्र	50	148.4	9.92	5.53	2.365	
छात्रा	50	137	10.77			

$$df = N1+N2-2 = 50+50-2 = 98$$

उपरोक्त तालिका–3 सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के मानसिक स्पास्थ्य को दर्शाता है, जहॉ टी–परीक्षण मान 5.53 है जो कि 0.01 के सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत की जाती है अर्थात सरकारी विद्यालयों के छात्र और छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य के बीच सार्थक अन्तर है ।

4. गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर छात्र एवं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के बीच कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा ।

तालिका – 4

समूह	संख्या	माध्य	मानक विचलण	टी.परीक्षण मान	सार्थकता स्तर	परिणाम
					0.01	
छात्र	50	162.2	12.96	8.57	2.365	अस्वीकृत
छात्रा	50	143	9.59			

df = N1+N2-2 = 50+50-2 = 98

उपरोक्त तालिका–4 गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के मानसिक स्पास्थ्य को दर्शाता है, जहॉ टी–परीक्षण मान 8.57 है जो कि 0.01 के सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत की जाती है अर्थात गैर सरकारी विद्यालयों मे अध्ययनरत किशोर छात्र एवं छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य के बीच सार्थक अन्तर है ।

निष्कर्ष -

किशोर छात्र एवं छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य में अन्तर पाये गए । छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य से अच्छे पाये गये। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य स्तर प्रश्नावली सूची मानक स्तर पर औसत पाया तो वही छात्राओं का मानसिक स्वास्थ्य स्तर औसत से कम पाया गया, जबकि गैर सरकारी विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं का मानसिक स्वास्थ्य स्तर सरकारी विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य स्तर से अच्छा पाया गया ।

विवेक कुमार (2020) ने अपने उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन किया और पाया कि छात्र एवं छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य में संपूर्ण रूप से सार्थक अन्तर है जो कि प्रस्तुत शोध निष्कर्ष कों समर्थित करते है ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची –

1. सिंह, बलवान–: ''माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर समायोजन के प्रभाव का अध्ययन'', www.echetana.com page no- (195–200), Aug- 2018
2- सिंह, अरूण कुमर (2013): ''मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ'' मोतिलाल बनारसीदास पब्लिकेशन, नई दिल्ली ।
3. मेहता, सुरेश सिंह (2015): ''माध्यमिक स्तर के बालक एवं बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन'', www. all subject journal.com. page no- (80–85), July, 2015
4. आरतीः माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन'', www.echetana.com page no- (125–127), July & Sep-2020
5. कुमार विवेकः ''उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययननतर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन'', www.all subject journal.com-2020
6. डॉ0 जगदीश एवं डॉ0 श्रीवास्तवः ''मेंटल हेल्थ इन्वेंटरी'' मनोविज्ञान परीक्षण संस्थान, वाराणसी।

Nav Jyoti, Vol. 10, No. 21, July-December 2022 **ISSN : 2249-7331**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

प्रगतिवाद और हिंदी साहित्य – एक विश्लेषण

डॉ० अर्चना धामा
प्रोफेसर (हिन्दी विभाग)
डी०ए०वी० कॉलेज, मुजफ्फरनगर।

शोध सारांश –

'प्रगति' शब्द का अर्थ है –चलना, आगे बढ़ना, अतः प्रगतिवाद का शाब्दिक अर्थ है –वह वाद जो आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। प्रगतिवाद वर्गहीन समाज के पक्ष में है। यह एक प्रकार से मार्क्सवाद का साहित्यिक रूप कहा जा सकता है। सौंदर्य और कला से उसका विरोध नहीं है किंतु, यह पहले उन भौतिक अभावों को और जनता के दैन्यऔर दरिद्रता को दूर करना चाहता हैं, जिसके कारण उनकी सौंदर्यानुभूति में कमी लगती है। उनका सिद्धांत है – 'भूखे भजन न होय गोपाला'। वह कला को जनसाधारण के उपभोग का विषय बनाना चाहता है। मानव की भौतिक समस्याओं और उसके संघर्षों से प्रगतिवाद अधिक जुड़ा है। वे यह नहीं मानते कि दुःख में पड़ा हुआ अभिजात–वर्ग का मनुष्य केवल मानवता के नाते हमारी सहानुभूति का विषय हो सकता है। प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित है।

मार्क्सवाद द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद का हामी है। मार्क्स जगत को आध्यात्मिक शक्ति से परिचालित न मानकर भौतिक नियमों के स्वतः परिचालन से विकासमान मानते हैं। भौतिक विकासवाद के परिचालन के मूल में है – द्वंद्वात्मक शक्ति। द्वंद्वात्मक का अर्थ है, संघर्ष से विकसित होना। दो विरोधी शक्तियों के संघर्ष से तीसरी शक्ति विकसित होती है। आगे चलकर तीसरी का चौथी से संघर्ष होता है तो पांचवी शक्ति विकसित होती है –इसी क्रम से यह भौतिक विकास होता जाता है। इसी प्रकार प्रगतिवादी कवि मानते हैं कि भौतिक शक्तियों के द्वंद्व से ही सृष्टि का विकास है, अतः शोषक और शोषितों के बीच द्वंद्व होना अनिवार्य है। इसी द्वंद्वात्मक स्थिति से उबर कर या विकसित होकर नया समाज, नया इंसान जन्म लेगा –ऐसा इनका विश्वास है।

कुंजी शब्द –द्वंद्वात्मक, परिचालन, आध्यात्मिक सत्ता, साम्यवाद, वैषम्य, शोषित।

'प्रगति' शब्द का अर्थ है –चलना, आगे बढ़ना, अतः प्रगतिवाद का शाब्दिक अर्थ हुआ– वह वाद जो आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। इस दृष्टि से इसका अर्थ बहुत व्यापक है, किंतु आधुनिक हिंदी में इसका प्रयोग एक विशेष विचारधारा के लिए ही रूढ़ हो गया है। यह विशेष विचारधारा है –मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुकूल साहित्यिक विचारधारा। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि साम्यवादी विचारों का प्रचार करने वाला या साम्यवादी लक्ष्य की पूर्ति में योगदान देने वाला साहित्य ही प्रगतिवादी साहित्य कहलाता है। 'प्रगतिवाद' से मिलता जुलता शब्द 'प्रगतिशील' भी हिंदी साहित्य में प्रचलित है, किंतु 'प्रगतिवाद' और 'प्रगतिशील' को एक मानना उचित नहीं है। दोनों में सूक्ष्म अंतर है। 'प्रगतिवाद' में 'प्रगति' शब्द का अर्थ केवल आगे बढ़ना नहीं है' वरन एक विशिष्ट दिशा में आगे बढ़ना है और वह विशिष्ट दिशा है –मार्क्सवादी विचारधारा। 'प्रगतिशील' शब्द में 'प्रगति'का अर्थ आगे बढ़ना है और वह सर्वथा स्वतंत्र है, किसी विशेष विचारधारा से बंधा हुआ नहीं।

प्रगतिवादी साहित्य का मूल आधार कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। यह विश्व की महान शक्तिशाली विचारधाराओं में से एक है। इसके समर्थक और विरोधी दोनों ही इसकी शक्ति की धाक स्वीकार करते हैं। इसके प्रभाव से नवीन जीवन–दर्शन, साहित्य, कला और संस्कृति का आविर्भाव हुआ। मार्क्सवादी विचारधारा को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं।

(1) द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद

(2) मूल्य वृद्धि का सिद्धांत

(3) मानव सभ्यता के विकास की व्याख्या

(1) द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद –

कार्ल मार्क्स की मान्यता के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति किसी अलौकिक या आध्यात्मिक सत्ता,ईश्वर के द्वारा नहीं हुई, अपितु उसका धीरे–धीरे विकास हुआ। इनका मानना है कि सृष्टि का विकास आध्यात्मिक शक्ति ने नहीं किया, अपितु भौतिक जगत स्वयं ही इसके विकास का कारण है। भौतिक विकासवाद को परिचालित करने वाली प्रवृत्ति का नाम 'द्वंद्वात्मक' है। द्वंद्वात्मक का अर्थ है –संघर्ष से ही विकास होता है। 'द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद' का अर्थ हुआ –दो शक्तियों के पारस्परिक द्वंद्व से भौतिक जगत का विकास होना। इनके अनुसार दो भौतिक शक्तियों के द्वंद्व से ही सृष्टि का विकास होता है।

(2) मूल्य वृद्धि का सिद्धांत –

किसी वस्तु का मूल्य कैसे बढ़ जाता है, इसकी व्याख्या करते हुए मार्क्स ने उत्पत्ति के चार अंग निर्धारित किए हैं –

1. मूल पदार्थ 2. स्थूल साधन 3. श्रमिक का श्रम 4. मूल्य वृद्धि।

(3) मानव सभ्यता के विकास की नई व्याख्या–

मार्क्सने संसार के सभी मनुष्यों की –चाहे वो किसी भी देश या जाति से संबंधित हो – दो जातियाँ या वर्ग माने हैं –शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। मानव सभ्यता का समस्त इतिहास इन दो के संघर्ष की कहानी है। इस कहानी को भी चार युगों में विभाजित कर सकते हैं–

1. दास प्रथा युग 2. सामंती प्रथा 3. पूंजीवादी व्यवस्था
4. साम्यवादी व्यवस्था

दास प्रथा युग, सामंती प्रथा, पूंजीवादी व्यवस्था–इन तीनों व्यवस्थाओं में मजदूरों (श्रमिको) को उत्पादन का पूरा लाभ नहीं मिला। अतः मार्क्स का लक्ष्य चौथी व्यवस्था – साम्यवादी व्यवस्थाको स्थापित करना था –जिसमें श्रमिकों की प्रतिनिधि सरकार द्वारा उत्पादन के समस्त साधनों पर नियंत्रण हो तथा प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिश्रम के अनुरूप फल मिले। मार्क्सवाद का लक्ष्य समाज में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना है। मार्क्सवादी या प्रगतिवादी साहित्य का लक्ष्य भी साम्यवादी विचारधारा का प्रचार करना तथा शोषित वर्ग को क्रांति के लिए, शोषक वर्ग के विरुद्ध उत्तेजित करना है।

प्रगतिवादी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां –

दर्शन में जिसे द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद कहा जाता है, राजनीति में वह साम्यवाद है, वहीं साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। प्रगतिवादी साहित्य का प्रचार सर्वप्रथम यूरोप के विभिन्न देशों में हुआ, तत्पश्चात् एशिया के कुछ भागों में हुआ। प्रगतिवाद का संबंध केवल हिंदी से ही नहीं, विश्व की विभिन्न भाषाओं से है। प्रगतिवादी साहित्य के निष्पक्ष आलोचकों ने प्रगतिवादी साहित्य की जिन विशेषताओं का वर्णन किया है वे हैं–

(1) शोषक वर्ग (पूंजीपति वर्ग) के प्रति घृणा का प्रचार –

समग्र प्रगतिवादी–साहित्य में पूंजीपतियों के प्रति घोर घृणा का भाव व्यक्त किया गया है। प्रगतिवादी साहित्यकार समझता है कि पूंजीपति निर्धनों का रक्त चूस–चूसकर सुख की नींद सोते हैं। प्रगतिवादी यह नहीं चाहते कि एक व्यक्ति तो वातानुकूलित कक्षों में विश्राम करें और दूसरा सड़कों पर पड़ा–पड़ा वस्त्रों के अभाव में जाड़ों में ठिठुरता रहे। दिल दहलाने वाले कुविचारों, अनाचारों और व्याभिचारों को प्रगतिवादी साहित्य में चित्रित किया गया, जिसके परिणामस्वरुप प्रगतिवादी साहित्य में पूंजीपतियों के प्रति घोर घृणा का भाव अभिव्यक्त हुआ। शोषितों को शासकों के विरुद्ध क्रांति लाने के लिए आह्वान किया गया।

(2) शोषित वर्ग की दीन स्थिति का वर्णन –

पूंजीपतियों से त्रस्त और सामाजिक कुरीतियों से व्याकुल जन के प्रति प्रगतिवाद का शोषितों का गुणगान करना सहज कर्त्तव्य है। साम्यवादी व्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य शोषण को मिटाना है। इसलिए प्रगतिवाद मजदूरों और कृषकों का हमदर्द है।

(3) धर्म, ईश्वर तथा परलोक का विरोध –

प्रगतिवादी साहित्य में धर्म, ईश्वर तथा परलोक का विरोध किया गया है। इसके दो कारण हैं –एक तो यह कि आज के शिक्षित वर्ग का इन सभी बातों से विश्वास उठ गया है और दूसरा यह कि स्वयं मार्क्सवादी विचारधारा में इसका घोर विरोध किया गया है। प्रगतिवादी साहित्यकारों की यह धारणा है कि शोषित–वर्ग अपनी दयनीय स्थिति के लिए शोषकों को नहीं अपितु अपने भाग्य को कारण मानता है। इसलिए भाग्यवाद को दूर कर शोषकों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए,शोषितों को प्रेरित करने के लिए इन सब का विरोध करता है। उनका विश्वास है कि जब तक श्रमिक धर्मपरायण, ईश्वरवादी तथा भाग्य पर निर्भर रहने वाला रहेगा तब तक वह हिंसात्मक क्रांति के लिए प्रस्तुत नहीं होगा। शोषक–वर्ग इन आध्यात्मवादी मान्यताओं के बल पर शोषित–वर्ग पर अत्याचार करता है। यही कारण है कि प्रगतिवादी साहित्यकार 'ईश्वर असफल हो गया है','धर्म अफीम का नशा है' जैसी घोषणाएं कला के माध्यम से घोषित करता है।

(4) नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण –

प्रगतिवाद ने नारी के विषय में सर्वथा नूतन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। अभी तक नारी केवल उपभोग की वस्तु समझी जाती थी अथवा वह कल्पनालोक की सौंदर्यमयीसृष्टि थी। प्रगतिवादी साहित्य में नारी के स्वरूप को प्रस्तुत किया। प्रगतिवादी साहित्यकार ने नारी को पुरुष की भांति स्थूल सृष्टि का एक अंग माना है, उसने नारी को अधिकार भी उतने ही देने की बात कही है, जितने पुरुषों को प्राप्त है। उसने नारी के शोषण का सर्वथा विरोध कर उसे पुरुष की जीवन सहचरी के रूप में प्रस्तुत किया। प्रगतिवादी साहित्य में अट्टालिकाओं में सुरक्षित राजकुमारियों की अपेक्षा खेत–खलियानों में काम करने वाली स्वस्थ कृषक–बालिकाओं तथा मजदूरनियों के चित्रण को विशेष महत्त्व दिया गया है। जहां प्रगतिवादी साहित्यकारों ने नारी को उच्च आदर्शों और उच्च आसन पर प्रतिष्ठित किया है वहीं यथार्थवाद के नाम पर कहीं–कहीं इन्होंने वासना का नग्न चित्रण भी प्रस्तुत किया है।

(5) यथार्थ का अंकन –

प्रगतिवाद की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह वर्ण्य–विषय का यथार्थ चित्रण करता है, कल्पना के माध्यम से नहीं। ये खून–पसीना एक कर देने वाले मजदूरों के निराशापूर्ण जीवन की असफलताओं को प्रतिबिंबित करते हैं और समाज में व्याप्त बुराई, पाप और अराजकता का यथोचित चित्रण करते हैं। यह भव्य, महान और आदर्श की ओर आकृष्ट न होकर कुरूप, कुत्सित, पतित और कठोर सत्य का अंकन करते हैं।

(6) उपयोगितावाद –

प्रगतिवादी साहित्य उपयोगितावाद का उपासक है। प्रगतिवादी आलोचक उसी साहित्य को कृति मानता है जिसका मानव–जीवन में अधिक–से–अधिक महत्त्व हो। उसकी दृष्टि में सच्चा साहित्य वह है जो मानव–जीवन को प्रगति के पथ पर अग्रसर करें।

(7) सरल भाषा–शैली–

जनजीवन से संबंधित होने के कारण इस धारा का साहित्यकार सरल और स्वाभाविक भाषा–शैली को अपनाने का पक्षधर है। ये जनता के विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए नवीन शैली का प्रयोग

करते हैं। स्पष्ट, यथार्थ तथा वास्तविक विचारों को व्यक्त करने के लिए सरल, सुबोध और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह परंपरागत उपमानों और प्रतीकों का परित्याग कर नवीन विचारधाराओं को व्यक्त करने में सक्षम एवं नूतन उपमानों और प्रतीकों की योजना करते हैं। साहित्य की प्राचीन रूढ़ियों – छंद, अलंकारों आदि का प्रगतिवाद में निर्वाह नहीं किया जाता है।

हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद –

भारत में 'प्रगतिशील लेखक संघ' की विधिवत स्थापना सन् 1936 में हुई। 'प्रगतिशील लेखक संघ' की प्रथम बैठक मुंशी प्रेमचंद के सभापतित्व में हुई। कविता, कहानी, नाटक और आलोचना आदि सभी क्षेत्रों में प्रगतिवादी साहित्य की प्रवृत्तियों का विकास होने लगा। अनेक प्रमुख छायावादी कवि प्रगतिवादी बन गए। सन् 1929 में प्रकाशित 'परिमल' में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भिक्षुक, विधवा, बादल राग आदि कविताओं में दीन हीन शोषित वर्ग के प्रति अपनी सच्ची सहानुभूति की अभिव्यक्ति करके अपनी प्रगति चेतना को व्यक्त किया है।

इसी प्रकार पंत जी ने युगांत (1936), युगवाणी (1939) एवं ग्राम्या (1940) में क्रमशः छायावादी सौंदर्य एवं कल्पना लोक को छोड़कर प्रगतिवाद के ठोस धरातल पर अवतरित होते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। अब वे नारी और प्रकृति की उपासना को छोड़कर मानव की ओर अग्रसर होते हुए यथार्थ जीवन के सुख–दुःख में रुचि लेने लगते हैं। पंत जी के काव्य जीवन में इस परिवर्तन का प्रमुख कारण मार्क्स के साम्यवादी दर्शन का ही प्रभाव था। किंतु इन छायावादी कवियों ने साम्यवाद को सर्वांगीण रूप में स्वीकार नहीं किया था – वे उसके केवल आर्थिक पक्ष से एवं उसके साध्य से तो सहमत थे किंतु इसके साथ ही वह गांधीवादी आदर्शों सत्य, अहिंसा, संयम एवं त्याग आदि को भी मान्यता देते थे। वस्तुतः वे इन दोनों के समन्वय के द्वारा मानव जाति के आर्थिक कष्टों एवं सामाजिक वैषम्य के निराकरण के साथ–साथ उसके नैतिक और आध्यात्मिक अभ्युत्थान की कामना करते थे। साम्यवाद की स्थूल भौतिकवादी दृष्टि अध्यात्मविरोधी विचारधारा एवं घृणा एवं हिंसा की नीति इन्हें स्वीकार नहीं थी, इसलिए वे 'प्रगतिशील' ही रहे – मार्क्स के पूर्णरूपेण अनुयायी प्रगतिवादी वे नहीं बन सके।

इनके अतिरिक्त श्री रामधारी सिंह दिनकर की 'रेणुका', भगवतीचरण वर्मा की 'मधुकण', नरेन्द्र शर्मा की 'शूल–फूल', बालकृष्ण शर्मा नवीन की 'विप्लव–गायन', जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की 'जीवन–संगीत', आरती प्रसाद सिंह की 'कलापी' में संगृहीत कविता 'रक्त पर्व', गोपाल सिंह नेपाली की 'उमंग' आदि कविताओं में भी प्रगति चेतना के स्वर सुनाई पड़ते हैं। इनमें कहीं वर्ग–वैषम्य का चित्रण करते हुए शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है तो कहीं वर्तमान व्यवस्था को बदल देने के लिए क्रांति का आह्वान किया गया है तो कहीं स्पष्ट रूप से 'साम्यवाद' की प्रशंसा एवं 'पूंजीवाद' की भर्त्सना की गई है। इस प्रकार ये कविताएं भले ही पूर्ण रूप से प्रगतिवादी न कही जा सकें परंतु इनसे इतना तो प्रमाणित होता है कि हिंदी में प्रगतिशील संघ की विधिवत स्थापना से पूर्व ही प्रगतिवाद के आवागमन की ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी थी।

भगवतीचरण वर्मा, रामेश्वर शुक्ल 'अंचल', शिवमंगल सिंह 'सुमन', गिरिजाकुमार माथुर, चंद्रकिरण सोनरिक्सा, केदारनाथ अग्रवाल आदि कवियों ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए काव्य रचना की।

सामाजिक यथार्थवादी लेखकों ने समाज के ऐतिहासिक विकास के सिद्धांत पर विश्वास किया। अतः क्रांति और नए समाज के निर्माण की बात सुनियोजित रूप से कही जाने लगी। इससे भाग्यवाद, नियति, ईश्वर और उसके सामूहिक प्रतिनिधियों सामंत, पुरोहित आदि का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। हर प्रकार के शोषण, अन्याय और अनाचार के प्रति इन लेखकों ने तीव्र आक्रोश प्रकट किया। यें लेखक वर्गविहीन समाज

की रचना के लिए लालायित हैं। इनका लक्ष्य आर्थिक स्वतंत्रता है, जिसके बिना राजनीतिक और सामाजिक स्वाधीनताएं अपूर्ण हैं।

कथा साहित्य के क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, नागार्जुन, रांगेयराघव, भगवतीचरण वर्मा आदि लेखकों ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से रचनाएं प्रस्तुत की। इनके साहित्य में जहां यथार्थवादी ढंग से समाज की विभिन्न परिस्थितियों का अंकन हुआ है, वहां नग्न–अश्लीलता का भी चित्र पर्याप्त मिलता है।

आलोचकों में भी एक वर्ग ऐसा है जिसे प्रगतिवादी कहा जा सकता है। इनमें डॉ० रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृतराय आदि प्रमुख है। इन आलोचकों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता के कारण प्रगतिवादी आलोचना अधिक विकसित न हो सकी।

हिंदी के प्रगतिवादी साहित्य पर आक्षेप –

हिंदी में प्रगतिवाद का प्रचार जितनी शीघ्रता से हुआ उतनी स्थिरता व प्राप्त नहीं कर सका। जहां प्रगतिवाद अपनी नवीन कलात्मकता और उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ कुछ आलोचकों ने प्रगतिवाद पर कुछ आक्षेप भी लगाए हैं।

(1) पहला आक्षेप तो यह है कि प्रगतिवादी जीवन–दर्शन संकुचित है। जीवन की केवल आर्थिक व्याख्या संगत नहीं। मार्क्सवादियों ने मानव–इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या की है वह अधूरी और अनेक स्थलों पर असंगत एवं अविश्वसनीय है। कवि अपने काव्य में जीवन की अभिव्यक्ति करता है, वह अपने समाज के प्रति अपने परिवेश के प्रति, जागरूक रहता है। उस स्थिति में उसके सामने केवल आर्थिक विषमता ही नहीं होती। मानव–जीवन के हर्ष–विषाद, उत्थान–पतन, जय–पराजय, आशा–निराशा आदि के न जाने कितने विचार जीवन के विस्तृत संसार में से प्राप्त होते हैं। जीवन की इतनी विशालता में से अर्थमात्र पर अपनी दृ ष्टि को केंद्रित करना काव्य की परिधि का संकोचन है, उसे सीमित बनाना है। जिस प्रकार राजनीति के क्षेत्र में मार्क्स के अर्थ संबंधी विचार अनेक विद्वानों की आलोचना के विषय रहे हैं उसी प्रकार प्रगतिवादी कवियों के भी।

(2) दूसरा आक्षेप यह है कि साहित्य अपने मूल रूप में सामाजिक या सामूहिक चेतना नहीं है। वह तो वैयक्तिक चेतना हो सकती है। मनुष्य पहले व्यक्ति के पीछे समाज की इकाई। साहित्य वस्तुतः आत्माभिव्यक्ति ही है। हमारे आत्म या व्यक्तित्व की दो प्रवृत्तियां होती हैं – (1) अंतर्मुखी (2) बहिर्मुखी।

अंतर्मुखी प्रवृत्तिबहीरंग को अपने अंदर खींचतीहुई गहरी अथवा घनीभूत होती रहती है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति अंतरंग का प्रसार करती भी हुई व्यापक होती रहती है। मनुष्य में संस्कार और परिस्थितिवश इनमें से एक का प्राधान्य हो जाता है। साहित्य की सृजन–प्रक्रिया से स्पष्ट है कि वह जीवन की भागवत व्याख्या है। वह जीवन की अंतर्मुखी साधना है। अतः स्वभाव से ही उसमें अंतर्मुखी–वृत्ति का प्राधान्य होता है। वह जितना महान होगा उसका अहंउतना ही तीखा व बलिष्ठ होगा। जिसका पूर्णतः सामाजिकरण असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य हो जाएगा। संसार में ऐसे महानसाहित्यकार विरला ही मिलेगा जिसने किसी अपरागत उद्देश्य से पूर्णतया तादात्म्य स्थापित कर लिया हो।

डॉ० नगेंद्र ने अपनी पुस्तक 'आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां' में प्रगतिवादी काव्य को एक विशेष राजनैतिक विचारधारा का ही 'उच्चार' कहा है। वे मानते हैं कि प्रगतिवादी कवि साहित्य को भी मार्क्स की कसौटी पर ही कसना चाहते हैं –वह ठीक नहीं है। अमर काव्य राजनीति में नहीं बनता इसलिए होमर और कालिदास की रचनाएं अमर कहलाती हैं। फिर काव्य का मूल आनंद होता है वह भी इस तरह का पूर्वाग्रह से मुक्त कविता में नहीं मिल सकता। विचारकों के सिद्धांतों पर हम यदि चले तो काव्य में आज के युग में फ्रायड का भी उतना ही बोलबाला होना चाहिए या प्रयोजनवादी मनोवैज्ञानिक मैक्डूगल की मूलप्रवृत्तियों की दृष्टि से काव्य–रचना में प्रवृत्त होना पड़ेगा। इस तरह काव्य, दर्शन, मनोविज्ञान और

राजनीति राजनीति का अखाड़ा बन जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में इस तरह की अवस्था स्वस्थ नहीं कही जा सकती।

(3) आस्तिकता के प्रति प्रगतिवादी काव्य में आस्था नहीं मिलती है। इस तरह यह काव्य भारतीय–संस्कृति की एक मूल विशेषता को उपेक्षित करता चला गया है।

(4) इस काव्यधारा में यथार्थ पर अधिक बल दिया गया है। यह यथार्थ कहीं–कहीं पर विकृत और वीभत्स रूप में वर्णित हुआ है, जिससे साहित्य की उदात्तता धूमिल हो जाती है।

(5) यह काव्य असत के चित्रण पर बल देता है। वह शांति नहीं क्रांति का स्वर अलापता है। इस तरह संघर्ष कराकर अशांतिमय वातावरण की सृष्टि करता है।

(6) भौतिक सुखों तक ही इस काव्य की सीमा है। संसार में भौतिक सुखों से ऊपर जाने की ओर प्रगतिवादी कवि की प्रवृत्ति नहीं है।

(7) शोषित वर्ग के प्रति मौखिक सहानुभूति मिलती है। इन कवियों में ऐसा कौन–सा कवि है जो अर्थ–संकट की तरह की दयनीय स्थिति बिताकर कविता लिख रहा है। वैसे जीवन की सच्ची अनुभूति इन्हें नहीं हो पाई। इस तरह से यह काव्य कल्पना–प्रसूत है। अनुभूति सत्य नहीं।

(8) नारी के प्रति इन कवियों का दृष्टिकोण स्वस्थ नहीं है।

(9) इन कवियों के सामने किसी निश्चित आदर्श की प्राप्ति करने का आदर्श नहीं है।

(10) प्रगतिवादी साहित्य, साहित्य कम है और समाजशास्त्रीय अध्ययन अधिक है।

निष्कर्ष–

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद अधिक पल्लवित पुष्पित ना हो सका, किंतु उसकी जड़ें आज भी जीवित हैं। चाहे स्वयं प्रगतिवाद ने कोई विशेष महत्त्वपूर्ण रचना न दी हो, परंतु इसके प्रभाव से प्रायः सभी वर्गों के साहित्यकारों के दृष्टिकोण में पर्याप्त विकास हुआ है। प्रगतिवादी साहित्य का अपना महत्त्व है। वह भौतिक जीवन के उत्थान का पक्षपाती है। उसने हिंदी काव्य को एक नया मोड़ दिया है। वह कवियों की कल्पना को आकाश से उतारकर कठोर धरातल पर लाया है। उसने काव्य एवं जनजीवन मेंघनिष्ठ नाता स्थापित किया है, इसका निषेध नहीं किया जा सकता।

भले ही हम मार्क्स की विचारधारा से शत–प्रतिशत सहमत न हों, किंतु इतना तो सभी स्वीकार करते हैं कि श्रमिक–वर्ग को पूरा पारिश्रमिक मिलना ही चाहिए, उनकी स्थिति में पूर्ण सुधार होना ही चाहिए। यदि इस परिस्थिति के निर्माण में, श्रमिक–वर्ग के अभ्युत्थान में तथा समाज को सुखी बनाने में प्रगतिवादी साहित्य कुछ भी सहायता कर सके, तो यह उसकी एक बड़ी उपलब्धि होगी।

संदर्भ ग्रंथ –

(1) आधुनिक हिंदी–साहित्य का इतिहास –पं० कृष्ण शंकर शुक्ल– हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस।

(2) हिंदी साहित्य का इतिहास, बाबू गुलाब राय, प्रकाशन –लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।

(3) हिंदी साहित्य –उद्‌भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।

(4) हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉ० मोहनलाल रत्नाकर एवं वीरेंद्र कुमार अग्रवाल, शारदा प्रकाशन नई दिल्ली।

(5) साहित्यिक निबंध, अशोक कुमार गुप्त, पुस्तक प्रचार, गांधी नगर दिल्ली।

(6) भारतीय इतिहास –दृष्टि और मार्क्सवादी, शंकर शरण, प्रतिश्रुति प्रकाशन कोलकाता।

(7) हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रभात मिश्र, प्रलेक प्रकाशन मुंबई।

Nav Jyoti, Vol. 10, No. 21, July-December 2022 **ISSN : 2249-7331**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

THE IMPORTANCE OF FINE ARTS EDUCATION AN OVERVIEW

Mr. Sonam Sinha
Assistant Professor
Dr. S. Radhakrishnan Teachers'
Training College, Sukrigarha, Lari

ABSTRACT

Arts Education refers to education in the discipline of music, dance, theater and visual arts. Study in the arts is integral to our society. They are a part of the Cultural heritage of every human being. The arts are what makes us more human. most Complete as people. The ultimate aim of Education is all round development of an individual where are education helps to realise this Lefty aim of education. In the present content of authors focused on the research studies depicting the importance of art education in human personality development. What recomm- endations. given by national education policies and education. Committees for flowerishing Art education in India since independence. The paper also through light on present status of arts education in our Country and has given several suggestams for effective implementation in order to realise our Aims and objectives through art education/

Keyword :- Art education, dignity of labor motor skills Creativily, cognition, conation.

INTRODUCTION

Education is the arts is an integral part of the development of each human being. Those who have studied learning processes throughout the ages, beginning with Chats have emphasized the importance of the arts in the education process. Art education refers to education in the disciplines of music, dance, theater and visual arts. study in the arts is integral to our society. They are a pass of cultural heritage of every Indian. The arts are what makes us most human, most complete as people. culture is defined as the beliefs, customs and arts upheld in a group within society. Access to an arts education is crucial to a child's development as it develops the child earlier Notions of Culture. There are Iton ways that arts can help to understand what cullare is and the fundamental skills that come with an arts education

1. **Creativity :-**
   Though arts, children can express themselves in whichever way they want! In many art programmes, instructions may are their student to do different variations of a piece of art. that may already exis. This could be in the form of laking a painting from the Renaissance such as the Leonardo da Vinci's Mona lisa and painting. it in an expressionist manner, or taking a musical composition.
2. **Cultural Awareness :-**
   Experiences that take place through the arts boost Critical thinking and engages children to be careful and through about how to observe the world.
3. **Imbrond. Academic Performance :-**
   The arts interent Creativity and with that Children learn an essential skill set for sucess.
4. **Motor skills.:-**
   Arts in many forms in hands-on. There are lots of physical inations involved in a creative process such as holding a paint brush, scribbling with a crayon, and holding an instrument, which are all examples of a child developing their moter skills.
5. **Visual learning :-**

Through processes of drawing, reading a script, and looking at a sheet of music, children Can develepvisualspatial skills.

6. **Problem solving :-**
   Creative and Critical thinking go hand in hand in hand in all forms of the arts. Both sides of the brain are engaged, which happens. When having to deal with a problem. Exercising both sides helps children understand that problems can have more than one solution and questions. might have more than one answer.
7. **Decisions Making :-**we've already learned that are strengthens problemsolving and critical thinking skills, which are both a part of decision making. As artists, children have the freedom to make any choices they want when it comes to their artwork
8. **Berseverance. :-**
   Taking up and „mastering" anything will be a time. consuming process. Many people have the misconception that it can't be very hard to draw paint, act, play an instrument", etc. That Mis- Conception is tested when the concept of "pratice makes perfect" "Comes into the equation.
9. **Collaboration :** -
   The arts heavily rely on collaboration to make great things happen. In groups such as theatre, chair, or band, Children are required to constantly work together. They are also required to share the responsibility for the work and compromise Certain elements to meet a common goal among all members.
10. **Accountability :-**
    Accountability is a huge factor in the arts especially if the work is to be completed as a group. When a child is accountable for their own part or contribution within a group they learn about responsibility and dependency. if they choose to not to participate with a performance / project, they often realize how impactful it can be bo let others. clown and what it feels like to take ownership of such outcomes Perhaps the most fundamental element to education one should consider is the manner in which we perceive and make sense of the world in which we live. An effective education in the fine arts helps students to see what they look at hear what they listen to, and feet what they louch. Engagements in the fine arts helps students to stretch their minds beyond the boundaries of the printed text or the rules of what is provable. The arts free the mind from rigid certainty. Imagine the benefits of seeking, finding and developing multiple Solution to the myriad of problem facing our society today!

II Recommedation of Education Committes and Education policies. Regarding Art education in India.

There is a lack of meditation and creativity. everywhere, especially in schools. The arts are missing from our lives and we are giving way to kidence.

Since Independence various fedlicies document of the government have mentioned art education as an area of immense importance for the overall development of students. If eve say in

Benzimen Blooms classification for the development of Cognitive. Affective and esychomotor domains

Art education plays important rde. As early as 1952-53, thereper of then Education Commission emphasized the

“release J Creative. energy. among the studnets so that they may be able to appreciate cultural heritage and cultivate rich interest, which they Can pursue in their leisure and later in life. "This has been decided as one of the main functions of secondary education, which recommends that subjects as a art, craft, music, dance etc should be provided in the place of honor in the curriculum.

It was futher recommended that every high school Student should take one Craft, which is considered to be necessary at this age; every student should dende some time to work with the hands and attain a resonably high standard proficiency in one particular Craft so that if necessary they may support themselves by pursuing it.

The koltari commission report of 1964-66 emphasised that in an age which value discovery and invention education for creative expression acquires added significance. “Adequate facilities for to training of teacher in music and the visual arts in education improvises the educational process and lead to a decline of aesthetic tastes and values."

The National policy of education 1986 emphasized fastering among students an understanding of the diverse cultural and social systems of the people living different parts of the country as an important objective of school education. All the previous National Curriculum Framework. of 1975, 1988 and 2000 emphasized art education by defining its aims and objective in the school

It was not only India where this problem of art education exists. There is a worldwide phenomenon which was taken up by UNESCO in the year 2000 with an appeal by the Director General for prometion of art education and creativity at school levd as part of development of a culture of peace.

III STATUS OF TEACHING - LEARNING AND EVALUATION OF ART EDUCATION

There are several reason in for the present status of art education. An ongoing study of NCERT, an in depth study of Teaching - Learning pratices and evaluation procedure in Art education , observes that all children enjoy Creativity in their earlier stage of education but by the time they started losing interest in art education.

One of the main reason why art education has been a neglected area in the mayority of schools is placing too much emphasis on the Core subjects, which have a formalised procedure for assessment throughout the year including tests and exams. Since the assessment of art education is not reftected in the marks secured by students. Neither the teacher nor students. And not even school authority take it seriously.

Another major problem is the lack of trained teachers for teaching art education subjects. Art education teaches who have undergone training in various visual and performing arts in art colleges for four to sin years have very little to do with art education in school, let alone methods of teaching art in schools. They are trained in their Own discipline but not as educator.

The teacher being the vehicles of children's education There is a real need for the teacher to understand Children's psychology to be aware of the pedagogy and teaching methodology for art education. Art, education is an activity based, subject, which does not require a text book and this makes the role of teacher all the more important. Key have to be more alert, innovative and creative than any other teacher.

SUGGESTIONS

Suggestions for improvements in the status of art Education

- An art education is an enjoyable learning process for free expression of children Ample opportunities should be provided for their creative expressions.
- More Awareness needs to be created regarding art education among different beneficiaries and stake holders.
- But education should be made compulsory up be secondary school certificate level.
- School and Colleges should provide time, space and resources for art education activities within and outside the schod. The authorities should view this seriously otherwise the recognition of school Colleges should be cancelled.
- Though Non-examination based process oriented evalution is going on in several states like Telengana.
  Telengana and Andhra pradesh. But strict implementation is not done. The teacher themselves not having proper Comprehension of continuous comprehensive evaluation Hence need base training should be given in assessment procedures.
- Though several handbooks designed as per National curriculum Framework -2005 pertaining 6 arts education still much to be done Teacher education and Orientation of differev levels-needs a drastic change.
- Trough subject like Art education, Yoga, physical and health education, work experiences introduced in the schools and also place in time table given. The recruitment of teachers not yet done. Hence Trained and specialized. teachers should take. arts education Classes from upper primary stage on wards.

CONCLUSION :-

Art education should not be used by the schools merely as a showcase activity on different occasions such as annual function, inspection day etc. Art education should be applied in activities such as arrangement of classrooms, galleries, halls, Corridors. etc and designing of schools diaries, cards, bags etc since this is an activity based experimental subjects, it gives scope for observation, imagination and visualization in the process of creativity. Every individual child has all types of emotion, which need be Come out of the child's inner self. thusaut education help them in this process. Hence responsbilility relies on stareholders to implenent the Art education effectively at grassroot level.

REFERENCE

1. National curriculamframwork for schools education 1975.
2. National policy of Education 1986.
3. Dr. Mohd. MuzaffarHussain khan, ShaikLiyakhath Ali (2016). “The improtace of fine arts in education” PP : 67-70
4. National curriculum framework for school education 1988
5. https://www.katyisd.org
6. https://ncert.nic.in
7. https://www.nios.ac.in
8. https://www.lawinsider.com

9. National curriculum framework for school education 2000.

भारतीय समाज में सरोगेसी की नैतिक स्वीकार्यता एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ0 मनोज कुमार यादव
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र
विभाग, रज्जू भैया राज्य वि0वि0
प्रयागराज, उ0प्र0
प्रो0 ब्रजेश कुमार सिंह
प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग,
म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी

सारांश :

आधुनिक विज्ञान की देन 'सरोगेसी' नामक तकनीकी सन्तानोत्पत्ति के एक नूतन विकल्प के रूप में तेजी से विस्तार कर रही है। वैश्विक पटल पर भारतीय सन्दर्श इस सन्दर्भ में कुछ अलग दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि सरोगेसी की प्रक्रिया और माध्यम दोनों भारतीय सामाजिक–मूल्यों के ताने–बाने में कहीं से समंजित नहीं होता है। सामाजिक मूल्यों की सुदृढ़ 'चहारदीवारी' में दो विषमलिगियों के समागम से उत्पन्न उन्हीं सन्तानों को समस्त सामाजिक एवं वैधानिक अधिकार प्राप्त है जो सामाजिक व वैधानिक मूल्यों के अनुपालन में प्राप्त होते है। भारतीय सामाजिक मूल्यों–मानदण्डों एवं नियमों की संहिता से निर्मित संस्कृति के दृष्टिकोण से ''माँ की कोख और ममता'' विकाऊ नहीं हैं, अर्थात सेरोगेसी की प्रक्रिया नैसर्गिक नियमों के प्रतिकूल है।

ऐसी वस्तुस्थिति में भारतीय समाज में 'सरोगेसी' की स्वीकार्यता, उसका विस्तार और तद्सम्बन्धी सामाजिक–वैधानिक प्रावधान विचार–विमर्श का मुख्य विषय हो जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया से भारतीय समाज की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक संस्थाएं प्रभावित होती हैं। सरोगेसी के गर्भ से उत्पन्न 'समाज का 'कमोडिटी' स्वरूप व स्थिति कहीं से भी भारतीय सामाजिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। सरोगेसी का व्यावसायिक स्वरूप सामाजिक मूल्यों के सम्मुख एक चुनौती बनकर खड़ा हो रहा है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सेरोगेसी तकनीकी का प्रभाव समाज के लिए चिंता का विषय बनता है।

उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही इस शोध–प्रपत्र में सरोगेसी से सम्बन्धित विविध आयामों एवं चुनौतियों का विश्लेषण द्वितीयक तथ्यों के आधार पर किया गया है।

मुख्य शब्द–सोरोगेसी, टेस्ट ट्यूब तकनीकी, फर्टिलिटी पर्यटन, कमोडिटी समाज, कॉमर्शियल सोरोगेसी, सरोगेट मदर, सरोगेसी बिल।

प्रस्तावना

मानव समाज में व्यक्ति का जीवन–पथ संघर्षों से भरा पड़ा है। मानव अपने जीवन पथ को सरल व सुखद बनाने के प्रयत्न में दिन–रात प्रयत्नशील रहता है, इसी प्रयत्नशीलता में सुख एवं शान्ति की तलाश का नाम ही जीवन है। मानव समाज और मानव दोनों की अस्मिता से जुड़े अधिकांश प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं, क्योंकि हम आधुनिकता की आँधी में यह भूल गये हैं कि ''मानव भी प्रकृति का ही उत्पाद है।'' प्रकृति की गोद में ही मानव की जैविक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक एवं आत्मिक भावनाओं की सुदृढता से ही स्वस्थ जीवन–पथ का सृजन सुनिश्चित है।

उक्त तथ्यगत जीवन–मूल्यों के आलोक में यदि हम 'सरोगेसी' की अवधारणा, प्रक्रिया व तकनीकी के विस्तार तथा प्रभाव पर विचार–मंथन करे तो यह विदित होता है कि समाज का एक वर्ग ''सादा जीवन और उच्च विचार'' के आदर्शात्मक मूल्य की कीमत पर खड़े होकर स्वार्गिक सुख, आत्मिक आनन्द और लौकिक भोग की आत्म–विनष्टकारी व क्षरणकारी अवांछित मनोकामनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण करने को आतुर है। इसी संस्कारहीनता, वाचलता तथा स्वच्छन्दता का प्रतिफल 'सरोगेसी' दृष्टिगोचर होती है। ऐसे में समय की मांग है कि सामाजिक मूल्यों के सम्मुख चुनौती के रूप में खड़ी 'सोरेगेसी' की भारत में नैतिक स्वीकार्यता पर एक समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण होना चाहिए। इसी मंतव्य से यह शोध–प्रपत्र सृजित है।

सरोगेसी

सरोगेसी से आशय गर्भ धारण व बच्चे को जन्म देने की उस प्रक्रिया से है जिसमें एक महिला जो बच्चे को जन्म देने में असमर्थ है, की ओर से कोई अन्य महिला असमर्थ महिला के पति का शुक्राणु अपने गर्भ में तकनीकी की सहायता से धारण करती है और एक निश्चित समयावधि पश्चात् बच्चें को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चे की जैविक माँ अपना अधिकार छोड़कर बच्चे को उस दम्पत्ति को सौंप देती है जिससे उसने शुक्राणु लिया था।

अर्थात् एक पति द्वारा अपनी पत्नी की सहमति से अपने शुक्राणु को दूसरे महिला से शारीरिक संबंध स्थापित किए बिना उसकी कोख में देकर पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करना ही सरोगेसी है। गर्भ धारण करने वाली महिला सरोगेट मदर तथा उसकी 'कोख' को ''किराये की कोख'' कहा जा सकता है।

टेस्ट ट्यूब तकनीकी

टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीकी के जनक रॉबर्ट एडवर्डस थे। इस तकनीकी को परखनली शिशु तकनीकी अथवा आईवीएफ तकनीकी भी कहा जाता है। इस तकनीकी की सहायता से दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी ''लुईस जॉय ब्राउन'' का जन्म 25 जुलाई 1978 को हुआ था। वही भारत के पुणे, महाराष्ट्र में डॉ0 सुभाष मुखर्जी ने परखनली शिशु तकनीकी की सहायता से 03 अक्टूबर 1978 को 'कनुप्रिया अग्रवाल' नामक पहली टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म देकर भारत में परखनली शिशु तकनीकी जन्मदाता होने का गौरव प्राप्त किया।

वस्तुतः टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीकी से आशय उस तकनीकी से है जिसमें कोई बच्चा गर्भ धारण महिला के शरीर के बाहर एक परखनली में करता है। परखनली में चिकित्सकीय तकनीकी से तैयार किए गये भ्रूण को महिला के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। इस प्रक्रिया को ''इन–विट्रो फर्टिलाइजेशन'' (आईवीएफ) की संज्ञा दी जाती है।

फर्टिलिटी पर्यटन

इसे प्रजनन पर्यटन के नाम से भी जाना जाता है। फर्टिलिटी पर्यटन से आशय चिकित्सकीय क्षेत्र में प्रजनन के उच्च विकसित उस वातावरणीय स्थान से है, जहाँ चिकित्सक बाँझपन का इलाज कृत्रिम गर्भाधान के रूप में कराता है। अतः प्रजनन के दृष्टिकोण से सीमा पार प्रजनन योग्य वातावरण और सेवाओं की तलाश करना ही प्रजनन पर्यटन है।

कमोडिटी समाज

'कमोडिटी समाज' से आशय उस समाज से है जहाँ गैर–प्रजनन योग्य वातावरण में बच्चों का इस तरीके से पैदा करना जहां माँ और बच्चे के बीच का भावनात्मक संबंध टूट जाता है, अर्थात् प्राकृतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती इस तकनीकी के फलस्वरूप उत्पन्न बाजारीकरण की भावना से निर्मित समाज को 'कमोडिटी समाज' कह सकते हैं।

कामर्शियल सरोगेसी

व्यावसायिक सोरोगेसी से आशय उस प्रक्रिया से लिया जाता है जिसमें सोरेगेट मदर बच्चे को जन्म देने हेतु आर्थिक दृष्टिकोण से सौदा करती है।

सरोगेसी विनिमय अधिनियम, 2021 के तहत व्यावसायिक सरोगेसी भारत में दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। पहली बार के अपराध में रू0 50000/– का आर्थिक दण्ड और 5 साल की सजा तथा दूसरी बार इसी प्रकार के अपराध में शामिल पाये जाने पर एक लाख का अर्थिक दण्ड और 10 वर्ष की कारावास की सजा का प्रावधान सुनिश्चित है।

आज भारत सरोगेसी केन्द्र के रूप में तेजी से उभरा हैं क्योंकि वंशवेल को आगे बढ़ाने की चाह रखने वाली दंपत्तियों को भारत एक पसंदीदा और सुविधाजनक देश दिख रहा है। सेरोगेसी भारत में पर्यटन का स्वरूप ग्रहण करता दिख रहा है जो सामाजिक ताने–बाने के दृष्टिकोण से शुभ संकेत नहीं है। सरोगेसी की सुविधा देने वाले आर्ट क्लीनिक और इण्डियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं के रिपोर्ट प्रतिवेदनानुसार कामर्शियल सरोगेसी का प्रमुख बाजार स्थल के रूप में भारत का उभरना चिन्ताजनक है।

भारत के विधि आयोग की 228 वीं रिपोर्ट में वाणिज्यिक सरोगेसी पर रोक लगाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इन तथ्यों को ध्यानार्गत रखते हुए भारत सरकार ने सरोगेसी (विनियम) विधेयक, 2019 संशोधित 2021 के तहत 'किराये की कोख' के फलते–फूलते बाजार पर अंकुश लगाने का महनीय प्रयास किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत वाणिज्यिक सरोगेसी, अनैतिक गतिविधि, सरोगेट माताएं शारीरिक रूप से कमजोर सेरोगेट बच्चे और संबंधित परिवार को संभावित शोषण से बचाने के लिए अनेक प्रावधान सुनिश्चित किये गये है। फिर भी अवैध तरीके से सेरोगेसी का खड़ा होता अनचाहा बाजार चिंताजनक है और एक प्रमुख सामाजिक समस्या के रूप में उभर रहा है।

यद्यपि सन्तानोत्पत्ति ही यह नई तकनीकी है जो चिकित्सा जगत की अनुपम खोज मानी जा रही है निश्चय ही बाझँपन के शिकार दंपत्तियों के खुशहाल जीवन–पथ में सुगंध देने वाला है। चिकित्सा जगत की यह अनुपम खोज सरोगेसी तकनीकी संतानहीन दंपत्तियों को संतान सुख प्रदान कर रहा है। वह अतुलनीय व अवर्चनीय महसूस होता है, किन्तु जिस तरह और जिस तरीके से गरीब राष्ट्रों और गरीब वर्ग की महिलाओं को हर एक आयामों में शोषित करने का प्रचलन द्रुत स्वरूप को ग्रहण कर रहा है उसे नजर–अंदाज नहीं किया जा सकता। वाणिज्यिक सेरोगेसी का साम्राज्य विस्तार सामाजिक, सांस्कृतिक और मानीय मूल्यों का हरण कर रहा है। ऐसी वस्तु स्थिति में जाने–अनजाने में हम एक ऐसे 'कमोडिटी' समाज का सृजन कर रहे हैं जहाँ मानवता की भावना चेतना शून्य अवस्था में व सिसकियाँ भरने को विवश है और पीड़ित महिलाओं, बच्चों एवं परिवारों की आवाज अनसुनी व अनकही प्रतीत होती है।

निष्कर्ष–

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हम कह सकते है कि त्वरित लाभ के दृष्टिकोण से व्यावसायिक स्वरूप को प्राप्त करती सरोगेसी तकनीकी के चाहे जितने भी फायदे गिनाये जा सकें, किसी भी तरह स्वस्थ और सुदृढ़ समाज के हित में नहीं है। नैसर्गिक नियमों की तिलांजलि देती यह तकनीकी 'माँ' के पवित्र 'कोख' को विकाऊ बना दिया है। ऐसे में सामाजिक समरसता की नींव पर खड़ी नैतिक मूल्यों का महल धाराशाही होने की ओर उन्मुख प्रतीत होती है। सामाजिक ताने–बाने में निर्मित अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं न्यायिक संस्थाएं अनेक प्रकार की विसंगतियों से ग्रसित होती प्रतीत हो रही है।

सेरोगेसी की दिशाहीन बवंडर में नैतिक मूल्यों की गठरी टूटे काँच की भाँति विखराव की स्थिति में है। ऐसी वस्तुस्थिति में सेरोगेसी, समाज की नैतिक स्वीकार्यता के योग्य नहीं दिखती है। यह भी सत्य है

कि वैश्वीकरण के इस दौर में सेरोगेसी को लेकर आधुनिक व परम्परागत मूल्य द्वंद्वग्रस्तता की स्थिति में है, दोनों मूल्य समाज के लिए अपरिहार्य है। ऐसी स्थिति में समय की माँग बनती है कि सेरोगेसी तकनीकी, उसकी प्रक्रिया तथा प्रभाव को लेकर जो प्रावधान सुनिश्चित किए गये हैं उनमे संशोधन किया जाए साथ ही निश्चित किये गये प्रावधानों के उल्लंघनकर्ता को एक प्रभावी, सुनिश्चित, पारदर्शी एवं नियंत्रणमूलक प्रावधान के तहत त्वरित दंड देने की प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए संतुलित व सर्वमान्य स्वीकारोक्ति के वातावरण हेतु आम जनमानस को सचेत और जागरूक किया जाय। ऐसा करके ही हम मानव सशक्तिकरण के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने में सक्षम और सफल हो सकते है।

सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची–

1. सरोगेसी विनिमय विधेयक, 2021
2. स्वास्थ्य अनुसंधान वार्षिक रिपोर्ट– 2020–21,
3. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, राष्ट्रीय पोर्टल।
4. टेमन एली, ''बर्थिंग मदर : द सोरोगेट बॉडी एण्ड द प्रेग्नेंट सेल्फ'' बर्नले कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी प्रेस, 2010 ।
5. सोरोगेसी, बेहतर स्वास्थ्य चैनल, रिपोर्ट, विक्टोरिया राज्य सरकार, आस्ट्रेलिया।
6. अन्य शर्मा, ''सरोगेसी के सामाजिक, नैतिक, चिकित्सकीय और कानूनी पहलू : एक भारतीय परिदृश्य'', आईजेएमआर, इण्डियन जर्नल ऑफ मेडिसीन रिसर्च, नेशनल लाइब्रेरी, ऑफ मेडिसिन, अमेरिका।
7. भारत में फर्टिलिटी टूरिज्म का उदय, सेवा बाजार पूर्वानुमान– बी डब्ल्यू हेल्थ केयर। https://bwhealth careworldbusiness.in
8. भारत में प्रजनन पर्यटर–वाल्टर बुरानेल हेल्थ केयर फाउण्डेशन https:// wbhf. walterbusiness.in
9. www.nlm.nim.nih.gov.zpmc
10. www.medicoverfertility.in
11- www. patrika. com.
12. www.who.org.
13. भारत में फर्टिलिटी टूरिज्म का उदय, सेवा वाराणसी पूर्वानुमान– बी0डब्ल्यू0 हेल्थकेयर। https://bwhealthcaneworpblbusiness wordin.
14. भारत में प्रजनन पर्यटन – वाल्टर वुशनेल हेल्थ केयर फाउण्डेशन। https://whhf. waterbashneel.com.

Nav Jyoti, Vol. 10, No. 21, July-December 2022 **ISSN : 2249-7331**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : शैक्षणिक उत्कृष्टता के दिशा मे एक अभिनव पहल

प्रो0 बंशीधर पाण्डेय
प्रोफेसर,समाजकार्य विभाग,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,वाराणसी
डॉ0 राहुल गुप्ता
एसोसिएट प्रोफेसर,समाजशास्त्र विभाग,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,वाराणसी

सारांशिका

भारत की ज्ञान परंपरा प्राचीन काल में बहुत ही उन्नतशील रही है। ऐसे हजारों प्रमाण प्राप्त होते हैं जिनसे यह पता चलता है कि प्राचीन भारतीय समाज में शिक्षा अत्यंत ही विकसित अवस्था में रही है। कालांतर में जैसे–जैसे भारत देश में अनेक प्रकार के आक्रांताओं का आगमन हुआ वैसे–वैसे भारतीय शिक्षा पद्धति में गिरावट दर्ज होने लगी। वर्तमान समय में यदि भारत में हमें शिक्षा के परिवर्तन एवं विकास पर अध्ययन करना हो तो भारत की स्वतंत्रता के पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात् होने वाले शैक्षिक बदलाव एवं विकास को आधार मान कर अध्ययन किया जा सकता है। स्वतंत्रता के पूर्व कई प्रकार के शैक्षिक बदलाव ब्रिटिश हुकूमत के दौरान किए गए थे जिनका बहुत ज्यादा लाभ आम जनमानस तक नहीं पहुंच सका था क्योंकि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन, सीमित लोगों तक शिक्षा की पहुंच इत्यादि इसके प्रमुख कारण रहे हैं। परंतु स्वतंत्रता के पश्चात् अलग–अलग शिक्षा नीतियों के द्वारा शिक्षा पद्धति में परिवर्तन, शिक्षा में नवाचार इत्यादि पर नवीन प्रयोग किए गए उसी क्रम में वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी आविर्भाव हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के जो उद्देश्य है वो बहुत ही व्यापक है तथा अभी तक इसके जो परिणाम हैं वे काफी सुखद है। प्रस्तुत शोध पत्र में शिक्षा एवं शैक्षणिक बदलाव हेतु ब्रिटिश हुकूमत की शिक्षा नीतियों एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभाव को देखने का एक प्रयास किया गया है। इस शोध पत्र के लेखन में द्वितियक स्रोतों यथा पुस्तको, बेवसाइट पर उपलब्ध सामाग्रियों तथा विभिन्न स्थलों की यात्रा अनुभवों का सहारा लिया गया है।

बीज शब्द– विद्या, गुरु–शिष्य पद्धति, लॉर्ड मैकाले, शिक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति।

नास्ति विद्यासमो बन्धुर्नास्ति विद्यासमः सुहृत् ।
नास्ति विद्यासमं वित्तं नास्ति विद्यासमं सुखम् ॥

संस्कृत के श्लोक का अर्थ है कि विद्या के समान कोई भी बंधु–बांधव नहीं है, न हीं विद्या के समान कोई मित्र है। विद्या के समान कोई धन नहीं है और न ही विद्या के समान कोई सुख है। इससे यह स्पष्ट है कि विद्या यानी शिक्षा ग्रहण करने से प्राप्त ज्ञान ही मनुष्य को जीवन के यथार्थ से परिचित कराता है, जो व्यक्ति के सुख व समृद्धि का वाहक बनता है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति को जीवन के उद्देश्य, कर्तव्य–अकर्तव्य के बीच विभेद करने की योग्यता, व्यवहारिक ज्ञान आदि का भी सम्यक बोध नहीं हो पता है। अनुशासन, आचरण, व्यवहार, चरित्र, व्यापक दृष्टि,दूरदर्शिता, वैज्ञानिकता आदि अनेकों ऐसे गुण हैं जो शिक्षा के बिना संभव ही नहीं है। इसी कारण मनुष्य के जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं में ही शिक्षा का

स्थान प्रमुखता से लिया जाता है। इसीलिए मानव जीवन के प्रारंभिक काल अर्थात् बाल्यावस्था व किशोरावस्था में नियमित व नियोजित शिक्षा का विशेष महत्व है । इसका यह आशय भी नहीं है कि जीवन के अन्य कालों में शिक्षा का महत्व नहीं है, बल्कि यह कहा जाना अधिक समीचीन है कि शिक्षा व ज्ञानार्जन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु इसकी आधारशिला बाल्यावस्था में निर्मित होती है। यही कारण है कि मानव जीवन के अन्य अवस्थाओं की तुलना में बाल्यावस्था में शिक्षा की चर्चा अधिक की जाती रही है।

भारतीय सनातन संस्कृति में तो शिक्षा अर्थात् विद्या को अमरत्व प्राप्त करने अर्थात् मोक्ष का साधन माना जाता रहा है । "सा विद्यया या विमुक्तये" हमारा सांस्कृतिक उद्घोष रहा है। भारतीय मनीषा प्रारंभिक काल सें ही शिक्षा को व्यक्ति के विकास से सान्निध करने हेतु कटिबद्ध रही है । गुरु–शिष्य पद्धति के माध्यम से ही शिक्षा को प्रसारित करने का हमारा परंपरागत स्वरूप रहा है तथा भारद्वाज, वशिष्ठ, गर्ग, संदीपनी, महर्षि वेदव्यास, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, परशुराम, बृहस्पति, शुक्राचार्य, आदि ऋषियों के नाम गुरु के रूप में विख्यात है। वैदिक काल से चली आ रही इस गुरु–शिष्य परंपरा के द्वारा गुरु शिष्य को आध्यात्म, संगीत, कला, वेद, वास्तु, शस्त्र विद्या आदि अनेक क्षेत्रों में ज्ञान प्रदान करते थे। विद्या व परंपरागत ज्ञान का सबसे समृद्ध इतिहास भारतीय संस्कृति में ही प्राप्त होता है। भारतीय परंपरा में वर्णित अंतरिक्ष ज्ञान, आयुर्वेद, गणित, योग, दर्शन के लिए मार्गदर्शक रही है। यदि संगीत व कला को इसमें सम्मिलित करें तो यह और भी समृद्ध हो जाती है। परतंत्रता के काल में इन्हीं परंपराओं व पद्धतियों पर सबसे अधिक आक्रमण हुए तथा भारत में स्थापित विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय व पुस्तकालयों को नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया गया। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रसारित करने का भरपूर प्रयास किया गया तथा भारतीय पद्धति को छोड़कर नए प्रकार के शिक्षण व्यवस्था लागू की गई।

लॉर्ड मैकाले जिसे अंग्रेजी सरकार द्वारा शिक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। इस समिति का प्रमुख कार्य प्राच्यवादी तथा पश्चात्यवादी शिक्षा विवाद पर मध्यस्थता करना था। सन 1835 में लॉर्ड मैकाले ने समिति का स्मरण पत्र (Minute) तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक के परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे परिषद द्वारा स्वीकार करते हुए **अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम–1835** पारित किया गया। मैकाले ने इसमें अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत (Downward Filtration Theory) दिया था जिसका मूल उद्देश्य भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे हिस्से को शिक्षित करना था ताकि भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो सके जो रंग और खून से तो भारतीय हो लेकिन विचारों, बुद्धि व नैतिकता से अंग्रेज अर्थात ब्रिटिश हो और आगे चलकर यही वर्ग अंग्रेज शासको और आम जनता के बीच एक ऐसी कड़ी बने जिसके माध्यम से भारतीय जनता में पाश्चात्य शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सके। मैकाले के प्रस्ताव द्वारा निर्मित अधिनियम में प्रावधान था कि शिक्षा की भाषा के रूप में अंग्रेजी माध्यम तथा पश्चिमी पद्धति से निर्मित पाठ्यक्रमों को पढ़ाए जाने वाले विद्यालयों को ही सरकार का समर्थन प्राप्त होगा। यह भी प्रावधान किया गया कि प्रशासन और उच्च कानून की अदालतों की भाषा भी अंग्रेजी होगी। इसका मूलभूत उद्देश्य था कि भारत में अंग्रेजी मात्र कुछ विदेशियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा न रहकर भारतीय भाषाओं में से एक हो जाए।

प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं परंतु परोक्ष रूप से यह एक प्रयास ही था की अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता को भारत पर थोप दिया जाए ताकि अंग्रेजी माध्यम व पद्धति से शिक्षा ग्रहण करने वाला भारतीय अपने ही भारतीय सभ्यता व संस्कृति को तिरस्कृत दृष्टि से देखें और भारतीय संस्कृति व सभ्यता के साथ रहने में उन्हें हीन भावना की अनुभूति हो। मैकाले के स्मरण पत्र का भारत की तात्कालिक शिक्षा पर प्रभाव यह हुआ कि भारत में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और कॉलेज खुलने शुरू हो गए। शिक्षा की यही प्रणाली धीरे–धीरे हमारे देश की मूल प्रणाली बन गई। उसे समय सरकारी नौकरियों में भी अंग्रेजी जानने वालों को

वरीयता दिए जाने के कारण भी अंग्रेजी माध्यम अधिक लोकप्रिय होने लगा। एक प्रकार से अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम–1835 पारित होने के बाद भारत में अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया। बाद में वुड्स डिस्पैच ने भारत में शिक्षा पद्धति को सुव्यवस्थित करने हेतु प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा को माध्यमिक शिक्षा हेतु एंग्लो वर्नाकुलर अर्थात अर्द्ध अंग्रेजी भाषा तथा उच्च शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का प्रस्ताव किया, आगे चलकर रैले आयोग (Raleigh Commission)की सिफारिश के आधार पर सरकार द्वारा 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने गुणवत्ता व क्षमता बढ़ाने की ओट में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों पर कड़ा सरकारी नियंत्रण स्थापित करने हेतु प्रावधान किए। जैसे–जैसे समय व्यतीत होता जा रहा था वैसे–वैसे भारतीय भाषाओं व भारतीय परंपरागत ज्ञान को शिक्षा से दूर करने हेतु योजनाबद्ध प्रयत्न किया जा रहे थे। शिक्षण पद्धति के द्वारा कौशल युक्त नागरिक की तुलना में सरकारी तंत्र को सहयोग देने वाले व्यक्तियों को तैयार करने पर अधिक बल दिया जा रहा था।

अंग्रेजों द्वारा शिक्षा के माध्यम से भारत को परतंत्र रखने के कुचक्र को तत्कालीन अनेकों भारतीय नेता व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी समझ रहे थे। इसी क्रम में 22–23 अक्टूबर, 1937 को वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ। जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की इस सम्मेलन में विनोबा भावे, काका कालेलकर, जाकिर हुसैन सरीखे शिक्षाशास्त्रियों ने भी सहभागिता करते हुए "नई तालीम" योजना पर खुली चर्चा की। इस सम्मेलन में जो प्रस्ताव पारित किया उनमें मातृभाषा में शिक्षा दिया जाना तथा प्राथमिक शिक्षा में हस्तशिल्प या उत्पादक कार्यों का समावेशन किया जाना प्रमुख था।

गांधी के जीवन पर्यंत चले सत्य के अन्वेषण एवं राष्ट्र के निर्माण हेतु सक्रिय प्रयोगों के माध्यम से व दीर्घकालिक विचारों के गहन मंथन व विमर्श के परिणामस्वरूप उद्भूत नई तालीम का दर्शन व प्रक्रिया भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व को नई दिशा प्रदान करने में सक्षम था। परंतु दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी इस नई तालीम की अवधारणा के अनुरूप शिक्षा प्रणाली विकसित करने हेतु कोई ठोस प्रयत्न नहीं किया गया। परंतु सन 2020 में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में जाती हुई प्रतीत हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में अनेकों ऐसे प्रावधान है जो वास्तव में गांधी के सपनों के अनुरूप हैं तथा भारतीय ज्ञान प्रणाली को पुनः विश्व पटल पर स्थापित करने की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम प्रतीत होता है। इस नीति की सफलता व प्रभाव अभी भविष्य की गोद में है परंतु इसके सकारात्मक परिणाम के आहट सुनाई देने लगी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित है–

- प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान व उनके विकास हेतु सतत् प्रयास हेतु संवेदनशीलता।
- लचीलापन, बहु विषयकता, अवधारणात्मक समझ, रचनात्मक और तार्किक सोच पर बल दिया जाना।
- मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना।
- बहु भाषयिकता व अध्ययन–अध्यापन में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन।
- कौशल विकास व तकनीक के यथासंभव उपयोग पर जोर।
- नवाचार व आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना।
- शोध की उत्कृष्टता व गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया जाना।

- भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना।
- भारतीय मूल्य से ओत–प्रोत शिक्षा प्रणाली का विकास।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक प्रत्येक बच्चे की पहुंच को उसका मौलिक अधिकार स्वीकार करना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का उद्देश्य ऐसे उत्पादक मानव तैयार करने हेतु प्रतिबद्ध है जो भारतीय संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान दे सके। इस नीति का विषय भारतीय मूल्य से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करा सकेगी और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी। इस शिक्षा नीति के विषय में यह भी सम्मिलित है कि विद्यार्थियों में विचार के साथ ही साथ व्यवहार, बुद्धि, कार्यों, कौशलों, मूल्यों व सोच में भी भारतीय होने के गर्व को समावेशित करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में ही निर्मित की गई है। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य स्कूली पाठ्यक्रम सामग्री को कम करके 21वीं सदी के कौशल जैसे–विश्लेषणात्मक और महत्वपूर्ण सोच, अनुभवजन्य शिक्षा और रचनात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए विद्यार्थियों को एक समग्र और लचीला अधिगम अनुभव प्रदान करना है।

स्वतंत्रता के उपरांत भारत में सन 1968 व सन 1986 में दो शिक्षा नीतियां निर्मित की जा चुकी है तथा यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 शिक्षा पर तीसरी नीति है। इस शिक्षा नीति द्वारा स्कूली व उच्च शिक्षा में अनेकों नए प्रावधान किए गए हैं। जिनका प्रमुख उद्देश्य मातृभाषा में गुणवत्तापूर्ण व भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुकूल शिक्षण प्रणाली विकसित करना है।

इस प्रकार ऐसी अपेक्षा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनः वैश्विक पटल पर स्थापित करने को यह नीति सहायक होगी तथा विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति के स्थान पर समझ व तार्किकता विकसित करने के उद्देश्य में भी सफल होगी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा 2040 तक सभी सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है।

महात्मा गांधी ने कहा है कि, **"शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है।"** एक ओर तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति गांधी के विचारों से पूर्णतया मेल खाती है तो दूसरी ओर सतत् विकास लक्ष्य के बिंदु संख्या चार में उल्लेखित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकसित होती दुनिया में इसके महत्व संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

- रिचर्ड,ग्लेन(1996),ए सोर्स बुक ऑन माडर्न हिन्दूइज्म,रुटलेज पब्लिकेशन।
- https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf
- https://www.orfonline.org/hindi/research/sdg-4-quality-education-and-its-significance-in-the-developing-world/?
- https://taiyarihelp.com/rashtriya-shiksha-niti-kya-hai-national-education-policy-2020-in-hindi-pdf/
- https://www.drishtiias.com/hindi/to-the-points/paper2/sustainable-development-goals-sdg

Nav Jyoti, Vol. 10, No. 21, July-December 2022 **ISSN : 2249-7331**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

स्वामी विवेकानन्द का जीवन परिचय और उनके विचार

संजू रंजना होरो
सहायक प्राध्यपक
बी०एड० संकाय
डा०एस० राधाकृष्णन् शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय
बड़की लारी, रामगढ़, झारखण्ड़।

स्वामी विवेकानन्द एक महान विभूति थे जिन्होंने वेदान्त सिद्धान्त तथा व्यावहारिक वेदान्त को लोक जीवन का संबल बनाया और समन्वयवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए वह सर्वसाधारण की शिक्षा तथा स्त्रो० शिक्षा को बल देते थे और शिक्षा द्वारा समाज को नई दिशा देना चाहते थे। स्वामी विवेकानन्द का जन्म 12 जनवरी 1883 ई० में कलकत्ता के एक बंगाली कागस्त परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम नरेन्द्र नाथ दत्त था। इसके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। वे बड़े बुद्धिमान ज्ञानी, उदार परोपकारी एवं गरीबों की रक्षा करने वाले थे। स्वामी जी की माँ श्रीमती भुवनेश्वर देवी भी बड़ी बुद्धिमती, गुणवती, धर्मपरायण एवं परोपकारी थी। स्वामी जी पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। ये बचपन से ही पूजा–पाठ में रूचि लेते थे और ध्यानमग्न हो जाते थे। इनकी इसी प्रवृत्ति ने आगे चलकर इन्हें नरेन्द्रनाथ से स्वामी विवेकानन्द बना दिया।

वह बचपन से ही आध्यात्मिक स्वभाव के थे और वह 7 वर्ष की आयु में उन्होंने पूरा व्याकरण रट डाला था इसी आयू में इन्हें मेट्रोपोलिटन कोलेज में भर्त्ती किया गया। इस विद्यालय में इन्होनें पढने–लिखने के साथ–साथ खेल–कूद, व्यायाम, संगीत और नाटक में रूचि ली। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने प्रेसीडेन्सी कॉलेज में प्रवेश लिया और उसके बाद जनरल एसेम्बलीज इन्स्टीटूयूशन में पढ़ने लगे। इस समय इन्होंने कॉलेज के बाद जनरल एसेम्बलीज इन्स्टीट्यूशन में पढ़ने लगे। इस समय इन्होंने कॉलेज के पाठ्य विषयों के अध्ययन के साथ–साथ साहित्य, दर्शन और धर्म का भी अध्ययन किया। इस क्षेत्र में इन्हें अपने माता–पिता और अध्यापकों से बड़ा सहयोग मिला। अध्ययनशील नरेन्द्रनाथ दत्त का जीवन बड़ा संयमी थे, ये ब्रह्मचर्ग का पालन करते थे और प्रार्थना उपासना और ध्यान में मग्न रहते थे। ज्ञान के पकाश और आध्यात्मिक तेज से गौर वर्ण के सुन्दर युवक का चेहरा और अधिक प्रदीप्त हो उठा था।

जीवन–दर्शन :–स्वामी विवेकानन्द का जीवन दर्शन मानव के लिए अन्यन्त गौरवपूर्ण एवं प्रेरणादशक है। उन्होंने बताया कि जीवन एक संघर्ष है। इस संघर्ष में केवल सभर्थ की विजय होती है तथा असमर्थ का विनाश हो जाता है। अतः विजय प्राप्त करके जीवित रहने के लिए प्रत्येक व्यवित को जीवन की प्रत्येक चुनौती के साथ डटकर संघर्ष करना चाहिये। स्वामी जी को तत्कालीन भारतीय जनता के कषृों को दखकर बड़ा दुःख होता था। एक दिन उन्होनें कहा–आज हम लोग दीन–हीन हो गये हैं। हम प्रत्येक कार्य को दूसरों के डर से करते हैं डरते हुए बोलते हैं तथा डरते हुए सोचते हैं। ऐसा लगता है कि हमने शत्रुओं के देश में जन्म लिया है मित्रों के नहीं। इस शोचनीय तथा हीन दशा का कारण उन्होने यह बताया कि हम अपने जीवन में वेदान्त का समावेश नहीं करते है। उन्होंने कहा कि भीरू, मलीन तथा उदासीन व्यक्ति अपने जीवन में किसी कार्य को नहीं कर सकता। अतः स्वामी जी ने भारतीयों को वीर कर्मठ तथा निर्भर बनने का सुझाव देते हुए कहा ''वीर बनो''। हमेशा कहो, मैं निर्भय हुँ सबसे कहो–डरो मत भय मृत्यु है, भय पाप है, भय नर्क है, भय अधार्मिकता है तथा भय का जीवन में कोई स्थान नहीं है।

स्वामी विवेकानन्द के शिक्षा–दर्शन के आधार भूत सिद्धान्तः–

- पुस्तकों का अध्ययन ही शिक्षा नहीं है।
- ज्ञान व्यक्ति के मन में विधमान है वह स्वयं ही सीखता है।
- मन, वचन तथा कर्म की शुद्धि आत्म–नियन्त्रण है।
- शिक्षा बालक का शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास करें।
- बालक तथा बालिका दोनों को समान शिक्षा मिलनी चाहिये।
- स्त्रियों को विशेष रूप से धार्मिक शिक्षा दी जाये।
- जनसाधारण में शिक्षा का प्रचार किया जाये।
- शिक्षक तथा छात्रों का सम्बन्ध अधिक से अधिक निकट का हो।
- धार्मिक शिक्षा को पुस्तकों की अपेक्षा व्यवहार, आचरण तथा संस्कारो के द्वारा दिया जाये।

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार शिक्षाः–

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार शिक्षा का अर्थ केवल उन सूचनाओं से हीं नहीं है जो बालकों के मस्तिष्क में बालपूर्वक ठूसी जाती हैं। उन्होने लिखा है–''यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो, पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते तथा विश्वकोष ऋषि बन जाते।'' स्वामी विवेकानन्द के अनुसार – ''शिक्षा उनसन्निहित पूर्णता का प्रकाश है, जो मनुष्य में पहले से ही विधमान है।''

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यः–

1. पूर्णत्व को प्राप्त करने का उद्देश्यः–
2. शारीरिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्यः–
3. नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास का उद्देश्यः–
4. चरित्र निर्माण का उद्देश्यः–
5. आत्मविश्वास तथा श्रद्धा एवं आत्मत्याग की भावना का उद्देश्यः–
6. विभिन्नता में एकता की खोज का उद्देश्यः–
7. धार्मिक विकास का उद्देश्य :–

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार पाठ्यक्रमः–स्वामी विवेकानन्द के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य आध्यात्मिक विकास है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने लौकिक समृद्धि को कोई स्थान नहीं दिया। उन्होंने पाठ्यक्रम के अन्तर्गत उन सभी विषयों को सम्मिलित किया जिनके अध्ययन से आध्यात्मिक उन्नति के साथ–साथ भौतिक उन्नति भी होती रहे। स्वामी जी ने आध्यात्मिक पूर्णता के लिए धर्म, दर्शन, पुराण, उपनिषद्, साधु–संगत, उपदेश तथा कीर्तन और लौकिक समृद्धि के लिए भाषी, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान, मनोविज्ञान, कला, व्यावसार्मिक विषय, कृषि, प्रावैधिक– विषय खेल–कुद तथा व्यायाम आदि विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया।

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार शिक्षण–पद्धतिः–स्वामी विवेकानन्द ने भारत की उसी प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षण–पद्धति को अपनाने पर बल दिया जिसमें गुरू एवं शिष्य के सम्बन्ध अत्मन्त धनिष्ठ रहते थे।

1. चिन्त की वृत्तियों को योग द्वारा निरोध करना।
2. मन को केन्द्रीयकरण विधि द्वारा विकसित करना।
3. ज्ञान को व्याख्यान, वर्क, विचार–विमर्श, स्वानुभव तथा रचनात्मक कार्यो एवं उपदेशों द्वारा अर्जित करना।
4. शिक्षक के गुणों तथा चरित्र का बुद्धि द्वारा अनुकरण करना।

5. बालक को व्यक्तिगत निर्देशन तथा परामर्श विधि के द्वारा उचित मार्ग की ओर अग्रसर करना।

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार शिक्षक का स्थानः–स्वामी जी को स्वशिक्षा में विश्वास था। स्वामी विवेकानन्द का कहना था कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं शिक्षक है। बाह्य शिक्षक से आन्तरिक शिक्षक को कार्य करने और समझने के लिए चेतना मिलती है। अतः शिक्षक के स्थान पर प्रकाश डालते हुए स्वामी विवेकानन्द जी लिखते हैं–

''शिक्षक एक दार्शनिक मित्र तथा पथ –प्रदर्शक है जो बालक को अपने ढंग से अग्रसर होने के लिए सहयता प्रदान करता है।''

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार बालक का स्थानः– फ्रोबिल की भांति स्वामी विवेकानन्द जी ने भी बालक को शिक्षा का केन्द्र–बिन्दु माना तथा बताया कि बालक लैकिक तथा आध्यात्मिक सभी–प्रकार के ज्ञान का भण्डार होता है। वह पेड़ तथा पौधे की भांति स्वयं ही स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। अतः उन्होंने बालकों को स्वयं विकसित होने का सुझाव देते हुए कहा– अपने अन्दर जाओ और उपनिष्दों को अपने में से बाहर निकालो। तुम सबसे महान् पुस्तक हो, जो कभी थी अथवा होगी जब–तक अन्तरात्मा नहीं खुलती, समस्त बाह्य शिक्षण व्यर्थ है।

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार स्त्री–शिक्षाः–स्वामी विवेकानन्द स्त्री की दीनता हीनता और पराधीनता के कट्टर विरोधी थे। उनका कहना है कि हमारे देश के पतन के अनेक कारणों में नारी–जाति का निरादर मुख्य है अतः स्वामीजी ने नारी के उत्थान के लिए स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए कहा है–

पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षित करो, तब वे आपको बतायेंगी कि उनके लिए कौन– से सुधार आवश्यक है। उनके मामलों में तुम बोलने वाले कौन हो।

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार जन–साधारण की शिक्षाः– स्वामी विवेकानन्द जी के समय अपने देश की स्थिति बड़ी दयनीय थी। इसके विवरीत पश्चिमी देशों की दशा बहुत अच्छी थी, वहाँ के लोगो सम्पन्न थे और वैभवशाली जीवन जी रहे थे। स्वामी जी ने इस सबकों अपनी आँखों से देखा था। इन्होंने अनुभव किया कि हमारी राजनैतिक पराधीनता, आर्थिक विपन्नता, सामाजिक पिछड़ापन और धार्मिक अन्धविश्वास, इन सबका मूल कारण अशिक्षा है। इन्होंने उद्घोष किया कि जब तक भारत के सभी नर–नारी शिक्षित नहीं होते तब तक हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। इन्होंने समाज और राज्य से जन शिक्षा की व्यवस्था की अपेक्षा की । जन शिक्षक से स्वामी जी का तात्पर्य बच्चों, युवकों और अशिक्षित प्रौढों सबको शिक्षित करने से था। इन्होने शिक्षित जन शिक्षा से स्वामी जी का तात्पर्य बच्चों, युवकों और अशिक्षित प्रोढों सबको शिक्षित करने से था। इन्होने शिक्षित लोगों का आद्धान किया कि वे अशिक्षित प्रौढ़ों और बृदों को साक्षर बनाएँ, उन्हें शिक्षित करें।

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार सह–शिक्षाः–स्वामी विवेकानन्द जी के अनुसार सह–शिक्षा के विशेधी थे। इनका पहला तर्क तो यह था कि स्त्रीं–पुरूषों की शिक्षा की पाठ्यचयी समान नहीं होती इसलिए उन्हें साथ–साथ कैसे पढ़ाया सकता है। इनका दूसरा तर्क यह था कि सह–शिक्षा आत्म संगम में बाधक होता है। ये लड़कीयों के लिए अलग से विधालयों कीं स्थापना करने और उनमें केवल स्त्री शिक्षिकाओं की नियुक्ति करने के पक्ष में थे।

निर्ष्कषः– स्वामी विवेकानन्द इस युग के पहले भारतीय हैं जिन्होंने हमें हमारे देश की आध्यात्मिक श्रेष्ठता और पाश्चात्य देशों की भौतिक श्रेष्ठता से परिचित कराया और हमें अपने भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास के लिए सचेत किया। भारत के प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षित बना, आत्मनिर्भर एवं निर्भय एवं सच्चे मनुष्य बने। साथ ही पाठ्यक्रम में भी आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास हो और शिक्षक दार्शनिक, मित्र तथा पथ–प्रदर्शक वाले होने चाहिये। स्वामी जी के अनुसार बालक के सर्वागीण विकास पर बल देने वाला

होना चाहिए। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का आधार – चरित्र का गठन, बुद्धि का विकास, आत्मनिष्ठा होना चाहिए।

संदर्भः–

1. लाल : प्रो० रमन बिहारी, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त (Page-368) आर० लाल बुक डिपो, मेरठ
2- hindisahitydarpan.in
3. सक्सेनाः ST सरोज : शिक्षा के सिद्धांतः साहित्य प्रकाशन, आगरा

Nav Jyoti, Vol. 10, No. 21, July-December 2022 **ISSN : 2249-7331**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना में जाति और राजनीति

शोध छात्रा– सन्ध्या,
जे0आर0एफ0 समाजशास्त्र
शोध निर्देशक–
प्रो0 रविन्द्र नाथ मिश्र,
स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग,
मर्यादा पुरूषोत्तम पी0जी0 कालेज भुड़सुड़ी, रतनपुरा, मऊ, उ0प्र0

सारांश

भारतीय समाज जाति के आधार पर कई खण्डों में विभाजित है और सांस्कृतिक व धार्मिक रूप से भी यहाँ विविधता है, इतनी विविधता जिस देश में हो तो वहाँ की राजिनीति पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, राजनीति ने जाति व्यवस्था के सभी पक्षों को गम्भीर रूप से प्रभावित किया है, भारत में राजनीति, जाति के आधार पर ही सफल होती है और जाति ही सबसे प्रमुख दल है यदि व्यक्ति राजनीति में ऊँचा उठना चाहता है तो उसे अपनी जाति लेकर चलना होगा। वैसे तो यह देश की अखण्डता में बाधक है किन्तु भारतीय राजनीति में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रस्तुत शोध में भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना में जाति और राजनीति का विश्लेषण करनें का प्रयास किया गया है।

शब्द कुन्जीः– जाति, राजनीति, लोकतंत्र, मतदाता, सामाजिक।

प्रस्तावना

भारत गावों का देश माना जाता है, यहाँ पर लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या गावों में रहती है, हमारा देश अनेक जाति, धर्म, सम्प्रदाय, विचारधारा से परिपूर्ण हमारा देश है। भारत के सन्दर्भ में कहा जाता है कि यह देश सांस्कृतिक बाहुल्य राष्ट्र है जहाँ पर इतनी विविधता होने के बावजूद भी राष्ट्रीय एकता जनजन में कूट–कूट कर व्याप्त है। यहाँ की सामाजिक विशेषता, सांस्कृतिक विविधता सम्पूर्ण विश्व के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करती है। यही कारण है कि हमारे देश पर प्राचीन काल से ही विदेशी सैनानियों पर्यटकों यात्रियों का आना जाना लगा रहता है।

भारत सांस्कृतिक रूप से ही नहीं अपितु धार्मिक रूप से भी श्रेष्ठ है। विश्व के छः बड़े धर्मों में कुछ धर्मों का उदय यहीं पर हुआ है और इन धर्मों के उपासकों, प्रचारकों ने विश्व के कोने–कोने में अपनी पहचान छोड़ी है। वर्तमान समय में बौद्ध धर्म एशिया महाद्वीप का प्रमुख पहचान बना हुआ है। चीन, जापान, श्रीलंका, थाईलैण्ड, भूटान इत्यादि बडे राष्ट्रों में इस धर्म की महानता देखा जा सकता है। इसके प्रर्वतक महात्मा गौतम बुद्ध भारतीय थे, एवं छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस महान विचारधारा को जन्म देकर विश्वशान्ति एवं बन्धुत्व का सन्देश दिया था। स्वामी महावीर ने भी जैन धर्म को विश्व के तमाम राष्ट्रों में प्रचार–प्रसार किया था। विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले सम्राटों ने भी भारत में अपना अधिक समय व्यतीत किया। विश्व की अति प्राचीन सभ्यताओं के कुछ सभ्यतायें जैसे मोहनजोदड़ो, हडप्पा आदि सभ्यतायें भी भारत में पायी जाती है। हम कह सकते है कि विश्व में भारतीय सामाजिक, संस्कृति, विशेषताओं को प्राचीन समय से लेकर आज आधुनिक लोकतंत्र के युग में भी प्रसिद्धि प्राप्त हैं। यही कारण है कि हमारी इस प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को जानने समझने के लिए आज लाखों की संख्या में विश्व के कोने–कोने से पर्यटक आते हैं। साथ ही साथ यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, सास्कृतिक धरोहर के बारे में तमाम देशों ने शोध कार्य भी किया है एवं वर्तमान समय में भी शोध कार्य जारी है।[1]

भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है यूं तो लोकतंत्र 17वीं शताब्दी में रूसी एवं फांसिसी क्रान्ति के फलस्वरूप जन्म लिए जिसका मुख्य केन्द्र यूरोप था। मगर लोकतंत्र की परम्परा प्राचीन युग से ही चली आ रही है। प्राचीन यूनानी विचारक ''हेरोडाटेस'' ने लोकतंत्र की कल्पना किया था। आगे चलकर ईसा से 422 वर्ष पूर्व यूनानी दार्शनिक बलीआन ने पहली बार इसको सही रूप में परिभाषित किया, इन्होंने कहा कि ''लोकतंत्र है जो जनता का जनता द्वारा, जनता के लिए अर्थात ''Democracy is by the people for the people and of the people'' वे लोकतंत्र को ''बहुमत का ऐसा शासन मानते थे जिसमें नागरिकों के अधिकारों की समानता हो अर्थात 'Rule of multitude with equalty of Right' जिसमें राजनीतिक सत्ताधारी अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी हो''।[2]

इन्ही शब्दों को आगे चलकर आधुनिक लोकतंत्र की परिभाषा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दोहराया है।

स्वतंत्रता आन्दोलन के अथक प्रयास से तथा विश्व में आये लोकतात्रिक क्रांतिकारी परिर्वन के फलस्वरूप भारत भी 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ एवं 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर भारत को पूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य का दर्जा प्रदान किया गया।

संविधान की उद्देश्यिका में उल्लेखित है कि ''हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व सम्पन्न लोकतात्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय स्वतंत्रता और समानता दिलाने और उन सब में बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं। न्याय की परिभाषा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के रूप में की जाती है, स्वतंत्रता में विचार अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता सम्मलित है और समानता का अर्थ प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता साथ–साथ कुछ मूल अधिकार एवं राष्ट्रीय एकता को महत्व दिया जायेगा।'' तो इस तरह हमारे संविधान के उद्देशिका में वर्णित अनेक प्रकार के अधिकारों, समानताओं को दिया गया है जिसमें एक राजनैतिक अधिकार है जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि ''भारत का कोई भी नागरिक एक निश्चित आयु (पहले 21 वर्ष था) परन्तु अब घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। इसके बाद यह मत देने का अधिकारी है। कुछ क्षेत्रों में निश्चित योग्यता रखते हुए सभी प्रकार के निर्वाचन में जनता का प्रतिनिधि बनकर चुनाव लड़ सकता है। साथ–साथ कुछ वर्जनायें रखी गयी हैं, जैसे वह पागल दिवालिया न हो, उसके विरूद्ध कोई गम्भीर मुकदमा न हो, वह भारत का नागरिक हो। इन कुछ वर्जनाओं को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के भारतीय नागरिकों को राजनैतिक अधिकार दिया गया है। भारत की जनता प्रत्येक पाँच वर्ष बाद प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा अपने देश की सरकार चुनती है। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि केन्द्र एवं राज्य में शासन सत्ता का बागडोर सम्भालते हैं।''[3]

अब यह प्रश्न बड़ा ही रोचक हो जाता है कि हमारे समाज में इतनी विविधता है। शिक्षा का स्तर निम्न है एवं गावो में आज भी सामाजिक स्तरीकरण का आधार जातिगत है, आज भी सम्पूर्ण भारत की साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत है, जिसमे पुरुषों की 82.14 प्रतिशत एवं स्त्रीयों की 65.46 प्रतिशत है, शहरों की अपेक्षा गावों में साक्षरता का स्तर आज भी बहुत निम्न है। संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है लेकिन समाज में स्त्रीयों को आज भी निम्न स्तर का समझा जाता है स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने दिन बीत जाने के बाद भी कहीं–कहीं पर राजनैतिक चेतना शून्य सी दिखाई पड़ती है।

भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता में सामाजिक संस्तरण की व्यवस्था है। सम्पूर्ण भारतीय समाज जाति व्यवस्था के आधार पर अनेक वर्गों में विभाजित है। भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रारम्भ होने के पश्चात् यह धारणा विकसित हुई कि पश्चिमी ढंग की राजनीतिक संस्थाएं लोकतन्त्रात्मक मूल्यों को अपनाने के फलस्वरूप जातिवाद का अन्त हो जायेगा, किन्तु स्वाधीनोत्तर भारत की राजनीति में जाति का

प्रभाव अनवरत रूप से बढ़ता गया। जहाँ सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जाति की शक्ति घटी है वहाँ राजनीति और प्रशासन पर इसके बढ़ते हुए प्रभाव को राजनीतिज्ञों प्रशासकों और केन्द्र व राज्य सरकारों ने स्वीकार किया है।

भारत में राजनीति 'जाति' के इर्द–गिर्द घूमती है। जाति प्रमुखतम राजनीति दल है। यदि मनुष्य राजनीति की दुनिया में ऊँचा उठना चाहता है तो उसे अपने साथ अपनी जाति लेकर चलना होगा। भारत में राजनीतिज्ञ समुदायों को इसलिए संगठित करते हैं ताकि उनके समर्थन से उन्हें सत्ता तक पहुंचने में सहायता मिल सके। जातियाँ संगठित होकर प्रयत्क्ष रूप से भाग लेती है और इन प्रकार भारतीय समाज में जातियाँ ही राजनीतिक शक्तिया बन गयी है।

जाति एवं राजनीति में सम्बंध –

भारतीय समाज में राजनीति जाति व्यवस्था के समस्त पक्ष को नीर रूप से प्रभावित किया है। जाति व्यवस्था का प्रभाव भारतीय समाज में इतना व्यापक एवं आन्तरिक रहा है कि इसके अभाव में भारतीय सामाजिक संरचना के एक भी पक्ष की विवेचना नहीं की जा सकती है। प्रो० ए० आर० देसाई ने स्पष्ट किया है कि ''भारत में जाति व्यवस्था ही अधिकांशतः एक व्यक्ति लिए उसकी प्रस्थिति, कार्यों, अवसरों और प्रतिबन्धों के रूप का निर्धारण करती है।''[4] जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर व्यक्ति की प्रस्थिति, भूमिका, सुविधाएं एवं नियोग्यताओं का निर्धारण करती है।

जे० एच० हट्टन ने 'कास्ट इन इण्डिया' में जाति की विभिन्न परिभाषाओं को समन्वित करते हुए लिखा है कि ''जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण समाज अपने आत्म केन्द्रित और एक दूसरे से पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है तथा इन इकाइयों के पारस्परिक सम्बाध उच्चता और निम्नता के क्रम से सास्कृतिक रूप में निर्धारित होते है।''[5] पश्चिमी विद्वानों की सूची में हट्टन के विचार यद्यति काफी सन्तुलित है लेकिन जिन अर्थों में हट्टन ने विभिन्न जातियों के लिए आत्म केन्द्रित समूह'' राष्ट्र का प्रयोग किया है, उनका सम्बन्ध जातिवाद से है, जाति व्यवस्था से नहीं। सम्भवत इसी कारण बाद में हट्टन ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि भारत की जाति व्यवस्था स्वयं में इतनी जटित संस्था है कि इसकी प्रकृति को किसी एक परिभाषा के द्वारा स्पष्ट करना सम्भव नहीं।'' भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी जाति से सम्बन्धित नियमों तथा मान्यताओं मे कुछ अन्तर देखने को मिलता है एक जाति के अन्तर्गत अनेक उपजातियों किसी स्थान पर अर्न्तविवाह के नियमों को मानती है जबकि किसी स्थान पर बहिर्विवाह के नियमों की अधिक मान्यता दी जाती है।

एन० के० दत्ता के अनुसार सम्पूर्ण जाति व्यवस्था की प्रकृति को कुछ प्रमुख विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। आपके अनुसार जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत हम निम्नलिखित बातों का अध्ययन करते है –

1. एक जाति का कोई सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता है,
2. एक जाति के सदस्यों पर अन्य जातियों के सदस्यों के साथ जान–पान के क्षेत्र में अनेकता है, सभी जातियों के लिए यह प्रतिबन्ध समान प्रकृति के नहीं है,
3. अधिकांश जातियों के अपने निश्चित व्यवसाय होते हैं,
4. व्यक्ति की जाति उसके जन्म से निर्धारित होती है,
5. सभी जातियों के बीच ऊँच–नीच का एक स्पष्ट संस्तरण है, जिसमे ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च है।[6]

डा० जी० एस० घुरिये ने जाति व्यवस्था की सभी विशेषताओं को रचनात्मक तथा संस्थात्मक जैसे दो भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया है। संरचनात्मक विशेषताओ के अन्तर्गत घुरिये ने स्पष्ट किया है कि

सम्पूर्ण जाति व्यवस्था अनेक खण्डों में विभाजित तथा प्रत्येक खण्ड सजातीयता की भावना के द्वारा अपने सदस्यों को संगठित रखने और उन्हें जाति के नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करता है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण जाति–व्यवस्था के अन्तर्गत ऊँच–नीच का एक निश्चित संस्तरण देखने को मिलता है। संस्थात्मक विशेषताओं से घुरिये का तात्पर्य उन प्रतिबन्धों से है जिनका जातिव्यवस्था के अन्तर्गत विशेष महत्व है। उदाहरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही जाति के सदस्यों द्वारा स्पर्श किया गया भोजन ग्रहण करने की अनुमति दी जाती है। इस सम्बन्ध में पके भोजन की अपेक्षा कच्चे भोजन से सम्बन्धित नियन्त्रण अधिक कठोर है। प्रत्येक व्यक्ति का यह एक नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने आनुवंशिक व्यवसाय के द्वारा ही आजीविका उपार्जित करे। इस समबन्ध में सबसे कठोर प्रतिबन्ध विवाह क्षेत्र में है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति और उपजाति के बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती है। यही कारण है कि अन्तर्विवाह को जाति–व्यवस्था का सार तत्व कहा जाता है। सामाजिक व्यवस्था में सभी जातियों के अधिकार उनकी उच्चता और निम्नता के अनुसार ही निर्धारित किए गये तथा सभी व्यक्तियों को उन्ही अधिकारों के अनुसार विभिन्न जातीय समूह को मान्यता देने का निर्देश दिया गया है–[7]

भारतीय समाज में जाति एवं राजनीति परस्पर सम्बन्धित है। इस प्रकार भारतीय राजनीति में जाति की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है जिसे निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है।

1. जातियों ने संगठित होकर भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णयन प्रक्रिया को प्रभावित किया है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का संवैधानिक आरक्षण इसका उदाहरण है। अन्य जातियों ने आरक्षण विरोधी आन्दोलनों द्वारा जातीय आधार की अपेक्षा सामाजिक–आर्थिक आधार पर अपनाए जाते हैं।
2. राजनीतिक दल चुनाव में जातिगत आधार पर अपने प्रत्याशियों का चयन करते है। किसी निर्वाचन क्षेत्र की जातीय संरचना के आधार पर ही प्रत्याशियों को टिकट दिये जाते है। अनेक राजनीतिक दलों में जातीय आधार पर गुट भी पाये जाते हैं।
3. चुनाव अभियान तथा मतदान आचरण को प्रभावित करने के लिए भी जातिवाद का सहारा लिया जाता है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश तथा केरल के चुनावों में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
4. मन्त्रिमण्डल के निर्माण में भी जातीय आधार के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनाया जाता है ताकि सभी प्रमुख जातियों को इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके।
5. भारत में अनेक जातीय प्रभावी समूहों ने राजनीति को प्रभावित किया है। उदाहरणार्थ तमिलनाडु में नाडार, गुजरात में क्षत्रिय महासभा बिहार में कायस्थ सभा आदि अनेक जातीय समूह संगठित आधार पर राजनीतिक क्रियाकलाप चलाते है।
6. जाति व्यवस्था प्रशासन के प्रचलन को भी प्रभावित करती है। व्यावसायिक पाठ्य–चर्चाओ (यथा मेडिकल एवं इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम) में आरक्षण की नीति तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के पदों पर नियुक्ति एवं राज्य सरकारी के पदों पर नियुक्ति एवं पदोन्नति में अनुसूचित जातियों का आरक्षण इसके उदाहरण है।

निष्कर्ष

भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना में जाति और राजनीति ये दोनो एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि भारत में विभिन्न जातियों व उपजातियों के लोग निवास करते हैं इसलिए राजनीति इससे अछूता नहीं रह सकता, भारत में राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ साक्षरता दर बहुंत कम है। जिसकी वजह से

लोग जाति से ऊपर उठकर मतदान तक नहीं कर पाते। इस प्रकार भारतीय राजनीति में जाति का महत्वपूर्ण स्थान है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. साल सिंह सिंधू राजनैतिक सिद्धान्त।
2. C.B. Macpheson "Democratic Mcoryoy 8,165"
3. सुभाष कश्यप, हमारा संविधान, पेज–43
4. A.R. Desai- Rural Sociology in India, P.38
5. J.H. Huttan- Cast in India, P.21
6. M.K. Dutta- Origin and growth of cast in India, P.49
7. G.S. Ghureye- Cast class and occupation (1961) P. 123

Nav Jyoti, Vol. 10, No. 21, July-December 2022 **ISSN : 2249-7331**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

मुस्लिम समुदाय मे तीन तलाक और स्त्रियों की दशा

शोध छात्र–**पीयूष कुमार सिंह** (नेट समाजशास्त्र)
शोध निर्देशक– **डॉ0 संजय कुमार सिंह**, असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
(समाजशास्त्र विभाग), सहकारी पी0जी0 कालेज मिहरावाँ, जौनपुर

सारांश

इस्लाम में स्त्रियों की दशा में और विभिन्न समाजों की स्त्रियों की दशा में व्यापक रूप से भिन्नता है क्योंकि इस्लाम के प्रति उनका आज्ञापालन इसका एक प्रमुख कारक होता है जो अपने जीवन को अलग–अलग स्तर तक प्रभावित करता है और उन्हें एक तुल्य पहचान प्रदान करता है, जो उनको विविध सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक मतभेदों से जोड़ने में मदद कर सकता है।

शब्द कुन्जीः– तीन तलाक, कुरान, महिलाओं की दशा।

प्रस्तावना

इस्लाम के पवित्र पाठ कुरॉन, हदीस, इज्मा, कियास, धर्मनिरपेक्ष कानून (इस्लाम से मान्य), फतवा (प्रकाशित राय जो बाध्यकारी न हो), आध्यात्मिक गुरू (सूफी मत), धार्मिक प्राधिकारी (जैसेः– Indonesian Ulema Council) वे प्रभावी तत्व हैं जो इस्लामी इतिहास के क्रम में महिलाओं के सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थिति को परिभाषित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है।

मुस्लिम काल में स्त्रीयां शिक्षा से उपेक्षित थी। मुस्लिम काल में महिलाओं में पर्दा प्रथा का प्रचलन होने के कारण स्त्री शिक्षा का विकास बहुत कम था। कम आयु की लड़कियां मकतबों में जाकर प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण कर लेती थी, लेकिन उच्च शिक्षा घर पर ही ग्रहण करनें की व्यवस्था थी। इसलिए उच्च शिक्षा केवल धनी परिवारों तक ही सीमित थी।

महिलाओं के अधिकारों एवं स्थिति का सवाल दुनिया भर में निरन्तर रूचि का विषय रहा है। भौतिकवाद के इस युग में भी लोग इस्लाम की ओर मार्गदर्शन के लिए मुड़ रहे हैं। स्वतन्त्रता के नाम पर समाज दिन–ब–दिन नैतिकता की सारी हदें पार करता जा रहा है। ये सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन जो प्रभाव छोड़ रहे हैं। वह ज्यादातर महिलाओं पर पड़ रहा है। जो महिला अपने कमजोर होने के कारण अपने अधिकारों से वंचित थी आज उसे महिला मुक्ति के नारे के तहत उसके अधिकांश अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में, आज की नारी ने अपनी स्वाभाविक स्थिति और सम्मान को खो दिया है और वह एक कुत्सित समाज की लालसा का शिकार हो रही है।

इस खेदजनक स्थिति का वास्तविक समाधान सर्वशक्तिमान अल्लाह द्वारा दिखाया गया मार्गदर्शन और पैगम्बर की शिक्षाएं हैं। इसे समझने के लिए, अल्लाह द्वारा पैगम्बर को प्रबुद्ध करनें से पहले महिलाओं की स्थिति के बारे में एक विहंगम दृष्टि रखना आवश्यक है। उस समय पूर्व इस्लामिक अरब या दुनिया में कहीं भी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता ने महिलाओं को समाज में कोई सम्मानजनक स्थान नहीं दिया। इसके बजाय उसके जन्मजात पापी स्वाभाव या उसके मन की कमी पर बहसें प्रचलन में थी। हिन्दू धर्म में महिलाओं के लिए वैदिक शिक्षा बन्द रही, इसाई धर्म और यहूदी धर्म ने मानवीय भूल के लिए महिलाओं को जिम्मेदार ठहराया। ग्रीक, रोम, ईरानी, फारसी और चीनी सभ्यता में उसका अस्तित्व ही नीच और शर्म की बात थी। अरब में आखिरी नबी पैदा होने से पहले, जब जाहिलिय्याह (अज्ञानता) अपने चरम पर थी, लड़की का पैदा होना गुनाह और मर्द के लिए शर्म की बात थी। यह कुरान से स्पष्ट है, ''और जब उनमें से एक

को एक महिला (के जन्म) के बारे में बताया जाता है, तो उसका चेहरा काला हो जाता है और वह दुख को दबा देता है। वह लोगों से छिपाता है क्योंकि उसे बीमारी के बारे में सूचित किया गया है। या वह इसे अपमान में रखे या इसे जमीन में गाड़ दे? इन परिस्थितियों में इस्लाम ने समाज में महिलाओं के कानूनी और व्यावहारिक स्तर में ऐतिहासिक बदलाव लाया।

''ऐ इन्सानों अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा किया और उन दोनो से बहुत से मर्द और औरतें फैला दीं।'' कुरान की यह आयत महिलाओं की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को निर्धारित करती है कि वह भी एक पुरूष की तरह एक इंसान है।

मोटे तौर पर इस्लाम महिलाओं को सभी पहलुओं में पुरूषों के बराबर मानता है। उनका ईश्वर और समाज के प्रति समान दायित्व है। महिलाएं अपने आप में अलग संस्थाएं हैं और पुरूषों द्वारा प्राप्त सभी अधिकार भी उनके हैं। कुरान कहता है ''वे आपके वस्त्र और आप उनके वस्त्र हैं। महिला अधिकार पवित्र है। इस्लाम ने पुरूषों और महिलाओं दोनो के लिए सीखने और ज्ञान पर बहुत जोर दिया है और एक–दूसरे के सहायक और एक दूसरे के वस्त्र के समान कहा है। यह दुनिया का एकमात्र धर्म है, जो महिलाओं के कर्त्तव्यों और अधिकारों का वर्णन करता है और महिला को समाज में उसका सही स्थान देता है। इसने स्त्री को पवित्रता और सदाचार की वस्तु के रूप में वर्णित किया है जबकि अन्य धर्म उसे सभी पापों के प्रवर्तक के रूप में चित्रित करते हैं।

इस्लाम ने क्षमता, शारीरिक संरचना आदि के अनुसार पुरूषों और महिलाओं के कर्तव्यों से सम्बन्धित मतभेदों की रेखाएं खींच दी हैं। उसे परिवार का स्तम्भ घोषित किया गया है। अगर खम्भा मजबूत नहीं होगा तो परिवार बर्बाद हो जायेगा। यही मुख्य कारण है कि एक मुस्लिम महिला को अनावश्यक रूप से अजनबियों के साथ घुलने–मिलने से रोक दिया गया है, हिजाब पहनने का निर्देश दिया गया है आदि।

इस्लाम में महिलाओं की वास्तविक स्थिति को सूरह अहजाब की आयत 35 से समझा जा सकता है। ''निश्चित रूप से मुस्लिम पुरूषों और महिलाओं के लिए पुरूषों और महिलाओं पर विश्वास करने वाले, धर्मनिष्ठ पुरूषों और महिलाओं, सच्चे पुरूषों और महिलाओं, धैर्यवान पुरूषों और महिलाओं, विनम्र पुरूषों और महिलाओं के लिए औरतें, नेक मर्द और औरतें, रोजा रखने वाले मर्द और औरते, मर्द और औरत जो अपनी पवित्रता की रखवाली करते हैं और मर्द और औरत जो अक्सर अल्लाह को याद करते हैं उन सबके लिए अल्लाह ने बख्शीश और बड़ा इनाम तैयार किया है।'' उपरोक्त आयत स्पष्ट रूप से बताती है कि अल्लाह ने पुरूषों और महिलाओं दोनो को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाया है।

महिलाओं के सामाजिक अधिकारों के बारे में बात करते समय, यह पैगम्बर (PBUH) है जिन्होंने महिला को अंधेरे की गहराई से बाहर निकाला है और उसे गरिमा और अनुग्रह के उच्च पद पर पहुँचाया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने उस व्यक्ति को पापी घोषित कर दिया है, जो अपनी माँ के अधिकारों की रक्षा करनें में विफल रहता है।

इस्लाम समाज में महिलाओं को निम्नलिखित अधिकार दिये गये हैं।

1– सांस्कृतिक अधिकारः–

(1) **जीवन साथी चुनने का अधिकारः**– इस्लाम बहुत ही उचित और संतुलित तरीके से अधिकार को लागू करता है। विश्वासियों को उसकी सहमति के बिना लड़की से शादी नहीं करनें का आदेश देता है।

(2) **अपने विवाह को रद्द करनें का अधिकार** :–यदि किसी लड़की की शादी उसकी बहुत कम उम्र में परिपक्वता की उम्र तक पहुँचने पर कर दी गई थी, तो उसे इसे बनाएं रखने या रद्द करनें का अधिकार देता है।

(3) **खुला का अधिकारः–** स्त्री को यह अधिकार दिया जाता है कि यदि वह अपने पति को अपने अधिकार देने में असमर्थ पाती है तो वह उससे अलग होने की माँग कर सकती है।

(4) **अच्छे व्यवहार का अधिकारः–** कुरान कहता है, ''अपनी पत्नियों के साथ अच्छे तरीके से रहो'' और आपस में कृपा करना न भूलना।

(5) **पुनर्विर्ववाह का अधिकारः–** तलाकशुदा और जिन महिलाओं का विवाह कानूनी रूप से रद्द कर दिया गया है, उन्हें पुनर्विवाह करनें का अधिकार है।

(6) **एक विधवा के अधिकारः–** कुरान कहता है कि हे विश्वासियों औरतों को उनकी इच्छा के विरूद्ध विरासत में लेना आपके लिए जायज़ नहीं है।'' और अपने बीच अविवाहितों से विवाह करों'' एक विधवा के लिए सबसे बड़ा पुण्य का काम है कि उसका एक सज्जन व्यक्ति से पुनर्विवाह किया जाए।

(7) **नागरिक और अपराधिक कानून में पुरूषों और महिलाओं के बीच समानताः–** कुरान कहता है, ''महिलाओं को समान रूप से पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त हैं।''

2– **आर्थिक अधिकारः–**

(1) **सम्पत्ति का अधिकारः–** वह अपनी सम्पत्ति की अकेली मालिक होती है।

(2) **भरण–पोषणः–** स्त्री कितनी ही धनवान क्यों न हो, अपने पति के साथ रहती है।

(3) **महरः–** कुरान में यह भी कहा गया है, ''और महिलाओं को (शादी पर) उनके (दुल्हन) उपहारों को अनुग्रह पूर्वक दें। परन्तु यदि वे अपनी इच्छा से उसमें से कुछ भी तुम्हे दे, तो उसे संतोष और चैन से ले लेना।

(4) **विरासत का अधिकारः–** एक महिला को अपने पिता–पति, बच्चों और अन्य करीबी रिश्तेदारों से सम्पत्ति विरासत में मिलती है।

(5) **शिक्षा का अधिकारः–** यह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। स्त्री को न केवल धार्मिक और आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी गई है बल्कि उसकी शिक्षा पुरूषों के समान आवश्यक समझा गया है। एक महिला की शिक्षा केवल उसके लिए नहीं बल्कि उसके बच्चों और परिवार के लिए होती है साथ ही वह एक पूरी पीढ़ी का निर्माण करती है। पैगम्बर की पत्नी हजरत आयशा (आरए) न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पुरूषों के लिए भी एक शिक्षक थी।

निष्कर्ष

इस तरह अकेले इस्लाम में औरत को उसकी नैसर्गिता को बरकरार रखते हुए समाज में उसको दर्जा दिया गया है और नारीत्व की स्थिति से ऊपर उठाया है। इस प्रकार इस्लाम ने महिलाओं को समाज में विभिन्न रूप से सम्मान दिया है जैसे माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, विधवा के रूप में, इस प्रकार इस्लाम में महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। प्राचीन काल में भी इस्लाम में महिलाएं विद्वान व शासक हुआ करती थी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

(1) कुरान स 53–4 से 15 व 867 उद्धृत म0अ0 करमवीर ''आधुनिक भारत और इस्लाम'' ओरियंअ लागमैन, आसफ अली रोड, नई दिल्ली, 1972, पृष्ठ 2 से 3 तक।

(2) कुरान मजीद पृष्ठ 831 सूरा जरियात आ0 56 उद्धृत डॉ0 विश्वम्भर नाथ गुप्त, ''भारत में इस्लाम'' वाराणसी प्रकाशन वाराणसी 1998, पृष्ठ–69

(3) निसा–आ0 87 उद्धृत विश्वम्भर नाथ गुप्ता ''भारत में इस्लाम'' वाराणसी प्रकाशन वाराणसी 1998, पृष्ठ–69

(4) गुप्ता विश्वम्भर नाथ, ''भारत में इस्लाम'' वाराणसी प्रकाशन वाराणसी 1998, पृष्ठ–69

(5) Sir Elliot : The History of India Vol. 1, P-172.

Nav Jyoti, Vol. 10, No. 21, July-December 2022 **ISSN : 2249-7331**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

''रमणिका गुप्ता के कहानियों में आदिवासी स्त्री का सच''

डॉ0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
आकाश पटेल
शोध छात्र,हिन्दी विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

सारांशिका

'बहु–जुठाई' रमणिका गुप्ता का पहला चर्चित और महत्त्वपूर्ण कहानी संग्रह है, जिसके माध्यम से आदिवासी परिवार की विसंगतियों को बड़े ही सार्थक ढंग से प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया गया है। रमणिका गुप्ता का अधिकांश लेखन आदिवासी जीवन के सच को उजागर करता है। प्रस्तुत शोध पत्र रमणिका गुप्ता के कहानियों में स्त्री जीवन के यथार्थ से जुड़ा है, जिसमें आदिवासी स्त्री अधिकारों एवं उनके जीवन की दुश्वारियों की पड़ताल की गयी है। प्रस्तुत शोध पत्र में विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक एवं विवरणात्मक शोध प्रविधियों का प्रयोग किया गया है। इस शोध पत्र में रमणिका गुप्ता के आदिवासी लेखन में स्त्री सच को नए सन्दर्भों में परखने का सार्थक प्रयास किया गया है।

बीज शब्द : भूमंडलीकरण, कलेवा, मेहरारू, आदिवासी, वनवासी, रीति–रिवाज, जिजीविषा इत्यादि।

प्रस्तावना

भूमंडलीकरण के दौर में आज भी आदिवासी समाज मुख्य धारा से कटा हुआ है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में आदिवासियों पर सरकार के झूठे वादे और प्राइवेट मिशनरियों ने उन पर कई प्रकार के कुठाराघात किए हैं। जिससे उन्हें अपने सांस्कृतिक धरोहर (जल, जंगल और जमीन) से उन्हें बेदखल कर दिया गया है। नई–नई स्कीम चलाई गई है, फिर भी आदिवासी अपने ही घरों में शरणार्थी की तरह जीवन जीने को बेबस एवं लाचार हो गए हैं। जिस प्रकृति की आदिवासी लोग पूजा करते है। अब वही पर वे लोग मजदूरों की भांति खुदाई करने, कोयले ढोने, जीविकोपार्जन करने को मजबूर है। पूँजीवादी विकास एवं लकड़ियों के अंधाधुंध दोहन ने आदिवासियों के न केवल रोजगार छीने, बल्कि उन्हें प्रताड़ित भी किये हैं। कई रूपों में आदिवासियों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया है। जिससे आदिवासी समाज की जीवन शैली, उनकी संस्कृति, उनके समाज की संरचनागत ढांचा को तहस–नहस कर दिया है। जैसा की रमणिका जी लिखती है– ''आदिवासी की पहचान और नाम छीनकर उसे वनवासी घोषित किया जा रहा है ताकि वह यह बात भूल जाए कि वह इस देश का मूल निवासी यानी आदिवासी है – वह भूल जाए अपनी संस्कृति– अपनी भाषा, अपना मूल धर्म 'सरना'।''[1]

इन्हीं प्रताड़ित आदिवासियों को अपनी लेखन का आधार बनाकर रमणिका जी उनके हक के लिए कलम उठाती हैं और कहीं–कहीं उनका नेतृत्व भी करती हैं। रमणिका ने आदिवासी समाज के रहन–सहन उनके रीति–रिवाज तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों को उजागर किया है। उन्होंने आदिवासियों की त्रासदी को यथावत् चित्रित करने का साहस उठाया है, जो काफी चुनौतीपूर्ण है। आदिवासी महिलाओं के साहस के विषय में लिखती है– ''आज झारखण्ड की आदिवासी महिलाएँ सत्ता में भागीदारी कर सक्रिय आन्दोलन चला रही हैं चूंकि आदिवासी औरतें घर पर भार नहीं बल्कि बराबर कमाने वाला हाथ होती हैं। चंपी, नागी,

साली, थिगी, लेंबू, मकी आदि कई ऐसे नाम हैं, झारखंड की क्रांतिकारी महिलाओं के, जिन्होंने आदिवासी विद्रोहों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। आदिवासी औरतों के माथे पर तीन लकीरों का गोदना भी रोहतासगढ़ पर हुए तीन हमलों में महिलाओं की विजय की स्मृति में गुदवाया जाता है।''[2]

रमणिका जी की कहानियाँ 1973 ई0 में कोयला खदानों के सरलीकरण के पहले और बाद की घटनाओं का यथार्थ प्रस्तुत करती हैं। जिनकी वे खुद साक्षी भी रही हैं। उनकी कहानियों में आदिवासी औरतों की साहस, जीवन जीने की उद्दगाम जिजीविषा स्पष्ट झलकती है। वर्तमान परिवेश में आदिवासियों स्त्रियों की जीवन शैली में हुए कई बदलाव उनकी कहानियों में दिखाई देती है। जातिगत मतभेद, बालविवाह, बालमजदूरी, यूनियन का नेतृत्व करती महिलाएँ, पुरुषवादी मानसिकता आदि उनकी कहानियों के केन्द्रीय बिन्दु हैं। आदिवासी जीवन शैली में हुए परिवर्तन को प्रस्तुत करते हुए कहती है– ''आज आदिवासियों में चेतना जगी है। वह नई–नई विचारधाराओं और क्रान्तियों से परिचित हुआ है, जिनके परिप्रेक्ष्य में वह अपनी नई पुरानी स्थितियों को तोलने लगा है। उनमें अपने होने न होने, अपने हकों के अस्तित्व की वर्तमान स्थिति, अपने साथ हुए भेदभाव व अन्याय का बोध भी जगा है।... वह आज अपनी समस्याओं को हिन्दी की कलम से भी व्यक्त करने लगा है तो साथ ही अपनी संस्कृति, भाषा और अपनी उदात्त जीवन शैली की भी अभिव्यक्ति से हिन्दी को समृद्ध कर रहा है।''[3]

रमणिका जी की कहानियों के सम्यक अध्ययन से यह तथ्य सामने आता है कि समानता, सहजीविता, सहअस्तित्व की अवधारणा से जीवन यापन करने वाली आदिवासी महिलाएँ शोषण की शिकार हो रही हैं। जंगलों में जहाँ कभी आदिवासी महिलाएँ निवास करती थी, जीवनयापन हेतु लकड़ियों को बेचती थी, महुआ चुआने का काम करती थी, वहीं से आज उन्हें बेदखल कर दिया गया है। उसी जगह आज महिलाएँ खटने कमाने को मजबूर हैं तो कुछ आदिवासी महिलाएँ विस्थापन की समस्या से जूझ रही हैं। सरकार के नए–नए नियम कानून के चलते महिलाएँ नौकरी की तलाश में भटक रही हैं। इस कारण वे कहीं मुंशी के शोषण का शिकार हो रही हैं तो कहीं ठाकुरों के। जीवन जीने के लिए नौकरी की क्या भूमिका है? यह चमेली कहानी की चमेली ही जानती है, जो अपने भाग पर रोते हुए कहती है– ''मैं जनी (औरत) हूं न। एही खातर सभै जन हमर पर नजर गड़ात है चाहे बप्पा के उमीर का हमर मर्द हो, चाहे मुंशी, चाहे सावजी।''[4]

आदिवासी समाज में औरतों को खटने कमाने वाली माना जाता है, जो परिवार का भरण–पोषण करती है, यही कारण है कि चमेली कहानी में करमहादास अपनी पत्नी का उम्र ढलने पर अपनी पत्नी के चचेरे भाई की जवान बेटी चमेली से विवाह कर लेता है। अंततः चमेली अपने जीवन के सभी सपनों को नष्ट होते देखती है। नौकरी की लालसा लिए चमेली समाज के प्रबन्धन से, अपने आप से, और सबसे ऊपर सामाजिक ताने बाने एवं रीति रिवाजों से लड़ती नजर आती है।

'बहु–जुठाई' कहानी में एक ऐसी परम्परागत रूढ़ि को दिखाया गया है, जिसमें आदिवासी महिलाएँ हमेशा छली जाती रही हैं। माधव के गाँव में किसी औरत की विदाई नहीं होती क्योंकि उस गाँव में बहू को पहले ठाकुर के घर ले जाया जाता है। यही कारण है कि माधव का गौना नहीं हुआ है। इस कहानी में माधव की भाभी को ठाकुर लोग इसी परम्परा के चलते अपने यहाँ रख लेते हैं। यहाँ तक कि उस गाँव की सभी बहुएँ ठाकुर से जुठाई हैं और माँ ठाकुर के बाप से। कितना कड़वा सच है समाज का? जिसे आदिवासी महिलाएँ अपना भाग्य समझकर इस परम्परा को सहती जाती हैं, लेकिन लड़की का भाई, जो कॉलेज में पढ़ता है, सिर्फ वहीं इस परम्परा का विरोध करते हुए कहता है 'ठाकुर साव के यहाँ आपनी बहिनी को कलेवा (नाश्ता) बनाने खातिर कैसे भेजूं।'[5]

'जिरवा और जिरवा माय' कहानी में माँ एवं पुत्री दोनों मर्दों के हाथों की कठपुतली सी बन गई है। जीवन की एक ऐसी विडम्बना जिसमें पेट के खातिर, बच्चों के खातिर दोनों औरतें एक मर्द से दूसरे मर्द तक फिसलती रहती है। कहानी में आदिवासी समाज में जातिगत मतभेद देखने को मिलता है। जिसमें जिरवा और जिरवा माय जैसी महिलाओं को भोगना पड़ता है। गैर बिरादरी के लड़के से प्रेम करने पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, डरा धमका कर पैसे वसूल किए जाते है। आदिवासी समाज में शिक्षा के अभाव के चलते वे समाज में अपना हक नहीं ले पा रहे हैं। जिसका जिक्र जिरवा माय रमणिका से करते हुए कहती है 'का करूँ मैया ? कागद है, कोर्ट का मोहर भी लगल है पर कोई पढ़ेवाला हो तब न ? अकेली औरत जात किस किस से लड़े ?'[6]

आदिवासी समाज में शादी ब्याह का उम्र भी नहीं देखा जाता है। इसका मुख्य कारण शिक्षा का अभाव है। जब जिरवा की शादी होती है तो उसका पति उससे 11 वर्ष छोटा होता है। वहीं 'ललिता' कहानी की पात्र ललिता की शादी भी बाल्यावस्था में हो जाती है। आगे चलकर जब उसे ज्ञात होता है, तो ललिता उसे ठुकरा देती है और अर्जुन से प्रेम विवाह करने की शर्त रखती है, लेकिन तथाकथित समाज के ठेकेदार एवं पंच के वर्चस्व के आगे अर्जुन को पत्थर से कुच कर मार दिया जाता है और ललिता को जलती लुकाठी से दाग दिया जाता है। ललिता, जिरवा माय एवं जिरवा आदि आदिवासी स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार के पीछे शिक्षा एवं पहले से अपना वर्चस्व जमाये बाबू साहब, मुंशी एवं ठेकेदार जैसे लोगों की अहम भूमिका है। जिसकी बदौलत ललिता सिर्फ प्राइमरी तक ही पढ़ पाती है। यही लोग आगे चलकर उसे मानसिक एवं रूप से शोषण का शिकार बनाते हैं। जिरवा अपने जीवन की त्रासदी का व्यक्त करते हुए कहती है कि 'देह का क्या है ? देह रहेगी तो न वह बच्ची को पालेगी और खुद जिंदा रहेगी। देह देकर अगर जिन्दगी मिलती है तो इसमें क्या हर्ज है ऐसे भी तो लोग डरा धमका कर जबरन उसकी देह भोगते ही रहे है। जिंदा रहने के लिए देह का सौदा खलता जरूर था पर यह जरूरी था।''[7] जिरवा और जिरवा माय दोनों अपने शर्त पर जीना चाहती है, लेकिन जीने के लिए दूसरों की शर्त मानना उनकी मजबूरी बन जाती है।

'प्यारी' कहानी में प्यारी का अस्तित्व उस समय खत्म होता नजर आता है। जब प्यारी का पति शीतल नशे की हालत में जुआ खेलते हुए प्यारी को दांव पर लगा देता है और उसे हार जाता है। तब वह प्यारी से कहता है– ''चल उठ प्यारी। हम तो जाती (जाएंगे)। अब तू आईज (आज) से फागू के मेहरारू (पत्नी) हो गेले। हम हार गेयल तोर (तुन्हें) बचवा (बच्चा) भी तू ही रख। हम आपन ठिकाना खोईज (खोज) लेब।''[8] पुरुषवादी मानसिकता आदिवासी समाज में भी देखने को मिलती है। जहाँ शीतल अपनी पत्नी को वस्तु समझते हुए उसे जुए में लगा देता है। यहाँ तक कि प्यारी के इनकार करने पर उसकी नाक भी काट देता है। यही प्यारी आगे चलकर सामाजिक ताने–बाने को तोड़ती हुई यूनियन का सदस्य बनती है। अपने हक एवं अस्तित्व की रक्षा हेतु प्रश्न करते हुए कहती है– ''मेरा नाम क्या है लिखकर दो, मेरी पहचान क्या है लिखकर दो, मेरा वतन क्या है लिखकर दो, मैं कौन हूँ लिख कर दो।''[9]

सोधना की पत्नी, जो बाबुओं के घर दाई का काम करती है, वह जातिगत प्रताड़ना से पीड़ित होने पर मीटिंग के बीच ही कहती है ''हमन ऊ सब के घर नाय जाब तो कैसने (कैसे) उन सब की मेहरारू और बेटी पतोहू बच्चा जनतै (जनेगी)? हमनी आइज (आज) से ही ऊ सब के घर जाय के या दाई का काम करेके बंद कर देब। बाकी सभै जात के घर जायब, पन बाबू लोगों के टोला नाय जयाब।''[10] ये वकील की माँ के नेतृत्व में आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए लोगों का एक एकजुट होने का आवाहन है, जो जातिगत मतभेदों को तोड़ने का प्रयास करती हैं।

'जिंदा रहने के लिए' कहानी में देवी जी ट्रेन में चढ़ी एक महिला से जब पूछती हैं– 'हंडिया है क्या ?' तो वह महिला अपने जीवन की वास्तविकता बताते हुए कहती है– 'हाँ माई जी हंडिया न बेचे तो पेट कैसन चले। सरकार तो नयका नयका (नया नया) कानून गढ़ ढेयल है। दारु पीना, महुआ चुआना बेचना बंद कर के गरीबन के जिंदा जी मार देयल है। भला हमनी सब कैसन जिबैय (जीए)? दारु पिये वाला तो पिबै करेगा। हाँ, नशाबंदी होये बाद दरोगा पुलिस, टी.टी., बाबूमन के घुस के रेट जरूर कुछ बढ़ गेल।'[11]

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आदिवासी समाज में स्त्री को खटने, कमाने एवं रोजगार करने वाली स्त्री के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसकी बदौलत उनके घर का भरण–पोषण होता है। आदिवासी समाज में स्त्री सुरक्षित नहीं है। पुरुषों का वर्चस्व, पुरुषवादी मानसिकता, जातिगत मतभेद, शिक्षा का अभाव, ठेकेदारों, मुंशी एवं ठाकुरों का बोलबाला इस कदर हावी है कि स्त्रियाँ इनकी शिकार होती चली जा रही हैं। मुंशी, ठेकेदार स्त्रियों का हर रूप से शोषण करते हैं तो समाज के तथाकथित वर्चस्व जमाए सरपंच, बाबू साहब जैसे लोग जातिगत, मानसिक और शारीरिक शोषण तक को अंजाम देते हैं। यहाँ तक प्यारी की नाक काट दी जाती है। ललिता को जलती लुकाठी से जलाया जाता है। जिरवा माय के गर्भवती होने पर भी पेट पर डंडे से मारा जाना, आदिवासी स्त्रियों के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। यह त्रासदी सिर्फ गिने–चुने पात्र ही नहीं झेलते, बल्कि आदिवासी समाज के पूरे समुदाय में ऐसे निंदनीय दुर्व्यवहार आए दिन होते रहते हैं। यही कारण है कि स्त्रियाँ अपनी आत्मरक्षा एवं अस्तित्व को बचाने के लिए रमणिका के द्वारा चलाए जा रहे यूनियन में भाग लेती हैं, अपनी आवाज बुलन्द करती हैं और अपने हक के लिए लोहा लेने तो तैयार रहती हैं।

सन्दर्भ :

1. गुप्ता, रमणिका (2008) : आदिवासी कौन, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ0 06
2. गुप्ता, रमणिका (2004) : निज घरे परदेशी, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली, पृ0 18
3. गुप्ता, रमणिका (2008) : आदिवासी साहित्य यात्रा, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ0 05
4. गुप्ता, रमणिका (2010) : बहू–जुठाई, शिल्पायन प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ0 25–26
5. वहीं, पृ0 31
6. वहीं, पृ0 85
7. वहीं, पृ0 91
8. वहीं, पृ0 101
9. वहीं, पृ0 99
10. वहीं, पृ0 111
11. गुप्ता, रमणिका (2010) : बहू–जुठाई, शिल्पायन प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ0 123

Nav Jyoti, Vol. 10, No. 21, July-December 2022 **ISSN : 2249-7331**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

ग्रामीण महिलाएँ तथा स्वास्थ्य चुनौतियाँ
(जनपद प्रतापगढ़ के विशेष संदर्भ में)

पुष्पा तिवारी
शोध–छात्रा
समाजशास्त्र विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उ0प्र0)

सारांश

विश्व के लगभग सभी देशों में स्वास्थ्य की समस्या एक बड़ी समस्या के रूप में विद्यमान है। सही स्वास्थ्य न होने से लगभग सभी क्षेत्रों पर इसका दुष्प्रभाव दिखाई पड़ता है। सच ही कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब स्वास्थ्य की समस्या के बारे में हम भारत देश की बात करते हैं तो स्थिति और भयावह हो जाती है। इसके पीछे कुछ कारण दिखाई पड़ते हैं। जिनमें दो प्रमुख कारण है प्रथम भारत में जनसंख्या की अत्यधिक प्रवाह और द्वितीय भारत में ग्रामीण समाज की व्यापकता।

भारत में जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 68 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण समाजों में निवास करती है और इस जनसंख्या में स्त्री पुरूष का अनुपात लगभग बराबर है। परन्तु भारतीय ग्रामीण समाज में सदा से ही पुरूषों की तुलना में महिलाएँ दोयम दर्जे पर रही है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उनके स्तर पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय ग्रामीण समाज की महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों पर आधारित है। चूंकि सम्पूर्ण भारतीय ग्रामीण समाज का अध्ययन दुरूह कार्य है, इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद प्रतापगढ़ की ग्रामीण महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों पर यह शोध पत्र आधारित किया गया है। यही इस शोध–पत्र का उद्देश्य भी है। इस शोध पत्र के लेखन में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है।

बीज शब्द– जनसंख्या घनत्व, अज्ञानता, अशिक्षा, गरीबी।

प्रस्तावना :–

भारतीय सामाजिक संरचना में गाँव या ग्रामीण क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। जनगणना के अनुसार वह स्थान ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जिसकी आबादी पाँच हजार से कम हो और जिसका जनसंख्या घनत्व 400 प्रतिवर्ग किलोमीटर से कम हो तथा जहाँ पर कामकाजी पुरुषों की संख्या का 25 प्रतिशत भाग खेतीबाडी के काम में लगा हो। इसी सन्दर्भ में रेडफील्ड ने कहा है कि गाँव का तात्पर्य किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र से नही है। बल्कि गाँव एक जीवन विधि है। आज विश्व की आबादी 6 अरब से अधिक है। इस आबादी मे आधा हिस्सा महिलाओं का भी है। आधी दुनियाँ का बोझ अपने सिर पर लिए इतनी बड़ी आबादी आज के विकास के दौर मे बहुत पीछे ढकेल दी गयी है।

आज विकसित से लेकर विकासशील और गरीब लगभग सभी राष्ट्रों मे महिलाओं की दशा दयनीय है, क्योंकि आदिम से लेकर औद्योगिक समाज तक में महिलाओं को उचित सम्मान नही दिया गया। आज इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लगभग प्रत्येक काम की एक कीमत देखी जाती है। और उसी के अनुसार उसका आंकलन किया जाता है। आज महिलाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या उनके स्वास्थ्य को लेकर है। चाहे एड्स हो या कालाजार, मलेरिया या प्रसूत सम्बन्धी बीमारियों से महिलाएँ सबसे अधिक प्रभावित है।

भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अशिक्षा, गरीबी और अज्ञानता कही न कही इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार ने अशिक्षा, गरीबी और अज्ञानता को दूर करने के उदेश्य से विभिन्न कार्यक्रम चलाए हैं। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है। सरकार ने महिलाओं के प्रसूत सम्बंधी विभिन्न सहयोग कार्यक्रमों के माध्यम से इन गरीब महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया है। पहले से चल राष्ट्रीय प्रसूति लाभ योजना, जिसमें अब जननी सुरक्षा योजना का नया नाम दिया गया है। मई 2005 से प्रारम्भ इस योजना के माध्यम से स्वास्थ्य केन्द्रो में प्रसव सुविधा प्रदान कर मातृ मृत्युदर और शिशु मृत्युदर को कम करने का प्रयास किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहन तथा आपात प्रसूति सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयासरत है।

जननी सुरक्षा योजना में कुछ बातों का ध्यान रखा गया है –

1– इस योजना के लिए पूरा खर्च राज्य सरकार उठायेगी

2– यह लाभ ग्रामीण और शहरी दोनो क्षेत्रो में गरीबी रेखा से नीचे 'जीवन यापन करने वाले परिवारों को 19 वर्ष या इससे अधिक आयु की सभी गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

आज विकसित राष्ट्रों में वेश्यावृत्ति को एक सामाजिक बुराई मानकर कानून का संरक्षण प्रदान किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगो ने वेश्यावृत्ति को जीवन यापन का एक हिस्सा ही मान लिया है। महिलाओं की स्थिति पर यदि विचार किया जाय तो उनकी जो स्थिति भारत में या पूरी दुनिया में है लगभग वही स्थिति उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की महिलाओं की भी है। प्रतापगढ़ जिले की महिलाओं में सब समस्याओं के साथ–साथ स्वास्थ्य की समस्या अत्यन्त गंभीर है।

प्रस्तुत शोध पत्र–उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के ग्रामीण महिलाएँ एवं स्वास्थ्य चुनौतियों के सन्दर्भ में है। भारत गांवों का देश कहा जाता है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न वर्ग, जाति तथा समुदाय के लोग निवास करते हैं। इनका वर्गीकरण सामाजिक आर्थिक, शैक्षणिक, लिंग–आयु के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण समुदाय में अधिकांश संयुक्त परिवार पाये जाते है। लेकिन कहीं कहीं एकल परिवार भी देखने को मिलता है। यदि स्वास्थ्य की समस्या को देखा जाय तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार में भिन्नता देखने को मिलती है। इन भिन्नताओं के कारण सामाजिक ढाँचे में भी भिन्नताएँ उत्पन्न हो जाती है। यह कहना उचित होगा कि ग्रामीण महिलाएँ अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक लापरवाह होती है। ग्रामीण समाज में व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अनेक रोग उत्पन्न हो जाते है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का अभाव होने के कारण महिलाओं में रोग को लेकर बहुत अन्धविश्वास होता है। वह किसी भी रोग के पीछे दैवीय शक्ति का प्रकोप या जादू टोना का कारण मान लेती है। कुछ ग्रामीण लोग रोग निदान के लिए अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति का सहारा लेते है। जब कि वहीं कुछ लोग अन्धविश्वास के कारण झाड़–फूक कराते हैं और ऐसे लोगो पर विश्वास करते है जो ऐसा काम करते है।

प्रतापगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण समाज में अधिकांश लोग रोगग्रस्त होने के प्रारम्भिक अवस्था में इलाज कराना आवश्यक नही समझते इसको छोटी बात समझकर छोड़ दिया जाता है। रोगग्रस्त व्यक्ति सबसे पहले झाड़–फूंक के चक्कर में पड़ता है। असाध्य रोग होने पर भी प्रारम्भ में ग्रामीण लोग इसी अन्धविश्वास में रहते है, कि पूजा पाठ करवाने से ठीक हो जायेगा ऐसा करने मे काफी समय व्यतीत हो जाता है और रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तब व्यक्ति लाचार होकर वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति को अपनाता है। सिर्फ आर्थिक कारण ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं होते बल्कि उपचार के सम्बन्ध मे ग्रामीण लोग अपनी इस आदत को ही जीवन पद्धति बना लेते हैं।

भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्र में अधिक मातृ मृत्युदर के अनेक कारण हैं। यही स्थिति जनपद प्रतापगढ़ की महिलाओ की भी है। यहाँ भी महिलाओं की मृत्युदर मे सर्वाधिक अनुपात मातृ मृत्युदर है। इसमें सबसे बड़ा कारण रक्तस्राव है जो प्रसव के दौरान होता है। इसके बाद नम्बर आता है यूरयेरल की और बाधित प्रसव का जिसके कारण समस्या मातृ मृत्युदर का एक चौथाई भाग काल कवलित हो जाता है।

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कुष्ठ एवं चर्म रोग से ग्रसित महिलाएँ भी है। ऐसी महिलाओं को समाज अच्छे नजरिए से नहीं देखता। ऐसी महिलाएँ समाज की उपेक्षा का शिकार होती हैं एवं इसके इलाज में भी ढ़िलाई बरती जाती है। कुष्ठ रोग को ग्रामीण समाज मे पिछले जन्म का पाप, कर्म का फल समझ कर इसके सही इलाज पर ध्यान न देकर देवी–देवता की पूजा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इनका इलाज ग्रामीण समाज मे परम्परागत तरीके से किया जाता है। परन्तु सरकार ने इस तरफ विशेष ध्यान दिया है, और अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कुष्ठ रोग एवं चर्म रोग जैसे कई बीमारियों पर नियन्त्रण स्थापित किया है। प्रतापगढ़ जिले में वर्तमान समय में कुल 54 कुष्ठ रोगी हैं जिनका इलाज हो रहा है। प्रतापगढ़ के ग्रामीण इलाकों मे क्षय रोग एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य सहायता प्राप्त कार्यक्रमो के बाद भी क्षय रोगियों की संख्या में कुछ खास कमी नही आयी है। गाँव मे विभिन्न प्रकार की लकड़ियों का ईंधन के रूप में प्रयोग करने से महिलाओं मे स्वांस जनित रोग होने की सम्भावना अधिक रहती है।

उज्जवला योजना के संचालन के बाद भी ग्रामीण इलाको मे इस तरह के मरीज देखे गए हैं इससे महिलाओं को आँख की बीमारी तथा श्वास से सम्बन्धित अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण महिलाओं मे जागरूकता की कमी होने के कारण इसके बलगम की जाँच नही हो पाती। जिससे दिन प्रतिदिन रोग फैलता ही जाता है। देश में एक बीमारी और है जो समाज मे तेजी से फैल रही है। जिसको एड्स के नाम से जाना जाता है।

यह बीमारी भी समाज में भयानक रूप से फैल रही है। ऐसा देखा गया है कि एड्स एक बीमारी नही बल्कि बीमारियों का एक गुच्छा है। देश में महिलाओं के बीच इस बीमारी का फैलना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। विशेषकर जब सर्वाधिक कमजोर वर्गो की महिलाएँ संक्रमित पुरुषों से संक्रमित होती हैं। महिलाओं में यह बीमारी सिर्फ व्यावसायिक, गतिविधियों के कारण ही नही बाल्कि वैवाहिक जीवन मे भी एड्स अपनी घुसपैठ बना रहा है। इस बीमारी को इतनी गम्भीर बीमारी समझा जाता है कि समाज से उस व्यक्ति को अलग कर दिया जाता है जिसे यह बीमारी हो जाती है। 2011 से 2021 के बीच देशभर मे 17 लाख 8 हजार 777 लोग एड्स से पीड़ित पाए गए है। एड्स के सबसे ज्यादा रोगी आन्ध्रप्रदेश मे पाए गए है। एड्स रोग के मामले में उत्तर प्रदेश चौथे नम्बर पर है।

प्रतापगढ़ जिले में शादी के बाद 14 महिलाएँ एचआईवी पाजिटिव पायी गयी, उन्हें यह गंभीर बीमारी उनके पतियों से मिली है। इसका पता तब चला जब इन महिलाओं के गर्भवती होने के बाद डॉक्टरो ने इनका इलाज शुरू करने से पहले जाँच कराया। एच0आई0वी संक्रमित पायी जाने वाली सभी महिलाओं के पतियों की जांच की गयी तो उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आयी। एड्स जैसी लाइलाज बीमारी को खत्म करने के लिए देश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम का पहला चरण 1992 में स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन (NACO) शुरू किया गया। दूसरा, तीसरा और चौथा चरण 2014 में प्रारम्भ किया गया है। यह कार्यक्रम रोगियों के प्रति व्यवहार में परिवर्तन लाने, बीमारी से निपटने के लिए संगठनों और व्यक्तियों की भागीदारी पर केन्द्रित है। इस रोग पर नियंत्रण करने के लिए विभिन्न माध्यमों का सहारा लिया जाता है

जैसे–टेलीविजन और रेडियो से नियमित रूप से इस विषय मे प्रसारण किया जाता है। एड्स की रोकथाम के लिए वैश्विक और स्थानीय दोनो स्तरो पर प्रयास किए जा रहे है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। यदि इस बीमारी का शिकार महिलाएँ हो जाती है, तो उनकी स्थिति और गम्भीर हो जाती हैं। अतः इन्हें मुख्य धारा में लाना सबसे बड़ी चुनौती है। महिलाएँ एड्स से ग्रसित होने पर भावनात्मक रूप से आहत हो जाती है। अतः इन्हें विशेष तौर पर भावनात्मक समर्थन देकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए और इनके स्वास्थ के लिए विशेष प्रबन्ध करना चाहिए।

महिलाओं से सम्बन्धित जितनी भी समस्याएँ है। उनको देखते हुए भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएँ समय–समय पर क्रियान्वित की है खासकर महिलाओं की समस्याओं पर ध्यान देते हुए भारत सरकार ने केन्द्रीय स्तर और राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओ को लागू किया है। जैसे–जननी सुरक्षा योजना, किशोरी योजना, आयुष्मान भारत, मातृत्व वंदना योजना, इन्द्रधनुष योजना इत्यादि योजनाओं को लागू किया विभिन्न माध्यमों से लोगो तक पहुँच को सरल बनाया। ग्रामीण क्षेत्रो में इस कार्यक्रम को पहुँचाने के लिए आशा, आंगनबाडी तथा ए0एन0एम0 जैसे कार्यकर्ताओं का सहारा लिया गया है। ग्रामीण महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या उनके अन्दर शिक्षा का अभाव का होना है इसके लिए भी सरकार ने विभिन्न माध्यमों से उनको शिक्षित करने का प्रयास किया है। जिससे वे लागू की गयी योजनाओं को समझ सके तथा उसका लाभ उठा सके।

निष्कर्ष–

भारतीय समाज में आधुनिकता के पुट तो दिखाई पड़ रहे हैं परन्तु इसके बाद भी समाज में स्त्री पुरुष के बीच एक असमानता दिखायी देती है, जहाँ पुरुषों को समाज में ज्यादा स्वतन्त्रता प्राप्त है। हर क्षेत्र में पुरुष स्वतन्त्र है वह अपनी मर्ज़ी से अपने व्यवसाय का चुनाव कर सकता है। समाज में अपनी मर्जी से जी सकता है। दूसरे शब्दो में कहा जाय तो पुरुष स्वतन्त्र जीवन जी सकता है परन्तु, वहीं महिलाओं के जीवन का प्रत्येक पक्ष पुरुषो के आदेश के आधीन है। स्त्रियों की यह समस्या ग्रामीण समाज में स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाती है यहाँ तक कि यदि स्त्री शारीरिक रूप से बीमार है तो उसे कब और कहाँ इलाज कराना है यह सारी बातें घर के पुरूष तय करते हैं और स्त्रियों को उनके आदेश का पालन करना पड़ता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की है। इसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। प्रतापगढ़ जिले की ग्रामीण महिलाओं के सम्बन्ध में यह देखा गया है कि उदारवाद एवं वैश्विक परिकल्पना का स्वरूप यहाँ नहीं दिखायी पड़ रहा है। इस जिले में आज भी पारम्परिक और रूढ़िवादिता के आधार पर ही महिलाओं का स्वास्थ्य निर्भर करता है। आज भी यदि ग्रामीण महिलाओं को कोई स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्या होती है तो प्राथमिकता पारम्परिक उपचार को ही दिया जाता है। एक स्वस्थ्य और सभ्य राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब उस राष्ट्र की महिलाएँ और बच्चे स्वच्छ, सुरक्षित और मानसिक रूप से स्वस्थ हो और सुदृढ़ हो। भारत जैसे देश में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य यह बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि आज भी 68 प्रतिशत आबादी गाँव में ही निवास करती है और उनका जीवन निर्वाह पारम्परिक तरीके से ही होता है। गाँव में ही आधी आबादी महिलाओं की भी है। जो श्रद्धा की पात्र तो है साथ ही अच्छे जीवन की भी हकदार है।

संदर्भ स्रोत–

1– अहुजा, राम (2012), सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिशर्स, जयपुर।
2– वोगार्डस,(1955), द डेवलपमेंट ऑफ सोसल थाट्स
3– कुरूक्षेत्र (2017) –प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 2017
4– अहुजा, राम (2012), सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिशर्स, जयपुर।
5– अहुजा, राम (2002), भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
6– माथुर दीपा (1992), वूमेन फैमिली एण्ड वर्क, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।

A Book Review

Togawa, M. (2006). An Abode of the Goddess: Kingship, Caste and Sacrificial Organization in a Bengal Village. New Delhi: Manohar Publishers & Distributors: A Book Review

By **Dr. Pragya Tripathi,** Assistant Professor, Department of Sociology
DNPG College, Fatehgarh (Farrukhabad)

'An abode of the Goddess: Kingship, Caste and Sacrificial Organization in a Bengal Village' published in 2006 is a religious account of field work conducted by Professor Masahiko Togawa who specializes as a cultural anthropologist. He did his primary data collection through interviews and secondary data collection through records and texts. As Malinowski he was a participant observer in a village named Kashiragram in West Bengal during 1994-1995 where he drew the relationship of village with Hindu kingship through various rituals and practices performed in an old temple.

The temple organization assigned the rituals hierarchically to various castes, lineages and households which were based on kinship relations. The village 'Kashiragram' is famous as one of fifty one sakti-pithas or centers of sakti worship in Bengal. The village temple prospered under the patronage of Bardhaman Raj in the early eighteenth century. The temple organization consists on one hand the various lineages and caste groups and on the other hand the service tenures granted by the Bardhaman Raj in the late medieval period. The ritual authority of the king is still perceptible.

He brings the strong relationship between the village society and the kinship which indicates how deeply the social life of the village has been influenced by the Hindu kingship through its ritual practices. He brings to the fore the interdependency of politics(kingship), religion(ritual duties assigned) and social organization (caste).

Professor deals with the Sakta-Pitha in Bengal which is a general term given to sacred places in the Indian subcontinent associated with mother goddess as is described in myth called Dakshajagya a part of Hindu mythology Mahabharata. The book revolves around a grand temple called Jogadya which is well acknowledged for being one of fifty one sakta-pithas, scattered over the Indian subcontinent. Sakta-Pitha is the centre of worship for goddess Durga where a popular 'belief'surrounds, that her body parts fell over earth when she had been cut to pieces by the

discus of Visnu, so these places became the abode to the goddess. As pointed by Durkheim in Elementary forms of Religious Life (1912) says that the religious phenomena is arranged in two fundamental categories which is beliefs (states of opinion and representations) and rites (determined modes of action) and between these two classes of facts there are all differences which separates thought from action.

Professor looks at the rituals of sacrifice performed to the image of the goddess and the blood sacrifice performed by the 'Dom' caste over the goddess which is similar to Durkheim's account of bloodletting and the concept of 'pain' and 'suffering' in religious practices (1912). Also, the human sacrifice has been replaced with the buffalo sacrifice at the temple.

The ritual organization involves various caste groups according to the historical records where the kingship of Bardhman has been the ultimate source of honour in the temple but the Brahamins have the highest rank in the village and in authority of rituals. The royal family is the grantor of temple service lands and properties; also they used to be zamindars in possession of various estates before independence.

Where professor Masahiko goes ahead is when he cites the honor enjoyed by the kingship. This book goes beyond the book view of Dumont and deals with three materials. First, kings belong to the first caste as they seek to command other castes to play definite roles in the rituals of sacrifice; second, there is emphasis on caste initiation and lastly, is the reproduction of kingship structures. With the establishment of modern administrations the indigenous organization of kingship has drastically changed in rural areas while the ritual systems controlled by Brahmins have remained unchanged. There are eighteen castes and the three castes Ugra-Kshatriyas (in dominant landholders), Bagdi (untouchables) and Brahmins (priests) are the most numerous. The caste organization is woven by the jajmani relationship between the dominant caste and its family priests on one hand and the patron-client relationship between the landholders and service castes on the other. Along with the above three we saw that there was another party which was important and that was king and all are interdependent on each other through asymmetrical relationship jajman-priest, patron-service, king-temple, zamindar-raiyat and so on.

The book through above relationship can overall be summarized to deal with three materials: the ritual organization and its offices in the temple, duties and rights both in the temple ritual and in the rituals of the locality; and finally the ritual processes each caste and lineage is assigned its role through the year.

The Bengali culture has kept its tantric tradition comingled with Hinduism which is empirical evidence to Malinowski's explanation of magic and religion (1925). In case of Bengal, both the rituals of magic and religion have been intermixed. The writer enumerates that beyond being a religious centre, pithas also have a social function as during annual festival, people build solidarity amongst themselves which is very close to Durkheim's interpretation of the functional importance of religion. The pithas act as totems which have name and are sacred in its form. The book gives a descriptive account of the piths found in Bengal and Bangladesh. There are taboos observed in form of various customs which show respect for the goddess where the sacred becomes profound in contrast to profane.

The lands connected with the rituals of Jogadaya are still registered under the ownership of the Maharaja of Bardhman which are also tax exempted and follows a lot of taboos.Taboos also establish the dichotomy between sacred and profane (Durkhiem,1912). The service land of Maharaja ensures the occupancy right of the land in exchange of service to the land and this right is not equal, as the Brahmins enjoy the largest share. Each caste group is assigned the daily ritual service in the temple where one acknowledges the combination of caste occupations and ritual roles according to the Pan Indian Hindu caste system. There is daily shift of the temple priest for ritual service to maintain a stable organization.

The people get the opportunity to examine the rituals on the last day of each month and the rituals of pulling up the image of goddess. The book gives a brief description of Jogadyapuja which is one of the biggest village rituals and has a series of rites associated with it. It organizes village society as caste groups and lineages through the roles assigned in rituals. The climax of the Jogadyapuja is the sacrifice of a buffalo dedicated by the Maharaja. Women offer flowers, sweets, iron bangles and vermillion to the goddess and one sees that throughout India under Hinduism women offer their bangles and vermillion as to garner long lives to their husbands.

The financial patronage to the village rituals has been shifted from the Maharaja to the village middle class where there are rituals solely performed in the temple or solely performed in the village or performed both in village and temple. The sacrifices conducted have been reduced drastically and rituals have been shifted from the temple to the household which is the result of abolition of Zamindari system, decline of kingship and emergence of rural middle class.

The book then gives an account of the relationship of Jogadya temple and Durgapuja of the locality conducted by the Ugra-Kshatriyas. The last part of the book deals with the worship of serpent which is one of the popular folk cults in rural Bengal which is referred as Manasapuja. The rituals are for the goddess serpent Manasa and the 'belief' is that she protects the people from the dangerous serpents. The analysis of this ritual brings forth the social structure from the perspective of lower castes which as Menchar (1974) says is the bottom up view.

The account of the book becomes too descriptive in its ethnographic study which is why it compromises with the analytical part. Though the description helps to understand the 'book view' through' field view' but by giving too much account of every ritual ranging from its geography to its minutest details, it takes away the essence of the ritual in social context. Professor gives a much lengthy account of the myths behind the temple and also gives the chronology of the kings' rule in the village, with much less space devoted to the social, cultural and religious impact on the people because of it.

Still, it does a remarkable job to bring forth the inter-relationship of religion, kinship, caste, and politics towards the reader. It establishes that though the political structure changed with time but the society managed to keep its tradition with some changes, which shows the blend of present with past. Also the book is similar, in respect to the relationship of caste and religion, to Srinivas's study of Coorg society (1952) but differs with the tripartite relationship which Togawa brings forth. The rituals have their social significance and symbolic importance as when the king enjoys the highest position in the rituals, it does not remain limited to just a ritual practice rather in gets transformed in lives of people. This is the reason why such symbolic study becomes important to a sociologist as it helps her/him in understanding the social structure better.

पुस्तक–समीक्षा

पुस्तक का नाम : **सामाजिक विघटन**

सम्पादक : **डॉ. आलोक कुमार कश्यप**
विभागाध्यक्ष
समाजशास्त्र विभाग
एम. बी. एस. पी. जी. कालेज गंगापुर वाराणसी
एवं
श्री मनीष कुमार कश्यप एम.ए. नेट, समाजशास्त्र

प्रकाशन वर्ष : 2015 (प्रथम संस्करण)

पुस्तक का मूल्य : 225

कुल पृष्ठ :288

आई. एस. बी. एन. : 978–81–8330–579–2

प्रकाशक : अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस,

अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली –110002

समीक्षक : **डॉ. जयप्रकाश यादव**
एसोसिएट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्रस्तुत समीक्ष्य पुस्तक सामाजिक विघटन सम्पादक द्वय के कठिन परिश्रम एवं दूरदृष्टि का परिणाम है। इस पुस्तक में सम्पादक द्वय के अध्यायों को सम्मिलित करते हुए कुल 14 अध्यायो में पुस्तक के सम्पादन को पूर्ण किया गया है। जिसमे सामाजिक विघटन एवं सामाजिक मुद्दों से सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को छूने का प्रयास किया गया है जैसे : सामाजिक विघटन, वैयक्तिक एवं पारिवारिक विघटन, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियाँ, महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, विस्थापन, मूल्य संकट, आतंकवाद, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध, बाल–अपराध, साइबर अपराध एवं एड्स जैसे ज्वलन्त मुद्दों को समाहित किया गया है।

समीक्ष्य पुस्तक को पढ़ने के बाद हम पाते हैं कि पुस्तक में विभिन्न विषयों के विद्वान लेखकों के अध्यायों को सम्मिलित किया गया है जैसे–समाजशास्त्र इतिहास, शिक्षाशास्त्र इत्यादि । यह पुस्तक भाषा–शैली की दृष्टि से सरल, बोधगम्य और प्रभावशाली है जो सम्पादक द्वय के कठिन परिश्रम का फल है। यह पुस्तक सम्बन्धित मुद्दों से जुड़े अध्यापकों, विश्वविद्यालयों के स्नातक, स्नातकोत्तर, शोधार्थियों के अतिरिक्त विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, कर रहे विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है।

हाँ मेरा संपादक द्वय से एक सुझाव और उम्मीद भी है कि पुस्तक के आगामी संस्करण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सम्बंधित पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सामाजिक मुद्दो एवं समस्याओं से सम्बन्धित अध्यायों को सम्मिलित कर इसे और भी समृद्ध और उपयोगी बनाये ताकि इस पुस्तक की व्यापकता और प्रासंगिकता को बढ़ाया जा सके।

Nav Jyoti, Vol. 10, No. 21, July-December 2022 **ISSN : 2249-7331**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

प्राचीन भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति : कल और आज

डॉ0 अरविन्द कुमार राजपूत
असि0 प्रो0 समाजशास्त्र
श्री अग्रसेन महाविद्यालय,
मऊरानीपुर (झाँसी) उ0प्र0

सारांश–

किसी सभ्यता की आत्मा को समझने तथा उसकी उपलब्धियों एवं श्रेष्ठता का मूल्यांकन करने का सर्वोत्तम साधन उस सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन करना है। हिन्दू सभ्यता में स्त्रियों को अत्यन्त सम्मानपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। भारत की प्राचीनतम सभ्यता सैन्धव सभ्यता में स्त्रियों को आदरपूर्ण स्थान प्राप्त था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा अन्य स्थलों की खुदाई में प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका परिवार मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नारी मूर्तियों को पृथ्वी या मातृदेवी का प्रतीक माना गया है। हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिसे उर्वरता का प्रतीक माना गया है।

भारतीय समाज की सामाजिक संरचना के कारण भारत में महिलाओं की स्थिति कमजोर है, कमजोरी के कुछ मुख्य कारण है। जैसे महिलाओं की अपनी पहचान व अस्मिता नहीं है, महिला को पिता, पति या पुत्र से पहचान मिलती है। महिलायें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। जैसे भारत में महिलाओं की कमजोर स्थिति की व्याख्या अनेक प्रकार से की गयी है। जैसे भारत में जो कृषि की संरचना है उस संरचना के कारण महिलायें जमीन पर नियंत्रण नहीं कर पाती, कृषि कार्य नहीं कर पाती और अपनी फसल को सुरक्षित नहीं रख पाती इससे उनकी स्थिति कमजोर होती है। इसके अलावा भारत के सभी धर्म महिलाओं को कमजोर स्थान प्रदान करते है। धर्मों में इनकी स्थिति सबसे कमजोर है। इस कारण स्त्रियों को पुरूषों के बराबर स्वीकार नहीं किया जाता।

वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पुरूषों के समान होती थी। उनका भी उपनयन संस्कार होता था और यज्ञोपवीत धारण कर वे भी गुरूकुलों में शिक्षा प्राप्त करती थी। पूर्ण युवती होकर स्त्रियाँ स्वंयवर द्वारा अपने पति का वरण करती थी। उन्हें पुरूष की सहधर्मिणी व अर्धांगिनी माना जाता था। वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि स्त्रियाँ अपने श्वसुर, सास, ननद और देवर आदि पर साम्राज्ञी के रूप में शासन करती थीं और कोई भी यज्ञ पत्नी के बिना पूरा कर सकना सम्भव नहीं था। समाज में स्त्रियों की स्थिति किसी भी प्रकार से पुरूषों से कम नहीं थी। विवाह के अवसर पर दोनों कतिपय प्रतिज्ञाएं करते थे, जिनका प्रयोजन एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन बिताना होता था। समाज में माता के पद को पवित्र एवं प्रतिष्ठित माना गया है। आचार्य से सौ गुना प्रतिष्ठित पिता है और पिता से सहस्त्र गुना प्रतिष्ठत पद माता का है। माता के पद की प्रतिष्ठा को स्वीकार करते हुए वशिष्ठ सूत्र में लिखा गया है कि उपाध्याय की तुलना में आचार्य दस गुना प्रतिष्ठित है आचार्य से सौ गुना प्रतिष्ठित पिता है और पिता से सहस्त्र गुना प्रतिष्ठित पद माता का है। माता के पद की यह प्रतिष्ठा प्राचीन भारत में स्त्रियों की उच्च स्थिति का स्पष्ट प्रमाण है।

उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा पूर्ववत् बनी रही। कन्या की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। उनका उपनयन होता था और ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए वह अध्ययन करती थी। अथर्ववेद में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में पति को प्राप्त करने में सफल होती थी, लेकिन धीरे–धीरे इस दशा में परिवर्तन आने लगा। बाल विवाह के कारण स्त्रियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना सम्भव नहीं रहा, और वे अपनी सुरक्षा एवं निर्वाह के लिए पुरूषों पर निर्भर रहने लगी। वशिष्ठ ने मत व्यक्त किया है कि

स्त्री स्वतन्त्रता के योग्य नहीं है। कुमारी अवस्था में पिता स्त्री की रक्षा करता है, यौवन अवस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र स्त्री की रक्षा करता है। मनु ने यहाँ तक कहा है कि पति के दुराचारी तथा चरित्रहीन होने की दशा में भी पत्नी का कर्त्तव्य है कि वह देवता के समान उनकी पूजा करें। शक, यवन, हूण आदि विदेशी आक्रमण के समय स्त्रियों की रक्षा भारत के लिए एक गम्भीर समस्या बन गयी थी। यही समय था, जब माता–पिता कन्या के जन्म की अवांछनीय समझने लगे और लोग पुत्रोत्पति की कामना करने लगे।

यद्यपि ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण स्त्रियों की सामाजिक स्थिति बहुत हीन हो गयी थी, पर प्राचीन परम्परा के अनुसार बाद में भी उनके प्रति सम्मान एवं प्रतिष्ठा का भाव बना रहा। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो पिता, माता, पति तथा देवर के कल्याण की इच्छा रखे, उन स्त्रियों को सदा पूज्य रखना चाहिए। जहाँ स्त्रियों की पूता होती है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। महाभारत में बताया गया है कि स्त्रियाँ समृद्धि की देवी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हिन्दू समाज में स्त्रियों के प्रति सामान्यतः आदर पूर्ण विचार अपनाये गये।

वैदिक युग में स्त्रियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करती थी। उन्हें पुरूषों के समान ही शैक्षणिक अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की गयीं थी। कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था और वे भी ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करती थी ऋग्वेद में अनेक ऐसी स्त्रियों के नाम मिलते है जो विदुषी एवं दार्शनिक थी और उन्होने कई मंत्रों एवं ऋचाओं की रचना भी की थी। विश्ववारा को 'ब्रह्मवादिनी' तथा 'मन्त्रद्रष्ट्री' कहा गया हैं जिन्होंने ऋग्वेद के एक स्तोत्र की रचना की थी। इसके अलावा घोषा, लोपामुद्रा, शाश्वती, अपाला, इन्द्राणी, सिकता, निवावरी आदि विदुषी स्त्रियों के नाम मिलते हैं जो वैदिक मंत्रों एवं स्तोत्रों की रचयिता है। वैदिक ऋषियों में स्त्रियों का भी होना अत्यन्त महत्त्व की बात है। उनकी कृतियों को वैदिक संहिताओं में स्थान दिया गया या उन्हें भी उन ऋषियों में परिगणित किया गया, जिन्होनें वैदिक मंत्रों के अभिप्राय को स्पष्ट किया था। कुछ स्त्रियों ने धर्म एवं दर्शन में निपुणता एवं विद्धता प्राप्त कर ली था किन्तु समय के प्रवाह के साथ हम स्त्री शिक्षा में कुछ गिरावट पाते है। कन्याओं को गुरूकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने की प्रथा समाप्त हो गयी तथा घर पर ही शिक्षा देने का समर्थन किया गया। अब वे केवल अपने पिता, भाई, या चाचा आदि से ही शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। ऐसी स्थिति में केवल कुलीन परिवार को कन्याएं ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी।

ब्राह्मण तथा उपनिषद् ग्रन्थों के अध्ययन से भी स्त्री शिक्षा की स्थिति का पता चलता है। ऐतरेव ब्राह्मण में कुमारी गन्धर्वगुडकारी का उल्लेख आता है, जिसे परम विदुषी कहा गया है। उपनिषदों में मैत्रेयी, गार्गी, अत्रैयी आदि महिला दार्शनिकों का नाम उल्लेखनीय है। बृहदारण्यक उपनिषद् के अनुसार मैत्रेयी याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी थी। विदेहराज जनक की राजसभा में गार्गी ने अपनी तर्कशक्ति द्वारा याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान को शास्त्रार्थ में निरूतर कर दिया था। मनुस्मृति में भी स्त्री शिक्षा के विषय में विवरण मिलता है जिसमें कन्याओं के लिए भी यज्ञोपवीत का विधान किया गया है। प्राचीन भारत में माता, पिता की यह इच्छा रहती थी कि उनकी पुत्री 'पण्डिता' बने। इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद् में कहा गया है कि जो कोई यह चाहे कि मेरी दुहिता (पुत्री) पण्डिता बने और सौ वर्ष की आयु पूरी प्राप्त करें, तो वह घी के साथ तिल और चावल पकाकर सेवन किया करे।

वैदिक युग में सभ्य परिवारों में स्त्री का सम्मानित स्थान था तथा उसे परिवार की सम्पत्ति का पति के साथ समान अधिकारी माना गया है। प्रथम तथा द्वितीय शती के स्मृतिकारों ने यह स्पष्टतः विधान किया है कि किसी भी परिस्थिति में स्त्री तथा पुत्र उपहार अथवा बिक्री की वस्तु नहीं हो सकते हैं। भारतीय सभ्यता में वैदिक युग से ही पति–पत्नी दोनों को पारिवारिक सम्पत्ति का संयुक्त अधिकारी माना गया है। मनुस्मृति मे कहा गया है कि अपनी पत्नी के उचित निर्वाह की व्यवस्था किये बिना पति कहीं यात्रा पर नहीं जा सकता है। यदि पुरूष एक स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री से विवाह करता है तो उसे प्रथम के जीवन निर्वाह की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार स्त्रीधन उसे कहते हैं जो विवाह के समय

वैवाहिक अग्नि के सम्मुख वधू को प्रदान किया जाय, वरयात्रा के समय जो उसे दिया जाय और जो माता–पिता और भाई तथा अन्य सम्बन्धी उसे स्नेह वश प्रदान करें। याज्ञवल्क्य ने स्त्रीधन के निम्न लक्षण बताये है– पिता, माता, भाई और पति जो धन स्त्री को प्रदान करें, विवाह के समय अग्नि के सम्मुख कन्यादान के अवसर पर जो धन उसे दिया जाय और विवाह के पश्चात अभिवंदन के रूप में जो धन स्त्री को प्राप्त हो, वह स्त्रीधन होता है। इस प्रकार जो धन स्त्री प्राप्त करती थी। स्मृति लेखकों ने भी स्त्रीधन के ऊपर स्त्री का अधिकार माना है किन्तु उस सम्पत्ति को बेंचने का अधिकार नहीं दिया। मनु के अनुसार पति की अनुमति के बिना पत्नी निजी सम्पत्ति को भी बेंच नहीं सकती है।

प्रागैतिहासिक युग के लोगों में यह विश्वास प्रचलित था कि मृत्यु के बाद उसे इस लोग में काम आने वाली वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण लोग मृतकों के साथ–साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं को भी दफनाते थे। किसी राजा अथवा कुलीन व्यक्ति के मरने के बाद उसके साथ उससे सम्बन्धित सभी वस्तुओं तथा पत्नी, अश्व, नौकर आदि को भी दफनाया जाता था, ताकि ये उसे पारलौकिक जगत् में सुख प्रदान कर सकें। इसी विश्वास ने सती प्रथा को जन्म दिया, जिसमें मृतक के साथ उसकी पत्नी को भी दफनाया जाता था।

वैदिक साहित्य से पता चलता है कि इस समय पुरातन सती प्रथा की औपचारिकता पूरी करने के लिए आग्रह करते थे। इससे स्पष्ट है कि वैदिक समाज में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी तथा विधवा विवाह द्वारा स्त्री पुनः अपना घर बसाती थी। ब्राह्मण साहित्य, गृह्यसूत्र तथा बौद्ध साहित्य में भी इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। मेगस्थनीज, कौटिल्य तथा प्रारम्भिक स्मृतिकारों ने भी इसका उल्लेख नहीं किया है। भारतीय समाज में सती प्रथा का प्रचलन चौथी शताब्दी ई0पू0 के बाद किसी समय हुआ होगा। रामायण के मूल अंश में इसका उल्लेख नहीं है। महाभारत में इस प्रथा का छिटपुट उल्लेख मिलता है। पाण्डु की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी माद्री सती हो गयी थी। पुराणों में कुछ स्त्रियों के सती होने का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि चौथी शताब्दी ई0 के लगभग से यह प्रथा समाज में लोकप्रियता प्राप्त करने लगी थी।

भारतीय परम्परा महिला विरोधी है। स्थानीय परम्परायें क्षेत्रीय परम्परायें और राष्ट्रीय परम्परायें सब की सब महिला विरोधी है। महिलाओं को कमजोर,, पति या पिता के अधीन रहने वाली माना जाता है। भारतीय परम्परा मजबूत महिलाओं को पसन्द नहीं करती हैं। सामाजिक संरचना भी स्त्रियों को कमजोर बनाती है। संयुक्त परिवार में स्त्रियों की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। ग्रामीण समुदायों मे स्त्रियां महत्वपूर्ण रोजगार नहीं कर सकती।

परन्तु सम्पूर्ण भारत में महिलाओं की स्थिति एक जैसे नहीं है। कुछ प्रान्तों में महिलाओं की स्थिति बेहतर है तो कुछ में बद्तर है। जैसे दक्षिण भारत में विशेष रूप से केरल में महिलाओं की स्थिति बेहतर है। स्थिति अच्छी होने का एक प्रमाण उनकी अधिक संख्या है। इसके बाद उत्तर पूर्वी भारत जो जनजातीय भारत है जैसे नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम इत्यादि में उनकी स्थिति बेहतर है। इसके बाद असम व बंगाल की स्थिति ठीक है। इसका कारण सम्भवतः दायभाग नियमों का प्रभाव है जिसके चलते महिलायें परिवार में तुलनात्मक रूप से स्वतन्त्र होती है। इसके बाद पश्चिमी तटीय प्रदेशों की स्थिति बेहतर है जैसे गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात आदि। गुजरात में स्त्री व पुरूष मैत्री करार संस्था के द्वारा विवाह बधन के बाहर यौनसम्बन्ध स्थापित कर सकती है, सबसे खराब स्थिति हिन्दी प्रदेशों की है। यहाँ कृषि प्रधानता है, पर्दा प्रथा है। हरियाणा में प्रति 1000 पुरूष पर 879 महिलाएँ है। कल्पना मेहरा के अनुसार इन क्षेत्रों में कन्या भ्रण हत्या सबसे अधिक होती है। इन क्षेत्रों में प्रचलित कहावत है अभी 5 हजार खर्च करो 5 लाख बचाओं।

स्त्री के सम्बन्ध में कुछ कहावतें प्रचलित रही है। वैदिक काल में वह पूज्य थी। पौराणिक काल में वह देवी बना दी गयी। स्मृति काल में वह दासी से अधिक नहीं थी और उनके बाद वह उपभोक्ता वस्तु बनकर रह गयी लेकिन आज स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। हकीकत तो यह है कि महिलायें कमजोर होती

नहीं हैं उन्हें कमजोर बनाया जाता है। यही जेन्डरवादी दृष्टिकोण है। महिला पैदा नहीं होती है उन्हें महिला बनाया जाता है। जेन्डर का अर्थ है समाज संस्कृति संरचना व शक्ति का वितरण महिलाओं को कमजोर करता है। समाज का दृष्टिकोण महिला व पुरूष को अलग–अलग ढंग से देखता है। संस्कृति की अपेक्षा है कि पुरूष बलवान हो और स्त्रियाँ घर का काम काज देखें। जेन्डर का प्रश्न संस्कृति के द्वारा महिलाओं को कमजोर बनाने का है। जेन्डरवादी दृष्टिकोण महिलाओं का अपना दृष्टिकोण है। वह समझती है महिलाओं को उनकी नजरों से दुनिया को देखने नहीं दिया गया। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यौन भेदभाव अन्तर्निहित है। इसे केवल आर्थिक स्वतन्त्रता से नहीं बल्कि मानवी बनाकर ही सुनिश्चित किया जा सकता है।

वास्तविकता तो यह है कि जब तक निर्णय प्रक्रिया में सम्पूर्ण मानव आबादी के इस आधे भाग की आवाज नहीं सुनी जायेगी हमारी निर्वाचित संस्थाओं को निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। वस्तुतः समाजीकरण की निश्चित प्रकार की प्रक्रिया तथा विविध सामाजिक दबाबों के कारण औसत भारतीय महिला आज भी अपने आपको पुरूष के बराबर स्थान प्राप्त करने में अक्षम महसूस करती है। एक न्यायोचित व मानवीय सामाजिक व्यवस्था के निर्माण हेतु हमें महिलाओं की सहभागिता के महत्व को समझना होगा। महिलाओं की प्रस्थिति को सुदृढ़ करने हेतु सरकारी और गैरसरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किये जा रहे है लेकिन खेद की बात है कि उन्हें वह स्थान प्राप्त नहीं हो सका जिसकी वो हकदार है। रही बात महिला सशक्तिकरण की तो वह सिर्फ कर्ण पटल पर ही सुनाई देगा वास्तविक धरातल पर नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ–

1. वशिष्ठ धर्मसूत्र–पृष्ठ 13.48
2. जनगणना रिर्पोट 2011 भारत सरकार।
3. ऋग्वेद पृष्ठ–10.85
4. मनुस्मृति –5.152
5. अल्टेकर ए0एस0, प्राचीन
6. महाभारत पृष्ठ – 11,86,40
7. याज्ञवल्क्य स्मृति पृष्ठ –11,175
8. मनृस्मृति पृष्ठ–9.194
9. http/Wikidedia/feminism/witki/org.
10. कर्वे इरावती, किनशिप आर्गनाइजेशन इन इण्डिया, 1968
11. सिंह योगेन्द्र, मोडनाईजेशन ऑफ इण्डियन ट्रेडीशन, 1973,
12. हुसैन प्रो0 मुजतबा, प्रारम्भिक समाजशास्त्र, पेज 426–27.
13. दोषी एस0एल0 व जैन पी0सी0, भारतीय समाज पेज 322.
14. सिंह डॉ0 अमिता, लिंग और समाज, पेज 322.
15. मुखर्जी रामकृष्ण, सोसाइटी कल्वर डेबलपामेन्ट, 1965.
16. सिमौने बोबुआर, द सेकेण्ड सेक्स, 1957.
17. एन0 ओकले, सेक्स, जेंडर एण्ड सोसाइटी, 1972.

Nav Jyoti, Vol. 10, No. 21, July-December 2022 **ISSN : 2249-7331**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

मुस्लिम विवाह के धार्मिक, सामाजिक एवं विधिक आयाम

(Religious, Social and legal Aspect of Muslim Marriage)

डॉ0 शिव कैलाश
असि0 प्रो0, विधि विभाग,
महाराज बलवंत सिंह पी० जी० कॉलेज गंगापुर, वाराणसी

इस्लाम के उदय के पूर्व अरब समाज में औरतों को पुरूष की सम्पत्ति का दर्जा ही दिया जाता था। स्त्री केवल पुरूषों के भोग विलास की सम्पत्ति समझी जाती थी। बहुपत्नीत्व प्रथा अरब समाज में प्रचलित थी। कोई पुरूष अपनी सगी माता अथवा सगी बहन को छोड़कर किसी भी स्त्री से विवाह कर सकता था, इसके अतिरिक्त विवाह के बाद भी पुरूष जब चाहता स्त्री को त्याग सकता था और स्त्री को त्याग सकता था और स्त्री को किसी भी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं था। प्रसिद्ध विधिशास्त्री अब्दुर्रहीम[1] के मतानुसार इस्लाम पूर्व अरब समाज में निम्नलिखित चार प्रकार के विवाह प्रचलित थे–

(क) स्त्री को उसके पिता या अभिभावक विवाह के इच्छुक व्यक्ति को कुछ धन लेकर बेच दिया करते थे।

(ख) दूसरे प्रकार के विवाह में कोई पति अपनी पत्नी को बच्चा जनने के लिए किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास गर्भ–धारण कराने के लिए भेज देता था और वह स्वयं उसके साथ समागम तब तक नहीं करता था जब तक कि उसकी पत्नी गर्भवती नहीं हो जाती थी।

(ग) तीसरे प्रकार के विवाह में कई व्यक्ति जिनकी संख्या दस से कम रहती थी स्त्री के साथ समागम करते थे, बच्चे का पिता कौन है इसकी घोषणा स्त्री ही करती थी।

(घ) चौथे प्रकार के विवाह में इच्छुक स्त्री अपने निवास पर एक झंडा लगाती थी, जिससे कोई भी उसके घर पर जाकर उसके साथ समागम कर सकता था। बच्चे का पिता कौन है इसका अनुमान उसकी मुखाकृति आदि की उस स्त्री से समागम करने वाले व्यक्तियों से तुलना करके किया जाता था।

इस्लाम के उदय के साथ ही स्त्रियों की समाज में उचित स्थान मिलने लगा। इस्लाम ने बहुपत्नीत्व प्रथा में सुधारकर, पत्नियों की अधिक से अधिक संख्या चार तक सीमित कर दी किन्तु यदि कुरान की निम्नलिखित आयत का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि कुरान एकपत्नीत्व के ही पक्ष में है। कुरान सूरा 4 आयात 3 के अनुसार ''और अगर तुमको इस बात का डर हो कि बेसहारा (लड़कियों) में इन्साफ कायम न रख सकोगें तो जो औरतें तुम्हे पसन्द हों उनसे निकाह कर लो– दो–दो या तीन–तीन या चार–चार से। लेकिन अगर तुमको इस बात का भयहो कि (उनके साथ) बराबरी (का बर्ताव) न कर सकोगें तो एक ही (बीबी से निकाह काफी है)। .....''

''और (ऐ पैगम्बर) तुमसे (अनाथ) स्त्रियों के साथ (निकाह करने का) हुक्म मांगते हैं तो (उनको) समझा दो कि अल्लाह तुमको उनके (निकाह के) बारे में आज्ञा देता है। और कुरान में जा (हुक्म) तुमको (पहले) सुनाया जा चुका है, जो उन अनाह औरतों के सम्बन्ध में है जिनको तुम उनका हक जो उनके लिए ठहरा दिया गया है नहीं देते और (इसके बावजूद) उनके साथ निकाह करने की इच्छा करते हो, ... और यह कि यतीमों के हक में इन्साफ का ख्याल रखो .....''। कुरान सूरा IV आयत 127।

[1] अब्दुर्रहीम : 'मुहम्मडन ज्यूरिस्प्रूडेन्स'।

''और तुम बहुतेरा चाहो लेकिन यह तो तुमसे हो नहीं सकेगा कि बीवियों में एक सा बर्ताव कर सको, तो बिल्कुल (एक ही तरफ) झुक भी न पड़ो कि दूसरी को छोड़ बैठो, गोया वह कहीं की न रहे ..... ''। कुरान सूरा VI आयत 129।

इन आयातों का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि कुरान एक साथ चार स्त्रियों से निकाह करने की अनुमति अवश्य देता है, किन्तु इस शर्त के अधीन कि बीवियों के साथ समान व्यवहार हो और समान व्यवहार केवल धन प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पति का प्रेम भी सम्मिलित है, और ऐसी कल्पना करना बहुत कठिन है कि कई स्त्रियों के साथ पुरूष एक समान प्रेम कर सकता है। अतः कुरान एक पत्नी का पक्षधर अवश्य है किन्तु कुछ सामाजिक विवशताओं के कारण, कुरान बहुपत्नी विवाह की अनुमति बड़ी कठोर शर्तों के अधीन देता है। वास्तविकता यह है कि उस समय अरब समाज में अनाथ स्त्रियों की संख्या अधिक थी और पुरूष धन के द्वारा इनके शरीर का शोषण कर सकता था, ऐसी स्थिति में अनैतिक सम्भोग को रोकने हेतु और स्त्रियों को निकाह की संस्था द्वारा समाज में सम्मान देने के लिए कुरान बहुपत्नी की अनुमति देता है।

निकाह की परिभाषा–

स्त्री पुरूष के समागम को वैध बनाने और सन्तान उत्पन्न करने के प्रयोजन के लिए की गई संविदा निकाह है?[2]

'Marriage (Nikah) is defined to be a contract which has for its obhect the procreation and the legalizing of children.'[3]

'Considered juristically, marriage (Nikah) in Islam is a contract and not a sacramant.'[4]

Under Muslim law. marriage is a religious duty as well as a contract.[5]

'Under Muslim Law, marriage is a civil contract for legalisation of the inter course and for legitimatization of the children'.[6]

आर0आर0 मौर्य, निकाह के विषय में निम्नलिखित अवलोकन करते है :[7]

''भाषाशास्त्रियों और विधिशास्त्रियों के अनुसार निकाह का शाब्दिक अर्थ है योनि सम्बन्ध और परिलक्षण से (by implication) उसका अर्थ हुआ विवाह संविदा।

कुरान शरीफ में ''निकाह'' शब्द योनि सम्बन्ध और विवाह दोनों अर्थों में प्रयोग हुआ है–

(1) 'जिस औरत के संग तुम्हारे पिता ने निकाह किया उससे विवाह मत करो।'[8] यहां निकाह का अर्थ है योनि सम्बन्ध या सम्भोग। इस प्रकार पुत्र के लिए ऐसी औरत निषिद्ध है जिसके संग उनके पिता ने सम्भोग किया था।

[2] Baillie: Digest, p. 94.
[3] Mulla: Principales of Muhammandan Law', p. 223.
[4] A.A.A. Fyzee:'Outlines of Muhammandan Law', p.88
[5] Dr. M.A. Qureshi: 'Muslim Law'.
[6] Dr. R.K. Sinha : 'The Muslim Law, p.37.
[7] आर.आर. मौर्यः 'मुस्लिम विविध', पृ0 50।
[8] कुरान, 4–22।

(2) 'और यदि पति उसे तलाक दे दे तो वह (स्त्री) उसके लिए वैध नहीं रह जाएगी जब तक कि वह अन्य पति से निकाह न करे'।[9]

यहाँ निकाह शब्द का अर्थ विवाह से है।''

मुस्लिम विवाह के उद्देश्य –

''मुसलमानों में निकाह एक बहुत ही पुण्य कार्य माना गया है। मुस्लिम विविध की प्रसिद्ध पुस्तक रघुल मोहतार में यह वर्णित है कि, ''आदम के समय से आज तक हम लोगों के लिए रखा गया और जन्नत (स्वर्ग) में भी होने वाला कोईऐसा इबादत का कार्य नहीं है, सिवाय निकाह (विवाह) और इंसान के'' ।[10]

'कानून की शब्दावली में निकाह से एक ऐसी संविदा का बोध होता है जो सन्तानोत्पत्ति को वैधानिकता प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है।'[11]

न्यायमूर्ति महमूद ने निकाह की विधिक परिभाषा निम्नलिखित शब्दों में दी है–

''मुस्लिमों में विवाह शुद्ध रूप से एक संविदा, यह कोई संस्कार नहीं है।''[12]

अब्दुर्रहीम के अनुसार विवाह की प्रथा में 'इबादत' (धार्मिक कृत्य), 'मुआमलात' (व्यवहारिक कृत्य) दोनों गुण पाये जाते हैं, अर्थात् मुस्लिम रिवाजों के अन्तर्गत विवाह सारतः एक व्यवहारिक संविदा होते हुए भी श्रद्धात्मक कार्य है।

सम्भवता अब्दुर्रहीम का यह कथन पैगम्बर के इस कथन पर आधारित है कि 'विवाह मेरी सुन्नत है। जो लोग जीवन के इस ढंग को नहीं अपनाते वे मेरे अनुयायी नहीं है।''

अन्यत्र पैगम्बर ने यह भी कहा है कि 'इस्लाम में सन्यास (monkery) नहीं है।''

मुस्लिम विधिवेत्ताओं का इस विषय पर मतैक्य है कि विवाह (सुन्नत मुवक्किदा) है अर्थात् '' जो विवाह करता है दूसरी दुनिया में पुरस्कृत होता है और जो विवाह नहीं करता वह पाप का भागी होता है।''[13]

मुस्लिम विवाह की प्रकृति
(Nature of Muslim Marriage)

मुस्लिम विवाह (निकाह) की प्रकृति के विषय में विधिशास्त्री एक मत नहीं है। कुछ विधिशास्त्रियों का मत है कि निकाह एक सिविल संविदा (Civil contract) है जबकि कुछ अन्य विधिशास्त्री विवाह को एक धार्मिक कर्तव्य मानते हैं। निकाह की प्रकृति पर यदि गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय, तो स्पष्ट होता है कि निकाह को यदि केवल विविधक दृष्टिकोण से देखा जाय, तो निकाह एक संविदा ही है, कारण यह है कि मुसलमानों के निकाह, में धार्मिक अनुष्ठानों (religious ceremonics) की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः इसमें संस्कारगत (sacramental) चरित्र नहीं है। मुस्लिम विवाह के विपरीत जब हम प्राचीन हिन्दू विवाह की प्रकृति पर विचार करते हैं, तो हिन्दू विवाह की संकल्पना धार्मिक संस्कार की थी। यद्यपि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के द्वारा–प्राचीन हिन्दू विवाह की संकल्पना में बहुत अन्तर कर दिया गया है एवं

[9] कुरान, 4–230।
[10] आर.आर0 मौर्य : 'मुस्लिम विधि', पृ0 50।
[11] हेदाया (हैमिल्टन–अनूदित), ग्यारहवां संस्करण, पृ0 25।
[12] अब्दुल कादिर बनाम सलीमा, (1886) 8उ ।। 449।
[13] अकील अहमद : 'मुस्लिम विधि', पृ0 36।

इसमें संविदा (Contract) के अनेक तत्व सम्मिलित कर लिए गये हैं। जो बाद के संशोधनों द्वारा ओर बढ़ाये गये हैं फिर भी इस अधिनियम की धारा 7 हिन्दू विवाह के लिए कर्मकांड (ceremonies) विहित (prescribed) करती है, अतः हिन्दू विवाह, संहिताबद्ध विधि के अधीन भी संस्कारगत तत्व रखता है– इस प्रकार, हम कह सकते है कि निकाह की प्रकृति संविदा सी है, 'विधि के सिद्धान्त की दृष्टि से इस्लाम में विवाह (निकाह) संविदा होता है, यह संस्कार नहीं होता। कईबार ऐसा देखा गया है कि इस कथन को इतना अधिक महत्व दिया जाता है कि वे विवाह के असली रूप मी तरह ध्यान नहीं दे पाते।''[14] मुस्लिम निकाह की प्रकृति पर गहन दृष्टि डालने से यह ज्ञात होता है कि 'मुस्लिम निकाह संविदा है, संस्कार नहीं' विचार मुस्लिम विवाह के एक आयाम के ही प्रदर्शित करता है। वह आयाम है– विधिक, फैजी के अनुसार निगाह के तीन महत्वपूर्ण आयाम हैं– धार्मिक, सामाजिक व विधिक।

धार्मिक आयाम –

मुस्लिम समाज में निकाह नामक संस्था का बड़ा महत्व है। मोहम्मद साहब का कथन है 'विवाह मेरी सुन्नत है। जो लोग जीवन के इस ढंग को नहीं अपनाते वे मेरे अनुयायी नहीं है।'' एक स्थान पर मोहम्मद साहब ने यह भी कहा है कि ''इस्लाम में सन्यास (monkery) नहीं है।'' एक महत्वपूर्ण वाद[15] में अवधारित किया गया है कि मुस्लिम विवाह संविदा के अतिरिक्त एक धार्मिक संस्कार भी हे।

सामाजिक आयाम –

इस्लाम पूर्व अरब समाज में स्त्री जाति को कोई दर्जा (status) न प्राप्त था वास्तविकता यह है कि स्त्री–काम–तृष्णा की पूर्ति का साधन मात्र थी। इस्लाम ने स्त्री को महत्व प्रदान किया, उसे समाज में एक दर्जा प्रदान किया। निकाह के द्वारा स्त्री को पत्नी का दर्जा प्राप्त होता है जिसके लिए पुरूष के कुछ दायित्व होते है, लेकिन स्त्री तो इस्लाम पूर्व भी दायित्वों से बंधी थी। अतः मुस्लिम पत्नी को जो अधिकार मिले, वह सामाजिक सुधार द्वारा। मोहम्मद साहब, अल्लाह के रसूल थे, यह विश्वास व विचार केवल मुसलमानों का है लेकिन संसार के हर धर्म के बुद्धिजीवी इस बात पर सहमत है कि मोहम्मद साहब सामाजिक सुधारक अवश्य थे। निकाह नामक संस्था का उदय भी स्त्रियों को समाज में एक दर्जा दिलवाने के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त निकाह के द्वारा यौन भावनाओं की तृप्ति होती है, अतः अनैतिक यौन सम्बन्धों पर भी नियंत्रण रहता है।

विधिक आयाम–

"Marriage (nikah) is defined to be a contract which has for its object the procreation and the legalizing of children."[16]

यह कथन सत्य ही है कि निकाह के धार्मिक व सामाजिक आयाम है किन्तु एक विधि के विद्यार्थी हेतु विधिक आयाम अधिक महत्वपूर्णहै। ''कानून की दृष्टि से मुस्लिम विवाह एक संविदा होता है संस्कारनहीं। कानूनी तौर पर एक वैध विवाह के लिए निम्नलिखित तीन आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है– (i) जब तक कि दोनों पक्षों ने अपनी सहमति न प्रदान की हो, विवाह नहीं होता, (ii) संविदा के समान विवाह–विच्छेद हो सकता है। यह विवाह–विच्छेद कई प्रकार से हो सकता है। इसको दोनों या कोई भी एक पक्ष कर सकता है। यदि कानून द्वारा बतायी हुई शर्तों की पूति नहीं होती तो भी विवाह–विच्छेद हो

[14] ए.ए.ए. फैजी : 'मुस्लिम विधि की रूपरेखा', अनुवादक–ए.एम.ए. कुरैशी, संस्करण 1986, पृ0 82 ।
[15] अनीस बेगम बनाम मुहम्मद इस्तफा हुसैन, (1935) 55 All 743, 756.
[16] Mulla: Mohammadan Law, 19th Edn. 1990, p. 82.

सकता है, (iii) विवाह सम्पन्न होते समययदि दोनों पक्ष चाहें तो शर्ते रख सकते हैं। इन शर्तो के उल्लंघन के कारण विवाह–विच्छेद हो सकते है।''[17]

कुछ महत्वपूर्ण वादों में निकाह को 'सिविल–संविदा' के रूप में माना गया है।

अब्दुल कादिर बनाम सलिमन[18]

इस वाद में न्यायाधीश महमूद ने निकाह को 'सिविल–संविदा' अवधारित करते हुए निम्नलिखित अवलोकन किया–

''मुसलमान लोगों में शादी एक संस्कार नहीं है अपितु पूर्णरूप से एक सिविल संविदा है। यद्यपि सामान्य रूप में शादी सम्पन्न होते समय कुरान का सुपठन किया जाता है फिर भी मुस्लिम विधि में इस विशिष्ट अवसर के लिए विशिष्ट सेवा सम्बन्धित कोई प्रविधान नहीं है। यह परिलक्षित होता है कि विभिन्न दशाओं में जिसके अन्तर्गत शादी सम्पन्न होती है अथवा शादी की संविदा की उपधारणा की जाती है वह एक सिविल संविदा है। सिविल संविदा होने के उपरान्त लिखित रूप से ही संविदा हो आवश्यक नहीं है। एक पक्षकार द्वारा इस सम्बन्ध में घोषणा अथवा कथन और दूसरे पक्षकार द्वारा इस सम्बन्ध में घोषणा अथवा कथन और दूसरे पक्षकार द्वारा सहमति अथवा स्वीकृति होनी चाहिए अथवा उसके प्राकृतिक या विधिक अभिभावक द्वारा सहमति दी जानी चाहिए। यह सहमति सक्षम और साक्षीगण के सम्मुख व्यक्त होनी चाहिए। इसके अलावा परिस्थितियों के अनुसार निश्चित प्रतिबन्ध भी आरोपित किये जा सकते है।''

सबरूनिशा बनाम शब्दू शेख[19]

इस वाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मित्तर ने निकाह को विक्रय की संविदा बताते हुए कहा–

''मुस्लिम विधि में विवाह विक्रय के समान एक सिविल संविदा है। विक्रय में मूल्य के बदले सम्पत्ति का अन्तरण होता है। विवाह की संविदा में पत्नी सम्पत्ति और मेहर मूल्य होता है।''

न्यायाधीश महमूद व मित्तर के अवलोकनों को कुछ इतना अधिक महत्व दिया गया कि निकाह को विशुद्ध संविदा माना जाने लगा। ''इसमें संदेह नहीं कि मुस्लिम विवाह उसी प्रकार से सम्पन्न होता हैं जिस प्रकार से एक सिविल संविदा, किन्तु परिणाम में यह साधारण संविदा सा नहीं होता। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्राविधान मुस्लिम विवाह पर पूर्णतः लागू नहीं होंगे। संविदा अधिनियम में यह आवश्यक है कि संविदा करने वाले पक्षकार वयस्क हों और स्वस्थ चित्त के हों। किन्तु मुस्लिम विविध में विवाह के पक्षकारों का बालिग (15 वर्ष) का होना ही पर्याप्त है। अवयस्क या अस्वस्थ चित्त वाले व्यक्ति का विवाह उसके संरक्षकों के द्वारा सम्पन्न कराया जा सकता है। अवयस्क द्वारा की गई संविदा शून्य होती है किन्तु उसका विवाह शून्य नहीं होता है वरन् केवल शून्यकरणीय होता है।संविदा में किसी भी पक्षकार को कोई हैसियत (ओहदा) प्राप्त नहीं होती है जबकि विवाह द्वारा पुरूष पति बन जाता है और स्त्री पत्नी। संविदा में किसी भी पक्षकार को उत्तराधिकार पाने का हकप्राप्त नहीं होता है जब कि विवाह में प्रत्येक पक्षकार को यह अधिकार स्वतः मिल जाता है। प्रत्येक पक्षकार संविदा को भंग कर सकता है। किन्तु मुस्लिम विवाह को भंग करने का अधिकार केवल पुरूष पक्षकार को होता है।[20] इसके अतिरिक्त संविदा करने का अधिकार पुरूष व स्त्री दोनों को समान शर्तों पर उपलब्ध है जबकि मुस्लिम विवाह की संविदा में पुरूष को कुछ अधिक ही अधिकार प्राप्त हैं। एक मुस्लिम पुरूष एक साथ चार महिलाओं से विवाह कर सकता है, जबकि

[17] डॉ0 एम0एम0 कुरैशी द्वारा हिन्दी रूपान्तर फैजी : 'मुस्लिम विधि', संस्करण 1986, पृ0 82

[18] (1886) 8 All 149.

[19] AIR 1934 Cal 603.

[20] आर.आर0 मौर्य : 'मुस्लिम विधि', तृतीय संस्करण 1995, पृ0 51–52 ।

एक मुस्लिम स्त्री एक समय में केवल एक पुरूष से विवाह कर सकती है। संविदा किसी भी नातेदार के साथ की जा सकती है, जबकि निकाह में कुछ निषिद्ध नातेदारियाँ अवरोध हैं– जैसे संविदा सगे भाई–बहिन के बीच हो सकती है, जबकि सगे भाई–बहिन के बीच यदि निकाह सम्पन्न भी करा लिया जाय– तो ऐसा निकाह शून्य होगा। कोई मुस्लिम व्यक्ति हज यात्रा के समय भी कोई भी संविदा कर सकता है, जबकि शिया मुसलमानों हेतु हज यात्रा के समय निकाह अवरोधित है।

निष्कर्ष –

मुस्लिम निकाह के धार्मिक, सामाजिक व विधिक आयामों का गहन अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि– निकाह का वाह्य स्वरूप संविदा से मिलता है– किन्तु यह विशुद्ध संविदा नहीं है, इसके सामाजिक व धार्मिक आयाम भी हे।

अनीस बेगम बनाम मोहम्मद इस्तफा हुसैन[21] के वाद में निर्धारित किया गया है कि निकाह एक सिविल संविदा और एक धार्मिक संस्कार दोनों है।

''अतएव यह कहना सही होगा कि मुस्लिम विवाह की रचना एक संविदा की भॉति अवश्य है, किन्तु तत्पश्चात यह संविदा–मात्र न होकर एक ऐसी प्रभावशाली संस्था है जो व्यभिचार रहित समाज को विकसित करने का गाध्यम है, तथा विवाह की प्रकृति सारतः (in essence) सामाजिक और धार्मिक है।''[22]

मुस्लिम विवाह की आवश्यक शर्ते
(Exxentials of a valid Muslim Marriage)

मुस्लिम विवाह के समय प्रायः मुस्लिम धर्म गुरू (काजी) उपस्थित रहता है एवं निकाह के समयकुरान की पवित्र आयातों का पाठन भी किया जाता है, किन्तु वास्तविकता यह है कि मुस्लिम विवाह हेतु किसी धार्मिक कर्मकांड (religious ceremonies) की आवश्यकता नहीं होती।

निम्नलिखित वाद में निकाह का सजीव वर्णन किया गया हैः–

मुसम्मात गुलाम कुबरा बनाम मो0 सफी,[23] मुस्लिम विवाह के समय विधिक रूप में किसी संस्कारों का किया जाना आवश्यक नहीं । सुन्नी विचारधारा के अन्तर्गत मान्य विवाह हेतु 2 सक्षम पुरूष गवाहों की उपस्थिति निकाह के समय अनिवार्य है। सक्षम शब्दावली का अर्थ है गवाह व्यस्क हो एवं स्वस्थचित हों। यदि दो पुरूष सक्षम गवाह उपस्थित न हो तो एक पुरूष और दो सक्षम महिलाओं की गवाही द्वारा मान्य निकाह सम्पन्न कराया जा सकता है। किन्तु इस तर्क के आधार पर यह निष्कर्ष सही नहीं है कि यदि चार सक्षम महिला गवाह उपस्थित हों तो मान्य निकाह सम्पन्न हो जायेगा सुन्नी निकाह के समयकम से कम एक सक्षम पुरूष गवाह की उपस्थिति आवश्यक है। इस वाद में मुस्लिम सुन्नी निकाह की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।

जब मुस्लिम वर मुस्लि वधु के निवास पर मान्य निकाह हेतु पहँचता है उस समयसे लेकर निकाह की पूरी प्रक्रिया का सजीव चित्रण इस वाद में किया गया है। मुस्लिम समाज में सामान्य रूप से महिलाएं पर्दा करती हैं। अतः मुस्लिम वर जहाँ बैठता है वहाँ मुस्लिम बधु नहीं होती। वधू के परिवार का कोई एक सदस्य उसका अभिकर्ता बन जाता है जिसे मुस्लिम विधि के अधीन वकील कहते है साधारणतः दो सक्षम मुस्लिम पुरूष गवाह बन जाते हैं। ये तीनों व्यक्ति वधु के पास जाते हैं। वकील वधु से पूछता है कि वह वु का निकाह अमुक मेहर की धनराशि के बदले अमुक व्यक्ति से करवाने हेतु प्राधिकृत किया गया क्या वधु

[21] (1935)55 All 743.

[22] आर.आर. मौर्यः 'मुस्लिम विधि8, तृतीय संस्करण 1995, पृ0 32 ।

[23] AIR 1940 peshawar 2 .

उसको इस बात की अनुमति प्रदान करती है। यदि वधू इस बात की अनुमति प्रदान कर देती है तो गवाहों को भी संतुष्ट होना चाहिये कि यह तथ्य उनके संज्ञान में आ गया है। अब ये तीनों व्यक्ति उस स्थान पर आते हैं जहाँ मुस्लिम वर गाजी के साथ उपस्थित होता है ये तीनों व्यक्ति काजी साहब को वधु की सम्मति के बारे में बताते हैं। काजी साहब मुस्मि वर से प्रश्न करते हैं कि क्या वह मेहर की अमुक धनराशि के साथ अमुक वधु से निकाह करने को तैयार है? जब वर काजी से ऐसे निकाह को सम्पन्न कराने हेतु अपनी सम्पत्ति प्रकट कर देता है तो वधु के वकील और गवाह तीनों व्यक्ति काजी साहब से कहते हैं कि दो वधु के अभिकर्ता हैं और वधु के अमुक मेहर के बदले निकाह स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निकाह की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। विधिक दृष्टिकोण से मुस्लिम विवाह संविदा है, संस्कार (sacrament) नहीं। फिर भी निकाह के विधिमान्य (valid) (सही) होने के लिए कुछ आवश्यक शर्तो की पूर्ति आवश्यक है। इन शर्तों में से कुछ के अभाव में निकाह अनियमित (Irregular) (फासिद) हो जाता है, जबकि कुछ शर्तो के अभाव में निकाह शून्य (Void) (बातिल) हो जाता है। विधिमान्य निकाह की आवश्क शर्ते निम्नलिखित हैं –

(i) निकाह की औपचारिकताएँ,

(ii) निकाह के पक्षकारों की सक्षमता,

(iii) सहमति,

(iv) पक्षकारों के मध्य कुछ निषिद्ध नातेदारियों (prohibited relationship) अथवा विधिक बाधाओं (legal prohibitions) का अभाव।

(i) निकाह की औपचारिकताएँ (formalties in the Nikah) -

न्यायिक दृष्टिकोण के अनुसार मुस्लिम विवाह संविदा है। अतः निकाह हेतु एक पक्ष के द्वारा प्रस्ताव (offer) एवं दूसरे पक्ष के द्वारा स्वीकृति (acceptance) एक ही बैठक में पूर्ण हों। इस औपचारिकता की व्याख्या मू जैनबा बनाम अब्दुल रहमान,[24] के वाद में की गई है।

प्रस्ताव करने और स्वीकृति प्रदान करने हेतु कोई निश्चित प्रारूप मुस्लिम विवाह हेतु विहित (prescribed) नही है। प्रस्ताव (इजाब) और स्वीकृति (कबूल) निकाह के पक्षकारों अथवा उनके एजेन्ट्स (agents) (अभिकर्ताओं) द्वारा किये जा सकते हैं। इस प्रक्रिया को एक ही बैठक में सम्पन्न हो जाना चाहिए। एक ही 'बैठक' (At one siting) का अर्थ है कि प्रस्ताव एवं उसकी स्वीकृति समकालिक होनी चाहिए एवं उसमें तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। उदाहरण के लिए अ किसी संदेशवाहक या पत्र द्वारा विवाह का प्रस्ताव ब को भेजता है। व दो सक्षम गवाहों के समक्ष सन्देशवाहक या पत्र का स्वागत करते हुए उनकी उपस्थिति में ही प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस प्रकार के प्रस्ताव तथा स्वीकृति द्वारा किया गया विवाह विधिसम्मत (lawful) माना जाएगा।''[25] इसके विपरीत यदि लड़का व लड़की दो गवाहों के समक्ष बैठे हों एवं लड़का निकाह का प्रस्ताव लड़की को करे, किन्तु लड़की कुछ समय के लिए उस स्थान से कहीं और चली जाए एवं पुनः लौट कर स्वीकृति प्रदान करे, तो यह निकाह मान्य नहीं होगा। प्रस्ताव व स्वीकृति में अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। विवाह रचाने के आशय को अभिव्यक्त करना या भविष्य में किसी वक्त निकाह का वचन देना कोई अर्थ नहीं रखता है। यह आवश्यक है कि प्रस्ताव और स्वीकृति के शब्द इस प्रकार के हों कि पक्षकारों का यह आशय स्पष्ट जाय कि पक्षकार स्वीकृति के क्षण से ही विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं।

[24] AIR 1945 Peshawar 51.

[25] तैयब जीः 'मुस्लिम विविध', संस्करण VI पृ0 51 ।

सुन्नी विचारधारा के अनुसार, निकाह के समय दो स्वस्थचित्त एवं वयस्क पुरूष गवाहों की उपस्थिति भी आवश्यक है जो मुसलमान हों, यदि निकाह के समय दो सक्षम पुरूष गवाह न भी उपस्थित हों, तो एक सक्षम पुरूष एवं दो सक्षम महिला गवाह भी निकाह को विधिमान्य बनाने हेतु पर्याप्त हैं। बिना गवाहों के सम्पन्न कराया गया, सुन्नी निकाह अनियमित (irregular) होता है।[26]

सहीबी बीबी बनाम कमरूद्दीन सरकार,[27]

मान्य मुस्लिम निकाह हेतु कुछ औपचारिकताओं का प्राविधान किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रस्ताव स्वीकृति निकाह के पक्षकारों अथवा उनके अभिकर्ताओं द्वारा किये जाते हैं। इस प्रक्रिया को एक ही बैठक में सम्पन्न होना चाहिये। इस वाद में इसी नियम की पुष्टि करते हुये अवधारित किया गया कि यदि प्रस्ताव स्वीकृति एक ही बैठक में नहीं किये जाते तो ऐसा विवाह विधि के अन्तर्गत मान्य विवाह नहीं कहलायेगा।

फुनिशा बनाम मुमताज हुसैन[28] इस मामले में अवधारित किया गा कि मुस्लिम सुन्नी विचारधारा के अन्तर्गत मान्य निकाह हेतु दो सक्षम पुरूष गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य है किन्तु मुस्लिम शिया विधि के अन्तर्गत बिना गचाहों के मान्य निकाह सम्पन्न करायाजा सकता है।

मो0 जनैबा बनाम अब्दुल रहमान,[29]

इस वाद में पेशावर उच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि मुस्लिम निकाह हेतु प्रस्ताव स्वीकृति का होना तो आवश्यक है कि किन्तु इस प्रस्ताव और स्वीकृति का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। प्रस्ताव और स्वीकृति को एक ही बैठक में सम्पन्न होना चाहिए। यदि प्रस्ताव और स्वीकृति इस आशय से की जाये कि भविष्य की किसी तारीख से वैवाहिक सम्बन्ध उत्पन्न होंगे तो यह प्रस्ताव और स्वीकृति अमान्य होंगे प्रस्ताव और स्वीकृति का आशय यह होना चाहिये कि जिस क्षण प्रस्ताव को स्वीकार किया गया पक्षकार वैवाहिक बन्धन में बंध गये।

(ii) निकाह के पक्षकारों की सक्षमता (Competence of the parties for Nikah) -

निकाह हेतु सक्षमता दो बातों पर निर्भर करती है–पक्षकारों की आयु एवं उनकी मानसिक सामर्थ्य।

मुस्लिम विधिशास्त्रियों ने व्यक्ति के जीवन को तीन अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहली अवस्था 'सगीर' कहलाती है, इस अवस्था में लड़का या लड़की 7 वर्ष से कम आयु के होते हैं। यह वह अवस्था है, जिसमें किया गया निकाह पूर्ण रूप से शून्य (void) होता है। दूसरी अवस्था 'सरीरी' कहलाती है, इस अवस्था में लड़का या लड़की 7 वर्ष से अधिक किन्तु 15 वर्ष से कम आयु के होते हैं, इस अवस्था में निकाह, विवाह हेतु संरक्षक की सहमति से किया जा सकता है। किन्तु पक्षकार अपनी सहमति से निकाह सम्पन्न नहीं करा सकते हैं। तीसरी अवस्था 'बलूग' कहलाती है, इस अवस्था में लड़का या लड़की 15 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं। इस अवस्था में पक्षकार अपनी सहमति से विवाह रचा सकते हैं। अर्थात् मुस्लिम विधि के अनुसार व्यक्ति 15 वर्ष की अवस्था में बालिग हो जाता है,[30] इस अवस्था में यौवनावस्था (age of puberty) कहते हैं। यौवनावस्था, वह अवस्था है, जब लड़का या लड़की लैंगिक सम्भोग के योग्य हो जाते

---

[26] शिया विधि के अन्तर्गत गवाहों की उपस्थिति निकाह के समय आवश्यक नहीं, अर्थात् बिना गवाहों की उपस्थिति के शिया निकाह विधिमान्य होता है। इस विचारधारा के अनुसार तलाक के समय गवाहों की मौजूदगी अनिवार्य है।

[27] (1911) 15 कलकत्ता साप्ताहिक सूचनाएं, 991 ।

[28] 55IC 539.

[29] AIR 1945 Peshawar 51.

[30] मुस्लिम विविध के अन्तर्गत, विवाह मेहर एवं तलाक के मामलों के लिए बालिग (वयस्कता) की आयु 18 वर्ष नहीं है, बल्कि यौवनावस्था (age of puberty) मानी जाती है, जो 15 वर्ष है। इन विषयों हेतु इण्डियन मेजोरिटी ऐक्ट, 1875 के प्राविधान लागू नहीं होते।

हैं एवं उनका मस्तिष्क भी पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। लैंगिक सम्भोग की क्षमता– भौगोलिक परिस्थितियों, व्यक्ति के आहार– व जीवन व्यतीत करने के ढंगों पर निर्भर करती है– इसके साथ–साथ शरीर की संरचना से 'लैंगिक सम्भोग' की क्षमता को ज्ञात करना अति कठिन है। इन्हीं कारणों से न्यायालयों ने अवधारित किया है कि यदि शरीर की संरचना से लैंगिक क्षमता का पता न लगाया जा सके तो– 15 वर्ष की आयु को यौवनावस्था की आयु मान लिया जाय।

मुस्लिम विवाह संविदा समान है, अतः पक्षकारों की मानसिक सामर्थ्य इतनी होनी चाहिए कि वे विवाह के विधिक परिणामों को समझने योग्य हो, अथवा पक्षकारों को स्वस्थचित्त (sound mind) होनी चाहिए। यदि कोई पक्षकार जड़ (idiot) अथवा पागल (insane) है, तो उसके विवाह के संरक्षक उसके विवाह हेतु स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं।

(iii) **सहमति** (Consent) -

मुस्लिम विवाह प्रस्ताव एवं स्वीकृति द्वारा सम्पन्न होता है। अतः पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र (free consent) होनी चाहिए। यदि सहमति बलपूर्वक (compulsion) प्राप्त की गई है– तो ऐसी सहमति मान्यनहीं होती है। किन्तु मुस्लिम समाज की हनफी विचारधारा बलपूर्वक प्राप्त सहमति को भी विवाह हेतु मान्यता प्रदान करती ह। शायद इस नियम के पीछे– यह आधार है कि यदि किसी व्यक्ति के समक्ष दो बुराइयों में विकल्प है तो जिस विकल्प को वह चुनता है उसके अधीन उसे रहना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी पक्षकार की सहमति प्राप्त करने के लिए उसको कोई धमकी दी जाती है (जैसे जान से मारने की) तो यदि वह सहमति नहीं प्रदान करना चाहता तो यह विकल्प चुन ले लेकिन यदि उसने विवाह की सहमति देने का विकल्प चुना, तो फिर उसकी सहमति भी मान्य होनी चाहिए।

अब्दुल लतीपफ बनाम नियाज अहमद,[31]

इस वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि यदि मुस्लिम वधू की सहमति प्राप्त नहीं की गयी है तो लैंगिक सम्भोग द्वारा विवाह मान्य नहीं हो जायेगा।

(iv) पक्षकारों के मध्य कुछ निषिद्ध नातेदारियों अथवा विधिक बाधाओं का अभाव (Assence of some prohibited relationships or legal prohibitions) -

मुस्लिम विधियद्यपि हिन्दू विधि के सपिण्डता सम्बन्ध को मान्यता नहीं प्रदान करती, किन्तु इस विधि के अनुसार भी विवाह के पक्षकारों के बीच कुछ नातेदारियों में मान्य निकाह नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य तथ्यों की उपस्थिति निकाह की वैधता पर प्रभाव डालती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मान्य निकाह हेतु कुछ अयोग्यतायें (disabilities or incapacities) नहीं होनी चाहिए। इन आयोग्यताओं में कुछ ऐसी हैं जिनकी उपस्थिति निकाह को शून्य (void) कर देती हैं, जबकि कुछ अयोगयताओं की उपस्थिति निकाह को केवल अनियमित (irregular) कर देती हैं। इन अयोगयताओं को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :–

(क) सम्पूर्ण आयोग्यताएं (complete incapacities)

(ख) सापेक्ष आयोग्यताएं (relative incapacities)

(ग) अन्य आयोग्यताएं (other incapacities)

(क) सम्पूर्ण आयोग्यताएं (complete incapacities) -

[31] (1909) 31 All 343.

यदि पक्षकारों के मध्य कोई सम्पूर्ण अयोगयता मौजूद हो, तो इन पक्षकारों का विवाह शून्य (बातिल) (void) होता है। सम्पूर्ण आयोग्यता वह बाधा है, जिसको न तो पक्षकार प्रयत्न करके समाप्त कर सकते हैं और न ही स्वयं समाप्त हो सकती है। अर्थात् सम्पूर्ण आयोग्यता यदि पक्षकारों के बीच मौजूद है, तो ऐसी बाधा निकाह बन्धन में सदा अवरोध पैदा करती रहेगी। सम्पूर्ण आयोग्यता का उद्भव तीन कारणों से होता है :

(i) रक्त सम्बन्ध [(consanguinity) (करावत)]

(ii) विवाह सम्बन्ध [(Affinity) (मुशारत)]

(iii) धात्रेय सम्बन्ध [(Fosterage) (रिजा)]

(i) रक्त सम्बन्ध –

मुस्लिम विधि के अधीन कुछ रक्त सम्बन्धियों के बीच मान्य निकाह नहीं कराया जा सकता है। माँ–बेटे के बीच या बाप–बेटी के बीच या सगे भाई–बहिन के बीच। ''किसी ऐसे दो पुरूष स्त्री के मध्य विवाह वर्जित है जिसमें एक मूल हो और दूसरा उसकी शाखा, चाहे कितनी दूर का या नजदीक का ऊपर का या नीचे का क्यों न हो। इस प्रकार कोई भी पुरूष निम्नलिखित स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकता है :–

1. अपनी माता या दादी तथा उसके ऊपर की सभी पूर्वजा
2. अपनी पुत्री या पौत्री तथा उससे भी नीचे की सभी वंशजा
3. अपनी बहिन
4. अपनी बहिन की पुत्री
5. अपने भाई की पुत्री
6. पिता की बहिन या किसी पूर्वजा की बहिन
7. माता की बहिन या किसी पूर्वजा की बहिन

ये सातों कुरान के इस कथन में शामिल है–

''तुम्हारी माताएं, पुत्रियाँ और तुम्हारी बहिने और तुम्हारी बुआयें और तुम्हारी मौसियाँ, भतीजियाँ और भाँन्जियाँ तुम्हारे लिये हराम है।''[32]

इस निषेध के उल्लंघन में किया गया विवाह–शून्य (बातिल) होता है।

(ii) विवाह सम्बन्ध –

पुरूष–स्त्री का निकाह उनके बीच ही सम्बन्ध नहीं पैदा करता, बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों के मध्य भी नातेदारी स्थापित कर देता है। विवाह सम्बन्धों के आधार पर कुछ निषिद्ध नातेदारियों का जन्म होता है। इनमें से कुछ ऐसी नातेदारियाँ हैं, जो केवल 'निकाह' मात्र से निषिद्ध हो जाती हैं किन्तु कुछ ऐसी नातेदारियाँ हैं, जो निकाह बाद लैंगिक सम्भोग होने के बाद ही निषिद्ध नातेदारियाँ बनती हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई पुरूष किसी ऐसी विधवा अथवा तलाकशुदा स्त्री से विवाह करता है, जिसकी एक जवान पुत्री एवं माता दोनों जीवित हों, तो निकाह के तुरन्त बाद, उस स्त्री की माता से वह विवाह नहीं कर सकता, चाहे विवाह सम्भोग हुआ हो अथवा नहीं, किन्तु विवाह सम्भोग पूर्व वह स्त्री को तलाक देकर उसकी पुत्री से विवाह कर सकता है। किन्तु यदि उसे स्त्री से, पुरूष ने निकाह के बाद सम्भोग कर लिया है, तो अब उस स्त्री की पुत्री भी हर हालत में उस पर हराम (अवैध) हो गयी, अर्थात् अब उस स्त्री

[32] डा0 आर0आर0 मौर्यः 'मुस्लिम विधि', तृतीय संस्करण, 1995 पृ0 53।

की पुत्री से उस पुरूष का वैध विवाह नहीं हो सकता। विवाह–सम्बन्धों के द्वारा उत्पन्न अयोगयता की उपस्थिति में निकाह शून्य होता है।

(iii) धात्रेय सम्बन्ध –

अरब समाज में, सम्मानित परिवारों की महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान नहीं करवाती थीं, बल्कि अपने बच्े को दूध पिलाने के लिए अन्य महिलाओं को सौंप देती थी। ''धात्रेय सम्बन्ध के आधार पर विवाह का निषेध मुस्लिम विधि की विशिष्टता है।यदि दो वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को उसकी सगी माँ के अतिरिक्त किसी अन्य महिला ने अपना स्तनपान कराया हो तो वह महिला बच्चे की धाय–माँ (foster mother) कहलाती है। अपने स्तनपान द्वारा किसी बच्चे को पोषित करने की क्रिया जन्म देने से कम महत्वपूर्ण नहीं है, अतः विवाह के लिए निषिद्ध सम्बन्धों में धात्रेय–सम्बन्ध (foster mother) को भी सम्मिलित कर लिया गया है। जिस प्रकार सगी माँ तथा उसके अन्य सम्बन्धियों से भी विवाह दर्जित है। कोई मुस्लिम पुरूष अपनी धाय–माँ के रक्त सम्बन्धियों (consanguine relations) तथा निकट सम्बन्धियों (relations by marriage) से विवाह नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए धाय माँ की लड़की से विवाह का पूर्ण निषेध है।''[33]

(ख) सापेक्ष अयोग्ताएँ –

जब विवाह के पक्षकारों के मध्य मान्य निकाह के लिए कोई ऐसी बाधा हो, जो या तो कुछ समय बाद स्वयं समाप्त हो सकती हो अथवा जिसे विवाह के पक्षकार स्वयं कुछ प्रयत्न करके समाप्त कर सकते हों, तो ऐसी विधिक आयोग्यता को सापेक्ष आयोग्यता कहा जाता है। सापेक्ष आयोग्यताएँ निम्नलिखित पाँच प्रकार की हैं:

(i) एक ही समय में दो बहिनों से निकाह –

इस बाधा के अन्तर्गत एक ही समय रक्त सम्बन्ध या विवाह–सम्बन्ध द्वारा या धात्रेय सम्बन्ध द्वारा उन दो परस्पर सम्बन्धित स्त्रियों से विवाह नहीं किया जा सकता है जिनमें से एक यदि पुरूष होता तो उनके बीच विवाह अमान्य होता है।[34] यदि इस बाधा का अतिल्लंघन करके पक्षकार निकाह करते हैं, तो सुन्नी विधि के अधीन इस प्रकार का निकाह अनियमित [(फासिद) (irregular)] होगा।

ताजबी बनाम मौलाखाँ,[35] सुन्नी विधि के अन्तर्गत यदि एक समय में दो सगी बहिनों के साथ कोई मुस्लिम पुरूष विवाह करता है तो यह दूसरा विवाह अनियमित होता है। यह विवाह उस समय नियमित हो सकता है। जब पुरूष पहले से ही विवाहिता बहिन को तलाक दे दे अथवा जब पूर्व विवाहिता बहिन का देहान्त हो जाये। इस वाद में इसी नियम का प्रतिपादन किया गया है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई मुस्लिम पुरूष एक बहिन के पत्नी के रूप में रहते हुए दूसरी बहिन से निकाह करता है, तो यह निकाह अनियमित होगा, किन्तु यदि पहली बहिन की मौत हो जाय अथवा पुरूष उसको तलाक दे दे, तो दूसरी बहिन के संग का निकाह मान्य या नियमित हो जायेगा। शिया विधि में ऐसा निकाह शून्य माना जाता है।

(ii) चार पत्नियों के रहते, पाँचवी, स्त्री से निकाह–

मुस्लिम पुरूष एक साथ चार स्त्रियों के साथ वैध विवाह कर सकता है, किन्तु वह चार पत्नियों की उपस्थित में पाँचवी स्त्री के निकाह करता है, तो ऐसा निकाह सुन्नी विधि के अन्तर्गत अनियमित होगा, यह

[33] आर.के. सिन्हाः 'मुस्लिम विधि',द्वितीय संस्करण, पृ0 67–68।

[34] मुल्ला, 261।

[35] AIR 1926 Avadh 231.

निकाह उस समय नियमित हो जायेगा, जब पहले से उपस्थित चार पत्नियों में से एक की मौत हो जाय अथवा पुरूष उनमें से किसी एक पत्नी को तलाक दे दे। शिया विधि में पाँचवी–स्त्री से निकाह शून्य होता है।

(iii) किसी स्त्री से इद्दत काल में निकाह–

मुस्लिम विधि के अन्तर्गत विवाह–विच्छेद की दशा में स्त्री को कुछ समय तक दूसरे निकाह की अनुमति नहीं है, यह समय 'इद्दत काल' कहा जाता है। यह उपबंध इसलिए किया गया है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहले पति द्वारा स्त्री गर्भवती तो नहीं ताकि संतान के पितृत्व को निश्चित किया जा सके।

रसीद अहमद बनाम रशीदा खातून,[36] मुस्लिम सुन्नी विचारधारा के अन्तर्गत यदि पुरूष पत्नी को अखण्डनीय तलाक दे देता है। तो उस समय तक वह उससे मान्य विवाह नहीं कर सकता जब तक कि –

1. तलाक शुदा पत्नी इद्दत की अवधि न व्यतीत कर ले।
2. इद्दत की अवधि के बाद किसी अन्य व्यक्ति से मान्य विवाह न कर लें।
3. इस मान्य विवाह को लैंगिक सम्भोग द्वारा पूर्ण न कर लें।
4. पुनः इस पति से मान्य तलाक न प्राप्त कर लें।
5. और पुनः इद्दत की अवधि न व्यतीत कर ले।

यदि तीन बार उच्चारित अखण्डनीय तलाक के बाद पति ऊपर दिये गये नियमों का पालन किये बिना अपनी पूर्व पत्नी से लैंगिक सम्भोग शुरू कर देता है तो इन सम्बन्धों को वैध नहीं माना जा सकता। अतः ऐसी दशा में उत्पन्न संतान भी अधर्मज होती है। इसी सिद्धान्त की पुष्ठि इस वाद में की गयी है।

किसी स्त्री के इद्दत काल में किया गया, निकाह सुन्नी विधि के अन्तर्गत अनियमित होता है। इद्दत काल के समाप्त होने पर यह निकाह नियमित हो जाता है, जबकि शिया विधि में इद्दत काल में किया गया निकाह शून्य होता है।

[36] AIR 1932 PC 25.

Nav Jyoti, Vol. 10, No. 21, July-December 2022 **ISSN : 2249-7331**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

मलिन बस्ती के निवासियों की सामाजिक स्थिति : एक अध्ययन

रुचि मिश्रा
शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,वाराणसी

सारांशिका

मलिन बस्तियां नगरीय समाज का अभिन्न अंग होती जा रही है।मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहां पानी, शौचालय, स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था सुचारू ढंग से नहीं हो पाती। आवास के दृष्टिकोण से भी मलिन बस्तियों के लोगों का जीवन अत्यंत कष्ट कारक होता है। कच्चे एवं झोपड़ी नुमा मकान में ही ज्यादातर लोग निवास करते हैं। आवास का आकार बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है परंतु उसमें रहने वाले लोगों की संख्या अत्यधिक होती कुछ–कुछ आवासों में 10 से 15 या उससे भी अधिक लोग एक साथ रहते हैं। जीवन यापन के आवश्यक एवं आधारभूत सुख सुविधाओं से वंचित रहते हैं। इनमें निवासित लोगों में सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति महिलाओं और बच्चों की होती है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य मलिन बस्तीके निवासियों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना है। इस शोध पत्र केलेखन के लिए द्वितीयक स्रोतों यथा पत्र पत्रिकाओं में छपेलेखों, सरकारी दस्तावेजों, रिपोर्ट, पुस्तकों, वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्रियों का प्रयोग किया गया है।

बीज शब्द: मलिन बस्ती, सामाजिक–आर्थिक स्थिति, औद्योगिक केन्द्र।

प्रस्तावनाः–

वैसे तो मलिन बस्ती कई सामाजिक घटनाओं के कारण उत्पन्न होता है। परन्तु इसका प्रमुख कारण गरीबी है। नगरीकरण में वृद्धि के साथ– साथ मलिन बस्तियों की संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है। इन मलिन बस्तियों में एक ऐसा समूह जिसकी आय अत्यन्त कम है निवास करता है। आधुनिक मलिन बस्तियों के निर्माण के पीछे तर्क दिया जाता है कि औद्योगिक क्रांति के बाद नगर के आस–पास और गॉवों में रहने वाले गरीब लोगों ने शहरी कारखानों में काम करना शुरू कर दिया। चूंकि इनको कम मजदूरी का भुगतान किया जाता है जिसके कारण अच्छे आवास की व्यवस्था करना एक दुरुह कार्य होता है इसलिए इन कामगारों को झुग्गी–झोपडियों में निवास करना पडता है। अतः कहा जा सकता है कि तेजी से बढ़ते उद्योगों के परिणामस्वरूप शहरी मलिन बस्तियों की संख्या में कई गुना की वृद्धि हो रही है।

मलिन बस्तियों में लोग अत्यंत दयनीय परिस्थितियों में रहते हैं। यहॉ पर सामाजिक और स्वास्थ्य सेवाओं, पीने योग्य पानी, स्वच्छता सुविधाओं का सर्वथा अभाव पाया जाता है जिसक कारण महामारी तथा घातक बीमारियॉ पैदा होती रहती है। अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि मलिन बस्तियों में निम्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति, शिक्षा का निम्न स्तर और उच्च प्रजनन क्षमता पायी जाती हैं जो यह दर्शाती है कि उनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य इत्यादि के संदर्भ में विशेष जागरुकता नही है।

मलिन बस्तियों की संख्या में बेतहासा वृद्धि विश्व स्तर पर नगरीय योजनाकारों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक है। दुनिया भर के शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों का व्यापक प्रसार एक बड़ी समस्या रही है।हालाँकि मलिन बस्तियाँ अलग–अलग देशों में आकार और अन्य विशेषताओं में भिन्न होती हैं, लेकिन अधिकांश में विश्वसनीय स्वच्छता सेवाएँ, स्वच्छ जल की आपूर्ति, बिजली, कानून प्रवर्तन और

अन्य बुनियादी सेवाओं में कमी होती है। मलिन बस्तियों को अक्सर अवैध आवासीय स्थल के रूप में जाना जाता है

विभिन्न देशों में मलिन बस्तियों के लिए अलग–अलग नाम है। अलग–अलग भाषाओं में मलिन बस्तियों के लिए अलग–अलग शब्द प्रयोग किए जाते है जैसे– फ्रेन्च में इसे बिडोनविल्स, पुर्तगाली में फेवेलस, स्पैनिश मेंएसेन्टामिएंटोस इरेगुलरेस कहते है, लेकिन वे सभी मलिन बस्तियों के समान अर्थ से मेल खाते हैं अर्थात् बुनियादी सुविधाओं से वंचित। इस प्रकार, यह शहरी आबादी का उभरता हुआ प्रकार है तथा विकास लेकिन साथ ही मानव बसावट का नया प्रतिमान भी।

भारत में भी लगभग सभी औद्योगिक केन्द्रों में श्रमिकों की बस्तियाँ पायी जाती हैं। अलग–अलग क्षेत्रों में इन्हें अलग–अलग नामों से जाना जाता है। जैसे बम्बई में चाल, मद्रास में चेरी, कलकत्ता और दिल्ली में बस्ती तथा कानपुर में अहाता आदि।

महात्मा गाँधी ने मद्रास की एक चेरी का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है कि ष्एक चेरी जिसे मैं देखने गया था उसके चारों ओर पानी और गन्दी नालियाँ थी। वर्षा ऋतु में यह व्यक्तियों के रहने योग्य स्थान नहीं होते होंगे। दूसरे ये चेरियाँ सड़की की सतह से नीचे हैं और वर्षा का पानी इसमें भर जाता है। इनमें सड़कों, गलियों की कोई व्यवस्था नहीं होती है और अधिकांश झोपड़ियों में नाम मात्र के भी रोशनदान नहीं होते हैं। ये चेरियाँ इतनी नीची होती हैं कि बिना पूर्णतया झुके इसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता है।सभी दृष्टियों से यहाँ की सफाई न्यूनतम स्तर से गयी गुजरी होती है।

कानपुर के अहाते का वर्णन करते हुए रॉयल श्रम कमीशन ने वर्णन किया है कि अधिकांश मकान "8/19" नाप के कमरे वाले हैं जिनमें से कुछ में एक बरामदा है तथा कुछ में उनका भी अभाव है ऐसे आवास प्रायः दो तीन या चार परिवार लिये होते हैं। इन मकानों के फर्श साधारणतया जमीन की सतह से नीचे होते हैं तथा नालियां, रोशनदानों और सफाई का उनमें पूर्ण अभाव होता है।

कलकत्ता म्युनिसिपल एक्ट(1956) में मलिन बस्ती की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है मलिन बस्ती वह क्षेत्र है जहां लोग झोपड़ीबनाकर रहते हों तथा जहां प्रत्येक आवास का क्षेत्रफल 10 लट्ठा (176 एकड़) से कम न हो।

संयुक्त राष्ट्र की नगरीय भूमि सुधार नीति (1952) के अनुसार "मलिन बस्ती" वह मकान अथवा मकानों के समूहों की बस्ती या क्षेत्र है जहां बहुत घनी आबादी हो, जहां जीवन सम्बन्धी सुविधाओं का पूर्णतः अभाव हो तथा जहां के लोग स्वस्थ तथा नैतिक जीवन बिता पाने में असमर्थ हों।

एस.के. गुप्ता ने लिखा है कि मलिन बस्ती में निवास के सामाजिक प्रभावों में पारिवारिक विघटन, विवाह सम्बन्धों में बिखराव और माता–पिता के ध्यान न देने से युवकों का पतन सम्मिलित किया जा सकता है। एक मलिन बस्ती आशाविहीन, सड़नयुक्त होती है जिसमें जीवन भ्रष्ट एवं नैराश्यपूर्ण होता है। इस प्रकार का परिवेश मानसिकता को दूषित तथा सामुदायिक चेतना और सौन्दर्य मूल्यों को कुण्ठित कर देता है।

भारत में मलिन बस्तियों पर अध्ययन करना शोधकर्ताओं का एक पसंदीदा विषय रहा है। शोधकर्ताओं ने अलग–अलग समय में भारत में पाए जाने वाले अलग–अलग शहरों की मलिन बस्तियों को अध्ययन क्षेत्र बनाते हुए बहुत से सकारात्मक निष्कर्ष प्राप्त किया है।इनके निष्कर्षों के आधार पर सरकार द्वारा नवीन नीतियां तैयार की गई है। इन अध्ययनों में से कुछ प्रमुख अध्ययन निम्नलिखित है–

पी.के. नाम्बियार(1961) द्वारा जनगणना के सम्बन्ध में लिखित स्लम्स ऑफ मद्रास सिटी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों पर आधारित अध्ययन जैसे भारत सेवक समाज दिल्ली प्रदेशो द्वारा पुरानी दिल्ली की मलिन बस्तियों का अध्ययन (1958). डी. आर. गाडगिल(1956)द्वारा पुणे महानगर की मलिन बस्तियों का सर्वेक्षण, एस. के. सेन (1957–58)द्वारा कलकत्ता महानगर का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण,निर्मल कुमार बोस(1968)द्वारा कलकत्ता महानगर का सामाजिक सर्वेक्षण तथा पी.के. मुखर्जी एवं बलजीत सिंह (1961)द्वारा लखनऊ महानगर का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, डी.एन. मजूमदार (1960)द्वारा कानपुर महानगर का

सर्वेक्षण, विक्टर एस. डिसूजा(1975)द्वारा चंडीगढ़ नगर का अध्ययन, पी. रामचन्द्र (1972)द्वारा बम्बई महानगर में फुटपाथ पर रहने वालों का अध्ययन, मीरा बापट(1981)द्वारा पूना का अध्ययन आदि ।

आर.बी. राठौर ने (1975) मानव शरीर तथा पौष्टिक आहार सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के लिए जयपुर नगर की मलिन बस्तियों के 1000 बच्चों तथा सम्पन्न परिवारों के 500 बच्चों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्कर्ष दिया कि मलिन बस्ती के बच्चों का वजन सम्पन्न घराने के बच्चों की तुलना में बहुत ही कम है। इसके अतिरिक्त उनका स्वास्थ्य स्तर एवं उनकी वृद्धि दर सम्पन्न घरानों केबच्चों की तुलना में बहुत ही निम्न है ।

पी.आर.नायक(1968) का विचार है कि नगर के दलित क्षेत्रों मेंनिम्न प्रकार की सामुदायिक भावना से पीड़ित किस्म के लोग रहते हैं जो विभिन्न प्रकार की विकलांगता से पीड़ित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने निजी स्वरूप में वापस आने एवं प्रभावशाली नागरिक बनने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है।

डिसूजा(1968)ने चण्डीगढ़ की मलिन बस्तियों के एक अध्ययन में पाया कि व्यक्ति उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान से अधिक देशान्तर करते हैं न कि पंजाब से। 80 प्रतिशत लोगों ने स्वीकार किया कि गाँव में भूमि से पर्याप्त आय नहीं होती है। अतः ऋण ग्रस्तता का दैवीय प्रकोप गाँवों से शहरों की ओर पलायन में योगदान देता है।

गौरी शंकर दूबे (1970) ने वाराणसी नगर की भदऊँ स्थित हरिजन बस्ती के परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया और उसे मलिन बस्ती के समान स्तर की बताते हुए उसके निवासियों के जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला । उनकी सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक स्थिति को स्पष्ट करने के साथ ही उनमें स्वास्थ्य, सफाई आदि के प्रति जागरूकता की स्थिति को उद्घाटित किया है । इसके अतिरिक्त उनकी विभिन्न समस्याओं एवं उनके निराकरण से सम्बन्धित सरकारी प्रयासों का भी उल्लेख किया है ।

पी. लॉयड (1979) ने अपनी पुस्तक में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि तृतीय विश्व के नगरों की मलिन बस्तियों में ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले लोग अपने जीवन से सम्बन्धित कुछ आशाओं को मन में संजो कर आते हैं तथा वहाँ की प्रतिकूल परिस्थिति के अनुसार रहने के लिए बाध्य होते हैं। ये नयीं परिस्थितियाँ उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक दशाओं की उन्नति की आशा का केन्द्र होती हैं। मलिन बस्ती के ये अप्रवासी नगरों में अपनी जीविकोपार्जन हेतु रोजी रोटी की तलाश एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यहाँ रहते हुए यहाँ की विषम एवं प्रतिकूल परिस्थितियों से समझौता करते हैं।

भारत की मलिन बस्तियों के निवासी विभिन्न प्रकार की असुविधाओं से पीड़ित हैं उनमें से अनेक अपने बच्चों के लिए भोजन, शिक्षा, चिकित्सा सम्बन्धी अन्य सुविधाएं जुटाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। मलिन बस्तियों में जीवन अत्यन्त ही कठिन एवं गरीबी से परिपूर्ण होता है तथा पूर्ण रूप से शारीरिक श्रम पर आधारित होता है। वह जितना अधिक शारीरिक श्रम करेंगे उतना ही उनकी आय बढ़ेगी। भारत सहित संसार के अन्य भागों में अनेक विद्वतापूर्ण एवं राजनैतिक अध्ययनों में मलिन बस्ती निवासी को निम्न कोटि या दूषित मानसिकता के व्यक्ति और इनके सामाजिक जीवन की कमियों तथा विघटन के सन्दर्भ में विश्लेषित किया गया है। "मलिन बस्तियाँ शहरों की सुन्दरता को कैंसर की तरह खा रही हैं।" मलिन बस्तियाँ मनुष्यों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को गिरा देती हैं। आज इनकी संख्या में निरन्तर बढोत्तरी हो रही है।

भारत के अलग–अलग हिस्सों में पाई जाने वाली मलिन बस्तियों का यदि समग्र अध्ययन किया जाएतो यह निष्कर्ष प्राप्त होता हैं कि ज्यादातर मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक इत्यादि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समय–समय पर सरकार अलग–अलग नीतियों के माध्यम से मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों को सुविधा मुहैया करने का प्रयास तो करती रहती

हैं। परंतु सरकार की इन नीतियों का प्रचार–प्रसार मलिन बस्तियों तक होना भी एक कठिन कार्य है और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब मलिन बस्ती में रहने वाला व्यक्ति अशिक्षित है जिसके पास किसी भी प्रकार का समाजिकज्ञान नहीं है तो उस तक इन नीतियों की पहुंच होते हुए भी वह इससे लाभ प्राप्त नहीं कर पता है जिसके कारण उनकी सामाजिक प्रस्थिति हमेशा निम्नस्थिति में बनी रहती है।

वैसे तो मलिन बस्तियों में हमेशा समस्याओं का अंबार लगा रहता है परंतु यह समस्याएं अत्यंत भयावह एवं विकराल तब हो जाती हैं जब किसी प्रकार की दैवीय आपदा या विपदा सामने आती है, जैसे यदि हम बीते वर्ष कोविड–19 के प्रभाव की बात करें तो पता चलता है कि अलग–अलग शहरों की मलिन बस्तियों में निवास कर रहे लोगों के ऊपर इसका बहुत ही ज्यादा दुष्प्रभाव दिखाई पड़ा है। मुंबई के धारावी मलिन बस्ती में कोविड–19 के विकराल प्रभाव से हम सभी परिचित हैं। इसी तरह का कुछ प्रभाव दिल्ली के मलिन बस्तियों में भी देखने को मिला है।उपरोक्त विवेचन से मलिन बस्तियों की वास्तविक स्थितियां परिलक्षित होती है, इनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक है कि समस्या की जड़ तक पहुंचा जाय, इनकी उत्पत्ति के स्रोत की खोज की जाय। इनकी समस्याओं को नये सिरे से देखने की जरूरत है।

सन्दर्भ सूची–

1- Bose N.K.(1968),Calcutta: A social survey, Lalwani Publications House, Bombay.
2- D.Souza,V.S.,(1975), Schedule Caste and Urbanization in Punjab, An Exploration. Sociological Bulletin.
3- Loyd,P.(1979),Slum of Hope USA and Great Britain.
4- Nayak, P.R.(1968), Encyclopedia of Social Work in India,Govt. of India.
5- Nitin, M, Kisan, A. et al, (2021).Urbanization and growth of slums in India: evidence from Census of India (2001-2011). Towards Excellence: An Indexed, Refereed & Peer Reviewed Journal of Higher Education, June, 2021. VOL.13. ISSUE NO. 2.
6- Sawhneya, U. (2013). Slum population in India: Extent and policy response. International Journal of Research in Business and Social Science IJRBS Vol.2 No.1, 2013 ISSN: 2147-4478.
7. दूबे,जी.एस..(1970),एक हरिजन बस्ती की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन, नव चेतना प्रकाशन वाराणसी।

Nav Jyoti, Vol. 10, No. 21, July-December 2022 **ISSN : 2249-7331**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

A Study of Teachers' Freezing in Relation to Organizational Climate at College Level

Ms. Neha Bansal
Research Scholar, V.M.L.G. College
M.Sc. (Zoology), M.Ed., M.A. (Edu., Hindi., Philosophy) M.Phil. (Zoo.), LL.B., UGC-NET (Edu., & Hindi), JRF (Edu.)

Dr. Rajni Goel
Associate Professor
Department of Education
V.M.L.G. College, Ghaziabad

Abstract: *The present study was conducted to investigate Teachers' Freezing in Relation to Organizational Climate at College Level. A random incidental sampling technique was used for the selection of the sample. The study sample comprised 300 college teachers, from 30 randomly selected colleges of the Ghaziabad districts of UP. It was descriptive survey research. For data collection, the researcher has used two standardized tools, Teacher Freezing Scale developed by Taj Haseen, and the Organizational climate scale developed by Dr. Taresh Bhatia. The result showed that there is a significant positive relationship between Organizational Climate and all the dimensions of Organizational Climate with Teacher Freezing.*

Keywords: Teachers'Freezing,OrganizationalClimate

Introduction: Education is a continuous, dynamic lifelong, and ever-changing process. The fundamental purpose of education is to gain knowledge, inculcate human values and attain technical competency. Education prepares a person physically, mentally, and socially. This Education process is incomplete without a teacher, so the teacher is an essential element. The future of any nation depends on its teachers. Analyzing the situation and deciding what is possible is the most important thing that we learn from teachers. At present it is felt that the quality of the teaching is declining day by day. For effective teaching, a certain amount of autonomy should be provided to the teachers so that he/she is able to deal with the diverse needs of children. The teacher requires as much space, freedom, flexibility and respect same as the learner. One major factor that considerably contributes to teacher performance is the organizational climate of the college.The quality of teachers' work is positively interconnected with the college's organizational climate.**Luqman M.S.& Rehman J.U.& Islam Z.U.& Khan S.D. (2020)**investigatedthatorganizational climate has a considerable impact on job satisfaction. **Parvaiz Iqbal, Dr. Ghulam Hyder, Uzma Shahzadi (2020).** studiedthat organizational climate was highly associated with teaching Professional competency. **Batlolona, John. (2018)** found that if the workplace is unfavorable, then the teachers will be less motivated to do their best. For improving the quality of a teacher and their educational activities, a good organizational climate can be an important factor.

If the Organizational Climate of the College is not favorable and positive according to the teacher, then teachers lack interest and attention towards their duties and they are not able to do any of their work with responsibility. All these are the symptoms of teachers freezing. **Hitaishi**

(2014) discovered that there was a significant relationship between teacher freezing and various component of organizational climate. **Dr. Raj Kumar Nayak, & S. Dash (2018)** founda positive and substantial correlation between teacher freezing and teachers' organizational climate.

Teacher freezing is a concept used to describe the total untapped, underutilized, and stagnant physical, intellectual, moral, psychological, and social capacities of teachers. Teachers freezing is described as a poor psychological state caused by or as a result of job stress. Teacher freezing has a detrimental influence on teacher quality, pupils, and the school. **Massey (2011)** found a critical connection between work fulfillment and teacher freezing existed in the teacher of secondary schools.

All the studies related with the topic indicates that the organizational climate directly or indirectly relates with teacher freezing and also relates with active participation in various social activities within the classroom and in society.

Need and Significance of the Study:

Each organization has its own climate. It is noted that educational organizations show a marked difference in climate. Even a casual visitor can detect differences between the two organizations. It has been reported that organizational climate has an impact on job satisfaction, teacher effectiveness, teacher competency, and academic achievement. Organizational setup generates a reaction in teachers. If the reaction is favorable, the resulting responses will show a higher amount of efficiency, cohesiveness, and satisfaction leading to the unfoldment of teachers' abilities but if it is unfavorable then it can be a cause of unsatisfaction and freezingness among teachers. Due to this, the standard of education will go down. Therefore, the problem raised here is to understand the level of teachers' freezingness in different organizational climates. But such questions cannot be answered satisfactorily without making a deep empirical study. Therefore, it seems quite appropriate on the part of the investigator to inquire about the organizational climate of the institutions and to study its relationship with teachers' freezingness. Hence, the present study has been undertaken.

Operational Key Terms:

Operational Definitions of Teacher Freezing:

"Teacher freezing is the general underutilization and stagnation of the teachers' psychological, intellectual, physical, social, and moral potentialities. Teacher freezing is defined as the value aspects to school and college teachers when the community and administrators complain about teacher indifferences as the primary reason for declining educational standards (2000) HaseenTaj.

Operational Definitions of Organizational Climate:

The organizational climate is a concept "perceived" by employees. Importantly, it is dependent on a value judgment which can vary greatly from person to person. The organizational climate affects productivity, motivation, and employee behaviour.

Organizational climate has been loosely used to refer to a broad class of organizational and perceptual variables that reflect individual organizational interactions and affect individual behaviour in organizations.

Statement of the Problem:

"A Study of Teachers' Freezing in Relation to Organizational Climate at College Level".

Objectives of the Study:

The main objectives of the study were:

1. To measure the level of Freezing of the college teachers with its different dimensions (i.e., intellectual, psychological, social, physical, and moral).
2. To examine the relationship between Organizational Climate and Teachers' Freezing.
3. To examine the relationship between different dimensions of Organizational Climate and Teachers' Freezing.

Research Hypothesis:

1. There is no significant relationship between Organizational Climate and Teachers' Freezing.
2. There is no significant relationship between different dimensions of Organizational Climate and Teachers' Freezing.

Variables of the Study:

Independent Variable: Organizational climate and its dimensions were considered as the independent variable

Dependent Variable: Teacher's Freezing

Methodology:

In the present study, the descriptive survey method was used.

Sample:

In the present study, the **random incidental sampling technique** wasemployed for the selection of the sample. The sample of the study was comprised of 300 college teachers, from 30 randomly selected colleges of the Ghaziabad districts of UP.

Tools for the Study:

1. Teacher Freezing Scaledeveloped by Taj Haseen

2. Organizational climate scaledevelopedbyDr. Taresh Bhatia

Statistical Techniques Used

For data analysis, different statistical techniques such as Mean, S.D, and Product-moment correlation were employed.

Analysis of Data

Objective 1:

To Measure the Level of Freezing of The College Teachers with It's Different Dimensions (I.E. Intellectual, Psychological, Social, Physical, and Moral).

To measure the level of Teacher's Freezing with its all five dimensions (i.e., intellectual, psychological, social, physical, and moral) the investigator analyzed and interpreted the scores of all his questionnaires.

The results are presented in Table 1.

TABLE: -1

Level of Freezing of the College Teachers with It's Different Dimensions

Grade	Freezing Level	No. of Teachers in Dimension-1 Intellectual	No. of Teachers in Dimension-2 Psychological	No. of Teachers in Dimension-3 Social	No. of Teachers in Dimension-4 Physical	No. of Teachers in Dimension-5 Moral
A	**Almost Not Freezed**	0	0	1	0	10
B	**LowelyFreezed**	28	15	24	24	13
C	**Below Average Freezed**	81	96	84	56	65
D	**Moderately Freezed**	112	124	112	141	131
E	**Above Average Level Freezed**	34	22	41	48	48
F	**High Level Freezed**	34	29	25	19	23
G	**Extremely Freezed**	11	14	13	12	10
Total No. of Teachers		300	300	300	300	300

Results are also displayed in the bar diagram given below:

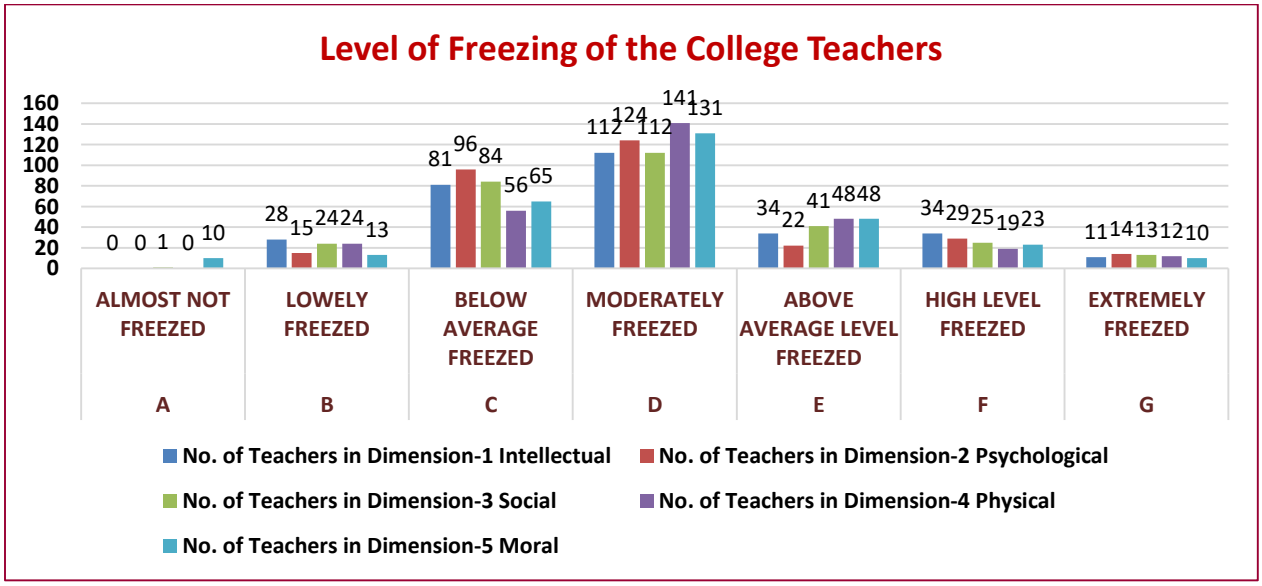

Fig. 1: Level of Freezing of the College teachers with its different dimensions

From the Table 1 and Fig.1, it can be observed that all five dimensions of freezing level have been categorized into six grades from A to G. Where A grade indicates Almost Not Freezed, B grade indicates LowelyFreezed. C grade indicates Below Average Freezed, D grade indicates Moderately Freezed, E grade indicates Above Average Level Freezed, F grade indicates High-Level Freezed and G grade indicates Extremely Freezed. On the basis of the above study, it is concluded that the maximum number of teachers were found Moderately freezed, less than that were found in the category of LowelyFreezed, Below Average Freezed, Above Average Level Freezed, and High-Level Freezed and very less number of teachers were found in Almost Not Freezed and Extremely Freezed level of Teachers' Freezing.

Objective-2:

To Examine the Relationship Between Organizational Climate and Teachers' Freezing

"For the purpose of studying the relationship between organizational climate and teacher freezing, the following null hypothesis was formulated:

H0 1There is no significant relationship between Organizational Climate and Teachers' Freezing.

Pearson's Product Moment Correlation was applied in order to investigate the relationship between the scores of Organizational Climate and Teacher Freezing of teachers. The corresponding results have been highlighted in Table 2.

TABLE: -2

Coefficient of Correlation between Organizational Climate and Teachers' Freezing of College Teachers

Variables	Number	Means	SD's	Coefficient of Correlation
Organizational Climate	300	77.18	17.42	0.86
Teacher Freezing	300	260.49	42.26	

Table 2 depicts that coefficient of correlation between organizational climate and teacher freezing of college teachers is .86 which is significant. It shows that there is significant and positive relationship between the scores of these variables. Here it should be kept in mind that high scores of Teachers Freezing indicates that teachers are having low freezing level and vice versa while high scores of Organizational Climate indicates that Organizational Climate of that institution is good so it is finally concluded that good Organizational Climate lead to low teacher freezing level among teachers.

So, the hypothesis H0 1 "There is no significant relationship between Organizational Climate and Teachers' freezing" is rejected.

Objective-3:

To Examine the Relationship Between Different Dimensions of Organizational Climate and Teachers' Freezing

"For the purpose of studying the relationship between Different Dimensions of Organizational climate and Teachers' freezing, the following null hypothesis was formulated:

H0 2 There is no significant relationship between Different Dimensions of Organizational Climate and Teachers' Freezing.

Pearson's Product Moment Correlation was applied in order to investigate the relationship between the scores of Different Dimensions of Organizational Climate and Teacher Freezing of teachers. The corresponding results have been highlighted in Table 3.

TABLE: -3

Correlation between Different Dimensions of Organizational Climate and Teacher Freezing

Variable 1	Variable 2	Coefficient of Correlation
Organizational Structure	Teacher Freezing	0.62788057
Motivation	Teacher Freezing	0.73309289
Decision Making	Teacher Freezing	0.710522521
Responsibility	Teacher Freezing	0.747450859
Communication	Teacher Freezing	0.751656264
Supportiveness	Teacher Freezing	0.72798369
Organizational Risk Taking	Teacher Freezing	0.739869156
Rewards & Recognition	Teacher Freezing	0.748638593
Conflict Resolution	Teacher Freezing	0.68476353
Welfare	Teacher Freezing	0.70904616

Table 3 analyzed the relationship between Different Dimension of Organizational Climate and Teacher Freezing. The results showed a similar pattern of significant positive relation in all the Dimension of Organizational Climate and Teacher Freezing.

So, hypothesis H0 2 "There is no significant relationship between different dimensions of Organizational Climate and Teachers' Freezing" is rejected.

Findings:

After the analysis and Interpretation of data, the following findings were laid down:

1. The first objective of the present research was "**To Measure the Level of Freezing of the College Teachers with Its Different Dimensions (I.E. Intellectual, Psychological, Social, Physical and Moral)**." The result revealed that, in each dimension of Teacher Freezing Approx. 35% to 45% of teachers were found "Moderately Freezed", 20% to 30% were found "Below

Average Freezed". Other three levels of Freezing i.e., "LowelyFreezed", "Above Average Level Freezed" and "High-Level Freezed" were found to have the same number of teachers ranging from 10 to 15% in each dimension. About 5% of the teachers were found in the "Extremely Freezed" level, but the number of teachers in the "Almost Not Freezed" level was almost negligible except for the Moral dimension where approx. 3% of teachers were found.

2. The second objective of the present research was **"To Examine the Relationship Between Organizational Climate and Teacher's Freezing".** The result found that there is a significant and positive relationship between the scores of Organizational Climate and Teacher's Freezing. High scores of Teachers Freezing indicates that teachers are having low freezing level and vice versa while high scores of Organizational Climate indicates that the Organizational Climate of that institution is good **so it is finally concluded that good Organizational Climate leads to low teacher freezing level among teachers.**

3. The third objective of the present research was **"To Examine the Relationship Between Different Dimensions of Organizational Climate and Teacher's Freezing"**. It has been found that there is a significant positive relationship between all the dimensions of Organizational Climate and Teacher Freezing. So, **it can be concluded that organizational climate which is the living system of the institution can play a significant role in teacher freezing.**

Suggestions:

- This research has been done only on college teachers it may be done on Primary, Secondary, and Senior secondary school teachers.
- Research may be conducted to compare the Freezing level of the teachers teaching in schools under different boards such as UP Board, CBSE, and ICSE board.
- This study may be conducted on the principal of colleges and schools instead of college teachers.
- This research has been conducted on the teachers of only Ghaziabad district so it may be conducted on the teachers of other districts also.
- The present study had taken Organizational climate as an independent variable but there are many other factors that affect theTeacher's Freezing.

Conclusions:

Our education sector is very important because it is a factor in the country's social and economic prosperity. It is critical to guarantee that every person in the organization is pleased and kept in order to further develop the educational system. In contrast, a teacher, who is happy in their organization and satisfied with his job, plays a pivotal role in the upliftment of their society; a well-adjusted and satisfied teacher can contribute a lot to the well-being of his/her pupils.This study shows that organizational climate is significantly related to teachers' freezing. It means organizational climate plays a significant role in maintaining teachers 'freezing. The study also found that a good Organizational Climate leads to a low level of teacher freezing among college teachers and vice versa.

References:

- Argyris, C. (1958), "Some problems in conceptualizing organizational climate: A case study of a bank", Administrative Science Quarterly, 2, 501 – 520.
- Batlolona, John. (2018). Organizational Climate of the School and Teacher Performance Improvement in the 21st Century. International Journal of Science and Research (IJSR). 7. 119-126.
- Dhull, I. and Poonam (2014). Teacher Freezing Among Secondary School Teachers in Relation to Their Personality and Organizational Climate. Ph.D. Thesis
- Goswami, M (2007). "A study of the organizational climate of the secondary schools of Kamrup district in relation to teacher freezingness and academic performance of students." Ph.D. Edu. G.U. Assam.
- Hitaihi, Vandana (2014). Teacher Freezing among Secondary School Teachers in relation to Organizational Climate of the school. Dev Samaj College of Education, Chandigarh.
- Jafari, Parivash &karami, Samaneh & Soleimani, Nader. (2012). The Relationship Among Organizational Climate, Organizational Learning and Teachers' Self Efficacy. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 47. 2212-2218. 10.1016/j.sbspro.2012.06.974.
- Luqman MS, Rehman JU, Islam ZU, Khan SD. (2020). Effect of organizational climate upon the job performance of instructors' physical education. Pedagogy of physical culture and sports, 2020;24(2):72-76.
- Maheshbabu, N. &Chengtiand, S.S. &Walkhinde,B. (2014). Organizational Climate and Job Anxiety of Primary School Teachers. International Journal of Current Research.Vol.6. Issue 01. pp.4694-4696.
- Massey, J.P. (2011). A Study of Difference in Intensity of Relationship between Teacher Freezing and Job Satisfaction of Secondary School Teachers. Journal of Educational and Psychological Research, 1(2), 89-94
- Pandey P.K. & Dwivedi, Dipali (2010). Teacher Freezing of Secondary School Teachers, Educational QuestAn International Journal of Education and Applied Social Sciences 1(1), 65-68.
- Parvaiz Iqbal, Dr. Ghulam Hyder, Uzma Shahzadi (2020) Effect of Organizational Climate on Teaching Professional Competencies of Public School Teachers in Punjab. Pakistan Social Sciences Review June 2020, Vol. 4, No. 2 [114-124] P-ISSN 2664-0422
- Treputharan, Saowanee&Tayiam, Sompon. (2014). School Climate Affecting Job Satisfaction of Teachers in Primary Education, Khon Kaen, Thailand. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 116. 10.1016/j.sbspro.2014.01.334.

Nav Jyoti, Vol. 10, No. 21, July-December 2022 **ISSN : 2249-7331**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

ROLE OF MGNREGA FOR POVERTY ALLEVIATION IN PRAYAGRAJ DISTRICT OF UTTAR PRADESH

Surya Prakash Yadav,
Research Scholar,
Dr. Sumit Saurabh Srivastava,
Assistant Professor,
Center for Development Studies,
University of Allahabad, Prayagraj
Email-surya28vijay@gmaill.com

Abstract

Many employment generation programmes are being introduced by the Government of India to fulfil the gap of employment generation and at the same time counter the poverty in rural India. Mahatma Gandhi national rural employment guarantee act is the first to provide guaranteed work and wage to the rural unskilled persons. This paper studies the effect of MGNREGA on employment generation, and its role to eradicate poverty. This study is captured data for the period of 2015 to 2021. The study finally concludes that the MGNREGA program effectively generated employment even during the time of pandemic due to which country faced unprecedented rise in rural employment demand and helps to mitigate poverty in the country.

Keywords: Employment generation, Poverty alleviation, Poverty line,

Introduction

Poverty alleviation is one of the foremost challenge before India therefore it requires a long term policy. MGNREGA has the provision of remunerative full employment. By remuneration it refers a kind of employment, whether wage employment or self employment must get remuneration above the poverty line income. Indian growth history was based on trickle down approach with an implicit objective of benefitting every single individual of the country. Unfortunately, we do not get the desired result due to various causes. In the meantime the poverty of India loaded with heavy figures and therefore in the fifth five year plan the then Prime Minister gave slogan of Garibi Hatao. Almost at the same time VM Dandekar and N Rath (1971), provided first systematic assessment of poverty in India. Estimation of poverty by government started with the establishment of Alagh Committee in 1979. The report constructed poverty line on the basis of nutritional requirements and related consumption expenditure. This report was further followed by Lakadawala committee (1993), Tendulkar committee (2009) and the most recent the rangrajan committee (2012).

Table 1: Percentage of population below poverty line calculated by the Tendulkar Committiee and Rangrajan Committee for the year 2009-10 and 2011-12

Committee	Rural	Urban	Total	Rural	Urban	Total
Year	**2009-10**			**2011-12**		
Tendulkar Committee	33.8	20.9	29.8	25.7	13.7	21.9
Rangrajan Committee	39.6	35.1	38.2	30.9	26.4	29.5

Poverty estimation in India (prsindia.org)

The poverty alleviation schemes can be grouped in two categories viz. (1) wage employment schemes; (ii) self employment schemes.

Based on the reports of various committeesseveral employment generation programmes were launched since 1970s. These progrmmes are crash scheme for Rural Employment (CSRE) in 1971, pilot Intensive Rural Employment Programme (PIREP) in 1972, Marginal Farmers and Agricultural Labour (MFALDA) in 1969, Small Farmers Development Agency (SFDA) in 1971, Food for Work Progamme (FWP) in 1977, National Rural Employment Programme (NREP) in 1980 and Rural Landless Employment Guarantee Progamme (RLEGP) in 1983 were implemented. Further, Employment Assurance Scheme (EAS) a wage employment programme was launched in 1993 with a view to create economic infrastructure and community assets. During 1989-90 a massive programme of Jawahar Rozgar Yojana was launched by merging NREP and RLEGP aimed to take to wage employment programme to each and every village in the country and to empower village level institutions. Later, it was renamed as Jawahar Gram Samridhi Yojana (JGSY) from April 1999, laying a renewed emphasis on the provision of demand driven infrastructure to meet the requirements of the market-driven economy and create sustained employment for the rural poor. In spite of implementing this programme in order to generate employment adequate number of man-day was not generated. In this backdrop, it was felt that there is need to merge multiple wage programmes into a single programme by covering food security, additional wage employment, village infrastructure and community durable assets. Accordingly, a unique new wage employment programme known as Sampoorna Grameena Rozgar Yojana (SGRY) was introduced in 2001 by merging JGSY and EAS.

After all these efforts finally in 2005 the historical National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) was launched with the objective to guarantee rural employment to the unskilled labour force and to restore their social security. Soon it was renamed as Mahatma Gandhi National

Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA) on 2 October 2009. The Act was legalised and notified in 200 districts in the first phase with effect from February 2nd, 2006 and then extended to an additional 130 districts in the financial year 2007- 2008. Here in this study the researcher aim to know the effectiveness of this scheme in the field of employment generation and at the same time for the poverty alleviation.

Poverty in India

A high inflation rate increases poverty – an issue flagged by the ILO's Global Wages Report 2022-23. The scale of poverty in India is reflected by the government's scheme to give free food to 81 crore poor people for one year from January 1. The government's claim of India being the fastest growing large economy and persisting poverty at such a scale don't square up.

2022 will be remembered for the start of a new Cold War, for a fusion energy possibility which is akin to controlling the Sun, for the James Webb telescope which confronts us with our insignificance in this universe. But the majority, not only in India but globally, will remember 2022 for high inflation. The Union Budget to be presented in two weeks will at a macro level influence both growth and inflation. While growth needs to be boosted, it is prices that impact the majority in the country and need to be addressed as a priority.

The government claims that on the inflation front, India is doing better than other nations – but across countries, the rates are not comparable with each other due to country specificities. For instance, the wages of the unorganised sector workers, the overwhelming majority, in India are not indexed to inflation. Their living standards decline with inflation, unlike in most advanced countries where largely, wages have some link with inflation. Thus, a 5% rate of inflation in India is worse for workers than an 8% rate in the US.

In given chart data are presented for five different time-periods: 2004–2011, 2011–14, 2011–17, 2017–19 and 2014–19. The data for these periods illustrate several phenomena in the Indian macro-economy. Note that GDP growth (basis for conventional back of-the-envelope forecasts about poverty trends) was the highest during 2004–11 (6.4 % per annum), and higher than the 5.4 % per annum growth experienced during 2014–19.

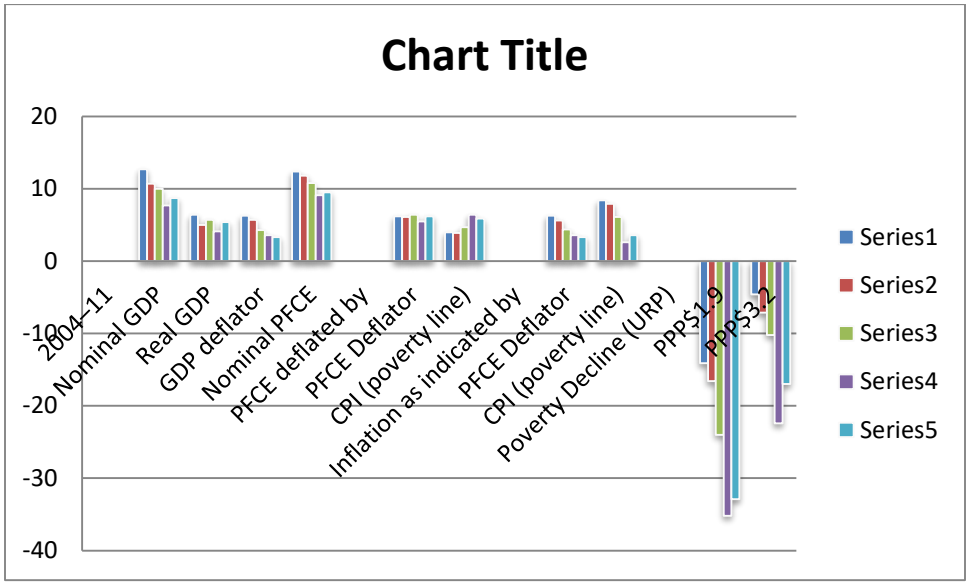

Individuals in society belong to different classes, have vastly different incomes and consume very different things. A poor or a lower middle class person does not buy cars. Most of their expenditure is on food and fuel. For the rich these items are a small percent of their total expenditure. The children of the poor go to schools that are cheap or free, while the children of the well-off go to the expensive private schools.

So, each class experiences a different inflation rate for two reasons. The inflation rate is an average of price rise in different items. For instance, increase in food prices may differ from that for clothing. For electronics items, prices may be falling. Further, how much of an item is consumed (or not consumed) by an individual in a group determines how much that item contributes to the inflation faced by that group. So, food items maybe 50% of the consumption of the poor while it may only be 2% for the rich. So, food price rise will impact the poor hard but have little impact on the well-off.

Poverty line, a level 68 percent higher in real terms than the PPP$1.9 line, there is an increase in the poverty rate of 3.3 percentage points (difference between a 14.8 % rate in 2019–20 and an 18.1 % rate in 2020–21), which for a population of 1340 million is an increase of 44 million. Only a cross-country comparative study can provide an answer to the question of how well the Indian government did in its policy response to the pandemic – what we do know is that for the extreme poverty line there was discussion (speculation) about the increase in poverty numbers in India to be in the hundreds of millions or 15 to 25 percent of the population. What we have documented is that with the appropriate estimation and effects of food transfers, the extreme poverty rate stayed constant at less than 1 % level for each of the two years 2019–20 and 2020–21.

Thus, effective targeting of food seems to have been the most appropriate policy response to pandemic-induced poverty. Note that the average Indian consumption basket (2011–12 CES) reports the share of food to be 46 %. For the poor, the fraction is upwards of 60 percent.

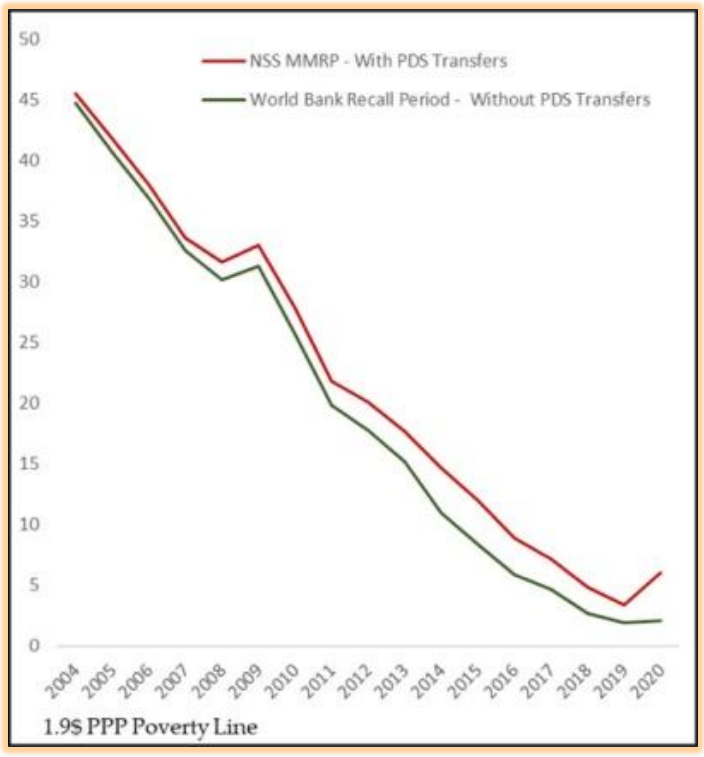

Kochhar (2020) concluded that 75 million Indians were pushed into extreme poverty in 2020–21. In sharp contrast, the figure yielded by the modified mixed method indicates no increase with food transfers, and only an estimated 13.4 million increase (1 % of population) without transfers. The low level of extreme poverty– around 0.8 % in both 2019 (0.76 %) and 2020 (0.86 %) – is suggestive of the need for the official poverty line to now be PPP$3.2.

The above charts also demonstrate the social safety net provided by the expansion of India's food subsidy program absorbed a major part of the pandemic shock. The program provided insurance to the poor and prevented an increase in the prevalence of extreme poverty in India. This illustrates the robustness of India's social safety architecture as it withstood one of the world's biggest exogenous income shocks.

Literature Review

Gupta S. (2005), has created the paradox of an anti-peasant support to the employment generation schemes and an anti-subsidy support to expansion in rural employment expenditure. Unfortunately, this nature of support only serves to strength neo-liberal economic policy besides implying dire consequences for the peasantry. With growth rates of rural income, employment

and production already low and falling, an additional decline in public spending will further incapacitate rural India.

Ghosh D. K. (2005), this paper focused on the delivery mechanism of government sponsored employment generation program that failed to deliver the benefits of the programme. It means that the resources were not utilized for the purpose. Guidelines were not followed. In addition, insensitivity of the system towards the women workers persists very much even though there are clear. It is doubtful, whether NREGA can overcome these hindrances. With the existing delivery mechanism, particularly at state and sub-state levels it will be near impossible to achieve the target of 100 days of employment in a year through manual work.

Gaiha R. (2005) examined a case for enhanced outlays under the employment generation schemes, with a substantially higher reallocation in favor of the least-developed regions and appropriate changes in the scheme's design and implementation. Enhanced outlays are feasible provided that other similar interventions are merged under the employment generation schemes. Larger outlays for the employment generation schemes must, however, be combined with appropriate changes in its design and implementation to better target the poorest people. In conclusion, with a reallocation of employment generation schemes resources in favor of the poorest regions, the program's poverty– alleviating potential is high despite a sharp fall in overall participation in this scheme in recent years.

Rudrappan D. (2005), the aim of the present paper is understand the participation of work force in employment generation schemes from rural poor. Employment scheme should make an impression to generate to long standing infrastructure on a sustainable basis. National scheme provides ample opportunity to empower the panchayat in the implementation of employment generation schemes. However, the task does not end with the mere implementation the scheme. To ensure its viability, it is essential to carry out periodic assessment of the progress achieved with regard to the creation of productive assets, unemployment level, infrastructure, and also the actual needs of various state and regions of India.

Chari A. (2006), has focused Gender analysis of MEGS on the „women friendly" nature of the scheme as it attracted a large number of women workers. This paper argues that it is not the presence of a large number of women as employment generation schemes workers that makes the scheme women friendly, but this presence makes possible their mobilization by organizations that have leftist and feminist ideologies. Through this mobilization, not only „women friendly" provisions such as equal wages, provision of crèches, shelter, maternity benefits and close proximity of employment generation schemes workers. Get implemented, but women raise new concerns, which critique gender discrimination.

Raghu T., Arulmaran M. (2007), have studied, the labor force is increasing year after year. So, the programmes have to generate more employment opportunities than the increase in labour force, they must be labour intensive. Another major problem in employment generation programmes is to organize public works to create durable assets by assigning them to

contractors. It has been observed that the contractors try to recruit labour and push the programme at high speed and short period of time. So, the employment is created for a short period and only for a small number of people. To eradicate this problem Prof. Sukhmoy Chakravarthy suggests, "it is necessary to provide an institutional framework in which the people, more especially the poor people are given the authority and responsibility to execute programmes." Further, creating awareness between the people about the programmes and their responsibility of the people in participating with dedication is necessary.

Pellissery S., and Jalan S. K. (2011), This article argues that MNREGA has no impact on the social transformation (though legally claimed through provisions such as equal wages) that women involved in the programme need, but we can nevertheless see huge potential for women to do more than benefit in terms of day-to-day welfare: the programme has potential to support women's empowerment in the sense that it affords them the opportunity to experience their collective strength, and potentially redefine relations with men through involvement in the **programme.**

Kumar (2014) in his paper examined that Programme has a major impact on rural area. MGNREGA is playing pivotal role in rural employment generation and enhancing the rural livelihood. It is one of major wage employment initiative which provides at least hundred days of employment in the rural area. The panchayat raj institution played a leading role in planning and implementation of the programme. MGNREGA help generating wage employment in the rural area.

Xavier (2014) finds that the MGNREGA expands wage and consumption of the family units thought about over the pre MGNREGA period and the plan essentially improves the social and financial basic leadership energy to women in the men commanded rural culture. Hence the scheme ensures improved standard of living of the vulnerable poor, more specifically among women. It additionally finds that poor work site resource, hot climate condition and reduction of spare time put them much hardship during the working hours of MGNREGA.

Sharma D., Karim A., Khanuja S.S. (2017), This paper studied the effect of MGNREGA on the generation of employment, type of work done under this statute and up to what extent this programme is successful in poverty alleviation in rural India. Many researchers have found that this programme has a huge impact on the employment structure of rural India. The present paper studied and outlines the role of MGNREGA in enhancing the livelihood of poor rural people through twin incorporation of work with skill. Also, there is the need of overcoming the procedure of payment.

Objectives

The main aim of this study is to assess the generation of employment and how far the poverty is alleviated and the definite objectives are as per following:

- To analyse the role of MGNREGA for Generation of employment in Rural Uttar Pradesh.
.
- To study the role of MGNREGA in the alleviation of rural poverty in Uttar Pradesh.

Research and Methodology

The information gathered for the review incorporates secondary information. The different sources used to gather secondary information incorporate reports of MGNREGA, research papers, journals and the website of MGNREGA. Data is collected from the website of MGNREGA for the period of 2015 to 2021 to identify the role of this scheme in eradication of poverty as well as employment generation measure.

Results and Discussion

To justify the objective of this study the researcher has plotted stacked bar diagram to show the changes in addition of new job opportunities under MGNREGA in prayagraj district as well as for whole of the Uttar Pradesh. This diagram suggests that prayagraj district has done well in 2020 and 2021 in comparison with average for the UP state; however before 2020 both had shown same performance.

Figure 1(A) Total no. of job cards added in MGNREGA in UP from 2015 to 2021

(B) Total no. of job cards added in MGNREGA in Prayagraj District from 2015 to 2021

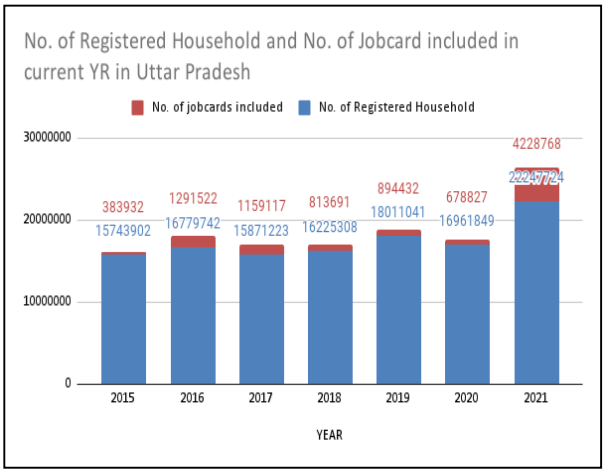

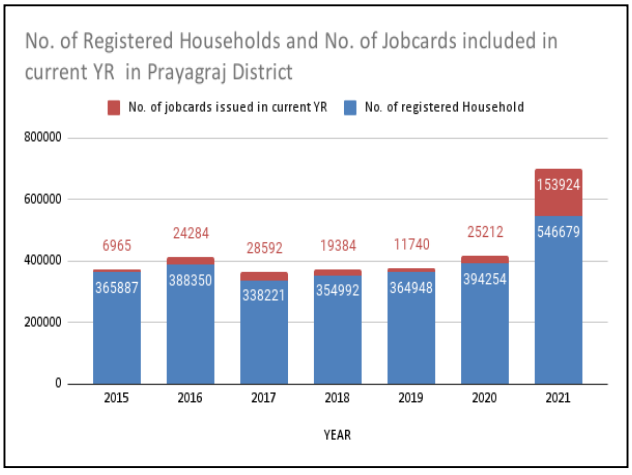

Another important implication of this paper is that the changes in number of registered households under MGNREGA between 2015 to 200 is lump sum same however from 2020 to 2021 the number has jumped almost 24% for UP as a whole and around 28% for Prayagraj District.

Figure 2A and 2B Depicts the employment status of MGNREGA in UP and Prayagraj District for the period of 2015 to 2021 respectively. For this purpose the researcher has used multibar

diagram showing the changes in employment demanded under MGNREGA, employment offered under MGNREGA and employment eventually provided under MGNREGA.

Figure 2(A) Shows employment status of MGNREGA for UP.
(B) Shows employment Status for Prayagraj District under MGNREGA.

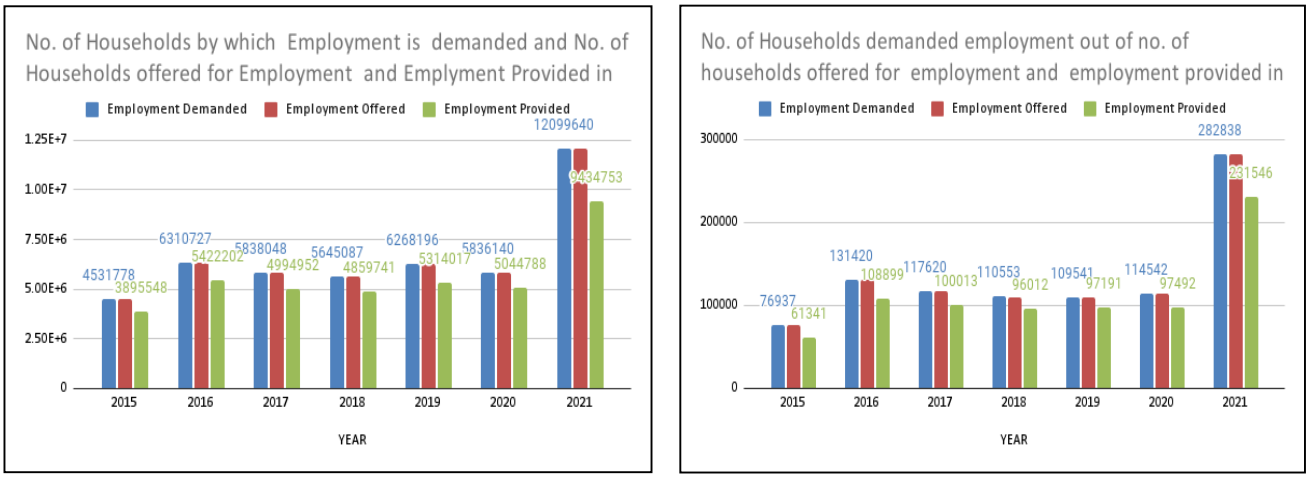

The above figure indicates that the employment demanded and employment offered is same for Prayagraj as well as UP in each year from 2015 to 2021. However the between the study period employment demand has increased from 2015 to 2016 in both Prayagraj and UP after that it remained almost same until 2020. Another massive jumped has been observed from 2020 to 2021 which was around 52% for UP and 60% in Prayagraj respectively. Another important implication is concerned with the continuous gap between employment demanded and offered with the numbers of actually employment provided.

Conclusion

This study has taken the period from 2015 to 2021 in which last two years were the severly affected by Covid-19 pandemic. This stopped almost all economic activities due to which a major section of the society particularly the daily wage earners who were engaged in various industries found themselves completely helpless. Huge migration takes place in India and all these migrant workers in seek of employment registered under MGNREGA. Due to this reason there was sudden spike in the demand of employment. Therefore government has to increase the budget of MGNREGA in 2020 and 2021 to meet out this demand of employment as well as for strengthening of rural economy. To study identify the reason for the gap in employment offered and employment actually provided. This was due to delays in allotment of jobs even though the job is offered but it takes time to engage any particular worker, delay in payments, sometime not actual amount of wages were paid to the poor workers and many more related issues.

Lastly, it can be said that MGNREGA is one of the landmark policy for employment generation particularly for the unskilled workers and they also constitute the total poor of the country. So. While providing jobs to almost all the persons who have demanded for job which is also substantiated by the data, it can be clearly said that the MGNREGA is continuously fulfilling its objective of creating employment as well as eradicating the poverty at the same time.

References

- Census of India (2017): Ministry of Home Affairs, Government of India, Viewed on July 14, 2017 www.censusindia.gov.in
- India Today (2016): MGNREGA completes 10 years of implementation: Important facts, Education, http://indiatoday.intoday.in/education/story/mgnrega/1/5863 70.html
- Keshlata, and Fatmi S. N. (2015), 'The Contribution Of MGNREGA In The Empowerment Of The Scheduled Tribes Through Poverty Alleviation And Rural Development In The Sheopur District Of Madhya Pradesh: An Analytical Study', International Journal of Humanities and Social Science Invention, vol. 4, pp. 58-71
- Kumar, S. (2014). ROLE OF MGNREGA IN RURAL EMPLOYMENT: A REVIEW. EPRA International Journal of Economic and Business Review. 2(1), 18-22.
- Ministry of Rural Development, Government of India. NREGA Outcomes (physical – employment generation) various Issues.
- NREGA Operational Guidelines (2008): Ministry of Rural Development, Government of India, http://nrega.nic.in/Nrega_guidelinesEng.pdf
- Prasad, K.V.S. (2012). Performance of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA): An Overview. International Journal of Management & Business Studies. 2(4), 99-103.
- Xavier, G., & Mari, G. (2014). Impact Of Mgnrega On Women Empowerment With Special Reference To Kalakkanmoi Panchayat In Sivgangai District, Tamil Nadu. SSRG International Journal of Economics and Management Studies (SSRG-IJEMS). 1(1), 1-5.
- Ambasta, P. (2008). Two years of NREGA: The Road Ahead, Economic and Political Weekly, 43(8) February.
- Government of India, (2011). Annual Report, Ministry of Rural Development, New Delhi. Government of India. (2012).
- MGNREGA Sameeksha (2015-2021), Ministry of Rural Development, New Delhi.
- Hazra (2009). NREGA, Transforming Rural India, Kurukshetra 58(2), December.
- Jha, R. et.al (2008). Reviewing National Rural Employment Guarantee Programme, Economic and Political Weekly, 43(11), September.
- Maheswari (1985). Rural Development of India, Sage Publications, New Delhi. The Hindu, 20 November 2007
- Singh, B.D.(1992). Planning for Rural Development and Poverty alleviation, Mittal Publication, New Delhi.
- www.mgnrega.nic.in
- Structural pitfalls of MGNREGA (downtoearth.org.in)
- https://thewire.in/economy/a-decline-in-inflation-is-no-comfort-for-the-majority